चतुर्दश माला, खंड 29, अंक 15

गुरुवार, 6 सितम्बर, 2007
15 भाद्रपद, 1929 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

ग्यारहवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No......64..............
Dated......15...July 2008

(खण्ड 29 में अंक 11 से 17 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी. डी. टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए. के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक–I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक–II

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

सुनीता थपलियाल
सहायक सम्पादक

रेनू बाला सूदन
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय सूची

चतुर्दश माला, खंड 29, ग्यारहवां सत्र, 2007/1929 (शक)

अंक 15, गुरूवार, 6 सितम्बर, 2007/15 भाद्रपद, 1929 (शक)

विषय	कॉलम
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	1
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 321 से 340	2-36
अतारांकित प्रश्न संख्या 3147 से 3265 और 3267 से 3376	36-286
सभा पटल पर रखे गए पत्र	287-289
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
तीसवां प्रतिवेदन	289
सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति	
सत्ताईसवां और अट्ठाईसवां प्रतिवेदन	289-290
विवरण	
शहरी विकास संबंधी स्थाई समिति	
तेईसवां और चौबीसवां प्रतिवेदन	290
कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति	
बाईसवां प्रतिवेदन	290
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	291-294
(एक) इमिग्रेशन चैक रिक्वायरमेंट सस्पेंशन सिस्टम (ई.सी.आर.एस.) को समाप्त करना	
श्री वायालार रवि	291-292
(दो) रक्षा मंत्रालय से संबंधित रक्षा संबंधी स्थायी समिति के नौवें, बारहवें और तेरहवें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री ए.के. एंटनी	292-293
(तीन) लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से संबंधित उद्योग संबंधी स्थायी समिति के एक सौ उनासीवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री संतोष मोहन देव	293
(चार) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित "हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय के कार्यकलाप – एक पुनरीक्षा" विषयक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के बारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री दिनशा पटेल	294
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	294, 306-310
पंचायतों को उनके संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने और उनके कर्त्तव्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए उन्हें वित्तीय रूप से सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री अनिवाश राय खन्ना	295
श्री मणिशंकर अय्यर	306-310

कार्यमंत्रणा समिति के इकतालीसवें प्रतिवेदन के संबंध में प्रस्ताव 295-296

नियम 377 के अधीन मामले 296-395

(एक) अरवल और बिहार–झारखंड सीमा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 98 का उन्नयन और रख–रखाव किए जाने की आवश्यकता

श्री निखिल कुमार 296

(दो) गुजरात के मेहसाना जिले के उनझा में जीरा उत्पादकों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री जीवाभाई ए. पटेल 297

(तीन) पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वर्तमान रेलवे स्टेशन को आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री अधीर चौधरी 297-298

(चार) जम्मू कश्मीर में मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

चौधरी लाल सिंह 298

(पांच) राजस्थान के अलवर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आकाशवाणी और दूरदर्शन की प्रसारण और रिले सुविधाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता

डा. करण सिंह यादव 298

(छह) बरेली में रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना तथा रेल ऊपरि पुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री संतोष गंगवार 298-299

(सात) देश में मिट्टी के तेल तथा एल.पी.जी. की आपूर्ति बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी 299

(आठ) ग्रामीण क्षेत्रों और समाज के कमजोर वर्गों हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं को पूर्ण रूप से वित्तपोषित किए जाने की आवश्यकता

डा. सत्यनारायण जटिया 299-300

(नौ) राष्ट्रीय खनिज नीति के संबंध में होडा समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों पर कार्यवाही किए जाने से पूर्व राज्य सरकारों के दृष्टिकोण पर विचार किए जाने की आवश्यकता

श्री पुन्नूलाल मोहले 300-301

(दस) क्योंझरगढ़ के रास्ते भुवनेश्वर और टाटानगर के बीच एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाए जाने तथा हावड़ा बारबिल, जन शताब्दी एक्सप्रेस को क्योंझरगढ़ तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री अनन्त नायक 301

(ग्यारह) कॉयर यार्न तथा कॉयर उत्पादों हेतु "मिल गेट प्राइस स्कीम" आरंभ किए जाने की आवश्यकता

डा. के.एस. मनोज 301-302

(बारह) उत्तर प्रदेश की कुछ पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति श्रेणी की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री शैलेन्द्र कुमार 302

(तेरह) उत्तर प्रदेश में शारदा नदी पर वर्तमान बैराज से बहने वाले अतिरिक्त पानी को रोकने के लिए भारत–नेपाल सीमा पर एक बांध का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री रवि प्रकाश वर्मा 302-303

(चौदह) बिहार में पटना के मसौढ़ी ब्लॉक में इंडियन ऑयल का एल.पी.जी. आउटलेट स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री गणेश प्रसाद सिंह 303

(पन्द्रह) असंगठित क्षेत्र में कृषक मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी कार्यक्रमों संबंधी व्यापक विधान बनाए जाने की आवश्यकता

श्री अजय चक्रवर्ती 303-304

(सोलह) नेपाल के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बिहार के चम्पारण जिले के बाल्मीकि नगर में "लैंड कस्टम स्टेशन" स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री कैलाश बैठा 304

(सत्रह) सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों का विलय किए जाने की आवश्यकता

प्रो. एम. रामदास 304-305

सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) संशोधन विधेयक, 2007 - जारी 305-306

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी 305

खंड 2 और 1 305-306

पारित करने के लिए प्रस्ताव 306

प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2007 310-313

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री प्रेमचंद गुप्ता 310-311

खंड 2 से 4 और 1 313

पारित करने के लिए प्रस्ताव

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका 317

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका 318-322

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका 323-324

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका 323-324

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

गुरुवार, 6 सितम्बर, 2007/15, भाद्रपद, 1929 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बज कर एक मिनट पर समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए)*

अध्यक्ष महोदय : अब महासचिव शपथ ग्रहण करने के लिए श्रीमती सुमन महतो का नाम पुकारें।

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्रीमती सुमन महतो (जमशेदपुर)

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री हरिकेवल प्रसाद – प्रश्न सं. 321

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अगर आपके पास कुछ कहने के लिए है, तो मैं प्रश्न काल के पश्चात अनुमति दे दूंगा। मैं प्रश्न काल के पश्चात् आपकी बात सुनने का प्रयास करूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। कृपया बैठ जाइए। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप सीनियर मैम्बर्स हैं और किस तरह के स्लोगंस बोल रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : एक ही मामला प्रतिदिन नहीं उठाया जा सकता। श्री मल्होत्रा – मैं आपसे फिर अपील करता हूं। मैं सभी माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि प्रश्न काल को चलने दें। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हर रोज यही हो रहा है। मेरा इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। इस मामले पर मैं निर्णय नहीं ले सकता। इस पर निर्णय केवल सरकार ही ले सकती है। यदि सभा की कार्यवाही नहीं चलेगी तो इस पर निर्णय किस प्रकार किया जा सकेगा?

...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

निजी क्षेत्र की विमान कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर उड़ान भरने की अनुमति

***321. श्री हरिकेवल प्रसाद :**
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में एक सप्ताह में सरकारी क्षेत्र की विमान कंपनियों की उड़ानों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) देश में एक सप्ताह में निजी क्षेत्र की विमान कंपनियों की उड़ानों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या निजी क्षेत्र की विमान कंपनियों को सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर उड़ान भरने की अनुमति प्रदान की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस निर्णय से सरकारी क्षेत्र की विमान कंपनियों को कितने राजस्व की हानि होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) भारतीय राष्ट्रीय विमान कंपनी लिमिटेड, जिसमें इंडियन एयरलाइंस तथा एअर इंडिया का विलय हुआ है, अंतर्देशीय सेक्टर पर प्रति सप्ताह 1674 उड़ानें प्रचालित कर रही है।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(ख) निजी अनुसूचित एयरलाइनें अंतर्देशीय सेक्टर पर प्रति सप्ताह 8113 उड़ानें प्रचालित कर रही हैं।

(ग) और (घ) जी हां। आवेदन की तिथि पर अंतर्देशीय सेक्टर में कम से कम 5 वर्ष के निरंतर प्रचालन तथा न्यूनतम 20 विमानों का बेड़ा रखने वाली निजी अनुसूचित एयरलाइनों को अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर प्रचालन करने की अनुमति दी जाती है।

(ङ) सार्वजनिक सेक्टर की एयरलाइनों को कोई भी राजस्व संबंधी हानि होने की परिकल्पना नहीं की गई है चूंकि मौजूदा तथा भावी यातायात वृद्धि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर क्षमता वृद्धि की निरन्तर आवश्यकता रहती है। इस निर्णय से न केवल भारतीय वाहक (सार्वजनिक तथा निजी दोनों) भारत की हकदारियों का अधिकतम उपयोग कर पायेंगे बल्कि इससे विदेशी एयरलाइनों के यातायात बाजार पर भी पकड़ बन सकेगी।

पर्यटन विकास

***322. श्री संजय धोत्रे :**
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए राज्य-वार किन-किन पर्यटन स्थलों का विकास किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या देश में विशेषकर महाराष्ट्र में किलों, विशाल भवनों, हवेलियों तथा धार्मिक स्थलों की पर्यटन क्षमताओं का आकलन करने के लिए सरकार द्वारा कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) हैरिटेज और धार्मिक स्थलों के विकास सहित, पर्यटन के विकास और संवर्धन की जिम्मेदारी मुख्यतया राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय, सभी प्रकार से पूर्ण और योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, पर्यटन के विकास और संवर्धन के परियोजना प्रस्तावों हेतु, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने 10वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में, महाराष्ट्र सहित, विभिन्न राज्यों के लिए 20 वर्षीय संदर्शी योजनाएं तैयार करने के लिए अध्ययन शुरू किए थे। ये संदर्शी योजनाएं, भविष्य की पर्यटन परियोजनाएं लेने के लिए, संबंधित राज्यों को भेजी गई थीं।

(ग) एक दीर्घावधि और लघु अवधि आधार पर एक सुव्यवस्थित तरीके से, राज्यों में पर्यटन के विकास के उद्देश्य से 20 वर्षीय संदर्शी योजनाएं शुरू की गई थी। संदर्शी योजनाओं के विस्तृत उद्देश्य निम्नलिखित थे :-

(i) राज्यों में मौजूदा पर्यटन परिदृश्य का मूल्यांकन करना;

(ii) मौजूदा विकास/निवेश योजनाओं की अवस्थिति की समीक्षा करना;

(iii) मौजूदा संभाव्य पर्यटन गंतव्यों का मूल्यांकन करना;

(iv) 20 वर्षों की समयावधि में सतत पर्यटन का विकास करना;

(v) विकास हेतु संभावना वाली नई पर्यटन परियोजनाओं के साथ-साथ मौजूदा पर्यटन परियोजनाओं की पहचान करना;

(vi) लघु अवधि और दीर्घावधि लक्ष्यों के साथ योजनाएं देना;

(vii) विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत अवसंरचना विकास पर संभावित निवेश को दर्शाना; और

(viii) अभिनिर्धारित संभाव्य योजनाओं/परियोजनाओं के कार्यान्वयन और अवसंरचना के विकास हेतु एक कार्य योजना तैयार करना।

ओएनजीसी द्वारा निजी कंपनियों को तेल क्षेत्रों/ ब्लाकों का आबंटन

***323. श्री मनसुखभाई डी. वसावा :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) ने तेल और गैस के अन्वेषण हेतु निजी/बहु-राष्ट्रीय कंपनियों को कई तेल क्षेत्रों/ब्लाकों का आबंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के लिए तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन कंपनियों द्वारा तेल संसाधनों के खनन के दुरुपयोग को रोकने के लिए किए गए प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इनमें से ऐसी कंपनियों के नाम और उनकी संख्या कितनी है जो इस संबंध में बनाए गए नियमों का पालन करने में असफल रही है; और

(ङ) सरकार द्वारा अब तक ऐसी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) से (ङ) जी, नहीं। आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) तेल और गैस के अन्वेषण के लिए ब्लाकों का आबंटन नहीं करती। तथापि, देश में अन्वेषण क्रियाकिलापों में वृद्धि करने के लिए सरकार पारदर्शी और अंतर्राष्ट्रीय बोली प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रीय तेल कंपनियों, निजी कंपनियों और विदेशी कंपनियों को नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) के तहत अन्वेषण ब्लाकों का आबंटन करती है।

एनईएलपी के तहत अवार्ड प्राप्तकर्ता कंपनियों के साथ सरकार द्वारा उत्पादन हिस्सेदारी करारों (पीएससीज) पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, जिनमें सरकार के साथ लाभ पेट्रोलियम की हिस्सेदारी और अन्वेषण और विकास क्रियाकलाप चलाने के लिए अन्य शर्तें निर्धारित की जाती हैं। एनईएलपी के क्रियान्वयन के बाद भारतीय तलछटीय बेसिन क्षेत्र का अन्वेषण के तहत क्षेत्र 11% से बढ़कर 44% तक हो गया है। आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) को अन्वेषण ब्लाक सरकार द्वारा नामांकन और उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) व्यवस्थाओं के तहत अवार्ड किए गए हैं। सरकार ने अब तक नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) के तहत 162 अन्वेषण ब्लाकों का आबंटन किया है। पिछले दो वर्ष के दौरान सरकार द्वारा अवार्ड किए गए ब्लाकों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

एनईएलपी के छह दौरों के तहत ओएनजीसी को 74 अन्वेषण ब्लाक अकेले अथवा भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी/विदेशी कंपनियों के साथ परिसंघ को अवार्ड किए हैं। अन्वेषण जोखिम में हिस्सेदारी करने और अद्यतन अन्वेषण और उत्पादन (ई एंड पी) प्रौद्योगिकियों तक पहुंच बनाने के लिए पिछले दो वर्ष में ओएनजीसी ने एनईएलपी अन्वेषण ब्लाकों में अन्य सार्वजनिक उपक्रमों नामतः भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और गुजरात राज्य पेट्रोलियम कार्पोरेशन (जीएसपीसी) के साथ और निजी/बहुराष्ट्रीय कंपनियों नामतः कैर्न एनर्जी (प्रा.) लिमिटेड, इटली की ईएनआई, पेट्रोब्रास, नोर्स्क हाईड्रो हेरामेक, ऐनसर्च और सुंनटेरा रेज. लि. के साथ भागीदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्धित तेल निकासी (आईओआर)/उन्नत तेल निकासी (ईओआर) तकनीकों के जरिए तेल कूपों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए ओएनजीसी नई उन्नत प्रौद्योगिकियां अपनाती है। तथापि, कतिपय क्षेत्रों में कूपों से उत्पादन में वृद्धि करने के लिए जहां संभव हो और जब आवश्यकता हो विदेशी कंपनियों सहित बाहरी एजेंसियों से उपस्कर/सेवाएं और डोमेन विशेषज्ञ भाड़े पर भी लिए जाते हैं।

पीएससी और तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम (ओआरडीए), 1948 में पूरा न किए गए कार्य के लिए शास्ति के प्रावधान सहित देश के हाईड्रोकार्बन संसाधनों के इष्टतम दोहन के प्रावधान हैं। अन्वेषण कार्य सरकार और अवार्ड प्राप्तकर्ता कंपनियों के बीच हस्ताक्षरित पीएससी के उपबंधों के अनुसार प्रगति पर है। पिछले दो वर्ष में ब्लाकों की अवार्ड प्राप्तकर्ता किसी भी कंपनी (संलग्न सूची में उल्लिखित) ने पीएससीज की शर्तों और निबंधनों का उल्लंघन नहीं किया है। इसलिए पीएससी के अनुसार कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं थी।

विवरण

एनईएलपी – 5 के अंतर्गत सौंपे गए जमीनी अन्वेषण ब्लॉकों की सूची

क्र.सं.	राज्य	ब्लॉक का नाम	परिसंघ (भागीदारी हित)	संविदा पर हस्ताक्षर की तिथि
1	2	3	4	5
1.	अरुणाचल प्रदेश	एए–ओएनएन–2003/1	**ज्यो पेट्रोल इंटरनेशनल इंक** (30%), नेशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन लि. (40%) और कानोरो रिसोर्सेस लि. (30%)	16.12.2005
2.	आंध्र प्रदेश	केजी–ओएनएन–2003/1	**कैर्न एनर्जी इंडिया प्रा. लि.** (24%) ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. (51%) और कैर्न एक्सप्लोरेशन (संख्या–4) लि. (25%)	23.9.2005
3.	असम	एए–ओएनएन–2003/2	**जुबिलिएंट ऑयल एंड गैस प्रा. लि.** (10%) जुबिलिएंट सिक्योरिटीज प्रा. लि. (35%) गुजरात राज्य पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (20%) और गेल (इंडिया) लि. (35%)	16.12.2005
4.		एए–ओएनएन–2003/3	**ऑयल इंडिया लि.** (85%) तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (15%)	23.9.2005
5.	गुजरात	सीबी–ओएनएन–2003/1	**रिलायंस इंडस्ट्रीज लि.** (100%)	23.9.2005
6.		सीबी–ओएनएन–2003/2	**गुजरात राज्य पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.** (50%) गेल (इंडिया) लि. (20%), जुबिलिएंट कैपिटल प्रा. लि. (20%) तथा ज्यो ग्लोबल रिसोर्सेस लि. (10%)	23.9.2005

1	2	3	4	5
7.	महाराष्ट्र	डीएस–ओएनएन–2003/1	**ज्यो ग्लोबल रिसोर्सेस लि.** (100%)	23.9.2005
8.	राजस्थान	वीएन–ओएनएन–2003/1	**कैर्न एनर्जी इंडिया प्रा. लि.** (24%) कैर्न एक्सप्लोरेशन (संख्या–6) लि. (25%) और ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. (51%)	23.9.2005
9.		आरजे–ओएनएन–2003/1	**ईएनआई इंडिया लि.** (34%) ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. (36%) और कैर्न एक्सप्लोरेशन (संख्या–2) लि. (30%)	23.9.2005
10.		आरजे–ओएनएन–2003/2	**फोकस एनर्जी लि.** (60%) और **बर्कबेक इन्वेस्टमेंट** लि. मॉरीशस (40%)	23.9.2005
11.	तमिलनाडु	सीवाई–ओएनएन–2003/1	**नाइको रिसोर्सेस (एनईएलपी-5) लि.** (100%)	23.9.2005
12.	उत्तर प्रदेश	जीवी–ओएनएन–2003/1	**कैर्न एनर्जी इंडिया प्रा. लि.** (24%) कैर्न एक्सप्लोरेशन (संख्या 6) लि. (25%) ओएनजीसी (51%)	23.9.2005

टिप्पणी : ब्लॉक प्रचालकों के नाम गहरे शब्दों में दर्शाए गए हैं।

एनईएलपी – 6 के अंतर्गत सौंपे गए जमीनी अन्वेषण ब्लॉकों की सूची

क्र.सं.	राज्य	ब्लॉक का नाम	परिसंघ (भागीदारी हित)	संविदा पर हस्ताक्षर की तिथि
1.	आंध्र प्रदेश	केजी–ओएनएन–2004/1	**ओआईएल** (90%) – ज्यो ग्लोबल (10%)	2.3.2007
2.		केजी–ओएनएन–2004/2	**जीएसपीएल** (40%) – गेल (40%) पेट्रोगैस (20%)	2.3.2007
3.	असम	एए–ओएनएन–2004/1	**ओआईएल** (85%) – शिव वाणी (15%)	2.3.2007
4.		एए–ओएनएन–2004/2	**ओआईएल** (90%) – सनटेरा (10%)	2.3.2007
5.		एए–ओएनएन–2004/3	**एस्सार एनर्जी** (90%) – **एस्सार ऑयल** (10%)	2.3.2007
6.		एए–ओएनएन–2004/4	अदानी एन्टरप्राइजेट (35%) – अदानी पोर्ट (20%) **नैफ्टोगेज** (10%) – जेसी (मुंबई) (35%)	2.3.2007
7.		एए–ओएनएन–2004/5	**एस्सार एनर्जी** (90%) – **एस्सार ऑयल** (10%)	2.3.2007
8.	बिहार	पीए–ओएनएन–2004/1	ओएनजीसी (100%)	2.3.2007
9.	गुजरात	सीबी–ओएनएन–2004/1	ओएनजीसी (50%) जीएसपीसी – (40%) – हैरामैक (10%)	2.3.2007
10.		सीबी–ओएनएन–2004/2	**ओएनजीसी** (50%) जीएसपीसी (40%) – सनटेरा रिस लि. (10%)	2.3.2007
11.		सीबी–ओएनएन–2004/3	**ओएनजीसी** (40%) जीएसपीसी (35%) – एनसर्च (25%)	2.3.2007
12.		सीबी–ओएनएन–2004/4	**ओएनजीसी** (50%) जीएसपीसी (40%) – हैरामैक (10%)	2.3.2007
13.		सीबी–ओएनएन–2004/5	अदानी एन्टरप्राइजेज (35%) – अदानी पोर्ट (20%) **नैफ्टोगेज़** (10%) – वैलस्पन (35%)	2.3.2007

1	2	3	4	5
14.	मध्य प्रदेश	एसआर–ओएनएन–2004/1	**प्राइज पेट्रोलियम** (10%) – जय प्रकाश एसोसिएट्स लि. (90%)	2.3.2007
15.	महाराष्ट्र	डीएस–ओएनएन–2004/1	**ज्यो ग्लोबल रिसोर्सेज लि.** (100%)	2.3.2007
16.	मिजोरम	एमजेड–ओएनएन–2004/1	**ओआईएल** (75%) – सनटेरा (10%) – शिव वाणी (15%)	2.3.2007
17.		एमजेड–ओएनएन–2004/2	**नैफ्टोगेज़** (10%) – आरएनआरएल (10%) – ज्योपेट्रोल (10%) – आरईएल (70%)	2.3.2007
18.	राजस्थान	वीएन–ओएनएन–2004/1	**ओएनजीसी** (100%)	2.3.2007
19.		वीएन–ओएनएन–2004/2	**ओएनजीसी** (100%)	2.3.2007
20.		आरजे–ओएनएन–2004/1	**जीएसपीसी** (20%)–गेल (20%) एचपीसीएल (20%)–हालवर्दी (पानामा) (10%) – नितिनफायर (नई दिल्ली) (10%) – सिल्वरवेव (म्यांमार) (10%) बीपीसीएल (10%)	2.3.2007
21.		आरजे–ओएनएन–2004/2	**ओआईएल** (75%)–ज्यो ग्लोबल (25%)	2.3.2007
22.		आरजे–ओएनएन–2004/3	**ओआईएल** (60%) – ज्यो ग्लोबल (25%)–एचपीसीएल (15%)	2.3.2007
23.	तमिलनाडु	सीवाई–ओएनएन–2004/1	**ओएनजीसी** (80%)–बीपीसीएल (20%)	2.3.2007
24.		सीवाई–ओएनएन–2004/2	**ओएनजीसी** (80%)–बीपीसीएल (20%)	2.3.2007
25.	उत्तर प्रदेश	जीवी–ओएनएन–2004/1	**ओएनजीसी** (100%)	2.3.2007

टिप्पणी : ब्लॉक प्रचालकों के नाम गहरे शब्दों में दर्शाए गए हैं।

पाइपलाइन के माध्यम से गैस का वितरण

***324. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**

श्री धर्मेन्द्र प्रधान :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाइपलाइनों के माध्यम से उपभोक्ताओं को गैस वितरित करने के संबंध में राज्य–वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या राज्यों द्वारा इस प्रकार गैस वितरण शुरू करने के लिए केन्द्र सरकार के विशिष्ट अनुमोदन की आवश्यकता होती है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि कुछ राज्यों ने केन्द्र सरकार से अनुमोदन लिए बिना यह योजना शुरू कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस मुद्दे को सुलझाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) गेल (इंडिया) लिमिटेड की ट्रंक पाइपलाइनों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। इसके अलावा, विभिन्न तेल विपणन कंपनियों के साथ गेल के संयुक्त उद्यमों के दिल्ली और उपनगरों, मुंबई और उपनगरों, आगरा, लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद और विजयवाड़ा में नगर गैस वितरण नेटवर्क हैं। नगर/स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क अगरतला, अहमदाबाद, अंकलेश्वर, भरूच, सूरत, वड़ोदरा, गांधीनगर, हजीरा जूनागाम, वासवा, मोरा, दमका, भटलाई, कवास, राजगिरि, सुवाली, इच्छापोर, विद्यानगर, आनन्द, मोरबी, दुलियाजान, डिग्बोई, डिब्रूगढ़, मोरान, नहरकटिया, शिवसागर, नजीरा, सिमलुगुड़ी और तिनसुनिका नगरों में पहले ही कार्यान्वित किए जा चुके हैं। मैसर्स गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड (जीएसपीएल) ने गुजरात के भीतर 1150 कि.मी. पाइपलाइन चालू कर दी है।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) जी हां। गुजरात में जीएसपीएल द्वारा चालू की गई/चालू की जा रही पाइपलाइनों का एक बड़ा भाग भारत सरकार के प्राधिकार के बिना है। कुछ राज्य सरकारें नामतः गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान ने नगर/स्थानीय प्राकृतिग गैस वितरण परियोजनाओं की स्थापना प्राधिकृत की है या इसके लिए कार्रवाई आरंभ की है। गुजरात सरकार ने अहमदाबाद, वड़ोदरा, गांधीनगर, मेहसाणा, साबरकंठा, राजकोट, सुरेन्द्रनगर और गोधरा जिलों और नादियाड, आनन्द, वापी, वलसाड, खम्भात, बिलिमोरा, नवासारी, भावनगर, वांकानेर और सारिगाम में सीएनजी नेटवर्क बिछाने के लिए विभिन्न निकायों को अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपीएसआईडीसी के माध्यम से लखनऊ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मुरादाबाद और गाजियाबाद में नगर गैस वितरण परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किए हैं। इसी प्रकार हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद, गुड़गांव, पानीपत और सोनीपत में नगर गैस वितरण परियोजनाओं के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान किया है। राजस्थान सरकार ने कोटा, जयपुर, उदयपुर, भिवाडी और नीमराना नगरों में नगर गैस वितरण के लिए विभिन्न निकायों को अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान किए हैं।

(ङ) माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष संदर्भ संख्या 1/2001 में 25 मार्च, 2004 को परामर्शी न्याय क्षेत्र के दिए गए अपने आदेश में यह मत दिया है कि तरलीकृत गैस सहित प्राकृतिक गैस संघ सूची की प्रविष्टि 53 के अंतर्गत सम्मिलित संघ का विषय है। तदनुसार संघ के पास प्राकृतिक गैस के बारे में कानून बनाने के लिए विशेष विधायी सक्षमता है। प्राकृतिक गैस के विषय पर कानून बनाने की विधायी सक्षमता राज्यों के पास नहीं है।

संविधान के अनुच्छेद 73 के अंतर्गत संघ की कार्यकारी शक्ति इन मामलों पर लागू होती है, जिसके संबंध में संसद के पास कानून बनाने की शक्ति है। इसे देखते हुए राज्य सरकारों के पास ट्रंक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और नगर/स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाना प्राधिकृत करने के लिए कोई शक्ति नहीं है।

इसके अलावा सरकार ने 3 अप्रैल 2006 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 अधिसूचित किया है जिसमें ट्रंक प्राकृतिक गैस पाइपलाइनें और नगर/स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, बनाने, प्रचालन करने या विस्तार करने के लिए निकायों को बोर्ड का प्राधिकार सम्मिलित है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड का गठन 25 जून, 2007 को किया गया है।

भारत सरकार ने संबंधित राज्य सरकारों को ट्रंक पाइपलाइनों और नगर/स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने से संबंधित अनापत्ति प्रमाणपत्रों/अनुमोदनों को प्रदान करने के बारे में कोई कार्रवाई आरंभ न करने का अनुरोध किया है।

आगे सरकार ने एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ और अन्य (रिट याचिका सिविल 19029/85) के मामले में एक शपथ पत्र दाखिल किया है जिसमें उच्चतम न्यायालय से यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति संदर्भ मामले में दी गई राय के मद्देनजर राज्य सरकार के पास प्राकृतिक गैस के प्रेषण, आपूर्ति और वितरण और नगर गैस वितरण के लिए कोई नीति बनाने के लिए कोई प्राधिकार या न्याय क्षेत्र नहीं है।

विवरण

गैस पाइपलाइनों का ब्यौरा :

	लम्बाई कि.मी. में
गुजरात	1553
त्रिपुरा	61
असम	8
तमिलनाडु	259
आंध्र प्रदेश	834
मध्य प्रदेश	1421
राजस्थान	500
उत्तर प्रदेश	1477
महाराष्ट्र	482
हरियाणा	86
दिल्ली	96
कुल प्राकृतिक गैस पाइपलाइनें	6777

[अनुवाद]

घरेलू एयरलाइनों में विदेशी नागरिकों की केबिन क्रू के रूप में नियुक्ति

***325. श्री प्रहलाद जोशी :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को घरेलू एयरलाइनों में विदेशी नागरिकों को केबिन क्रू के रूप में नियुक्त करने की अनुमति देने के लिए प्राइवेट आपरेटरों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) नागर विमानन महानिदेशालय को मैसर्स किंगफिशर एयरलाइंस की ओर से घरेलू उड़ान पर केबिन क्रू के रूप में विदेशी नागरिकों को नियुक्त करने की अनुमति मांगने के लिए एक अनुरोध प्राप्त हुआ था। आज की स्थिति के अनुसार, किसी भी एयरलाइन को घरेलू उड़ान पर केबिन क्रू के रूप में विदेशी नागरिकों को नियुक्त करने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है।

तेल के मूल्यों में संशोधन

***326. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :**
श्री रायापति सांबासिवा राव :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल विपणन कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के मूल्यों में वृद्धि के कारण पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में फिर से बढ़ोतरी करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है; और

(घ) इससे तेल कंपनियों को घाटे की भरपाई करने में कितनी सहायता मिलने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) से (घ) जी हां। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल, डीजल, सा.वि.प्र. मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी नामक संवदेनशील पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि की मांग की है क्योंकि इन उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में वृद्धि हुई है। 2007-08 के दौरान (अगस्त तक) कच्चे तेल के भारतीय बास्केट का औसत मूल्य 2006-07 के दौरान 62.46 अमरीकी डालर की तुलना में बढ़कर 68.34 अमरीकी डालर प्रति बीबीएल हो गया है। 16.8.2007 से लागू अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के वर्तमान स्तर पर तेल विपणन कंपनियों ने दिल्ली में संवदेनशील पेट्रोलियम उत्पादों के खुदरा बिक्री मूल्यों में वृद्धि के लिए निम्नानुसार अनुरोध किया है :

उत्पाद		वृद्धि
पेट्रोल	रुपए प्रति लीटर	2.90
डीजल	रुपए प्रति लीटर	4.68
सा.वि.प्र. मिट्टी तेल	रुपए प्रति लीटर	15.47
घरेलू एलपीजी	रुपए प्रति सिलेंडर	174.75

सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव उपाय करती रही है कि आम आदमी को कोई परेशानी न हो। सरकार ने आम आदमी और समाज के गरीब तबकों के हित की रक्षा करने के लिए तीन पणधारकों नामतः सरकार, सा.क्षे.उ. तेल कंपनियों और उपभोक्ताओं के बीच समान भार वहन का सिद्धांत अपनाया है। सरकार अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों की कड़ी निगरानी कर रही है और वह उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना जारी रखेगी।

[हिन्दी]

इथेनाल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री

***327. श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" :**
श्री सूरज सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल कंपनियों को 5 प्रतिशत इथेनाल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री की अनुमति देकर उनकी लाभ राशि में वृद्धि करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे उनकी लाभ राशि में अनुमानित कितनी वृद्धि होगी; और

(घ) इस लाभ में उपभोक्ताओं की भागीदारी भी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) से (घ) जी, नहीं। निम्नलिखित लाभों को ध्यान में रखते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा 5% एथेनोल सम्मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम सितंबर, 2006 में अधिसूचित किया गया है :-

(1) एथेनोल सम्मिश्रित पेट्रोल के उपयोग से कच्चे तेल के आयात पर देश की निर्भरता कम होगी।

(2) एथेनोल पर्यावरणानुकूल है क्योंकि इससे पेट्रोल के दहन में वृद्धि होती है जिसके परिणामस्वरूप हाईड्रोकार्बन उत्सर्जन निम्नतर होता है।

(3) एथेनोल एक कृषिगत उप-उत्पाद है इसलिए किसानों की आय में वृद्धि होगी, और

(4) यह नवीकरणीय प्राकृतिक ईंधन है।

एथेनोल की उतराई पर लागत की तुलना किसी स्थान विशेष पर पेट्रोल की उतराई पर लागत के बेंचमार्क मूल्य से की जाती है जिसमें परिवहन भुगतान किए गए सभी कर और प्रशुल्क आदि शामिल हैं। वर्तमान में तेल विनिर्माता कंपनियां (ओएमसीज) 21500 रुपये प्रति

किलोमीटर के आधारभूत मूल्य पर एथेनोल का प्रापण कर रही हैं। पेट्रोल के वर्तमान मूल्य पर और 5% एथेनोल सम्मिश्रण पर एथेनोल की उतराई पर लागत और पेट्रोल की उतराई पर लागत के बीच अंतर दिल्ली में 0.25 रुपया है। इस लाभांतर के प्रति ओएमसीज दिल्ली में मोटर स्पिरिट के खुदरा बिक्री मूल्य पर 4.92 रुपये प्रति लीटर की अनुमानित अल्प वसूली झेल रही हैं।

राष्ट्रमण्डल खेल-2010 के लिए व्यवस्था

***328. श्री पंकज चौधरी :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह मालूम है कि महत्वपूर्ण हवाईअड्डों का प्रबंधन निजी कंपनियों द्वारा अपने हाथ में लेने के बावजूद हवाई अड्डों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस तथ्य से निजी कंपनियों को अवगत कराया है ताकि राष्ट्रमंडल खेल 2010 को देखते हुए महत्वपूर्ण हवाईअड्डों की स्थिति में त्वरित सुधार लाया जा सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर निजी कंपनियों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) देश के प्रत्येक हवाईअड्डे पर राष्ट्रमंडल खेल–2010 के दौरान अनुमानित विमान यात्रियों और विमान यातायात का प्रबंध करने के लिए हवाई अड्डे–वार क्या व्यवस्था की गई है/किए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ङ) दिल्ली तथा मुम्बई हवाईअड्डों का विकास तथा आधुनिकीकरण संबंधित निजी प्रचालक (संयुक्त उद्यम कंपनी) तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य हस्ताक्षरित प्रचालन, प्रबंधन तथा विकास करारों (ओएमडीए) के अनुसार किया जा रहा है। प्रचालन, प्रबंधन तथा विकास करारों (ओएमडीए) के कार्यान्वयन की गहन मानीटरिंग सचिव (नागर विमानन) की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा की जा रही है।

संयुक्त राष्ट्रमंडल खेल–2010 के दौरान संभावित यातायात की व्यवस्था के उद्देश्य से अन्य बातों के साथ दिल्ली हवाईअड्डे पर 4.4 किलोमीटर लंबा नया रनवे तथा घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय यातायात से निपटने के लिए एक एकीकृत यात्री टर्मिनल बनाया जायेगा। नई सुविधाओं के साथ हवाईअड्डे में प्रतिवर्ष 37 मिलियन यात्रियों की व्यवस्था करना संभव होगा। विस्तार तथा आधुनिकीकरण का यह प्रगतिशील कार्य राष्ट्रमंडल खेलों के लिए मार्च, 2010 तक समय पर पूरा कर लिया जायेगा।

मुम्बई हवाईअड्डे पर जो महत्वपूर्ण निर्माण कार्य किए जा रहे हैं उनमें हैं – नये घरेलू टर्मिनल का निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय एप्रेन का विस्तार, एक नये उच्चगति एग्जिट टैक्सी वे का निर्माण। इन नई सुविधाओं के साथ हवाईअड्डा प्रतिवर्ष 40 मिलियन यात्रियों की व्यवस्था करने में सक्षम होगा। इन सभी कार्यों के मार्च, 2010 तक पूरा होने का लक्ष्य है।

[अनुवाद]

रेलगाड़ियों में खानपान सेवा संबंधी उच्च न्यायालय की निगरानी समिति

***329. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार :**
श्री संतोष गंगवार :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलगाड़ियों में बासी और अस्वास्थ्यकर भोजन परोसने के लिए जिम्मेदारी तय की गयी है जैसाकि दिल्ली उच्च–न्यायालय द्वारा नियुक्त निगरानी समिति द्वारा उल्लेख किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके लिए जिम्मेदार पाए गए कैटरर्स/व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) रेलगाड़ियों में यात्रा के दौरान ताजा, स्वास्थ्यकर भोजन परोसने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : (क) से (ग) रेलवे यात्रियों को स्वास्थ्यकर एवं गुणवत्तापरक भोजन उपलब्ध कराती है। चूक के मामलों में दोषी लाइसेंसधारकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, जैसे ठेका रद्द करना, जुर्माने लगाना, चेतावनी देना आदि की गई है और दोषी पाए गए कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की गई है।

(घ) खानपान सेवाओं में सुधार करने के लिए अन्य कार्यों सहित विभिन्न कदम उठाए गए हैं जैसे स्वतंत्र एजेंसी के द्वारा भोजन की जांच, खानपान इकाइयों के लिए उत्तरोतर इंटरनेशनल ऑरगनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन (आई एस ओ) प्रमाणन, ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण, वस्तुओं एवं दरों का ब्यौरा सूचित करने वाले मेन्यू कार्डों की सप्लाई, विशेष अभियान चलाना आदि।

राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में सुविधाएं

***330. प्रो. एम. रामदास :**
श्री मदन लाल शर्मा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में पांच सितारा खानपान की शुरूआत करने, वीडियो फिल्मों का प्रदर्शन करने तथा विशेष टी.वी. चैनल उपलब्ध करने की योजना बना रहा है जैसाकि 3 अगस्त, 2007 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन–किन रेलगाड़ियों और श्रेणियों में ये सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या रेलवे उपर्युक्त सुविधाओं के लिए शुल्क वसूलने हेतु रेल यात्रा किराए में संशोधन करने पर विचार कर रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) रेलगाड़ियों में ये सुविधाएं कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : (क) से (ग) राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियां भारतीय रेल की प्रतिष्ठित प्रीमियर गाड़ियां हैं। तदनुसार, इन गाड़ियों में मानक और गुणवत्तापरक खानपान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। एक पायलट परियोजना के रूप में एक शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी की एक्जीक्यूटिव और चेयर कार श्रेणियों, दोनों में ऑन बोर्ड श्रव्य/दृश्य सूचना, प्रसार एवं मनोरंजन प्रणाली का परीक्षण करने की योजना है। अन्य शताब्दी गाड़ियों में इसका विस्तार, इस योजना के सफल क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा।

(घ) इन सुविधाओं के कारण राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों का किराया बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) ऑन–बोर्ड मनोरंजन प्रणाली के परीक्षण चालू वित्त वर्ष के दौरान पूरे हो जाने की संभावना है।

रेलवे में शिकायत/परिवाद निवारण तंत्र

***331. श्री सुकदेव पासवान :**
श्री राम कृपाल यादव :
क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में शिकायत/परिवाद निवारण हेतु मौजूदा तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) रेलवे में सूचना प्रसार की मौजूदा प्रणाली का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान प्रणाली/तंत्र प्रयोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ पाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस प्रणाली/तंत्र को प्रयोक्ताओं के अनुकूल बनाने हेतु इसे सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : (क) भारतीय रेल में जन शिकायत निवारण तंत्र चार स्तरों पर कार्य करता है अर्थात रेलवे बोर्ड, क्षेत्रीय रेल मुख्यालय, मंडल मुख्यालय और स्टेशन। शिकायतें दर्ज करने के लिए स्टेशनों पर और गाड़ियों में शिकायत पुस्तिकाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा, महत्वपूर्ण स्टेशनों पर सुझाव पेटियां और जन शिकायत बूथ की भी व्यवस्था की गई है।

(ख) रेलवे, समय–सारणियों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वेब–साइट, पूछताछ कार्यालयों और जन उद्घोषण प्रणाली आदि के माध्यम से जनता के बीच सूचना प्रसार करती है। रेलवे बोर्ड, क्षेत्रीय रेलों और मंडल मुख्यालयों में सूचना एवं सहायता केन्द्र भी उपलब्ध कराए गए हैं जहां उपयोगकर्ता संपर्क कर सकते एवं सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) विभिन्न प्रबंधकीय स्तरों पर जन शिकायतों की समय पर निपटान की समीक्षा एवं निगरानी की जाती है। इसके अलावा, ग्राहक सेवा संबंधी प्रणालीगत सुधार भी किए जाते हैं ताकि जहां तक संभव हो सके शिकायत पैदा होने का मौका ही न आए।

प्रमुख ब्रांड कंपनियों द्वारा औषधियों के उत्पादन की आउटसोर्सिंग

***332. श्री के.एस. राव :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी प्रमुख ब्रांड कंपनियां कम विख्यात भेषज विनिर्माण इकाइयों को औषधियों के उत्पादन की आउटसोर्सिंग कर रही हैं और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष ऐसी औषधियों का कितनी मात्रा में उत्पादन किया गया और उनका मूल्य क्या है;

(ख) बड़ी कंपनियों ने उक्त अवधि के दौरान आउटसोर्सिंग के माध्यम से औषधियों को मूल्य नियंत्रण से बाहर रखने के प्रावधान का किस हद तक दुरुपयोग किया है;

(ग) क्या सरकार का विचार सभी दवाइयों की अधिकतम मूल्य सीमा निर्धारित करके ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिए उपाय शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) औषध उद्योग के स्रोतों से प्राप्त सूचना के अनुसार औषध उद्योग में आउटसोर्सिंग गतिविधियां नियमित तौर पर चलाई जा रही हैं। इसका उपयोग क्षमता, विशेष विनियामक आवश्यकताओं और उत्पाद विशेष की प्रौद्योगिकीय जरूरतों की अल्पकालिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाता है जो छोटी यूनिटों को उनकी अनुपयोगी पड़ी क्षमता के इस्तेमाल के माध्यम से आर्थिक रूप से सक्षम बनाकर उन्हें फायदा पहुंचाता है। तथापि, सरकार और उद्योग संघ द्वारा आउटसोर्सिंग पर कोई व्यापक आंकड़ा नहीं रखा जाता है। ऐसे आंकड़े के संकलन में काफी समय लगता है और यह महंगा है क्योंकि इस कार्यकलाप में कई सौ इकाइयां लगी हैं और उत्पाद समिश्र स्थिर नहीं है।

औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ 95) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट 74 बल्क औषध एवं उन पर आधारित फार्मूलेशन मूल्य नियंत्राधीन हैं और उनके मूल्यों का निर्धारण/संशोधन राष्ट्रीय औषध ीय मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा डीपीसीओ 95 के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। डीपीसीओ, 95 के पैरा 8 के तहत गैर-उच्चतम मूल्य तय किए जाते हैं जो कि फार्मूलेशन विशेष व कंपनी के लिए होते हैं। डीपीसीओ, 95 के पैरा 9 के तहत उच्चतम मूल्य तय किए जाते हैं जो सभी विनिर्माताओं पर लागू होते हैं।

डीपीसीओ, 95 के तहत स्वदेशी आर एंड डी और नवीन औषध डिलीवरी प्रणाली के आधार पर मूल्य नियंत्रण से छूट उपलब्ध है। डीपीसीओ, 95 के पैरा 8 के तहत एसएसआई फार्मा यूनिटों को भी मूल्य नियंत्रण से छूट प्राप्त है बशर्ते कि डीपीसीओ, 95 के पैरा 25 के तहत जारी सां.आ. सं. 134(अ) दिनांक 2.3.1995 में विनिर्दिष्ट कतिपय शर्तों की पूर्ति करते हों।

गैर-सूचीबद्ध फार्मूलेशनों के मूल्य उत्पादन लागत, विपणन/बिक्री व्यय, अनुसंधान और विकास व्यय, व्यापार कमीशन, बाजार प्रतिस्पर्धा, उत्पाद नवीकरण, उत्पाद गुणवत्ता आदि जैसे विभिन्न मुद्दों को ध्यान में रखते हुए विनिर्माताओं द्वारा स्वयं निर्धारित किए जाते हैं। जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की स्थिति में सरकार द्वारा सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

एनपीपीए ने अधिकतम मूल्यों के जरिए अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशन पैकों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से गैर-उच्चतम मूल्यों हेतु आवेदनों की गहन जांच-पड़ताल शुरू की है। तदनुसार, इस दिशा में एनपीपीए के सजग प्रयास के चलते, तय किए गए उच्चतम मूल्यों की प्रतिशतता अच्छी खासी बढ़कर 2004-05 के दौरान मूल्य निर्धारण वाले लगभग 55% (332 अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशन पैकों में से 182 पैक) की तुलना में 2006-07 के दौरान जिनके मूल्य निर्धारित किए गए थे, वह 70% (1020 अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशन पैकों में से 711 पैक) हो गया। एनपीपीए के इस प्रयास से बेहतर प्रवर्तन प्राप्त किया जा सका है तथा इस संबंध में सरकारी नीतियों और डीपीसीओ, 1995 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित हुआ है।

सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों की वित्तीय स्थिति

*333. **श्री जी.एम. सिद्दीश्वर** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों की उपक्रम-वार वित्तीय स्थिति क्या रही;

(ख) क्या कुछ सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों को भारी घाटा हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों को एक निश्चित समय सीमा में लाभ कमाने वाले सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों में बदलने के लिए कोई खाका तैयार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बड़े तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का कर पश्चात लाभ (पीएटी) निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपए)

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम	2004-05	2005-06	2006-07
ओएनजीसी	12983.05	14430.78	15642.92
आईओसीएल	4891.00	4915.00	7499.00
बीपीसीएल	965.80	291.65	1805.48
एचपीसीएल	1277.33	405.63	1571.17
गेल	1954.00	2310.00	2387.00
ओआईएल	1061.68	1689.93	1639.99

(ख) जी नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा, प्रशिक्षण और उनका पुनर्वास

*334. **श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख** : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा, प्रशिक्षण प्रदान करने तथा उनके पुनर्वास के लिए शुरू किए गए कार्यों और दी गई सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने व्यक्ति इससे लाभान्वित हुए;

(ग) क्या सरकार का विचार शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा, उनके प्रशिक्षण और पुनर्वास हेतु नई योजनाएं शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा, प्रशिक्षण तथा पुनर्वास के लिए प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। यह सहायता विशेष स्कूल, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, पुनर्वास केन्द्र आदि के संचालन तथा विकलांग व्यक्तियों को सहायक यंत्र प्रदान करने के लिए दी गयी है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में शैक्षिक संगठनों/गैर सरकारी संगठनों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता तथा लाभार्थियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	2004–05		2005–06		2006–07		2007–08	
		जारी राशि (लाख रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या	जारी राशि (लाख रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या	जारी राशि (लाख रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या	जारी राशि (लाख रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	1107.72	39884.00	1216.14	29407.00	1015.88	6916	244.98	3138
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	3.00		0	0	0	0
3.	असम	24.41	371.00	42.25	713.00	47.25	303	1.78	94
4.	बिहार	191.64	3921.00	255.53	8085.00	275.7	1685	48.57	631
5.	छत्तीसगढ़	68.41	2834.00	36.12	879.00	21.12	259.00	10.55	89
6.	गोवा	0.40	20.00	0.00	0.00	0	0	0	0
7.	गुजरात	176.60	35491.00	248.85	10998.00	46.74	990	12.93	1183
8.	हरियाणा	148.11	11685.00	125.99	5675.00	82.33	775	36.31	618
9.	हिमाचल प्रदेश	12.83	416.00	22.69	5256.00	16.99	70	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	1.46	50.00	6.74	251.00	1.74	55	0	0
11.	झारखंड	4.05	195.00	1.15	86.00	1.15	86	0	0
12.	कर्नाटक	406.14	3312.00	424.11	6757.00	267.48	2200.00	135.04	1970
13.	केरल	277.83	11381.00	448.51	4486.00	435.6	4089	180.86	2689
14.	मध्य प्रदेश	82.49	1870.00	139.52	4819.00	88.67	819	0.61	101
15.	महाराष्ट्र	159.46	22801.00	124.04	23548.00	82.1	394	30.38	502
16.	मणिपुर	32.00	453.00	43.50	460.00	43.5	460	0	0
17.	मेघालय	22.18	229.00	13 62	51.00	13.62	81	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	मिजोरम	17.43	157.00	13.17	152.00	13.17	152	0	0
19.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	238.61	21029.00	174.13	7960.00	137.35	860.00	98.96	789
21.	पंजाब	77.95	2548.00	96.56	7574.00	56.86	794.00	34.29	1650
22.	राजस्थान	688.58	36099.00	902.96	35294.00	917.96	794	25.02	335
23.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	347.31	7044.00	343.50	25645.00	277.02	17988	65.3	1073
25.	त्रिपुरा	11.67	370.00	2.24	30.00	2.24	45	2.3	20
26.	उत्तर प्रदेश	394.08	120910.00	507.49	135426.00	386.7	2181.00	92.81	1398
27.	उत्तरांचल	43.45	11516.00	55.28	832.00	50.28	432	20.07	171
28.	पश्चिम बंगाल	295.53	17958.00	281.27	19957.00	257.68	2415	64.03	2214
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	9.60	1505.00	4.72	40	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
32.	दमन और द्वीव	0.00	0.00	5.00	210.00	8	0	0	0
33.	दिल्ली	246.24	20270.00	299.20	24875.00	194.55	775.00	63.12	231
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
	कुल	5076.59	372814.00	5842.16	361076.00	4746.40	45658	1167.91	18896

[अनुवाद]

राष्ट्रीय इस्पात नीति

***335. श्री सुग्रीव सिंह :**
श्री किसनभाई वी. पटेल :
क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात उद्योग के सामने आ रही विभिन्न बाधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने कोई राष्ट्रीय इस्पात नीति बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) नई नीति से इस्पात क्षेत्र की समस्याओं का किस हद तक समाधान हो पाया है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) देश में इस्पात उद्योग के सामने आ रही प्रमुख बाधाएं दीर्घकालिक आधार पर लौह अयस्क, कोककर कोयला, अकोककर कोयला तथा प्राकृतिक गैस जैसे कच्चे माल के लिए लिंकेज, खासतौर से परिवहन क्षेत्र में अपर्याप्त अवसंरचना तथा नई परियोजनाएं स्थापित करने के लिए भूमि के अधिग्रहण और विद्युत तथा जल जैसी उपयोगी सुविधाओं के आबंटन में विलंब जैसी अड़चने हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। सरकार ने वर्ष 2005 में राष्ट्रीय इस्पात नीति (एनएसपी) बनाई है। राष्ट्रीय इस्पात नीति की खास–खास बातें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(घ) राष्ट्रीय इस्पात नीति में इस्पात उद्योग की मांग की पहचान करने सहित इस उद्योग को आपूर्ति में आ रही अड़चनों के बारे में व्यापक दिशा–निर्देश दिए गए हैं। कुछ उपलब्धियां तथा नीतिगत ढांचे के तहत सरकार द्वारा की गई पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) देश में इस्पात की बढ़ रही मांग को पूरा करने के लिए सरकारी क्षेत्र की इस्पात इकाइयों ने बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण तथा विस्तार योजनाएं शुरू की हैं। सेल अपनी तप्त धातु की उत्पादन क्षमता को 14.6 मिलियन टन वार्षिक (2006–07) से बढ़ाकर वर्ष 2010–2011 तक 26 मिलियन टन वार्षिक करेगा। इसी प्रकार राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड भी तप्त धातु की अपनी मौजूदा 4.05 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन क्षमता (2006–07) को बढ़ाकर वर्ष 2009–2010 तक 6.05 मिलियन टन वार्षिक करेगा।

(ii) उपलब्ध नवीनतम जानकारी के अनुसार निजी क्षेत्र के अनेक इस्पात निवेशकों ने लगभग 234 मिलियन टन वार्षिक अतिरिक्त ग्रीनफील्ड क्षमता स्थापित करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षर किए हैं।

(iii) देश में अवसंरचना, कच्चे माल की आपूर्ति, पर्यावरण संबंधी मंजूरी तथा अन्य संसाधनों संबंधी अड़चनों के संबंध में प्रमुख इस्पात निवेश से जुड़े मुद्दों की मॉनीटरिंग तथा समन्वय के लिए एक अंतर–मंत्रालय समूह का गठन किया गया है।

(iv) इस्पात के उपयोग, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात के उपयोग के संबंध में जागरूकता पैदा करने तथा देश में इस्पात की मांग बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय इस्पात संवर्धन अभियान शुरू किया गया है।

(v) देश में इस्पात उपयोग को बढ़ावा देने तथा इस्पात की उपलब्धता में बढ़ोतरी करने के लिए सरकारी क्षेत्र की सेल तथा आरआईएनएल जैसी इकाइयों ने मोटे तौर पर देश के बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करते हुए जिला स्तर पर क्रमशः 1093 तथा 108 डीलर नियुक्त किए हैं।

(vi) इस्पात उपयोग के संवर्धन में सजगता बढ़ाने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ स्टील डेवलपमेंट एंड ग्रोथ (आईएनएसडीएजी) अभिनव इस्पात परक स्ट्रक्चरल डिजाइनों के संबंध में जागरूकता पैदा कर रहा है आर्कीटैक्टों, डिजाइनरों और इंजीनियरों के बीच जानकारी का प्रचार–प्रसार कर रहा है।

विवरण

राष्ट्रीय इस्पात नीति की खास–खास बातें

– राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारतीय इस्पात उद्योग के सुधार, पुनर्संरचना और वैश्वीकरण के संबंध में व्यापक योजना तैयार की गई है।

– राष्ट्रीय इस्पात नीति का दीर्घकालिक लक्ष्य यह है कि भारत में विश्व स्तरीय आधुनिक और क्षमतावान इस्पात उद्योग हो जो विविधिकृत इस्पात मांग को पूरा कर सके। नीति में न केवल लागत, गुणवत्ता और उत्पाद मिश्र अपितु दक्षता और उत्पादकता के वैश्विक मानकों की दृष्टि से भी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता हासिल करना है।

– वर्ष 2019–2020 तक 110 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने के लिए राष्ट्रीय इस्पात नीति में मुक्त, वैश्विक स्तर पर एकीकृत और प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में इस उद्योग के विकास में सामने आ रही आपूर्ति संबंधी अड़चनों को दूर करने की बात कही गई है।

– राष्ट्रीय इस्पात नीति में दीर्घकालिक नीतिगत लक्ष्य हासिल करने के लिए एक बहुपक्षीय रणनीति अपनाने की बात कही गई है। मांग के संबंध में रणनीति प्रोत्साहन जनक प्रयासों और जागरूकता पैदा करके तथा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में डिलीवरी चेन को

सुदृढ़ बनाकर अंतर्राष्ट्रीय मांग सृजित करने की होगी। आपूर्ति के संबंध में अतिरिक्त क्षमता के सृजन को सुसाध्य बनाने, लौह अयस्क और कोयला जैसे आदानों की उपलब्धता में प्रक्रिया और नीति संबंधी बाधाओं को दूर करने, अनुसंधान और विकास में और अधिक निवेश करने तथा सड़कों, रेलवे और पत्तनों जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाओं के सृजन को प्रोत्साहित करने की रणनीति होगी।

राष्ट्रीय इस्पात नीति में यह माना गया है कि देश में, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत कम है और जीवन स्तर में सुधार करने और जनता की बढ़ती हुई उम्मीदों को पूरा करने में मदद करने के लिए इस्पात की खपत बढ़ाने की जरूरत है।

वर्ष 2019-2020 तक 110 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का नीतिगत लक्ष्य हासिल करने के लिए उद्योग को अतिरिक्त पूंजी की जरूरत होगी। इसके अलावा मौजूदा सुविधाओं के प्रौद्योगिकीय उन्नयन के लिए निधियों की जरूरत होगी। इतने बड़े पैमाने पर संसाधन जुटाने के लिए राष्ट्रीय इस्पात नीति में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। इसके अलावा, नीति में इस्पात उद्योग को प्राप्त होने वाले राजकोषीय प्रोत्साहन अवसंरचना परियोजनाओं को मुहैया करवाने की भी बात कही गई है।

राष्ट्रीय इस्पात नीति म इस्पात बाजार में कीमतों में अस्थिरता को रोकने के लिए फ्यूचर्स और डिरीवेटिव्ज जैसी जोखिम-रोधी व्यवस्थाएं करने में सहायता करने की बात कही गई है।

राष्ट्रीय इस्पात नीति में घरेलू इस्पात उद्योग को उपलब्ध मौजूदा प्रशिक्षण अनुसंधान सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने की बात कही गई है ताकि गौण लघु इकाइयों को उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध करवाए जा सकें और उद्योग से संबंधित पैरामीटरों से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जा सकें और उनका विश्लेषण किया जा सके।

राष्ट्रीय इस्पात नीति में विशेष श्रेणियों के इस्पात के लिए उत्पादन क्षमता सृजित करने, कोककर कोयले को प्रतिस्थापित करने, लौह अयस्क चूर्ण का उपयोग करने, ग्रामीण आवश्यकताओं के अनुरूप नए उत्पाद विकसित करने, सामग्री और ऊर्जा, अपशिष्ट का उपयोग करने और पर्यावरण के संबंध में हो रही गिरावट को रोकने के लिए अनुसंधान और विकास संबंधी उद्यमशील प्रयास करने की बात कही गई है।

राष्ट्रीय इस्पात नीति में यह माना गया है कि गौण इस्पात क्षेत्र ने ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाने, इस्पात की स्थानीय मांग पूरी करने और देश की कुछ विशेष उत्पादों की मांग पूरी करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इस नीति में राज्य लघु उद्योग निगमों के मौजूदा तंत्र के जरिए प्रमुख संयंत्रों से इन इकाइयों को उचित कीमतों पर आवश्यक फीडस्टॉक उपलब्ध करवाने के लिए प्रयास करने की बात कही गई है।

राष्ट्रीय इस्पात नीति में यह माना गया है कि भारतीय इस्पात उद्योग का एकीकरण वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ करने के लिए आवश्यक है कि इस उद्योग को उन अनुचित व्यापार क्रिया-कलापों, जो विशेषकर मंदी की अवधि के दौरान आम हो गए हैं, से बचाने की आवश्यकता है। इसलिए राष्ट्रीय इस्पात नीति में आयात को बनाए रखने के लिए तथा अन्य देशों में निर्यात इमदाद की मॉनीटरिंग के लिए तंत्र स्थापित करने के बारे में विचार किया गया है।

क्षेत्रीय एयरलाइनों को लाइसेंस देना

***336. श्री एस. अजय कुमार :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के छोटे कस्बों को जोड़ने के लिए क्षेत्रीय एयरलाइनों को लाइसेंस देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निजी क्षेत्र की एयरलाइनों को ऐसे लाइसेंस देने के लिए क्या मानदण्ड हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) नागर विमानन महानिदेशालय ने अनुसूचित क्षेत्रीय विमान यातायात सेवा प्रचालित करने के लिए परमिटों के अनुदान हेतु न्यूनतम आवश्यकताओं को निर्धारित करने वाली नागर विमानन आवश्यकताएं जारी की हैं।

अनुसूचित क्षेत्रीय एयरलाइनें प्राथमिक तौर पर नामित क्षेत्र में प्रचालित करेंगी तथा इन्हें सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशा-निर्देश में दर्शाए गए बड़े मार्गों पर प्रचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

जारी किए जाने वाले परमिटों की संख्या आधार संरचना की उपलब्धता, यातायात आवश्यकताओं तथा इस प्रकार के प्रचालनों को करने वाली सक्षम कंपनियों से प्राप्त होने वाले आवेदनों पर निर्भर करेगी।

गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता

***337. श्री चंद्रकांत खैरे :** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ)/स्वैच्छिक संगठनों (वीओ) को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो

मानसिक तथा शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय चला रहे हैं तथा अन्य राहत उपाय कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उन्हें प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को उक्त अवधि के दौरान इन गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों द्वारा धनराशि के दुरुपयोग के संबंध में कोई शिकायत मिली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाई की गई है; और

(ङ) इन गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों द्वारा धनराशि के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य/संघ क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। गत तीन वर्षों के दौरान गैर-सरकारी संगठनों के संबंध में 6 शिकायतें प्राप्त हुई। इन सभी मामलों में जांच शुरू की गई है। दो मामलों में शिकायतें निराधार पाई गई और सहायता-अनुदान को पुनः शुरू किया गया है।

(ङ) गैर-सरकारी संगठनों द्वारा धनराशि के दुरुपयोग को रोकने के लिए कई उपाय हैं जिसमें राज्य सरकार/भारत सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा निरीक्षण, आवधिक प्रगति रिपोर्ट, लेखा परीक्षित विवरण, उपयोगिता प्रमाणपत्र इत्यादि शामिल हैं।

विवरण

गत तीन वर्षों में स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकारी संगठनों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता

क्र.सं.	राज्य	2004-05 जारी राशि (लाख रुपए में)	2005-06 जारी राशि (लाख रुपए में)	2006-07 जारी राशि (लाख रुपए में)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1107.72	1216.14	1015.88
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	3.00	0
3.	असम	24.41	42.25	47.25
4.	बिहार	191.64	255.53	275.7
5.	छत्तीसगढ़	68.41	36.12	21.12
6.	गोवा	0.40	0.00	0
7.	गुजरात	176.60	248.85	46.74
8.	हरियाणा	148.11	125.99	82.33
9.	हिमाचल प्रदेश	12.83	22.69	16.99
10.	जम्मू और कश्मीर	1.46	6.74	1.74
11.	झारखंड	4.05	1.15	1.15
12.	कर्नाटक	406.14	424.11	267.48
13.	केरल	277.83	448.51	435.6
14.	मध्य प्रदेश	82.49	139.52	88.67
15.	महाराष्ट्र	159.46	124.04	82.1

1	2	3	4	5
16.	मणिपुर	32.00	43.50	43.5
17.	मेघालय	22.18	13.62	13.62
18.	मिजोरम	17.43	13.17	13.17
19.	नागालैंड	0.00	0.00	0
20.	उड़ीसा	238.61	174.13	137.35
21.	पंजाब	77.95	96.56	56.86
22.	राजस्थान	688.58	902.96	917.96
23.	सिक्किम	0.00	0.00	0
24.	तमिलनाडु	347.31	343.50	277.02
25.	त्रिपुरा	11.67	2.24	2.24
26.	उत्तर प्रदेश	394.08	507.49	386.7
27.	उत्तरांचल	43.45	55.28	50.28
28.	पश्चिम बंगाल	295.53	281.27	257.68
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0
30.	चंडीगढ़	0.00	9.60	4.72
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0
32.	दमन और द्वीव	0.00	5.00	8
33.	दिल्ली	246.24	299.20	194.55
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0
35.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0
	कुल	5076.59	5842.16	4746.40

[हिन्दी]

विमानपत्तन क्षेत्रों में अतिक्रमण

***338. श्री जीवाभाई ए. पटेल :**
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
क्या नागर **विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में विमानपत्तनों की भूमि पर अतिक्रमण है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विमानपत्तन क्षेत्रों में इन अतिक्रमणों से विमानों के उतरने तथा उड़ान भरने में खतर रहता है;

(घ) यदि हां, तो इन अतिक्रमणों को उक्त क्षेत्रों, विशेषकर राजस्थान में हटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या सफलता हासिल की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के हवाईअड्डों तथा आधुनिकीकृत हवाईअड्डों का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

महाराष्ट्र में मुंबई में 276, जुहू में 29 तथा नागपुर में 13 एकड़

भूमि अतिक्रमित, मध्य प्रदेश में सतना में 150, भोपाल में 30 एकड़ भूमि अतिक्रमित आंध प्रदेश में हैदराबाद में 97, राजामुंदरी में 8, तिरूपति में 0.3 तथा विशाखापतनम में 0.2 एकड़ भूमि अतिक्रमित, पंजाब में अमृतसर में 83 एकड़ भूमि अतिक्रमित, पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 75.7 एकड़ भूमि अतिक्रमित, राजस्थान में कोटा में 35.32 एकड़ भूमि अतिक्रमित, गुजरात में अहमदाबाद में 20, राजकोट में 1 एकड़ भूमि अतिक्रमित, झारखंड में रांची में 9 एकड़ भूमि अतिक्रमित, बिहार में गया में 5 एकड़ भूमि अतिक्रमित, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में 1.7 एकड़ भूमि अतिक्रमित, अंडमान निकोबार द्वीप समूह (संघीय क्षेत्र) में पोर्टब्लेयर में 1.5 एकड़ भूमि अतिक्रमित, दिल्ली में सफदरजंग में 15 एकड़ भूमि अतिक्रमित तथा कर्नाटक में बेलगांव में 1 एकड़ भूमि अतिक्रमित।

(ग) मानक प्रचालन प्रक्रियाएं सभी हवाईअड्डों पर विमान की लैंडिंग तथा टेक आफ के उड़ान पथ को सुरक्षा प्रदान करती हैं। बहरहाल, अतिक्रमण पक्षियों के आकर्षण का संभावित स्रोत है जिसके कारण विमानों के लिए कुछ प्रचालनिक जोखिम उत्पन्न होते हैं। ये हवाईअड्डों पर सुरक्षा संबंधी समस्यायें भी उत्पन्न करते हैं।

(घ) और (ङ) अतिक्रमणों को हटाने के मामले में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण राज्य सरकारों के साथ नियमित रूप से यह मुद्दा उठाता है। बहरहाल, राजस्थान में कोटा हवाईअड्डे से कोई अतिक्रमण नहीं हटाया गया है।

विदेशी वित्तीय संस्थाओं द्वारा रेल परियोजनाओं का वित्तपोषण

***339. श्री रामदास आठवले :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तपोषित की जा रही चालू रेल परियोजनाओं का उनकी अनुमानित लागत सहित ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी धनराशि प्राप्त की गई है;

(ग) क्या रेलवे ने उक्त राशि का उपयोग कर लिया है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वारा उन विदेशी संस्थाओं को वचनबद्धता संबंधी प्रभारों का भुगतान किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : (क) से (ग) जिन रेल परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता प्राप्त की गई है, उनकी अनुमानित लागत, विदेश से प्राप्त राशि और खर्च की गई राशि का विवरण निम्नलिखित है :

(i) मुंबई शहरी परिवहन परियोजना (एम यू टी पी), जिसमें सड़क और रेल घटक दोनों शामिल हैं, के लिए आंशिक रूप से वित्त की व्यवस्था विश्व बैंक द्वारा की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आई बी आर डी) द्वारा 463 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण दिया गया है और अंतर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन (आई डी ए) द्वारा 62.5 मिलियन विशेष आहरण अधिकार (एस डी आर) का क्रेडिट दिया गया है। इसमें से, क्रमशः आई बी आर डी ऋण और आई डी ए क्रेडिट में से रेल घटक के लिए निर्धारित अमरीकी डालर 304.5 मिलियन और एस डी आर 42.13 मिलियन है। आई बी आर डी ऋण और आई डी ए क्रेडिट सहित रेल घटक के लिए कुल ऋण 1613.10 करोड़ रुपए बनता है। रेल घटक की अनुमानित कुल लागत 3125 करोड़ रुपए है। ऋण के करार पर अगस्त 2002 में हस्ताक्षर किये गये थे। 30 जून, 2007 तक रेल के हिस्से पर आई बी आर डी ऋण और आई डी ए क्रेडिट से क्रमशः 58.033 मिलियन अमरीकी डालर (216.17 करोड़ रुपए) और विशेष आहरण अधिकार (एस डी आर) 29.489 मिलियन (193.40 करोड़ रुपए) खर्च किए जा चुके हैं।

(ii) गाजियाबाद और कानुपर के बीच सिगनलिंग के आधुनिकीकरण की परियोजना के लिए वित्त पोषण आंशिक रूप से क्रेडिटानस्टाल्ट फर विडेराफवाउ (के एफ डब्ल्यू) जर्मनी द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना की अनुमानित लागत दयूत्शमार्क 212.3 मिलियन (108.5 मिलियन यूरो) है। ऋण की राशि दयूत्शमार्क 185 मिलियन (94.5 मिलियन यूरो) है और ऋण समझौते पर अगस्त, 1997 में हस्ताक्षर हुए थे। 30 जून, 2007 तक 11.382 मिलियन यूरो की राशि खर्च की जा चुकी है।

(iii) रेल नेटवर्क की क्षमता को बढ़ाने और परिचालनिक कुशलता/संरक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से रेलवे के क्षेत्र में सुधार परियोजना के लिए वित्त की व्यवस्था करने के वास्ते एशियाई विकास बैंक ने एक ऋण दिया है। इस ऋण से वित्त पोषित की जाने वाली उप परियोजनाएं मुख्य रूप से स्वर्णिम चतुर्भुज एवं इसके विकर्ण तथा पोर्ट कनेक्टिविटी से संबंधित परियोजनाओं में हैं। इन परियोजनाओं को रेल विकास निगम लि. (आर वी एन एल) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। ऋण की राशि 313.6 मिलियन अमरीकी डालर थी। ऋण के करार पर अप्रैल, 2004 में हस्ताक्षर किये गये थे। बाद में, मार्च 2007 में इस ऋण द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के कार्यान्वयन में होने वाली कुछ समस्याओं के कारण 101.3 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण की राशि रद्द कर दी गई थी। वर्तमान ऋण की राशि 212.3 मिलियन अमरीकी डालर है। ए डी बी के ऋण से आंशिक रूप से वित्त पोषित की

जाने वाली परियोजनाओं की अनुमानित लागत अमरीकी डालर 379 मिलियन है। इस ऋण से 30 जून 2007 तक 28.915 मिलियन अमरीकी डालर की राशि खर्च की जा चुकी है।

(घ) और (ङ) जी हां। सरकार ने ए डी बी, विश्व बैंक और के एफ डब्ल्यू ऋण पर प्रतिबद्धता प्रभार का भुगतान किया है। 30.06.2007 तक अदा किये गये प्रतिबद्धता प्रभारों की राशि नीचे दर्शायी गई है :

ए डी बी	वित्त मंत्रालय द्वारा 13.68 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।
विश्व बैंक आई बी आर डी ऋण	वित्त मंत्रालय द्वारा 20.80 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।
विश्व बैंक आई डी ए क्रेडिट	वित्त मंत्रालय द्वारा 2.28 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।
के एफ डब्ल्यू ऋण	कुल 12.76 करोड़ रुपये की राशि, जिसमें से 8.29 करोड़ रुपये का भुगतान रेलवे द्वारा और शेष राशि का भुगतान वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया है।

भारतीय रेलवे खान-पान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) की परियोजनाओं का पुनर्मूल्यांकन

***340. श्रीमती करूणा शुक्ला :**
श्रीमती रूपाताई डी. पाटील :
क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने भारतीय रेलवे खान–पान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) की विभिन्न परियोजनाओं के पुनर्मूल्यांकन हेतु आदेश जारी किए हैं।

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनका पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ग) क्या रेलवे को इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में कई प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबध में दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

निर्धन विधवाओं हेतु योजना

3147. श्री के.सी. पल्लानी शामी : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा इस समय देश में असहाय निर्धन विधवाओं के लिए क्रियान्वित की जा रही कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में और अधिक सुविधाएं देने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (ग) मंत्रालय सामान्य सहायता अनुदान योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसके अंतर्गत कुछ राज्यों को विधवाओं के पुनर्वास के लिए केन्द्रीय सहायता जारी की गई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के पास भी विधवाओं सहित कठिन परिस्थितियों में महिलाओं को संपूर्ण एवं एकीकृत सेवाओं पर आधारित आश्रय प्रदान करने के लिए "स्वाधार" योजना है।

[हिन्दी]

यात्रियों को लूटा जाना

3148. श्री संतोष गंगवार : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजकीय रेलवे पुलिस/रेलवे सुरक्षा बलकर्मी और रेलवे के कर्मचारियों को रेलगाड़ियों में यात्रियों के साथ मार–पीट और उन्हें लूटने की घटनाओं में संलिप्त पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में ऐसी घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे अभियुक्त कर्मचारियों/अधिकारियों की संख्या कितनी है जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गयी है और कितने लोगों के विरुद्ध जांच की जा रही है; और

(घ) रेलवे द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी हां। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (जून तक) के दौरान उन मामलों

की संख्या जिनमें राजकीय रेलवे पुलिस/रेलवे सुरक्षा बल के कर्मियों और रेलवे कर्मचारी यात्रियों के साथ मारपीट करने और उन्हें लूटने के मामलें में संलिप्त पाए गए थे, का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

वर्ष	दर्ज की गयी घटनाओं की संख्या
2004	05
2005	10
2006	11
2007	03

(ग) इस प्रकार की घटनाओं में संलिप्त पाए गए ऐसे राजकीय रेलवे पुलिस कर्मी, रेलवे सुरक्षा बल कर्मी और रेलवे कर्मचारियों, जिनके विरुद्ध पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (जून तक) के दौरान कार्रवाई की गयी है, की संख्या इस प्रकार है :–

वर्ष	रा.रे.पु., रेसुब और रेलवे कर्मचारी की संख्या		
	रा.रे.पु.,	रेसुब	रेलवे कर्मचारी की संख्या
2004	15	–	–
2005	12	14	02
2006	09	12	01
2007	09	–	–

(घ) इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे है :–

1. रारेपु/रेसुब के सभी कर्मचारियों को अपनी ड्यूटी संभालते समय और छोड़ते समय सचेत किया जाता है ताकि वे इस प्रकार की घटनाओं में संलिप्त न हों।
2. गाड़ी में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा रारेपु/रेसुब मार्गरक्षी कर्मचारी की गतिविधियों की जांच करने के लिए औचक जांच की जाती है।
3. रेलवे सुरक्षा बल के आंतरिक सर्तकता ग्रुप द्वारा नियमित जांच की जाती है और रेलवे सतर्कता दल द्वारा भी समय–समय पर जांच की जाती हैं।
4. दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी विभागीय कार्रवाई के अलावा आपराधिक मामला भी दर्ज किया जाता है।
5. जब कभी किसी मामले में राजकीय रेलवे पुलिस की संलिप्तता का पता चलता है, दोषी कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उस मामले को संबंधित रारेपु प्राधिकारियों को सौंप दिया जाता है।
6. इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम के लिए सभी स्तरों पर रेसुब और रारेपु प्राधिकारियों के साथ समन्वय बैठकें आयोजित की जाती हैं।

[अनुवाद]

नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड में उत्पादन

3149. श्री सुनील खां : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड ने अपना उत्पादन शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड द्वारा अपना उत्पादन कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड को और अधिक लाभप्रद और उत्पादक बनाने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) द्वारा दिनांक 27.06.2007 के आदेश के तहत स्वीकृत पुनरुद्धार योजना के अनुसार, अनुमोदन की तिथि से 27 माह के पश्चात उत्पादन आंरभ करना निर्धारित किया गया है।

(घ) भारत सरकार ने दिनांक 31.08.2006 की निर्धारित तिथि के आधार पर कंपनी द्वारा मांगी गई निम्नलिखित राहतों तथा रियायतों पर सहमति व्यक्त की है :–

(1) (i) 261.26 करोड़ रुपये की सरकारी इक्विटी जिसमें से 10 करोड़ रुपये हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन (एचपीसी) द्वारा दिया जाएगा; (ii) भारत सरकार की गारंटी पर एनपीपीसी द्वारा वाणिज्यिक बैंकों/वित्तीय संस्थानों से 252.99 करोड़ रुपये के आवधिक ऋण प्राप्त किया जाना; तथा (iii) 38.19 करोड़ रुपये की 5% गैर–संचयी विमोच्य वरीयता शेयरों के माध्यम से 552.44 करोड़ रुपये का नगद निवेश।

(2) 1000/–रुपये प्रति शेयर के अंकित मूल्य के मौजूदा इक्विटी शेयर को 100/–रुपये प्रति शेयर तक कटौती के जरिए 120.20 करोड़ रुपये की मौजूदा प्रदत्त पूंजी को 12.02 करोड़ रुपये तक कटौती; तथा लाभ एवं हानि के नामे अर्थात 249.83

करोड़ रुपये की संचित हानियों के भाग के प्रति 108.18 करोड़ रुपये की पूंजी कटौती निधि का निपटान।

(3) 29.87 करोड़ रुपये के मौजूदा ऋण, जैसा कि ऋण निधि में दर्शाया गया है तथा उपरोक्त ऋण पर उपचित 52.62 करोड़ रुपये के ब्याज को बट्टे खाते डालना।

(4) एचपीसी के ऋण तथा भारत सरकार के बकाया ब्याज के लिए एनपीसीसी द्वारा एचपीसी को देय बकाया राशि 44.49 करोड़ रुपये को बट्टे खाते डालना।

इसके अतिरिक्त, एनपीसीसी दिनांक 01.04.2007 को घोषित पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति (एनईआईआईपीपी) के तहत विभिन्न राहतों तथा रियायतों के लिए भी पात्र होगी।

खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाएं

3150. श्री रनेन बर्मन : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को विभिन्न राज्यों से खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकारी योजना स्कीमों के अंतर्गत राज्यों को इन परियोजनाओं के लिए कितनी वित्तीय सहायता जारी की गई है;

(घ) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) देश में दुग्ध संसाधनों, मत्स्य संसाधनों, मांस संसाधनों, खाद्यान्न संसाधनों, फल संसाधनों और सब्जी संसाधनों से उत्पाद बनाने के लिए कितनी खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाएं चल रही हैं; और

(च) खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ग) जी हां। पिछले तीन सालों के दौरान विभिन्न राज्यों से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना, विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए प्राप्त प्रस्तावों तथा अनुमोदित प्रस्तावों और धनराशि के ब्यौरे निम्नलिखित हैं –

वर्ष	प्राप्त मामलों की संख्या	अनुमोदित मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपये में)
2004-05	782	188	4435.95
2005-06	375	223	5400.92
2006-07	373	424	8403.28

(घ) इन परियोजनाओं को निजी उद्यमियों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है इसलिए निजी परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति उपलब्ध नहीं है।

(ङ) और (च) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण/स्थापना के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों/उद्यमियों को सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में हैं इसलिए देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की संख्या संबंधी आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। दसवीं योजना अवधि यानी 2002-03 से 2006-07 के दौरान दूध उद्योग, मात्स्यिकी, मांस, खाद्यान्न, मिलिंग, फल और सब्जी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना, विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए अनुदान हेतु 3042 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। इन आवेदन पत्रों का राज्यवार अलग-अलग ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

दसवीं पंचवर्षीय योजना यानी 2002-03 से 2006-07 के दौरान दूध उद्योग, मात्स्यिकी, मांस, खाद्यान्न मिलिंग, फल और सब्जी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना, विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए प्राप्त प्रस्तावों की संख्या दर्शाने वाला विवरण।

राज्य	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या
1	2
दिल्ली	31
आंध्र प्रदेश	445
झारखण्ड	19
जम्मू और कश्मीर	63
हिमाचल प्रदेश	50
हरियाणा	93
केरल	116
मध्य प्रदेश	91
छत्तीसगढ़	24
चंडीगढ़	01
बिहार	39
असम	56

1	2
गुजरात	127
पाण्डिचेरी	06
उत्तरांचल	56
उत्तर प्रदेश	240
त्रिपुरा	08
तमिलनाडु	255
सिक्किम	02
कर्नाटक	211
पंजाब	201
पश्चिम बंगाल	136
उड़ीसा	65
नागालैण्ड	43
मेघालय	10
मणिपुर	14
अरुणाचल प्रदेश	10
दमन एवं दीव	01
मिजोरम	08
गोवा	15
महाराष्ट्र	476
राजस्थान	128

[हिन्दी]

गैस सिलेंडरों की आपूर्ति

3151. **श्री हंसराज गं. अहीर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घरेलू उपयोग हेतु 5 किलोग्राम के गैस सिलेंडरों की आपूर्ति बंद करने के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रसोई गैस वितरकों ने 5 किलोग्राम रसोई गैस सिलेंडरों की आपूर्ति बंद करने की सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या 5 किलोग्राम रसोई गैस सिलेंडरों की उपयोगिता के मद्देनजर इनकी आपूर्ति पुनः बहाल करने हेतु सरकार द्वारा कोई कदम उठाए जा रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (च) जी नहीं। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने शहरी, उप–नगरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के कम आमदनी वाले लोगों की मांग को पूरा करने के लिए और साथ ही देश के पर्वतीय भूभागों और भीतरी प्रदेशों में एलपीजी की पहुंच बढ़ाने के लिए अगस्त, 2002 से 5 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की शुरूआत की है। दिनांक 30.6.07 की स्थिति के अनुसार देश में ऐसे सिलेंडरों के 3.86 लाख एलपीजी उपभोक्ता हैं।

[अनुवाद]

तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा असम में कच्चे तेल का उत्पादन

3152. **श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) ने तेल क्षेत्रों की खोज के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त विशेषज्ञ दलों के सहयोग और सहायता से असम में कच्चे तेल के उत्पादन में गिरते हुए रूझान को रोकने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं और इसमें उसे सफलता भी मिली है;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान असम में कच्चे तेल का कुल कितना उत्पादन किया गया है;

(ग) क्या देश अब भी कच्चे तेल के आयात पर निर्भर है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) जी हां। आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओएनजीसी) ने तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए असम में विभिन्न प्रयास तेज कर दिए हैं जैसे विशिष्ट वेधन तकनीकें, गहन इनफिल वेधन, हाल में प्राप्त क्षेत्रों का विकास, परिपक्व क्षेत्रों में उन्नत तेल निकासी (आईओआर) का कार्यान्वयन, अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त परामर्शदाताओं/सेवा प्रदाता मैसर्स जीसीए और मैसर्स हालीबर्टन की नियुक्ति करना।

पिछले पांच वर्षों अर्थात् 2002–03 से 2006–07 के दौरान असम में ओएनजीसी का कच्चे तेल का उत्पादन इस प्रकार है :–

वर्ष	कच्चा तेल उत्पादन (मिलियन मी. टन)
2002–03	1.735
2003–04	1.621
2004–05	1.546
2005–06	1.285
2006–07	1.331

(ग) और (घ) जी हां, घरेलू मांग को पूरा करने के लिए देश 2006–07 के दौरान 73% तक आयातित तेल पर निर्भर रहा।

संयुक्त उद्यम से विद्युत संयंत्र

3153. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे द्वारा विद्युतपर 5200 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं जो कि 4–5 रुपए प्रति यूनिट का उपभोग है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे का विचार अपनी विद्युत की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संयुक्त उद्यम से अपने स्वयं के विद्युत संयंत्र लगाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रेलवे ने केन्द्रीय विद्युत कंपनियों के साथ चर्चा आरंभ की है; और

(ङ) यदि हां, तो अभी तक हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है और उक्त प्रयोजनार्थ क्या विस्तृत योजना तैयार की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां। कर्षण के प्रयोजन के लिए वर्ष 2005–06 में बिजली ऊर्जा पर 4391 करोड़ रु. और गैर–कर्षण प्रयोजन के लिए 978 करोड़ रु. का व्यय था। गाड़ियों के परिचालन के लिए वर्ष 2005–06 के लिए बिजली का औसत प्रभार प्रति इकाई 422 पैसे था और गाड़ी परिचालन से इतर के लिए बिजली का औसत प्रभार प्रति इकाई 424 पैसे था।

(ख) और (ग) रेलें, राष्ट्रीय ताप विद्युत घर निगम लिमिटेड के सहयोग से नबीनगर, जिला औरंगाबाद, बिहार में 1000 मेगावाट (एम डब्ल्यू) की क्षमता का एक कैप्टिव उर्जा संयंत्र स्थापित कर रही हैं। इसे वर्ष 2007–08 के रेल बजट में शामिल कर लिया गया है।

(घ) और (ङ) जी हां। ऊर्जा मंत्रालय ने नई दिल्ली–कानपुर खंड के लिए एनटीपीसी से 100 मेगावाट बिजली और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर–नागपुर खंड के लिए एसआईपीएटी थर्मल पावर स्टेशन से 80 मेगावाट बिजली आबंटित की गयी है।

कर्नाटक में रेल लाइन का दोहरीकरण

3154. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने बंगलौर शहर रामनगरम् से मैसूर तक रेल लाइन के दोहरीकरण, रेलगाड़ियों के फेरों और क्षमता में वृद्धि तथा बंगलौर और मैसूर के बीच विशेष ग्रीष्मकालीन ट्रेनें जारी रखने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इस पर रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है; और

(घ) रामनगरम और मैसूर के बीच के विद्युतीकरण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके वित्तपोषण की क्या पद्धति है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां। बहरहाल, फेरों में वृद्धि, क्षमता तथा विशेष गाड़ियों को जारी रखना यातायात के औचित्य, परिचालनिक व्यवहार्यता तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(ख) से (घ) कैन्गेरी–मैसूर खंड के विद्युतीकरण के साथ–साथ रामनगरम–मैसूर के दोहरीकरण का कार्य 2007–08 के बजट में शामिल किया गया है। इस परियोजना का वित्तपोषण दो–तिहाई हिस्सा लागत में हिस्सेदारी के आधार पर कर्नाटक सरकार द्वारा तथा एक–तिहाई हिस्सा रेलवे द्वारा किया जा रहा है। इस कार्य को शुरू करने के लिए प्रारंभिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं।

स्कीइंग पर्यटन को बढ़ावा

3155. श्री नवीन जिन्दल : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी पर्यटकों द्वारा स्कीइंग के लिए भारत की यात्रा की जाती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष–वार ऐसे कितने पर्यटकों ने भारत की यात्रा की है; और

(ग) वर्तमान में भारत में उपलब्ध स्कीइंग सुविधाओं का ब्यौरा क्या है और इसमें सुधार तथा वृद्धि करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) पर्यटन आंकड़ों के संकलन की वर्तमान प्रणाली में स्कीइंग के उद्देश्य से भारत की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों के अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) भारत में कुछ लोकप्रिय स्कीइंग गंतव्य हैं :–

हिमाचल प्रदेश	–	मनाली, कुफरी, नरकंडा, शोजा, त्रियुंड
उत्तराखंड	–	ओली, दयारा बुग्याल, मुंदली, मुंशियारी
जम्मू एवं कश्मीर	–	गुलमर्ग

स्कीइंग सहित पर्यटन सुविधाओं में सुधार मुख्यतः संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय 'गंतव्यों एवं परिपथों हेतु उत्पाद/अवसंरचना विकास' तथा 'भारी राजस्व सृजक परियोजनाओं हेतु सहायता' की योजनाओं के अंतर्गत पर्यटन संबंधी परियोजनाओं के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में नई रेल लाइन

3156. **श्री कैलाश जोशी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के लिए अनुमोदित रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक रेल लाइन की अनुमानित लागत क्या है;

(ग) आज की तिथि तक उक्त लाइनों में से प्रत्येक लाइन के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गयी है; और

(घ) उक्त रेल लाइनों का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में कोई नयी लाइन का कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गुजरात में रेलवे क्रॉसिंग्स हेतु अनुमति

3157. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में रेलवे क्रॉसिंग्स की अनुमति के लिए गुजरात सरकार के कम से कम 59 प्रस्ताव लंबे समय से रेलवे में विभिन्न स्तरों पर अनुमोदनार्थ लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है और इनके लंबित रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) सभी लंबित प्रस्तावों को कब तक मंजूरी मिलने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) जी नहीं। रेलवे समपार की अनुमति के लिए राज्य सरकार, गुजरात से केवल एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार ने राज्य राजमार्ग संख्या 36 पर चौकीदार वाले रेलवे समपार की व्यवस्था के लिए प्रस्ताव दिया था। इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 1999 में 28.71 लाख रुपए भी जमा कराए थे। बहरहाल, राज्य सरकार को यह सलाह दी गयी थी कि मौजूदा रेलवे नियमों के अनुसार राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग पर समपार की व्यवस्था की अनुमति नहीं है और वहां पर केवल ग्रेड सेपरेटर किस्म के ऊपरी सड़क पुल की व्यवस्था की जा सकती है। सचिव/आर एंड बी/गुजरात ने अपने 27.07.2007 और 14.08.2007 के पत्रों में उल्लेख किया है कि वित्तीय तंगी के कारण राज्य सरकार ऊपरी सड़क पुल की व्यवस्था पर विचार करने में असमर्थ है और कथित स्थान पर सरकार की अनुमति हेतु अनुरोध किया है।

पुरानी वचनबद्धता के मद्देनजर रेलवे प्राधिकारी राज्य सरकार के अनुरोध की जांच कर रहे हैं और इस मामले में शीघ्र ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में रोजगार सृजन

3158. **श्री नरहरि महतो** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) वर्ष 2006–07 में कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया गया और वर्ष 2007–08 में पृथक–पृथक कितने लोगों को रोजगार दिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या उक्त अवधि के लिए रोजगार सृजन हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है और उक्त लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) दसवीं पंचवर्षीय योजना में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के संवर्धन के लिए विभिन्न योजना स्कीमों पर 489.82 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गई है।

(ख) जहां तक खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में बड़े और मझौले उद्योगों का संबंध है, औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग के यहां पंजीकृत औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों और आशय–पत्रों/प्रत्यक्ष औद्योगिक लाइसेंसों

के अनुसार, वर्ष 2006 के दौरान प्रस्तावित रोजगार की संख्या 31,665 है। जहां तक लघु उद्योग में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का संबंध है, नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों में रोजगार की अनुमानित संख्या लगभग 42.87 लाख है।

(ग) और (घ) रोजगार उत्पन्न करने के वास्ते वर्ष 2006-07 और 2007-08 के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। वैसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों पर विजन, 2015 को अंतिम रूप दिया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ समूह आधारित तथा मांग आधारित खेती, खेत से बाजार तक खाद्य प्रसंस्करण बुनियादी ढांचा विकास के समेकन की प्राप्ति, एक गतिशील खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के संवर्धन की परिकल्पना की गई है जिससे जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के प्रसंस्करण स्तर को 6% से बढ़ाकर 20% मूल्यवर्धन को 20% से बढ़ाकर 35% और विश्व खाद्य व्यापार में अंशदान को 1.5% से बढ़ाकर 3% करते हुए प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के आकार को वर्ष 2015 तक तिगुना किया जा सके। सरकार ने विज़न 2015 को कार्यान्वित करने के लिए इससे संबंधित एक विस्तृत कार्य योजना के साथ-साथ रणनीतियों की पहचान की है। अनुमान है कि विजन 2015 को साकार करने से 1.8 प्रत्यक्ष और 6.4 अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होंगे।

आंध्र प्रदेश की संस्कृति को बढ़ावा

3159. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश की संस्कृति के संरक्षण और उसे बढ़ावा देने के लिए कोई पहल की है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उपलब्धियों और खर्च की गई धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

उर्वरकों की कमी के कारण खरीफ की फसलों को हानि

3160. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार, मध्य प्रदेश इत्यादि जैसे कुछ राज्यों में उर्वरकों विशेषकर डी.ए.पी. की कमी के कारण खरीफ की फसलों को हुई हानि की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा मानसून से ठीक पहले उर्वरक नीति में किए गए संशोधनों के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार उर्वरकों की अनुपलब्धता के कारण क्षतिग्रस्त हुई फसलों के लिए कुछ अनुदान प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) स्वदेशी उत्पादित यूरिया का केवल 50% ही सरकार के संचलन और वितरण नियंत्रण के अंतर्गत है। डीएपी सहित सभी उर्वरकों का संचलन और वितरण 1992 से नियंत्रणमुक्त है। प्रत्येक फसल मौसम के शुरू होने से पहले आपूर्तिकर्ताओं/आयातकों से पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उर्वरक विभाग द्वारा राज्य सरकारों को बार-बार सलाह दी रही है ताकि किसानों को इन उर्वरकों की कमी का सामना न करना पड़े।

तथापि चालू खरीफ मौसम के दौरान विशेषकर डीएपी की मांग और उर्वरक कंपनियों द्वारा वचनबद्ध आपूर्ति के बीच अंतर रहा है। यह उत्पादकों और आयातकों द्वारा कच्ची सामग्रियों और तैयार उत्पादों के उच्च अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के कारण जरूरत की पूरी मात्रा का उत्पादन या आयात करने की अनिच्छा की वजह से है। उर्वरक विभाग ने मैसर्स इण्डियन पोटाश लिमिटेड जैसे राज्य व्यापार अभिकरणों के माध्यम से इन उर्वरकों के आयात की व्यवस्था करने के लिए उपाय किए हैं। चूंकि इन उर्वरकों को किसानों तक पहुंचाने के लिए सभी कमी वाले राज्यों में इन अभिकरणों के पास पसर्याप्त विपणन और वितरण तंत्र नहीं हैं, अतः राज्यों से संस्थागत एजेंसियों की पहचान करने का अनुरोध किया गया है, जो रेक स्थलों से उर्वरकों को विपणन और वितरण का कार्य करेंगी। मध्य प्रदेश और बिहार दोनों राज्यों में डीएपी की पूरी जरूरत को उपर्युक्त व्यवस्था के माध्यम से पूरा किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निजी निवेश

3161. श्री हितेन बर्मन : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने के लिए कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अभी तक निजी क्षेत्र की क्या प्रतिक्रिया रही है;

(घ) कितने उद्योग स्थापित हुए हैं और इनके द्वारा राज्य-वार कितनी पूंजी निवेश की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन निजी कंपनियों को क्या रियायतें प्रदान की जा रही हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों पर विजन डाक्यूमेंट 2015 को अंतिम रूप दिया गया है जिसमें जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के प्रसंस्करण स्तर को 6% से बढ़ा कर 20%, मूल्यवर्धन को 20% से बढ़ाकर 35% और विश्व खाद्य व्यापार में अंशदान को 1.5% से बढ़ाकर 3% करते हुए प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के आकार को वर्ष 2015 तक तिगुना करने की परिकल्पना की गई है। इस विजन को साकार करने के लिए, 2.00 लाख करोड़ रु. के अनुमानित निवेश को जरूरत होगी जिसमें से दस प्रतिशत सरकार द्वारा और बाकी की व्यवस्था बराबर मात्रा में वित्तीय संस्थानों और निजी निवेशकों/प्रत्यक्ष विदेशी निवेश द्वारा की जाएगी।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की वृद्धि के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, मंत्रिमंडल ने कृषि कारोबार के संवर्धन के लिए समेकित रणनीतिः खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए विजन, रणनीति और कार्ययोजना अनुमोदित की है।

रणनीतिक हस्ताक्षेप के लिए पहचाने गए क्षेत्र जिन पर जोर दिया जाना है, निम्नलिखित हैं :- उपयुक्त बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज समेत पहचाने गए झुंडों में मेगा खाद्य पार्कों की स्थापना, समेकित शीत श्रृंखला/मूल्यवर्धन और परिरक्षण संबंधी बुनियादी ढांचे का सृजन, बूचड़खानों का आधुनिकीकरण, सड़क-गली किनारे बिकने वाली खाद्य वस्तुओं तथा स्ट्रीट फूड की स्वच्छता और गुणवत्ता का उन्नयन, गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना और उन्नयन, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की पुनर्संरचना और उसका सुदृढ़ीकरण, कर ढांचे को तर्कसंगत बनाना, बुनियादी ढांचा विकास में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और निजी निवेश को प्रोत्साहित करना, लघु और असंगठित क्षेत्र के लिए क्षमता निर्माण प्रारंभ करना, वाइन और बीयर नीति को उदारीकृत करना, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रमुख संवर्धनात्मक अभियान शुरू करना और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में महत्वपूर्ण ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास के सृजन के लिए बड़े पैमाने पर जन निवेश करने की जरूरत। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए अपेक्षित रणनीतिक हस्तक्षेपो को 11वीं योजना प्रस्तावों में शामिल किया गया है। सभी प्रमुख हस्तक्षेपों में यथासंभव सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल को अपनाया जाएगा।

(ग) से (ङ) 11वीं योजना में मंत्रालय का प्रस्ताव खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित करने का है। बुनियादी ढांचा विकास संबंधी पुनः तैयार की गई स्कीम के तहत अधिमानतः सरकारी-निजी भागीदारी मॉडल पर मंत्रालय मेगा खाद्य पार्कों, शीत श्रृंखला बुनियादी ढांचा विकास, मूल्यवर्धित केन्द्रों और पैकेजिंग केन्द्रों की स्थापना के लिए अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देगा। मेगा खाद्य पार्क संबंधी स्कीम बैकवर्ड और फारवर्ड लिंकेज के साथ-साथ विश्वसनीय और धारणीय आपूर्ति श्रृंखला उपलब्ध कराएगी। झुंड आधारित मांग प्रेरित दृष्टिकोण खेत से बाजार तक लिंकेज प्रदान करेगा जिससे उन मूल प्रसंस्करण केन्द्रों, संग्रहण केन्द्रों, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वितरण केन्द्र - सह - शीत श्रृंखला के जरिए स्थानीय स्तर से क्षेत्रीय स्तर तक लिंकेज उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें नियंत्रित वातावरण वाले शीतागार तथा वितरण केन्द्र होंगे जहां बड़ी मात्रा में भंडारण किया जा सकता है और उसकी सप्लाई ताजी बिक्री तथा प्रसंस्करण हेतु प्रसंस्करण उद्योग को करने हेतु वितरण केन्द्रों को की जा सकती है। ग्यारहवीं योजना में, मंत्रालय ने सहायता की उच्चतर सीमा वाली खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने, एचएसीसीपी, आईएसओ, 9000, जीएचपी और जीएमपी प्रक्रियाओं जैसी गुणवत्ता प्रणालियों का कार्यान्वयन, अनुसंधान एवं विकास का संवर्धन, क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास और अन्य संवर्धनात्मक कार्यकलापों संबंधी स्कीमों को सहायता जारी रखने का भी प्रस्ताव किया है। इसके अतिरिक्त स्ट्रीट फूड के गुणवत्ता उन्नयन संबंधी एक नई स्कीम कार्यान्वित किए जाने का भी प्रस्ताव है। अच्छी गुणवत्ता वाली कृषि बागवानी उपज की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मुख्य जोर कृषि और बागवानी के साथ सुदृढ़ लिंकेज बनाने, परियोजना कार्यान्वयन क्षमताओं को बढ़ाने, निजी क्षेत्र द्वारा किए जा रहे निवेश को बढ़ाने और ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास के सृजन हेतु सहायता करने पर होगा।

[हिन्दी]

बन्द पड़े सरकारी उपक्रमों का मूल्यांकन

3162. श्री कीरेन रिजीजू :
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बन्द पड़े हुए सरकारी उपक्रमों (पी.एस.यू.) का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने बन्द पड़े सरकारी उपक्रमों का कोई मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इनमें से कुछ उपक्रमों को पैकेज देकर इन्हें पुनः शुरू करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बी आर पी एस ई) की स्थापना की गई है जो सरकार को अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उद्यमों के पुनरुद्धार/बन्दीकरण संबंधी प्रस्तावों के बारे में परामर्श देगा। बी आर पी एस ई की अनुशंसाओं के आधार पर सरकार ने भारत ऑप्थैल्मिक ग्लास लिमिटेड नामक एक केन्द्रीय सरकारी उद्यम को बन्द करने का अनुमोदन कर दिया है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के बन्द उद्यम का मूल्यांकन संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा प्रत्येक मामले के आधार पर किया जा सकता है।

(घ) और (ङ) सरकार ने "सैद्धांतिक आधार पर" फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड के पुनरुद्धार की व्यवहार्यता पर विचार करने का निर्णय किया है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय गैस सलाहकार निकाय

3163. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय गैस सलाहकार निकाय (एनजीएबी) की स्थापना का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रस्तावित कार्य क्या-क्या है; और

(ग) एनजीएबी की कब तक स्थापना हो जाएगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ग) सरकार ने 20 दिसंबर, 2006 को "प्राकृतिक गैस पाइपलाइन विकास व शहरी अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क नीति" अधिसूचित की है, जो राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि अर्थात् 22 दिसंबर, 2006 से प्रभाव में आई है। इस नीति में अन्य बातों के साथ-साथ देश में गैस पाइपलाइन नेटवर्क्स के प्रोन्नयन व विकास तथा शहरी अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क से जुड़े मुद्दों पर केन्द्रीय सरकार के परामर्श देने के लिए एक गैस परामर्शदात्री निकाय (जीएबी) स्थापित करने के प्रावधान हैं। गैस परामर्शदात्री निकाय स्थापित करने के लिए किसी समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए विशेष नीतिगत पैकेज

3164. श्री सुब्रत बोस : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को और अधिक बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा राज्य-वार घोषित विशेष नीतिगत पैकेजों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की भावी संभावनाएं बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों पर विजन डाक्यूमेंट 2015 को अंतिम रूप दिया गया है जिसमें जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के प्रसंस्करण स्तर को 6% से बढ़ाकर 20%, मूल्यवर्धन को 20% से बढ़ाकर 35% और विश्व खाद्य व्यापार में अंशदान को 1.5% से बढ़ाकर 3% करते हुए प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के आकार को वर्ष 2015 तक तिगुना करने की परिकल्पना की गई है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की वृद्धि के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, मंत्रिमंडल ने कृषि कारोबार के संवर्धन के लिए समेकित रणनीतिः खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए विजन, रणनीति और कार्ययोजना अनुमोदित की है। रणनीतिक हस्तक्षेप के लिए पहचाने गए क्षेत्र जिन पर जोर दिया जाना है, निम्नलिखित हैं :- उपयुक्त बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज समेत पहचाने गए झुंडों में मेगा खाद्य पार्कों की स्थापना, समेकित शीत श्रृंखला/मूल्यवर्धन और परिरक्षण संबंधी बुनियादी ढांचे का सृजन, बूचड़खानों का आधुनिकीकरण, सड़क-गली किनारे बिकने वाली खाद्य वस्तुओं तथा स्ट्रीट फूड की स्वच्छता और गुणवत्ता का उन्नयन, गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना और उन्नयन, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की पुनर्संरचना और उसका सुदृढ़ीकरण, कर ढांचे को तर्कसंगत बनाना, बुनियादी ढांचा विकास में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और निजी निवेश को प्रोत्साहित करना, लघु और असंगठित क्षेत्र के लिए क्षमता निर्माण प्रारंभ करना, वाइन और बीयर नीति को उदारीकृत करना, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रमुख संवर्धनात्मक अभियान शुरू करना और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में महत्वपूर्ण ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास के सृजन के लिए बड़े पैमाने पर जन निवेश करने की जरूरत है।

ग्यारहवीं योजना में मंत्रालय का प्रस्ताव बुनियादी ढांचा विकास संबंधी पुनः तैयार की गई स्कीम कार्यान्वित करने का है, जिसके अंतर्गत, यह मेगा खाद्य पार्कों, शीत श्रृंखला बुनियादी ढांचा विकास, मूल्यवर्धित केन्द्रों और पैकेजिंग केन्द्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता देगा। मेगा खाद्य पार्क संबंधी स्कीम बैकवर्ड और फारवर्ड लिंकेज के साथ-साथ विश्वसनीय और धारणीय आपूर्ति श्रृंखला उपलब्ध कराएगी। झुंड

आधारित मांग प्रेरित दृष्टिकोण खेत से बाजार तक लिंकेज प्रदान करेगा जिससे उन मूल प्रसंस्करण केन्द्रों, संग्रहण केन्द्रों, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वितरण केन्द्र – सह – शीत श्रृंखला के जरिए स्थानीय स्तर से क्षेत्रीय स्तर तक लिंकेज उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें नियंत्रित वातावरण वाले शीतागार तथा वितरण केन्द्र होंगे जहां बड़ी मात्रा में भंडारण किया जा सकता है और उसकी सप्लाई ताजी बिक्री तथा प्रसंस्करण हेतु प्रसंस्करण उद्योग को करने हेतु वितरण केन्द्रों को की जा सकती है। अच्छी गुणवत्ता वाली कृषि बागवानी उपज की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मुख्य जोर कृषि और बागवानी के साथ सुदृढ़ लिंकेज बनाने, परियोजना कार्यान्वयन क्षमताओं को बढ़ाने, निजी क्षेत्र द्वारा किए जा रहे निवेश को बढ़ाने और ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास के सृजन हेतु सहायता करने पर होगा।

[हिन्दी]

तेल/तेल टैंकरों की कमी

3165. **श्री अशोक अर्गल :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में विशेषकर उत्तराखंड में पर्यटन सीजन के दौरान तेल टैंकरों और पेट्रोल पंपों पर तेल की आपूर्ति में भारी कमी का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तेल कंपनियां उत्तराखंड में स्थित अपने पेट्रोल पंप डीलरों को अपने स्वयं के टैंकरों को प्राथमिकता के आधार पर उपयोग में लाने को अनुमोदन देती है;

(घ) यदि हां, तो अपने टैंकरों को उपयोग में लाने हेतु अनुमोदित प्राप्ति में कितना समय लगता है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा और नियम क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ङ) तेल कंपनियों के टर्मिनलों/डिपुओं पर डीलरों को पेट्रोल और डीजल की सुपुर्द आपूर्तियां तेल विपणन कंपनियों के अपने टैंक ट्रकों द्वारा अथवा जिनको परिवहन कार्य के लिए ठेका दिया जाता है, उनके द्वारा की जाती हैं। डीलरों और ग्राहकों को पेट्रोलियम उत्पादों के थोक परिवहन के लिए टैंक ट्रकों के नियोजन हेतु उद्योग आधार पर सार्वजनिक निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। डीलरों और ग्राहकों को इस सार्वजनिक निविदा में भाग लेने के लिए कहा जाता है। आमंत्रित किए जाने वाली निविदा में टैंकरों की स्थान–वार आवश्यकताएं दर्शाई जाती हैं। इन सार्वजनिक निविदाओं को निविदा में की गई न्यूनतम पेशकश के आधार परअंतिम रूप दिया जाता है और सफल घोषित पक्षकारों को निविदा में पेशकश किए गए टैंकरों के लिए ठेके दिए जाते हैं।

तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने सूचित किया है कि तेल टैंकरों और विशेष रूप से उत्तराखंड के पेट्रोल पंपों को तेल की आपूर्ति में कोई कमी नहीं है।

[अनुवाद]

नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

3166. **श्री कुलदीप बिश्नोई :** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली स्थित नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय (एन.एम.एम.एल.) के नवीकरण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने एन.एम.एम.एल. में रखे निजी बहुमूल्य संग्रह और संस्थागत पत्रों के डिजीटलीकरण हेतु किसी प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (घ) नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय ने कुल 20.00 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिकीकरण की एक विस्तृत योजना तैयार की है। इस प्रस्ताव में कुल 10.00 करोड़ रुपए की लागत से नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय में रखे निजी संस्थागत कागजों के बहुमूल्य संग्रह के डिजिटीकरण का कार्य शामिल है। इस डिजिटीकरण प्रस्ताव में इस समय विश्व में प्रमुख अभिलेखागारों तथा पुस्तकालयों द्वारा अपनाई जा रही नवीनतम तकनीकों को शामिल किया गया है। वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2007–2008 की अनुपूरक अनुदान मांगों के प्रथम बैच में परियोजना के वित्त पोषण हेतु 20.00 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की है।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विलय

3167. **श्री रघुवीर सिंह कौशल :** क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्तमान परिदृश्य में एक दूसरे के अनुपूरक उन सरकारी उद्यमों के विलय/पुनरुद्धार अथवा मिलकर कार्य करने जैसे सुधारों पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त उद्यमों को अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कार्य–योजना तैयार की गई है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) सरकार ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के कुछेक उद्यमों के विलय प्रस्तावों को हाल के वर्षों में अनुमोदित कर दिया है, जैसे – इस्को का स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के साथ, आई बी पी कम्पनी लिमिटेड तथा इंडियन आयल बलेंडिंग का इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि. के साथ, कोच्चि रिफाइनरीज लिमिटेड का भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन के साथ विलय।

(ग) सरकार ने सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बी आर पी एस ई) की स्थापना की है जिसे अन्य बातों के साथ–साथ केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पुनर्गठन–वित्तीय, संगठनात्मक तथा व्यापारिक (विविधीकरण, सुयक्त उद्यम, विलयन एवं अधिग्रहण) के बारे में विचार तथा अनुशंसा करने का दायित्व सौंपा गया था। बी आर पी एस ई की अनुशंसाओं के आधार पर सरकार ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की पुनरुद्धार योजना का अनुमोदन कर दिया है।

[अनुवाद]

डीजल इंजनों का काम करना बंद कर देना

3168. श्री रूपचन्द मुर्मू : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान डीजल इंजनों द्वारा काम करना बंद कर दिये जाने की वजह से कितनी रेलगाड़ियां रुकी खड़ी रहीं और इस वजह से जोन–वार कितने राजस्व का घाटा हुआ;

(ख) क्या रेलवे ने कोई उपचारात्मक कार्यवाही की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अल्प दृष्टिगोचरता में विमान उतारना

3169. श्री एस.के. खारवेन्थन : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश के प्रमुख विमानपत्तनों पर विमान यातायात को कम करने के लिए छोटे विमानपत्तनों पर अल्प दृष्टिगोचरता में विमान उतारने के लिए व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने के लिए किन–किन विमानपत्तनों की पहचान की गई है; और

(ग) उपरोक्त सुविधाएं कब तक प्रदान किये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने लीलाबाड़ी, सिल्चर, गया, सूरत, गोंदिया, देहरादून, पोरबंदर, बेलगांम, हुबली, विजयवाड़ा, तिरूपति तथा पोर्टब्लेयर हवाईअड्डों पर चरणबद्ध तरीके से सितम्बर, 2009 तक उपस्कर अवतरण प्रणाली (आई एल एस) संस्थापित करने की योजना बनाई है।

गैर-महानगरीय विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण

3170. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निजी कंपनियों की सहायता से 30 गैर–महानगरीय विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा राज्य–वार पहचान किये गए विमानपत्तन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आधुनिकीकरण के लिए आंध्र प्रदेश के किसी भी विमानपत्तन की पहचान नहीं की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस प्रस्ताव पर अवसंरचना संबंधी समिति ने जांच की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (च) अवसंरचना समिति की स्वीकृति के साथ 35 गैर–मेट्रो हवाईअड्डों के आधुनिकीकरण का निर्णय लिया गया है। इन सभी हवाईअड्डों के एयर साइड का विकास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। तथापि, इन 35 गैर–मेट्रो हवाईअड्डों में से निम्नलिखित 24 हवाईअड्डों के सिटी साइड का विकास निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से किया जाएगा :

विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश), गुवाहाटी (असम), रायपुर (छत्तीसगढ़), अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा (गुजरात), रांची (झारखंड), त्रिवेन्द्रम (केरल), मंगलौर (कर्नाटक), औरंगाबाद (महाराष्ट्र), भोपाल, इंदौर, खुजराहो (मध्य प्रदेश), दिमापुर (नागालैण्ड), भुवनेश्वर (उड़ीसा), अमृतसर (पंजाब),

जयपुर, उदयपुर (राजस्थान), मदुरै, त्रिची (तमिलनाडु), अगरतला (त्रिपुरा), लखनऊ, वाराणसी (उत्तर प्रदेश) तथा देहरादून (उत्तराखण्ड)।

उड़ीसा में आदर्श रेलवे स्टेशन

3171. श्री अर्जुन सेठी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व तटीय रेलवे जोन के कुछ रेलवे स्टेशनों को आदर्श स्टेशन घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम और इनमें से प्रत्येक स्टेशन पर किए गए विकास कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस परियोजना हेतु राज्य-वार अनुमोदित और खर्च की गयी राशि कितनी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी हां। पूर्व तट रेलवे पर निम्नलिखित 23 रेलवे स्टेशन आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में चिन्हित किए गए हैं।

1. पुरी 2. बरहामपुर 3. भुवनेश्वर 4. कटक 5. पलासा 6. विजयनगरम 7. श्रीकाकुलम 8. विशाखापत्तनम 9. भद्रक 10. खोरधा रोड़ 11. सम्बलपुर 12. बालूंगांव 13. सम्बलपुर रोड 14. रायगडा 15. जयपुर क्योंझर रोड 16. टिटलागढ़ 17. देनकैनाल 18. बड़ाखानदतिया 19. बाइरी 20. गोलांत्रा 21. कपिलास रोड 22. रेहामा 23. सुरला रोड।

उपर्युक्त स्टेशनों पर किए गए विकासात्मक कार्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्ष के दौरान इन स्टेशनों पर स्वीकृत और खर्च की गई राशि के राज्यवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

(आंकड़े हजार रुपयों में)

वर्ष	उड़ीसा		आंध्र प्रदेश	
	स्वीकृत राशि	खर्च की गई राशि	स्वीकृत राशि	खर्च की गई राशि
2004-05	22978	9518	1682	103
2005-06	31790	16517	5562	2333
2006-07	60796	47155	14002	12378

विवरण

(1) पुरी

1. 16 गर्त के प्लेटफार्म नं. 4 एवं 6 पर प्लेटफार्म सायबान – कार्य पूरा हो गया है।
2. उच्च श्रेणी प्रतीक्षालय का वातानुकूलन – कार्य पूरा हो गया है।
3. प्लाज्मा स्क्रीन आधारित आरक्षण उपलब्धता स्थिति प्रदर्श प्रणाली की व्यवस्था – कार्य पूरा हो गया है।
4. वी आई पी कमरों, प्रतीक्षालयों, विश्राम गृहों और डोरमेट्री के लिए सामान रेकों सहित प्लेटफार्म कुर्सियों, फर्नीचर की व्यवस्था – कार्य पूरा हो गया है।
5. प्रकाश-व्यवस्था, पंखा व्यवस्था और प्रदर्श सुविधाओं में सुधार – कार्य पूरा हो गया है।
6. परिचलन क्षेत्र में हाई मास्ट की व्यवस्था – कार्य पूरा हो गया है।
7. प्लेटफार्म 1, 2, 3, 4, और 5 पर सवारीडिब्बों के लिए एलईडी आधारित प्रदर्श यूनिट की व्यवस्था – कार्य पूरा हो गया है।
8. सवारीडिब्बा अनुरक्षण सुविधाओं का संवर्धन – कार्य पूरा हो गया है।
9. यात्री प्लेटफार्म के सम्मिलन क्षेत्र के ऊपर सायबान की व्यवस्था – कार्य पूरा हो गया है।
10. पुरी रेलवे स्टेशन की स्टेशन इमारत का प्रस्तावित नवीकरण।
11. पुरी में स्टेशन इमारत के अग्र भाग का प्रस्तावित नवीकरण।

(2) बहरामपुर

1. पेय जल की आपूर्ति-कार्य पूरा हो गया है।
2. प्लेटफार्म नं. 1 पर 400 लीटर प्रति घंटा क्षमता वाले जल शोधक की व्यवस्था – कार्य पूरा हो गया है।
3. सवारीडिब्बों के लिए एलईडी आधारित प्रदर्श यूनिटों की व्यवस्था – कार्य पूरा हो गया है।
4. प्लेटफार्म के विस्तारित हिस्से का विद्युतीकरण – कार्य पूरा हो गया है।
5. बुकिंग कार्यालय का वातानुकूल – कार्य पूरा हो गया है।
6. वी आई पी कमरों, प्रतीक्षालयों, विश्राम गृहों और डोरमेट्री के लिए सामान रेकों सहित प्लेटफार्म कुर्सियों, फर्नीचर की व्यवस्था – कार्य पूरा हो गया है।
7. प्लाज्मा स्क्रीन आधारित समय-सारणी की व्यवस्था – कार्य पूरा हो गया है।
8. बहरामपुर में प्लेटफार्म नं. 2 एवं 3 पर मौजूदा प्लेटफार्म सायबान के स्थान पर अअमासं किस्म के प्लेटफार्म सायबान की व्यवस्था।
9. बहरामपुर में स्टेशन इमारत के अग्रभाग में सायबान की व्यवस्था।

10. प्लेटफार्म नं. 1, 2 एवं 3 का विस्तार और अतिरिक्त ऊपरी पैदल पुल।

(3) भुवनेश्वर

1. बुकिंग कार्यालय और उच्च श्रेणी महिला प्रतीक्षालय का नवीकरण – कार्य पूरा हो गया है।

2. स्टेशन इमारत का नवीकरण – कार्य पूरा हो गया है।

3. प्लेटफार्म नं. 1 एवं 3 में जल भराई के लिए कैरिज जल पाइप लाइन की संस्थापना – कार्य पूरा हो गया है।

4. बुकिंग कार्यालय, उच्च श्रेणी महिला प्रतीक्षालय का वातानुकूल – कार्य पूरा हो गया है।

5. सवारीडिब्बा सूचना के लिए एलईडी आधारित प्रदर्श इकाई की व्यवस्था – कार्य पूरा हो गया है।

6. प्लाज्मा स्क्रीन आधारित आरक्षण उपलब्धता स्थिति प्रदर्श प्रणाली की व्यवस्था – कार्य पूरा हो गया है।

7. प्लेटफार्म के विस्तारित हिस्से का विद्युतीकरण – कार्य पूरा हो गया है।

8. वी आई पी कमरों, प्रतीक्षालयों, विश्राम गृहों और डोरमेट्री के लिए सामान रेकों सहित प्लेटफार्म कुर्सियों, फर्नीचर की व्यवस्था – कार्य पूरा हो गया है।

9. एक इकहरी कतार में सवारीडिब्बा स्थिति को दर्शाने के लिए प्रदर्श बोर्डों की व्यवस्था – कार्य पूरा हो गया है।

10. भुवनेश्वर – कोचिंग परिसर में अतिरिक्त स्टैब्लिंग लाइन – कार्य पूरा हो गया है।

11. भुवनेश्वर : यार्ड के ढांचे में परिवर्तन – कार्य पूरा हो गया है।

12. प्लेटफार्म नं. 1 एवं 3 पर धुलनीय एप्रन

13. प्लेटफार्म नं. –1 पर परिचलन क्षेत्र और सायबान में सुधार।

14. भुवनेश्वर में मौजूदा ऊपरी पैदल पुल के स्थान पर 3.66 मीटर के ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था।

(4) कटक

1. नया बुकिंग कार्यालय और द्वितीय प्रवेश के लिए परिचलन क्षेत्र – कार्य पूरा हो गया है।

2. पी आर एस इमारत का नवीकरण – कार्य पूरा हो गया है।

3. द्वितीय प्रवेश के संबध में परिचलन क्षेत्र – कार्य पूरा हो गया है।

4. वी आई पी कमरों, प्रतीक्षालयों, विश्राम गृहों और डोरमेट्री के लिए सामान रेकों सहित प्लेटफार्म कुर्सियों, फर्नीचर की व्यवस्था – कार्य पूरा हो गया है।

5. प्लेटफार्म 1, 2 एवं 3 पर सवारीडिब्बों के लिए एलईडी आधारित प्रदर्श इकाइयों की व्यवस्था – कार्य पूरा हो गया है।

6. माल टर्मिनल सुविधाओं में सुधार – कार्य पूरा हो गया है।

7. परिचलन क्षेत्र, प्लेटफार्म सायबान और प्रदर्श प्रणाली आदि में सुधार – कार्य पूरा हो गया है।

8. कटक स्टेशन पर स्टेशन इमारत के सामने सायबान की व्यवस्था।

9. कटक स्टेशन पर मुख्य सम्मिलन क्षेत्र के लिए बुकिंग काउंटरों की प्रस्तावित स्थानांतरण और सहायता केन्द्र के रूप में मुख्य सम्मिलन क्षेत्र का विकास तथा प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी प्रतीक्षालयों का नवीकरण।

(5) पलासा

1. 24 सवारीडिब्बों की सम्हलाई के लिए प्लेटफार्म पर विस्तार पूरा हो गया है।

(6) विजयनगरम

1. 24 सवारीडिब्बों की सम्हलाई के लिए प्लेटफार्म नं. 1, 4 एवं 5 का विस्तार पूरा हो गया है।

2. भुगतान एवं उपयोग शौचालय उपलब्ध करा दिया गया है।

(7) श्रीकाकुलम

1. हरे–भरे स्थान एवं भूदृश्य विकसित कर दिया गया है।

2. भुगतान एवं उपयोग शौचालय उपलब्ध करा दिया गया है।

3. 24 सवारी डिब्बों के लिए प्लेटफार्म का विस्तार।

(8) विशाखापत्तनम

1. पार्सल कार्यालय के पास पुराने जीर्ण–शीर्ण शेड को उखाड़कर 800 वर्ग मीटर का अतिरिक्त परिचलन क्षेत्र का सृजन किया गया है।

2. मार्ग स्टेशन में हरे–भरे स्थान एवं सजावटी पौधारोपण किया गया है।

3. 6.1 मीटर चौड़ा अतिरिक्त ऊपरी पैदल पुल उपलब्ध करा दिया गया है।

4. 2 मूराल विकसित किए गए हैं।

5. स्टेशन के दक्षिण छोर पर भूदृश्य विकसित किया गया है।

6. लाइन नं. 5 पर धुलनीय एप्रन पूरा हो गया है।

7. प्लेटफार्म नं. 4 एवं 5 पर 4 गर्त का प्लेटफार्म सायबान उपलब्ध करा दिया गया है।

8. गननापुरम छोर पर अतिरिक्त प्लेटफार्म का निर्माण हो गया है।

9. 24 सवारीडिब्बों के लिए प्लेटफार्म नं. 1, 2 एवं 3 का विस्तार पूरा हो गया है।

(9) भद्रक

1. खोरधा रोड छोर की तरफ प्लेटफार्म – 1 एवं 2 पद द्विगर्तीय असमासं किस्म के प्लेटफार्म सायबान का विस्तार।

2. परिचलन क्षेत्र, बुकिंग काउंटर में प्रस्तावित सुधार और पानी के फुव्वारे की व्यवस्था।

3. स्टेशन इमारत के सामने सायबान की व्यवस्था।

(10) खोरधा रोड

1. 24 सवारी डिब्बों के लिए प्लेटफार्म का विस्तार पूरा हो गया है।

(11) सम्बलपुर

1. कोटा पत्थर के फर्श के साथ प्लेटफार्म सतह में सुधार।

2. प्लेटफार्म – 1 को प्लेटफार्म – 2 से जोड़ने वाली ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था।

3. उच्च श्रेणी प्रतीक्षालय, महिला प्रतीक्षालय एवं द्वितीय श्रेणी प्रतीक्षालय में सुधार।

4. वीआईपी लाउंज में सुधार

5. प्लेटफार्म सायबानों की संवर्धित व्यवस्था

6. लॉन्स के विकास के साथ प्लेटफार्म क्षेत्र का सौन्द्रीयकरण

7. हाई मास्ट प्रकाश–व्यवस्था के साथ परिचलन क्षेत्र का विकास

8. भुगतान एवं उपयोग शौचालयों की व्यवस्था

9. टच स्क्रीन पूछताछ प्रणाली की व्यवस्था

10. एनटीईएस की व्यवस्था

11. गाड़ी प्रदर्श बोर्ड

(12) बालूगांव

1. बालूगांव स्टेशन पर स्टेशन इमारत के ढांचे में प्रस्तावित परिवर्तन

2. 24 सवारीडिब्बों के लिए प्लेटफार्म का विस्तार पूरा हो गया है।

(13) सम्बलपुर रोड - यहां यह उल्लेखनीय है कि मंडल/मुख्यालय सम्बलपुर रोड पर किसी विकास कार्य का प्रस्ताव नहीं कर रहा क्योंकि जेएसजी–एसबीपी लाइन दोहरीकरण परियोजना के कारण स्टेशन की पूरी रूपरेखा बदल जाएगी और उल्लिखित दोहरीकरण के बाद स्टेशन को बंद कर दिए जाने का भी प्रस्ताव है।

(14) रायगडा

1. लाइन नं. 3 एवं 4 के बीच सवारीडिब्बा जलभराई व्यवस्थाएं पूरी हो गई हैं।

2. द्विगर्तीय प्लेटफार्म सायबान उपलब्ध करा दिया गया है।

3. 24 सवारीडिब्बों के लिए प्लेटफार्मों का विस्तार पूरा हो गया है।

4. बुकिंग कार्यालय और प्रतीक्षालय में सुधार कार्य पूरा हो गया है।

(15) जजपुर - क्योंझर रोड

1. सेवा इमारत में साथ स्थित प्लेटफार्म नं. – 2 पर प्लेटफार्म सायबान की प्रस्तावित व्यवस्था, उन्नत शेड और प्लेटफार्म नं. 1 पर प्लेटफार्म किनारों की एन्ग्रेविंग के साथ प्लेटफार्म सतह में सुधार।

(16) टिटलागढ़

1. यात्री आरक्षण में सुधार

2. भुगतान एवं उपयोग शौचालय की व्यवस्था

3. प्लेटफार्म–3 पर कोटा पत्थर के साथ प्लेटफार्म सतह में सुधार

4. उच्च श्रेणी प्रतीक्षालय और वीआईपी लाउंज का नवीकरण

5. प्लेटफार्म सवारीडिब्बा जलभराई सुविधाओं में सुधार

6. विश्राम गृह में सुधार (प्रगति पर), प्रथम श्रेणी प्रतीक्षालय और 10 बिस्तरों की डोरमेट्री।

7. 24 सवारीडिब्बों की गाड़ी की सम्हलाई हेतु प्लेटफार्म नं. 1 का विस्तार/ऊंचाई निम्न स्तर से उच्च स्तर तक बढ़ाना।

(17) ढेनकैनाल

1. विश्राम गृह सुविधा उपलब्ध करा दी गई है।

2. सामान्य एवं द्वितीय श्रेणी प्रतीक्षालय उपलब्ध करा दिया गया है।

3. पार्किंग/परिचालन क्षेत्र उपलब्ध करा दिया गया है।

4. जन उद्घोषण प्रणाली उपलब्ध करा दी गई है।

5. परिचलन क्षेत्र प्रकाश–व्यवस्था उपलब्ध करा दी गई है।

6. आई वी आर एस – पूरा हो गया है।

7. गाड़ी प्रदर्श बोर्ड–उपलब्ध करा दिया गया है।

8. जल शीतक – उपलब्ध करा दिया गया है।

9. प्रदर्श व्यवस्था – उपलब्ध करा दी गई है।

10. माड्यूलर खानपान स्टाल – उपलब्ध करा दिये गये हैं।

(18) बड़ाखानदमिया

1. सामान्य प्रतीक्षालय उपलब्ध करा दिया गया है।

2. पार्किंग/परिचालन क्षेत्र उपलब्ध करा दिया गया है।

(19) बाइरी

1. सामान्य प्रतीक्षालय उपलब्ध करा दिया गया है।

2. पार्किंग/परिचालन क्षेत्र उपलब्ध करा दिया गया है।

(20) गोलांत्रा

1. सामान्य प्रतीक्षालय उपलब्ध करा दिया गया है।

(21) कपिलाश रोड

1. विश्राम गृह सुविधा उपलब्ध करा दी गई है।

2. सामान्य प्रतीक्षालय उपलब्ध करा दिया गया है।

3. पार्किंग/परिचलन क्षेत्र उपलब्ध करा दिया गया है।

4. जन उद्घोषण प्रणाली उपलब्ध करा दिया गया है।

5. परिचलन क्षेत्र प्रकाश–व्यवस्था उपलब्ध करा दी गई है।

(22) रेहामा

1. सामान्य प्रतीक्षालय उपलब्ध करा दिया गया है।

2. पार्किंग/परिचलन क्षेत्र उपलब्ध करा दिया गया है।

3. परिचलन क्षेत्र प्रकाश–व्यवस्था उपलब्ध करा दी गई है।

(23) सुरला रोड

1. सामान्य प्रतीक्षालय उपलब्ध करा दिया गया है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा

3172. श्री एल. राजगोपाल : क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए कोई सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सिफारिशों का अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार में रसोई गैस एजेंसियां/पेट्रोल पंप

3173. श्री चन्द्रदेव प्रसाद राजभर : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दरभंगा, बिहार में कितनी रसोई गैस एजेंसियां और पेट्रोल पंप कार्यरत हैं;

(ख) क्या दरभंगा में कार्यरत रसोई गैस एजेंसियां घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों की खुलेआम कालाबाजारी कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दोषी गैस एजेंसियों के विरुद्ध सरकार द्वारा की गई/की जाने वाली कार्यवाही क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) दिनांक 1.8.2007 को सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) दरभंगा, बिहार में 7 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें और 38 खुदरा बिक्री केन्द्रों (आरओज) का प्रचालन कर रही हैं।

(ख) और (ग) जी नहीं। ओएमसीज ने गत एक वर्ष में दरभंगा में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी का कोई मामला दर्ज नहीं किया है।

(घ) चूक करने वाले डिस्ट्रीब्यूटरों के खिलाफ एलपीजी विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों (एमडीजी) के तहत प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। एमडीजी के तहत ओएमसीज द्वारा की गई कार्रवाई के अलावा, राज्य सरकारों को घरेलू एलपीजी के गैर कानूनी प्रयोग के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए शक्तिप्रदत्त किया गया है।

वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का विपथन/काला बाजारी रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं–

(i) अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत प्रख्यापित एलपीजी (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के तहत ओएमसीज के वितरकों द्वारा वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का विपथन/कालाबाजारी निषिद्ध है। राज्य सरकारें इस आदेश के उपबंधों के तहत दोषी वितरकों के विरुद्ध

कार्रवाई करने के लिए शक्तिप्रदत्त हैं। राज्य सरकारों को अनधिकृत इस्तेमाल के लिए घरेलू सिलेंडरों के विपथन के विरुद्ध कदम उठाने के लिए समय समय पर सतर्क किया गया है।

(ii) ओएमसीज के अधिकारी डिस्ट्रीब्यूटरों के गोदाम, सुपुर्दगी बिंदु और मार्ग में यह सुनिश्चित करने के लिए यादृच्छिक जांचे करते है कि विपथन/कालाबाजारी न हो। एमडीजी के अनुसार घरेलू एलपीजी सिलेंडर के वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किसी विपथन/कालाबाजारी के साबित हो जाने के मामले में डिस्ट्रीब्यूटर के विरुद्ध निम्न कार्रवाई की जाती है :-

पहले अपराध पर 20,000 रुपए जुर्माना और वाणिज्यिक दरों पर विपथित एलपीजी का मूल्य।

दूसरे अपराध पर 50,000 रुपए जुर्माना और वाणिज्यिक दरों पर विपथित एलपीजी का मूल्य, और

तीसरे अपराध पर डिस्ट्रीब्यूटरशिप की समाप्ति।

(iii) सरकार ने जनता को यह चेतावनी देते हुए विज्ञापन जारी किए हैं कि गैर घरेलू उद्देश्यों के लिए घरेलू एलपीजी का उपयोग अवैध, खतरनाक और राष्ट्रीय हित के विरुद्ध है। इन विज्ञापनों के माध्यम से ओएमसीज को किसी अनियमितता/कदाचार के बारे में सूचित करने के लिए आम लोगों का सहयोग भी मांगा पाया है।

(iv) सरकार ने ओएमसीज को घरेलू और गैर-घरेलू सिलेंडरों के लिए अलग-अलग रंग आरंभ करने का परामर्श दिया है। इससे घरेलू एलपीजी का अनाधिकृत उपयोग के लिए विपथन नियंत्रण करने में भी सहायता मिलने की संभावना है।

[अनुवाद]

नांदेड़ रेल मंडल का स्थानांतरण

3174. श्री प्रतीक पी. पाटील : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के पास नादेंड रेल मंडल को दक्षिण-मध्य रेलवे से मध्य रेलवे में स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

महाकाल मन्दिर-उड़ीसा

3175. श्री मोहन जेना : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के जाजपुर जिले में रत्नागिरि स्थित बौद्धस्थल के निकट 'महाकाल मंदिर' के पुनर्निर्माण की मौजूदा स्थिति क्या है;

(ख) इस परियोजना पर कुल कितना खर्च होने की संभावना है;

(ग) इस परियोजना की लागत कितनी होगी तथा इसमें कितना समय अधिक लगेगा;

(घ) पुनर्निर्माण के कार्य को पूरा करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) निर्माण कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ङ) रत्नागिरि स्थित बौद्ध स्थल के पास 'महाकाल' के मुख्य मंदिर का पुनः निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। तथापि, अन्य गौण संरचनाओं से संबंधित कार्य प्रगति पर है।

अब तक 21.36 लाख रुपए व्यय किए गए हैं तथा शेष कार्यों को पूरा करने के लिए लगभग 20.00 लाख रुपए की आवश्यकता है।

संरक्षण कार्य एक धीमी प्रक्रिया है। गहन अध्ययन तथा प्रलेखन के बाद ही अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार मुख्य मंदिर के पुनः निर्माण कार्य को शुरू तथा पूरा किया गया था। शेष कार्य एक वर्ष के भीतर पूरा हो जाएगा।

पारादीप में तेलशोधक कारखाने की स्थापना

3176. श्री गिरिधर गमांग : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप में तेलशोधक कारखाने की स्थापना की योजना बनाई गई थी और परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण, मुआवजा और अन्य संबंधित मामलों के लिए अंतिम निर्णय ले लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना कार्य के प्रत्येक घटक के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ङ) इस परियोजना हेतु अब तक प्रदान की गई कुल धनराशि और खर्च की गई राशि कितनी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) जी हां। पारादीप रिफानरी परियोजना के लिए तैयार की गई विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट (डीएफआर) के आधार पर, इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी) उड़ीसा में पारादीप में

एक नया रिफारनरी एवं पेट्रोरसायन परिसर स्थापित कर रही है जिसके पूरा होने का कार्यक्रम अक्तूबर 2011 है और यह लगभग 25,646 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 15 मिलियन मीटरी टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) की स्थापित क्षमता का होगा।

(ग) उड़ीसा सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण, अक्तूबर 1999 में उड़ीसा सरकार द्वारा निजी भूमि के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति पैकेज पर आधारित भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 11(2) के अंतर्गत सहमति करार द्वारा किया गया था। आईओसी, पारादीप रिफाइनरी परियोजना के लिए 3347 एकड़ भूमि पहले ही अधिगृहीत कर चुकी है।

(घ) परियोजना के विभिन्न घटकों पर की गई प्रगति निम्नानुसार है :–

(i) सांत्रा क्रीक के ऊपर पुलों का निर्माण, एनएच–5ए को रिफाइनरी स्थल से जोड़ने हेतु रिफाइनरी के लिए लगभग 7 कि.मी. के पहुंच मार्ग (रेलवे उपरि पुल सहित) के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया है।

(ii) सभी मुख्य एककों के लिए प्रौद्योगिकीय चयन पूरे कर लिए गए हैं।

(iii) निर्माण चरण, सीआईएसएफ कालोनी के लिए रिहायशी आवास, तटीय पहुंच मार्ग, हरित पट्टी विकास आदि निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

(iv) परियोजना के फ्रंट एंड इंजीनियरिंग एंड डिजाइन (एफईईडी) चरण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) का चयन दिनांक 1.12.06 को कर लिया गया है।

(v) परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 6.7.2007 को प्राप्त हो गई है।

(ङ) परियोजना पूर्व कार्यकलापों को करने के लिए पारादीप रिफाइनरी परियोजना के लिए 2281.87 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृतकी हो गई है जिसमें से 778.32 करोड़ रुपये दिनांक 31.7. 2007 तक खर्च हो गए हैं।

वाहनों हेतु ईंधन दक्षता मानक

3177. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :
क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पेट्रोलियम उत्पादों की खपत को कम करने के उद्देश्य से वाहनों हेतु ईंधन दक्षता मानकों को लागू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कार विनिर्माण कंपनियों और उपभोक्ताओं पर इसके प्रभाव का आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (घ) जहाजरानी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में वाहनों के लिए ईंधन दक्षता मानदंड निर्धारित करने के लिए अधिदेश नहीं है।

फर्जी कनेक्शन

3178. श्री अधीर चौधरी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों के कितने एसकेओ/एलडीओ और रसोई गैस वितरण अधिकार मूल आबंटियों द्वारा संचालित नहीं हो रहे हैं;

(ख) कितनी एसकेओ/एलडीओ/रसोई गैस एजेंसियां कारणों के आधार पर बाद में कंपनी में शामिल किये गए वित्तीय भागीदारों के नाम पर पूर्णतः पुर्नगठित की गई;

(ग) क्या सरकार पिछले पांच वर्षों के दौरान इन वितरण अधिकारों द्वारा फर्जी कनेक्शनों के मुद्दे के बारे में कोई जांच करेगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार/तेल निगम नये कनेक्शनों, रिफिल और कम भार वाले सिलेंडरों की आपूर्ति के बारे में अनिवार्य रूप से जांच करेंगे; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी डीलरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने देश में ऐसा कोई मामला सूचित नहीं किया है, जहां एसकेओ/एलडीओ डीलरशिपों और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को मूल आबंटितियों द्वारा प्रचालित नहीं किया जा रहा है।

(ख) ओएमसीज ने एसकेओ/एलडीओ एजेंसियों और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का कोई मामला सूचित नहीं किया है, जिन्हें तुच्छ आधारों पर सम्मिलित किए गए वित्तीय भागीदारों के नाम में गठित किया

गया है। एसकेओ/एलडीओ/एलपीजी डीलरशिपो/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के पुनर्गठन से संबंधित सभी प्रस्ताव निर्धारित निर्देशों के अनुसार अनुमोदित किए गए हैं। प्रस्ताव और निर्धारित दिशानिर्देशों के बीच किसी विसंगति के मामले में इन्हें कंपनी को प्रस्ताव पर कार्रवाई करने में समर्थ बनाने के लिए सुधार हेतु संबंधित डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर के ध्यान में लाया जाता है।

(ग) से (च) उपर्युक्त (ख) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

तथापि डिस्ट्रीब्यूटरों का आवधिक निरीक्षण किया जाता है जिनमें डिस्ट्रीब्यूटरशिप की विभिन्न गतिविधियों की जांच की जाती है जिनमें नए कनेक्शनों का निर्गम, रीफिलों की आपूर्ति इत्यादि सम्मिलित है। कम वजन के सिलेंडरों की आपूर्ति का पता लगाने के लिए गोदामों पर और सिलेंडरों की सुपुर्दगी करने जा रहे सुपुर्दगी वाहनों की मार्ग में जांच की जा रही है।

दोषी डिस्ट्रीब्यूटर के विरुद्ध एलपीजी विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों (एमडीजी) के अनुसार कार्रवाई की जाती है। एमडीजी के अंतर्गत ओएमसीज द्वारा की गई कार्रवाई के अलावा, राज्य सरकारें घरेलू एलपीजी के अवैध उपयोग के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए शक्तिप्रदत्त हैं।

जब कभी भी ओएमसीज को कम वजन के सिलेंडरों की कालाबाजारी/आपूर्ति के बारे में शिकायत प्राप्त होती हैं, तब इनकी जांच-पड़ताल की जाती है और अगर शिकायत सिद्ध हो जाती है, तो संबंधित एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर(रों) के विरुद्ध एलपजी विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। एमडीजी में डिस्ट्रीब्यूटर के विरुद्ध निम्न कार्रवाई का प्रावधान है :—

पहले अपराध पर 20,000 रुपए जुर्माना जमा वाणिज्यिक दरों पर विपथित एलपीजी का मूल्य। दूसरे अपराध पर 50,000 रुपए जुर्माना और वाणिज्यिक दरों पर विपथित एलपीजी का मूल्य, और तीसरे अपराध पर डिस्ट्रीब्यूटरशिप समाप्त करना।

ओएमसीज द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के अलावा राज्य सरकारें घरेलू एलपीजी की कालाबाजारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत प्रख्यापित एलपीजी (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के अंतर्गत शक्तिप्रदत्त हैं। इसी प्रकार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के तोल और माप विभाग कम वजन के एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति करते हुए पाए जाने वाले एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई आरंभ करती हैं। राज्य सरकारों को अनाधिकृत उपयोग के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के विपथन के विरुद्ध कार्रवाईकरने के लिए समय-समय पर सचेत किया गया है।

सरकार ने जनता को इस बारे में सावधान करते हुए विज्ञापन भी जारी किए हैं कि गैर घरेलू उद्देश्यों के लिए घरेलू एलपीजी का उपयोग अवैध, खतरनाक और राष्ट्रीय हित के विरुद्ध है। इन विज्ञापनों के माध्यम से ओएमसीज को किसी अनियमितता/कदाचार के बारे में सूचित करने के लिए आम लोगों का सहयोग भी मांगा गया है।

इसके अलावा, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि वे ग्राहक के परिसर पर सुपुर्दगी करने से पहले अपने गोदाम पर सिलेंडरों का 100% वजन सुनिश्चित करें। ग्राहक संतुष्टि स्तरों में वृद्धि करने के लिए ओएमसीज ने चुनिंदा बाजारों में डिस्ट्रीब्यूटरों को स्प्रिंग वाला तराजू प्रदान करने का परामर्श दिया है जिससे सिलेंडर में एलपीजी का वजन सही होने का सत्यापन किया जा सके। ओएमसीज ने देश के बड़े बाजारों में यह योजना लागू की है।

ओएमसीज के अधिकारी डिस्ट्रीब्यूटर के गोदाम, सुपुर्दगी स्थल और मार्ग में यादृच्छित जांचें भी करते हैं जिससे हेराफेरी न की जा सके। ओएमसीज के डिस्ट्रीब्यूटरों को सुपुर्दगी से पहले अपने गोदामों में सिलेंडरों के वजन की जांच करने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं और विनिर्दिष्ट वजन वाले सिलेंडर ही ग्राहकों को सुपुर्द किए जाने होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि सुपुर्दगी के समय सीलों का सत्यापन किया जाए और ग्राहकों को दिखाया जाए। अगर ग्राहक द्वारा कोई कम वजन का सिलेंडर प्राप्त किया जाता है, तो ऐसे सिलेंडर ओएमसीज द्वारा कोई प्रभार लगाए बिना नए रीफिल सिलेंडर से बदले जाते हैं।

रूसी विमान कम्पनियों को प्रचालन की अनुमति

3179. श्री मिलिन्द देवरा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशक (डी.जी.सी.ए.) ने रूस द्वारा भारतीय कम्पनियों को उनके हवाई क्षेत्र को उपयोग करने की अनुमति देने के बाद रूसी विमान कंपनियों को दोनों देशों के बीच उड़ानों के प्रचालन को अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोनों देशों के बीच प्रस्तावित उड़ानों का प्रचालन कब तक आरंभ होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) रूसी नामित एयरलाइनें दोनों पक्षों के मध्य सहमत द्विपक्षीय यातायात अधिकारों के अनुसार भारत के लिए/से विमान सेवाएं प्रचालित कर रही हैं। दोनों पक्षों के मध्य मास्को में 14 जून, 2007 को हुए द्विपक्षीय विमान सेवाओं संबंधी वार्ता के दौरान दोनों पक्षों के मध्य लंबित कुछ मुद्दों का निवारण किया गया था।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्गों हेतु व्यापक कार्यक्रम

3180. श्री रामदास आठवले : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक विकास हेतु व्यापक कार्यक्रम तैयार करने के लिए कदम उठाए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (ग) भारत सरकार अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक विकास के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रही है :–

अनुसूचित जातियों के लिए

1. अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति।
2. राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति।
3. राजीव गांधी अध्येयतावृत्ति।
4. अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास के लिए विशेष संघटक योजना/विशेष केन्द्रीय सहायता।
5. उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति।
6. अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना।
7. अनुसूचित जातियों के लिए योग्यता के उन्नयन की योजना।
8. मलिन व्यवसायों में कार्यरत बच्चों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना।
9. अनुसूचित जाति के लड़कों और लड़कियों के लिए होस्टल की योजना।
10. दोहरी गरीबी रेखा से नीचे रह रहे अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आय सृजक कार्यकलापों हेतु ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की स्थापना।
11. अनुसूचित जाति के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अनुसूचित जाति विकास निगमों को इक्विटी समर्थन।
12. सामान्य/तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा और आय सृजक कार्यकलापों के लिए अनुसूचित जातियों हेतु कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों को सहायता देने की योजना।

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए

1. अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति।
2. अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति।
3. अन्य पिछड़े वर्गों के लड़कों और लड़कियों के लिए होस्टल की योजना।
4. अन्य पिछड़े वर्गों की कौशल उन्नयन के माध्यम से शैक्षिक और समजार्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों को सहायता देने की योजना।
5. आर्थिक और वित्तीय रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों और समूहों का तकनीकी और उद्यमीय कौशल को उन्नत करने के लिए वित्त के अतिरिक्त चैनल प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की स्थापना।

[अनुवाद]

गैर-हिन्दू एवं अन्य पिछड़ा वर्गों हेतु आरक्षण

3181. श्री अनवर हुसैन : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंडल आयोग द्वारा गैर–हिन्दू एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया गया और गैर–हिन्दू अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.) में से मुस्लिमों, ईसाइयों, सिक्खों और बौद्धों का हिस्सा कितना है;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने पिछले 20 वर्षों के दौरान गैर–हिन्दू ओ.बी.सी. की अनुसूची को अधिसूचित किया है;

(ग) यदि हां, तो राज्य–वार गैर–हिन्दू ओ.बी.सी. की सूची क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि कई राज्यों के पास गैर–हिन्दू ओ.बी.सी.की पृथक सूची नहीं है;

(ङ) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में गैर–हिन्दू ओ.बी.सी. की पृथक सूची के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार के प्रतिष्ठानों में कितने गैर–हिन्दू ओ.बी.सी. व्यक्तियों को नियुक्ति अथवा प्रवेश मिला है;

(छ) क्या ये आंकड़े यह दर्शाते हैं कि गैर–हिन्दू ओ.बी.सी. व्यक्तियों को मंडल आयोग रिपोर्ट के अनुसार आरक्षण में उनका हिस्सा मिल रहा है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (ज) मंडल आयोग ने गैर–हिन्दू अन्य पिछड़े वर्गों के लिए किसी अलग आरक्षण की सिफारिश नहीं की थी और इस तरह अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची धर्म के आधार पर तैयार नही है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के पास भी गैर–हिन्दू अन्य पिछड़े वर्गों की कोई अलग सूची नहीं है।

अतः, अन्य पिछड़ा वर्गों के धर्मवार डाटा का रख–रखाव नहीं किया जाता।

[हिन्दी]

मंत्रियों द्वारा विदेशी दौरे

3182. श्री सुभाष महरिया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, 2005 से अगस्त, 2007 तक तत्कालीन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री द्वारा किन–किन देशों का दौरा किया गया और इन दौरों के उद्देश्य क्या थे; और

(ख) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में इन दौरों के माध्यम से क्या सफलताएं प्राप्त हुई और उनका तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	दौरा किए गए देशों के नाम और अवधि	दौरों के उद्देश्य और प्राप्ति की गई सफलताएं
1	2	3
1	नॉर्वे, आइसलैंड और बांग्लादेश अगस्त–सितम्बर, 2005	मंत्री ने भारत और नार्वे के बीच सहयोग पर चर्चा करने के लिए अपने समकक्ष मंत्री के आमंत्रण पर नार्वे का दौरा किया। नार्वे एक बड़ा तेल निर्यातक है और गहने जल वेधन क्षेत्र में विश्व में अग्रणी है। दौरे के दौरान हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में संयुक्त कार्य दल की एक बैठक का भी आयोजन किया गया। हाइड्रोजल ईंधन प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से मंत्री ने आइसलैंड का दौरा किया। म्यांमार भारत पाइपलाइन पर चर्चा करने के लिए मंत्री ने एक दिन का बांग्लादेश दौरा भी किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने बांग्लादेश प्रधान मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री तथा विपक्ष के नेता से बातचीत की तथा प्रधानमंत्री के ऊर्जा सलाहकार के साथ प्रतिनिधिमंडल–स्तर की महत्वपूर्ण चर्चाएं भी की गई थीं।
2.	रूस, कजाखस्तान, जापान और कोरिया गणराज्य सितम्बर, 2005	मंत्री ने परियोजना के "प्रथम तेल" कार्यक्रम में भाग लेने के उद्देश्य से साखालीन (रूस) का दौरा किया, जिसमें ओएनजीसी एक पणधारक है। उन्होंने नवम्बर, 2005 में, नई दिल्ली में आयोजित होने वाली उत्तर तथा मध्य एशिया तेल मंत्रियों की गोल मेज कार्यसूची पर रूस के ऊर्जा मंत्री के साथ भी चर्चा की थी। इस दौरे के दौरान उन्होंने जापान और कोरिया गणराज्य का छोटा दौरा किया और व्यापक मुद्दों पर अपने समकक्ष मंत्रियों के साथ परामर्श किया, जिनमें जनवरी 2005 में आयोजित एशियाई तेल मंत्रियों की गोल मेज में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई और नई दिल्ली में आयोजित उत्तर और मध्य एशियाई तेल मंत्रियों की गोल मेज बैठक के लिए तैयारियां शामिल हैं। नवंबर, 2005 में अनुसंधान व विकास और प्रौद्योगिकी सहयोग, ऊर्जा संरक्षण, संग्रहण आदि के संबंध में द्वि–पक्षीय हित के कई मामलों पर चर्चा की गई थी। उन्होंने कजाख ऑयल एण्ड गैस कॉन्फ्रेंस, केआईओजीई, 2005 में महत्वपूर्ण अभिभाषण देने के लिए कजाखस्तान का भी दौरा किया।
3.	सऊदी अरब तथा कतर नवम्बर, 2005	सऊदी अरब में मंत्री रियाद में अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा मंच के सचिवालय भवन के उद्घाटन अवसर पर उपस्थित थे। उन्होंने कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की, जिसमें उन्होंने वैश्विक और क्षेत्रीय ऊर्जा बातचीत पर भारतीय परिदृश्य को प्रस्तुत किया।

1	2	3
		कतर में, मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने भारत के लिए एलएनजी आपूर्तियों पर अपने समकक्ष मंत्री के साथ महत्वपूर्ण द्वि-पक्षीय चर्चाएं भी की थीं।
4.	चीन जनवरी, 2006	मंत्री ने चीन में अपने समकक्ष नेशनल डेवलपमेंट एण्ड रिफार्मस् कमीशन (एनडीआरसी) के अध्यक्ष के आमंत्रण पर चीन का दौरा किया। इस दौरे के दौरान हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग पर एक अर्न्तसरकारीय समझौता ज्ञापन और भारतीय और चीनी संगठनों/कंपनियों के बीच कई अन्य समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। इस दौरे से हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में दीर्घावधि द्वि-पक्षीय सहयोग की एक महत्वपूर्ण नींव रखी गई है, जिसमें तीसरे देशों में परिसम्पत्तियों के लिए संयुक्त बोलियां, तथा अनुसंधान व विकास और प्रौद्योगिकी, संग्रहण, संरक्षण तथा पर्यावरण अनुकूल ईंधनों को प्रोन्नत किया जाना शामिल है।
5.	यू के (लंदन) संयुक्त राज्य अमेरिका (ह्यूस्टन, वाशिंगटन) मार्च-अप्रैल, 2008	मंत्री ने नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी-VI) तथा कोल बेड मिथेन (सीबीएम) नीति (सीबीएम-III) हेतु प्रोन्नत रोड शो के लिए लंदन का दौरा किया। इसके परिणामतः क्रमशः 38 विदेशी कंपनियों ने एनईएलपी-VI तथा 8 ने सीबीएम-III में भाग लिया। मंत्री ने अपस्ट्रीम प्रौद्योगिकी में डीजीएच और इम्पिरियल कॉलेज/एबेरदीन विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने/अंतिम रूप देने के उद्देश्य से लंदन का दौरा किया।
6.	कतर (दोहा) अप्रैल, 2006	मंत्री ने दसवें अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच (आईईएफ) तथा दूसरे अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा व्यवसाय मंच (आईईबीएफ) में भाग लेने के लिए दोहा का दौरा किया। आईईएफ बड़े तेल उत्पादक और खपत करने वाले देशों का एक संगठन है। भारत इस संगठन का सदस्य है और इसके कार्यकारी बोर्ड का सदस्य भी है। इसकी बैठक में मंत्री की भागीदारी ने उत्पादक और खपत राष्ट्रों के बीच बातचीत को मजबूत करने का एक अवसर उपलब्ध कराया।
7.	चीन (शंघाई) जून, 2006	मंत्री ने शंघाई कोआपरेशन ऑर्गनाइजेशन (एससीओ) में भारत का प्रतिनिधित्व करने के शंघाई का दौरा किया। भारत एससीओ में एक आबसर्वर देश है।
	कजाखस्तान (एलमेटी) जून, 2006	मंत्री ने आर्थिक, ऊर्जा, सांस्कृतिक और आतंकवाद से लड़ने के लिए सहयोग से संबंधित कार्यों पर एससीओ में आबसर्वर के रूप में भारत की अधिक भागीदारी की मांग की। मंत्री ने एशिया में इंटरएक्शन एण्ड कानफिडेंस बिल्डिंग मशारस् पर आयोजित दूसरे शिखर सम्मेलन में भाग लेने के उद्देश्य से एलमेटी का दौरा किया। सम्मेलन में संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने पहचाने गए क्षेत्रों जैसे ऊर्जा सुरक्षा, परिवहन निर्माण और विकास तथा दूर-संचार नेटवर्क और गैस पाइपलाइनों में संभावित सहयोग की परिकल्पना को अभिस्वीकृत किया।
8.	आस्ट्रिया (वियना) तथा यू.के (लंदन) सितम्बर, 2006	मंत्री ने तीसरे ओपेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए वियना और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जज बिजनेस स्कूल में कारोबारी संभावनाओं और मध्य यूरेशिया में भू-राजनैतिक पर आयोजित पांचवे वार्षिक यूरेशिया सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन का दौरा किया। उच्च पेट्रोलियम मूल्यों से संबंधित भारत की चिंताओं का पक्ष मंत्री ने रखा, उन्होंने उत्पादक और उपभोक्ता देशों के बीच बातचीत और सहयोग की आवश्यकता को भी प्रोन्नत किया।
9.	रूस (मास्को) अक्टूबर, 2006	मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सप्ताह "मास्को एनर्जी डायलॉग" के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए मास्को का दौरा किया।

1	2	3
		वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा उपलब्ध कराने के क्षेत्र में जी–8 शिखर वार्ता, 2006 में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन के निष्कर्षों और साधनों पर चर्चा की गई। हाइड्रोकार्बनों के क्षेत्र में भारत और रूस के बीच पारस्परिक सहयोग के विकास के लिए भारतीय और रूसी अधिकारियों के बीच द्वि–पक्षीय बैठकों के लिए भी अवसर का सदुपयोग किया गया।
10.	चीन (बीजिंग) दिसम्बर, 2006	मंत्री ने पांच प्रमुख तेल उपभोक्ता देशों (संयुक्त राज्य अमेरिका/चीन/कोरिया गणराज्य/जापान/भारत) के ऊर्जा मंत्रियों की शिखर वार्ता में भाग लेने के लिए बीजिंग का दौरा किया। मंत्री के गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने से चार प्रमुख तेल उपभोक्ता देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, कोरिया गणराज्य, जापान के साथ चर्चा का एक अवसर उपलब्ध हुआ। गोल मेज सम्मेलन से अलग, तीसरे देशों में अन्वेषण और उत्पादन के लिए संयुक्त प्रयासों के क्षेत्र में सहयोग के लिए चीन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। मंत्री ने इन देशों के साथ द्वि–पक्षीय बातचीत भी की थी।
11.	लीबिया और यमन जनवरी–फरवरी, 2007	मंत्री ने लीबिया और यमन के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में भारत की उपस्थिति बढ़ाने के लिए लीबिया और यमन का दौरा किया।
12.	सीरिया, अल्जेरिया, मिश्र और ईरान (अप्रैल, 2007)	इन देशों में साथ हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में द्वि–पक्षीय और पारस्परिक सहयोग बढ़ाने के लिए के लिए मंत्री के साथ इन देशों में गया प्रतिनिधिमंडल का दौरा अत्यंत महत्वपूर्ण रहा।
13.	सऊदी अरब (रियाद) मई, 2007	तेल और गैस अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय सहयोग पर एशिया मंत्रियों की दूसरी गोल मेज बैठक में भाग लिया। एशिया के सभी प्रमुख तेल उत्पादक तथा उपभोक्ता देशों ने बैठक में भाग लिया। मंत्री ने ईराक और कुवैत के प्रतिस्थानियों के साथ द्वि–पक्षीय बातचीत की ताकि इन देशों से कच्चे तेल की बाधा रहित आपूर्ति तथा इन देशों के अनुसंधान व विकास कार्यों में सहयोग का भी प्रस्ताव किया। गोल मेज को सम्बोधित करते समय, मंत्री ने ऊर्जा सुरक्षा का मुद्दा उठाया और हाइड्रोकार्बनों के इष्टतम अन्वेषणों, क्षेत्रीय तेल और गैस परिवहन बुनियादी सुविधा के संवर्धन, परिशोधन बुनियादी सुविधा के आधुनिकीकरण और विस्तार तथा जानकारी और ज्ञान के आदान–प्रदान और विकास के लिए अपील की।
14.	फ्रांस, पेरिस 31 मई से 01 जून, 2007	यूनेस्को मुख्यालय पेरिस में विश्व के बदलते परिवेश में ऊर्जा पर मंत्रालयीन सम्मेलन को सम्बोधित किया, सम्मेलन से हटकर, मंत्री ने रूस के ऊर्जा मंत्री और सूडान के ऊर्जा मंत्री के साथ अलग–अलग से बैठक की थी तथा रूस और सूडान में भारतीय तेल और गैस कंपनियों के हित पर चर्चा की।
15.	बीशकेक (किर्गिस्तान) अगस्त, 2007	मंत्री ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (एससीओ) की 7वीं शिखर वार्ता में भाग लेने के लिए प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई करते हुए बीशकेक का दौरा किया। भारत एससीओ में एक आबसर्वर देश है। मंत्री ने आर्थिक विकास और प्रौद्योगिकीय प्रगति के लिए इसके अनुभव और विशेषज्ञता के आदान प्रदान द्वारा एससीओके उन विविध प्रकार के कार्यों में प्रेक्षक के रूप में भारत की अधिक भागीदारी की मांग की, जो क्षेत्र की सामाजिक–आर्थिक प्रगति और विकास के लिए प्रासंगिक हैं।

[अनुवाद]

गुरु-ता-गद्दी की त्रिशताब्दी

3183. श्री सुखदेव सिंह ढींडसा : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को 2008 में सचखंड साहिब गुरुद्वारा, नांदेड़ में होने वाले 'गुर–ता–गद्दी' समारोह की त्रिशताब्दी के लिए वित्तीय सहायता हेतु महाराष्ट्र सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो योजनाओं का ब्यौरा क्या है और महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता मांगी गई है; और

(ग) इस अनुरोध पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ग) महाराष्ट्र राज्य सरकार ने नांदेड़ में गुर–ता–गद्दी की त्रिशताब्दी मनाने के लिए 817 करोड़ रुपए की कुल लागत (संशोधन पूर्व) से अनेक परियोजनाओं और कार्यक्रमों, की योजना तैयार की है। इन परियोजनाओं का, मुख्यरूप से भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन, नांदेड़, वाघला शहरी नगर निगम, महाराष्ट्र राज्य सरकार आदि के सहयोग से वित्त पोषण किया जा रहा है। महत्वपूर्ण घटकों में (i) शहर के बुनियादी ढांचे का विकास; (ii) गुरूद्वारा से संबंधित विकास कार्य; और (iii) समारोह संबंधी बुनियादी ढांचा विकास शामिल हैं।

भारत सरकार ने श्री शिवराज वी. पाटिल, गृह मंत्री की अध्यक्षता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की सह–अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति भी गठित की है, जो 2008 में नांदेड़ में आयोजित होने वाले गुर–ता–गद्दी आयोजन से संबंधित नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों का अनुमोदन करेगी तथा समारोह का पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन करेगी।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में आमान परिवर्तन

3184. श्री तूफानी सरोज : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में अभी तक उपयोग में लाई जा रही संकरी लाइन/मीटर लाइन रेल पटरियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) संकरी लाइन/मीटर लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तन संबंधी कार्य को आरंभ किए जाने तथा उसे पूरा करने के लिए खंड–वार क्या समय–सीमा निर्धारित की गयी है; और

(ग) इस परियोजना पर कितना व्यय होने का अनुमान है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) उत्तर प्रदेश में लगभग 1470 कि.मी. मीटर आमान/छोटी आमान लाइनें मौजूद हैं और उपयोग में लायी जा रही हैं। इनमें से, केवल 2.60 कि.मी. छोटी लाइन है तथा बकाया मीटर लाइन है।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली चालू आमान परिवर्तन परियोजनाएं और उनकी प्रत्याशित लागत, लक्ष्य जहां कहीं निर्धारित किए गए हैं, निम्नानुसार हैं :–

क्र.सं.	खंड का नाम	बजट में शामिल करने का वर्ष	कि.मी.	लागत (करोड़ रु. में)	लक्ष्य जहां कहीं निर्धारित किए गए हैं
1.	औंडिहार–जौनपुर	2003–04	50.60	85.75	–
2.	भोजीपुर–पीलीभीत–टनकपुर	2007–08	101.79	145.00	–
3.	गोंडा–बहराइच	1997–98	60.00	73.42	–
4.	आनंदपुर–नौतनवां के साथ गोंडा–गोरखपुर लूप	1997–98	260.00	381.17	आनंदपुर–नौतनवां के साथ गोरखपुर लूप 2008–09
5.	कानपुर–कासगंज तथा मथुरा–बरेली और बरेली और बरेली–लालकुंआ	1997–98	545.00	661.72	कानपुर–फर्रुखाबाद–कासगंज पूरा किया गया। कासगंज–मथुरा को 2007–08 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
6.	कप्तानगंज–थावे–सीवान–छपरा	1999–2000	233.50	325.1	सीवान–थावे 28.5 कि.मी. पूरा किया गया।
7.	मथुरा–अछनेरा	1995–96	35.00	33.67	–

कंप्यूटरीकृत रेलवे आरक्षण सुविधा

3185. श्री श्रीचन्द कृपलानी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन रेलवे स्टेशनों का ब्यौरा क्या है जहां अभी तक कंप्यूटरीकृत रेलवे आरक्षण सुविधा उपलब्ध नहीं करायी गयी है; और

(ख) इन स्टेशनों पर कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा प्रदान करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कार्य योजना तैयार की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) भारतीय रेल पर विभिन्न कोटियों के लगभग 8000 स्टेशन हैं। कंप्यूटरीकृत आरक्षण की सुविधा 1100 रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध है।

(ख) कंप्यूटरीकृत आरक्षण की सुविधा की व्यवस्था को अन्य 1150 स्टेशनों पर अनुमोदित किया गया है। शेष स्टेशन मौजूदा सरकारी नीति के अनुसार कंप्यूटरीकृत आरक्षण के व्यवस्था के लिए अर्हक नहीं है।

[अनुवाद]

हैदराबाद से इंडियन एयरलाइंस की उड़ानें

3186. श्री किन्जरपु येरननायडु : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार हैदराबाद विमानपत्तन से प्रचालित होने वाली इंडियन एयरलाइंस (आई.ए.) की उड़ानों का ब्यौरा क्या है और ये उड़ानें किन मार्गों पर चल रही हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार हैदराबाद से दिल्ली तथा अन्य महानगरीय शहरों के लिए और सीधी उड़ानें शुरू करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) भारतीय राष्ट्रीय विमानन कंपनी, जिसमें इंडियन एयरलाइंस विलयित हुई है वर्तमान में दिल्ली–हैदराबाद–दिल्ली सेक्टर पर प्रति सप्ताह 14 उड़ानें, दिल्ली–हैदराबाद–तिरूपति तथा वापसी, विजाग–हैदराबाद–विजाग तथा हैदराबाद–बंगलौर–हैदराबाद पर प्रति सप्ताह 7 उड़ानें, चेन्नई–हैदराबाद–चेन्नई पर प्रति सप्ताह 21 उड़ानें, हैदराबाद–पुणे–हैदराबाद के लिए प्रति सप्ताह 2 उड़ानें, ए–320 विमान से प्रचालित कर रही हैं तथा घरेलू क्षेत्र में ए–320/ए–319 विमान से मुम्बई हैदराबाद–मुम्बई सेक्टर पर प्रति सप्ताह 28 उड़ानें प्रचालित कर रही है।

भारतीय राष्ट्रीय विमानन कंपनी अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर ए–320 विमान से हैदराबाद–दुबई–हैदराबाद सेक्टर पर 14 उड़ानें, हैदराबाद–बंगलौर–शारजाह पर 4 उड़ानें, हैदराबाद–अहमदाबाद–शारजाह और हैदराबाद–बंगलौर–मस्कट पर प्रति सप्ताह 3 उड़ानें, पुणे–हैदराबाद–सिंगापुर, हैदराबाद–नागपुर–बैंकॉक तथा हैदराबाद– अहमदाबाद–कुवैत पर 2 उड़ानें, हैदराबाद–सिंगापुर–हैदराबाद पर 1 उड़ान प्रचालित कर रही है।

(ख) और (ग) अपने बेड़े में अतिरिक्त विमानों को शामिल करने के साथ भारतीय राष्ट्रीय विमानन कंपनी हैदराबाद से मेट्रो शहरों के लिए/से अपने प्रचालन बढ़ाने की योजना बना रही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गोरखपुर-लखनऊ रेलवे का दोहरीकरण

3187. योगी आदित्यनाथ : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने उत्तर–पूर्व रेलवे के अंतर्गत गोरखपुर–लखनऊ रेल लाइन के दोहरीकरण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना पर कितना व्यय होने का अनुमान है;

(घ) इस प्रयोजनार्थ अभी तक कितनी राशि स्वीकृत एवं जारी की गई है; और

(ङ) उक्त कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) गोरखपुर–लखनऊ मार्ग पर, लखनऊ से बाराबंकी खंड पर एक दोहरी लाइन पहले से ही मौजूद है तथा बाराबंकी–गोरखपुर दोहरीकरण कार्य का बकाया भाग टुकड़ों में शुरू किया गया है। विवरण निम्नानुसार है :–

क्रम सं.	परियोजना का नाम	प्रत्याशित लागत	मार्च 07 तक व्यय	परिव्यय 2007–08	स्थिति तथा लक्ष्य जहां कहीं निर्धारित किया गया है
1	2	3	4	5	6
1.	बभनन–मानकपुर (30.15 कि.मी.)	62.89	21	45	मिट्टी डालने, पुल संबंधी कार्य पूरा किया गया है। 2007–08 में पूरा करने का लक्ष्य।
2.	बाराबंकी–बुढ़वाल (39 कि.मी.)	73.22	0	1	नए कार्य को बजट, 2007–08 में शामिल किया गया है तथा प्रारंभिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि कार्य शुरू किया जा सके।

1	2	3	4	5	6
3.	घाघराघाट–चौकाघाट (5.63 कि.मी.)	91.19	5	31	मिट्टी डालने, पुल संबंधी कार्य के लिए निविदा पर कार्रवाई की जा रही है। 2008–09 के दौरान पूरा करने की संभावना।
4.	गोरखपुर–सहजनवां (17.3 कि.मी.)	69.8	53	27	गोरखपुर–डोमिनगढ़ (06 कि.मी.) पूरा किया गया। डोमिनगढ़–सहजनवां (11.07 कि.मी.) को 2007–08 में पूरा करने का लक्ष्य।
5.	मुंडेरवा–बभनन (45.25 कि.मी.)	102.1	15	60	मिट्टी डालने, पुल संबंधी कार्य इत्यादि शुरू किए गए हैं।
6.	सहजनवां–मुंडेरवा टुकड़ों में दोहरीकरण (32.19 कि.मी.)	80.95	10	50	मिट्टी डालने, छोटे पुलों का कार्य पूरा किया गया है। सहजनवां से खलीलाबाद तक परियोजना का भाग (17 कि.मी.) को 2007–08 में पूरा करने का लक्ष्य है।

[अनुवाद]

राज्यों में हेलीकॉप्टर सेवाएं

3188. **डा. टोकचोम मैन्या :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उत्तर–पूर्वी राज्यों विशेषकर नागालैण्ड को अपने राज्यों में हेलीकॉप्टर सेवाओं के संचालन के लिए अनुमति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा तत्संबंधी प्रक्रिया विधि क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार हेलीकॉप्टर सेवा का विस्तार देश के अन्य भागों में भी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (घ) सरकार ने निर्णय लिया है कि अन्य पूर्वोत्तर राज्यों को राज्य सहायता देने के पैटर्न के अनुरूप गृह मंत्रालय द्वारा नागालैण्ड सरकार को हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रचालित किए जाने के लिए राज्य सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस समय पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लि. द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा तथा सिक्किम, जबकि मैसर्ज जैग्सन एयरलाइंस द्वारा केवल अरुणाचल प्रदेश में हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रचालित की जा रही हैं।

पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लि. राज्य सरकार, सरकारी एजेंसियों/निजी पार्टियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार वेट लीज आधार पर हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराता है।

पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लि. ने हेलीकॉप्टर सेवा प्रचालित करने के लिए नागालैण्ड सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। सरकार ने विभिन्न निजी कंपनियों को उनकी व्यापार योजनाओं के अनुसार देश में हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रचालित करने के लिए गैर–अनुसूचित प्रचालक परमिट जारी किए हैं।

लांगीगढ़ से जूनागढ़ के बीच नई रेल लाइन

3189. **श्री बिक्रम केशरी देव :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालाहांडी जिले में लांगीगढ़ रोड से जूनागढ़ तक एक बड़ी रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की कुल लागत कितनी है और इस परियोजना को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या रेलवे ने पूर्व तटीय रेलवे जोन के अंतर्गत जूनागढ़ से अम्बागुडा तक रेलवे लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) निर्माण कार्य कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) लांजीगढ़ रोड–जूनागढ़ (56 कि.मी.) नई लाइन परियोजना की नवीनतम स्वीकृत लागत 142.98 करोड़ रु. है। लांजीगढ़–भवानीपटना (31 कि.मी.) खंड को 2008–09 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।

(ग) और (घ) विगत में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि परियोजना स्वीकृत नहीं है।

[हिन्दी]

सीमाशुल्क मुक्त दुकानें

3190. श्री काशीराम राणा :
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
श्री एस.के. खारवेन्थन :
क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पर्यटन विकास निगम (आई.टी.डी.सी.) द्वारा सीमाशुल्क मुक्त दुकानों की स्थापना के माध्यम से प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) आई.टी.डी.सी. द्वारा राज्य–वार किन–किन स्थानों पर सीमाशुल्क मुक्त दुकानों की स्थापना की जा चुकी है;

(ग) क्या विशेष आर्थिक क्षेत्रों, समुद्री पत्तनों और विमानपत्तनों पर सीमाशुल्क मुक्त दुकानों की स्थापना की आई.टी.डी.सी. की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो इसके लिए किन स्थानों की पहचान की गई है;

(ङ) इन दुकानों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है; और

(च) इन सीमाशुल्क मुक्त दुकानों पर बेचे जाने वाले उत्पादों का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) आई.टी.डी.सी. की सीमाशुल्क मुक्त दुकानों का उद्देश्य हथकरघा, हस्तशिल्प की वस्तुएं और आयातित आम सामान की बिक्री करना है।

(ख) वर्तमान में आई.टी.डी.सी. निम्नलिखित स्थानों में विमानपत्तनों पर सीमाशुल्क मुक्त दुकानें चला रहा है :–

1. मुंबई (महाराष्ट्र)
2. बंगलौर (कर्नाटक)
3. कालीकट (केरल)
4. गोवा

(ग) से (च) विशेष आर्थिक क्षेत्रों तथा समुद्री पत्तनों पर सीमाशुल्क मुक्त दुकानें खोलना, अपेक्षित जगह प्राप्त करने हेतु संबंधित प्राधिकरणों के साथ बातचीत के प्रारंभिक चरण में हैं।

[अनुवाद]

रेलवे द्वारा भूमि का अर्जन

3191. श्री अनिल बसु : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत हावड़ा–आम्टा–चम्पाडांगा बड़ी लाइन के बड़गछिया चम्पाडांगा खंड के लिए भूमि के अर्जन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) भूमि अर्जन की कुल लागत कितनी है;

(ग) क्या भूमि अर्जन की लागत का वहन रेलवे द्वारा किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) आंशिक लंबाई के लिए भूमि संबंधी कागजात राज्य प्राधिकरणों के पास जमा करा दिए गए हैं। भूमि अभी तक राज्य सरकार से प्राप्त की जानी है।

(ख) संदर्भाधीन भूमि की कुल लागत का आकलन नहीं किया गया है क्योंकि भूमि की लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) राज्य सरकार ने भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराने की वचनबद्धता दी है।

भारतीय रेलवे की राष्ट्रीय परिसंघ

3192. श्री मोहन रावले : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे की राष्ट्रीय परिसंघ तथा केन्द्र सरकार के बीच कोई बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो बैठक में किन बिंदुओं पर चर्चा हुई;

(ग) परिसंघ की प्रमुख मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) प्रत्येक वर्ष में स्थाई वार्ता तंत्र की 2 बैठक एन एफ आई आर (नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन) और ए आई आर एफ (अखिल भारतीय रेलवे

कर्मचारी संघ) के साथ अलग–अलग और एन एफ आई आर एवं ए आई एफ दोनों के साथ दो डी सी जे सी, एम (विभागीय परिषद, संयुक्त परामर्श तंत्र) आयोजित की जानी निर्धारित है। पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान एन एफ आई आर और डी सी, जे सी एम के साथ बैठकें आयोजित की गयी थीं। इस कैलेंडर वर्ष के दौरान एक डी सी जे सी एम बैठक पहले ही आयोजित हो चुकी है। एन एफ आई आर के साथ पी एन एम की आगामी बैठक 17 एवं 18 सितंबर, 2007 को निर्धारित की गयी है। विभिन सेवा मामलों, विशेषकर वेतनमान, भत्ते, वरीयता, पदोन्नतियां, कल्याण संबंधी गतिविधियां, चिकित्सा सेवाएं/स्वास्थ्य संबंधी देखभाल, रेलवे कालोनियों का रख–रखाव और क्वार्टर आदि से संबंधित पुरानी मदों सहित प्रत्येक बैठक में 30 नई मदों पर विचार–विमर्श किया जाता है और बैठक में लिए गए निर्णय पर कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

निःशक्त व्यक्तियों को निःशुल्क रेल यात्रा सुविधा

3193. श्री चन्द्रभान सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने रेल दुर्घटनाओं में निःशक्त हुए व्यक्तियों के लिए निःशुक्ल रेल यात्रा सुविधा के लिए प्रावधान किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त सुविधा अभी तक कितने व्यक्तियों को पदान की गयी है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या रेलवे ऐसी सुविधा प्रदान करने पर विचार कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

होसपेट और कोंकण रेलवे लाइन का दोहरीकरण

3194. श्री के. विरूपाक्षप्पा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) होसपेट और कोंकण रेलवे के बीच रेलवे लाइन के दोहरीकरण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस परियोजना पर कार्य के निष्पादन में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस परियोजना पर कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) हास्पेट–हुबली–लोंडा–वास्को–डी–गामा (342.22 कि.मी.) के दोहरीकरण के लिए एक सर्वेक्षण कार्य रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा पूरा किया गया है। सर्वेक्षण रिर्पोट के अनुसार इस लाइन के दोहरीकरण की लागत 1837.95 करोड़ रु. आंकी गयी है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि कार्य स्वीकृत नहीं है।

ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीनें

3195. श्री एन. जनार्दन रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में किन–किन रेलवे स्टेशनों पर ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीनों को संस्थापित किया गया है और किन–किन रेलवे स्टेशनों पर ये मशीनें कार्य कर रही हैं;

(ख) देश के सभी रेलवे स्टेशनों पर इन मशीनों को कब तक संस्थापित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार स्मार्ट कार्ड शुरू करने विशेषकर मध्य तथा पश्चिम रेलवे में उप–नगरीय खंडों में स्मार्ट कार्ड शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह योजना कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) भारतीय रेलों पर अभी आटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन (एटीवीएम), यात्रा टिकटों के संवितरण के लिए संस्थापित नहीं किए गए हैं। बहरहाल, प्लेटफार्म टिकट वेंडिंग मशीन, भारतीय रेलों पर पटना, मुज्जफरपुर, गया, बंगलौर सिटी, बंगलौर कैंट, मैसूर, यशवंतपुर और कृष्णराजपुरम स्टेशनों पर संस्थापित किए गए हैं।

(ख) लगभग 1400 स्थानों पर लगभग 6000 एटीवीएम का प्रावधान करना स्वीकृत किया गया है। पायलट परियोजना का कार्यान्वयन सफल रहने पर इन्हें 'सार्वजनिक निजी भागीदारी' के माध्यम से संस्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ग) से (ङ) जी हां। वर्ष 2007 के अंत तक मध्य और पश्चिम रेलों पर मुंबई क्षेत्र में उपनगरीय स्टेशनों पर लगभग 300 स्मार्ट कार्ड आधारित एटीवीएम संस्थापित करने की एक पायलट परियोजना शुरू की जायेगी।

राष्ट्रीय धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यक आयोग (एन.सी.आर.एल.एम.) की सिफारिश

3196. श्री फ्रांसिस फैन्थम : क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यक आयोग ने संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1951 में संशोधन की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(घ) सरकार द्वारा इस सिफारिश का क्रियान्वयन कब तक किया जाएगा?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए. आर. अन्तुले) : (क) से (घ) यह सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

पर्यटन उद्योग की प्रगति

3197. श्री पन्नियन रवीन्द्रन : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान देश में पर्यटन उद्योग की प्रगति की क्या स्थिति है;

(ख) देश में पर्यटन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस क्षेत्र में कुशल जनशक्ति प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण देने के लिए देश में नए संस्थानों/प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) वर्ष 2002 के दौरान विदेशी पर्यटक आगमन 2.38 मिलियन था और यह वर्ष 2006 में बढ़कर 4.45 मिलियन हो गया।

(ख) वर्तमान में केन्द्र द्वारा प्रायोजित 21, राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित 5 होटल प्रबंध संस्थान तथा केन्द्र और राज्य सकरारों द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित 6 भोजन कला संस्थान हैं। भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान, ग्वालियर, भुवनेश्वर तथा नोएडा में स्थित अपने केन्द्रों के साथ मिलकर यात्रा व्यवसाय में प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसके अलावा देश में गैर-सरकारी संस्थान हैं जो कि आतिथ्य, यात्रा एवं पर्यटन शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।

(ग) और (घ) पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध की प्राप्ति पर आवश्यकता आधारित होटल प्रबंध संस्थानों के गठन में सहायता करता है।

रेलवे द्वारा अर्जित लाभ

3198. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष चालू वित्तीय वर्ष के दौरान रेल बजट में मुनाफा दिखाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त लाभ का कितना प्रतिशत स्वच्छता दशाओं में सुधार एवं कोचों पर व्यय किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) रेलों ने चालू वर्ष में 'लाभांश के उपरांत 16082 करोड़ रुपये के अधिशेष रोकड़' का बजट दिया है। इस अधिशेष रोकड़ का रेलपथ तथा चल स्टॉक के संवर्धन तथा रेल अवसंरचना के बदलाव तथा नवीकरण करने के लिए वित्तपोषण के रूप में उपयोग किया जा रहा है।

(ग) और (घ) इस समय, सर्विस बिल्डिंगों (स्टेशन भवन सहित), रेलवे कॉलोनियों की स्वच्छता स्थिति में सुधार लाने तथा ग्रीन शौचालयों की व्यवस्था सहित सवारी डिब्बों की स्थिति में सुधार करने के लिए 50 लाख से अधिक की लागत वाले विभिन्न कार्यों के लिए लगभग 218 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया है। चालू वर्ष की योजना में, 23 करोड़ रुपए की राशि (अर्थात् उपरोक्त अधिशेष रोकड़ का 0.14%) इन कार्यों को करने के लिए प्रदान की गयी है। 50 लाख रुपए से कम के मूल्य के कार्य क्षेत्रीय रेलों द्वारा अपने अधिकार में कराए जा रहे हैं।

उपरोक्त के अलावा, सर्विस भवन (स्टेशनों सहित) आवासीय कॉलोनियों तथा कल्याण भवनों और सवारी डिब्बों की सफाई पर लगभग 800 करोड़ रुपए का खर्चा रेलों द्वारा संचालन व्यय से किया जाना है जो कि उपरोक्त अधिशेष के होने से पहले खर्च किया गया है।

वर्ष 2007 को 'सफाई वर्ष' मनाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। फ्रंटलाइन कर्मचारियों को लगभग एक वर्ष के कक्षा प्रशिक्षण के अलावा 'ऑन द जॉब कस्टमर केयर प्रशिक्षण' दिया जा रहा है।

भारतीय रेलों पर कुछ स्टेशनों को साफ गाड़ी स्टेशनों के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है। रेलें गाड़ियों में सफाई तथा स्वच्छता के मानकों में सुधार करने के साथ-साथ अनुरक्षण के दौरान डिपुओ में यांत्रिकीकृत सफाई व्यवस्था से रेकों की सफाई, जहां-कहीं

भी साफ गाड़ी स्टेशन चालू किए गए हैं, वहां पर मार्गवर्ती सफाई दूसरे छोर पर टर्मिनल पर रख–रखाव के दौरान सफाई, गाड़ियों में व्यापक कॉकरोच तथा चूहों का नियंत्रण आदि के लिए विशेष प्रयास कर रही है।

क्षतिपूर्ति दावों की धनराशि में संशोधन/वृद्धि

3199. श्री हरिभाऊ राठौड़ : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे रेल दुर्घटनाओं के पीड़ितों के दिए जाने वाली क्षतिपूर्ति दावों की धनराशि को संशोधित करने/बढ़ाने के बारे में विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्षतिपूर्ति दावों की धनराशि में संशोधन/वृद्धि नहीं करने के क्या कारण हैं और पिछली बार इसमें कब संशोधन किया गया था?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1 नवम्बर, 1997 से मृत्यु के मामले में मुआवजे की राशि को 2 लाख रु. से बढ़ा कर 4 लाख रु. कर दिया गया था। इसी प्रकार, चोट लगने के मामले में मुआवजे की न्यूनतम राशि 16,000 रु. से बढ़ा कर 32,000 रु. और अधिकतम राशि 2 लाख रु. से बढ़ाकर 4 लाख रु. कर दी गई थी। वर्तमान में, मुआवजे की दर को पर्याप्त समझा जाता है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों के छात्रों के मेरिट का उन्नयन

3200. श्री गणेश सिंह : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों के छात्रों के कौशल के विकास के लिए आशयित योजना के अंतर्गत 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए कितने पुरस्कार निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या राज्य सरकारों द्वारा जनसंख्या के अनुपात में पुरस्कारों की संख्या निर्धारित करने के संबंध में प्रस्ताव केन्द्र सरकार को अग्रेषित किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित पुरस्कारों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए योग्यता उन्नयन की केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए प्रत्येक हेतु कुल 1045 पुरस्कार निर्धारित किए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय विमान कंपनियों के लिए मानदण्ड एवं प्रोत्साहन

3201. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :
श्री जे.एम. आरून रशीद :
श्री हंसराज गं. अहीर :
श्री पी.एस. गढ़वी :
श्री एम. अप्पादुरई :
श्री अवतार सिंह भडाना :
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :
श्री अनन्त नायक :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने क्षेत्रीय विमान कंपनियों के लिए पृथक् मानदण्ड एवं प्रोत्साहन अधिसूचित किए हैं जिनका उद्देश्य सुदूर क्षेत्रों और छोटे शहरों को बेहतर हवाई संपर्क प्रदान करना है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी क्षेत्रीय विमान कंपनी ने सरकार के इस कदम में रुचि प्रदर्शित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन क्षेत्रीय विमान कंपनियों द्वारा किन शहरों को हवाई सेवाएं प्रदान किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या विमानन क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार के लिए मंत्रियों के समूह (जी.ओ.एम.) का गठन किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) मंत्रियों के समूह द्वारा अभी तक किन मुद्दों पर विचार किया गया है और क्या निर्णय लिए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) नागर विमानन महानिदेशालय ने अनुसूचित क्षेत्रीय विमान यातायात सेवा प्रचालित करने के लिए परमिटों के अनुदान हेतु न्यूनतम आवश्यकताओं को निर्धारित करने वाली नागर विमानन आवश्यकता,

खण्ड 3–विमान यातायात सीरिज सी भाग VIII दिनांक 23.8.2007 को जारी किया है।

अनुसूचित क्षेत्रीय एयरलाइनें प्राथमिक तौर पर नामित क्षेत्र में प्रचालित करेगी तथा इन्हें सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशा–निर्देश में दर्शाए गए बड़े मार्गों पर प्रचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ग) और (घ) दक्षिण क्षेत्र में क्षेत्रीय सेवाएं आरंभ करने के लिए तीन आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ङ) से (छ) मसौदा राष्ट्रीय नागर विमानन पॉलिसी अभी मंत्रियों के समूह के समक्ष विचाराधीन है।

एलपीजी ब्लास्ट परीक्षण इकाइयों की संस्थापना

3203. **श्री आलोक कुमार मेहता** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सभी जगह प्रत्येक एलपीजी बाटलिंग संयंत्र पर एलपीजी ब्लास्ट परीक्षण इकाइयां संस्थापित की जाती है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक एलपीजी ब्लास्ट परीक्षण इकाई की क्षमता कितनी है;

(ग) क्या इन एलपीजी ब्लास्ट परीक्षण इकाइयों की क्षमता पर्याप्त है और ये एलपीजी बॉटलिंग संयंत्रों की आवश्यकता को पूरा करती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ये सभी एलपीजी ब्लास्ट इकाइयां विहित मानदंडों का अनुपालन कर रही है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (च) जी नहीं। एलपीजी सिलेंडरों के जल परीक्षण समय–समय पर सांविधिक परीक्षक के परिसर में किए जाते हैं। सिलेंडर निर्माण के समय, निर्माताओं के परिसर में "फटन दाब" के लिए नमूना सिलेंडरों का भी परीक्षण किया जाता है। फटन परीक्षण एलपीजी भरण संयंत्रों में नहीं किया जाता है।

तेल विपणन कंपनियां एलपीजी सिलेंडर, उन सिलेंडर निर्माताओं से प्राप्त कर रही हैं, जिनको तेल उद्योग तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है और जिनके पास भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) एवं मुख्य नियंत्रक, विस्फोटक से वैध निर्माण लाइसेंस हैं। निर्माण प्रक्रिया में बीआईएस द्वारा सख्त नियंत्रण अपनाया जाता है। ओएमसीज द्वारा प्राप्त एलपीजी सिलेंडर अपेक्षित गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हैं।

क्रूज पर्यटन

3204. **श्री रायापति सांबासिवा राव** :
श्री एन. जनार्दन रेड्डी :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्रीमती प्रिया दत्त :
श्री के.एस. राव :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत तथा विदेश से क्रूज पर्यटकों को आकर्षित करने की योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्रूज पर्यटन के विकास हेतु अब तक चिन्हित पत्तनों के नाम क्या हैं;

(ग) इस परियोजना पर कितना व्यय आएगा;

(घ) इस उद्देश्य हेतु धनराशि किन स्रोतों से जुटाई जाएगी; और

(ङ) इसे कब तक विकसित किया जाएगा?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) पर्यटन मंत्रालय देश और विदेश में, अपने भारत पर्यटन कार्यालयों के माध्यम से ब्रोशरों, सीडीज और प्रचार प्रसार सामग्री के वितरण के माध्यम से क्रूज पर्यटन का संवर्धन करता है।

(ख) से (ङ) पोत परिवहन मंत्रालय की ड्राफ्ट क्रूज शिपिंग पॉलिसी में एक चरणबद्ध तरीके से बन्दरगाहों के विकास हेतु प्रावधान है।

ऑफसेट पॉलिसी

3205. **श्रीमती निवेदिता माने** :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की ऑफसेट पॉलिसी अपतटीय उड्डयन सौदों को देश में लाएगी जैसाकि 9 अगस्त, 2007 के द टाइम्स ऑफ इंडिया में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या है;

(ग) क्या इस नीति से घरेलू उद्योगों को लाभ पहुंचेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस नीति के अंतर्गत देश में कितनी राशि लायी जाएगी; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (च) सूचना एकत्रित की जा रही है।

तुर्कमेनिस्तान-अफगान-पाकिस्तान गैस पाइपलाइन समझौता

3206. श्री बसुदेव आचार्य :

श्री मणी कुमार सुब्बा :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित गैस पाइपलाइन के संबंध में ईरान द्वारा अपनाए गए कड़े रुख के मद्देनजर सरकार ने भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तुर्कमेनिस्तान-अफगान-पाकिस्तान (टैप) गैस पाइपलाइन परियोजना में शामिल होने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो टैप के माध्यम से गैस की खरीद की अद्यतन संभावना कितनी है; और

(ग) इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ग) सरकार देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि करने हेतु राष्ट्रपार गैस पाइपलाइनों के माध्यम से ईरान और तुर्कमेनिस्तान से प्राकृतिक गैस के आयात का प्रयास कर रही है। ईरान से प्राकृतिक गैस के आयात के बारे में प्रतिभागी देशों के बीच विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जा रही है।

तुर्कमेनिस्तान से प्राकृतिक गैस के आयात के संबंध में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री के नेतृत्व वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने "प्रेक्षक" के रूप में तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान (टीएपी) परियोजना की 9वीं संचालन समिति की बैठक में भाग लेने के लिए 14 और 15 फरवरी 2006 उको अश्गाबात, तुर्कमेनिस्तान की यात्रा की। संचालन समिति ने परियोजना का आधिकारिक सदस्य बनने के लिए भारत को आमंत्रित किया। बाद में मई 2006 में सरकार का सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरकारों के साथ परियोजना में भाग लेने के लिए भारत का अनुरोध उपयुक्त रूप से उठाने के लिए जून 2006 में एशियाई विकास बैंक (एडीबी), परियोजना के मुख्य विकास भागीदार, के साथ मामला उठाया गया। पहले तकनीकी कार्य समूह की 17-18 अप्रैल 2007 को आश्गाबात में आयोजित बैठक में गैस भंडारों, गैस की उपलब्धता, मूल्य निर्धारण संरचना, गैस बिक्री और खरीद करार, ढांचा और अंतर सरकारी करार और तकनीकी सहायता परामर्शदाता (पीईएनएसपीईएन, यूके) द्वारा व्यवहार्यता पूर्व अध्ययन के उन्नयन की आवश्यकता वाले मुख्य पहलुओं पर चर्चा की गई। एडीबी ने भारत को आधिकारिक सदस्य-के रूप में सम्मिलित करने के लिए मसौदा ढांचा करार भी परिचालित किया है।

[हिन्दी]

गेल (इंडिया) लिमिटेड का लाभांश

3207. श्री रामजीलाल सुमन :

डा. चिन्ता मोहन :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2007-08 की पहली तिमाही के दौरान भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल) का लाभांश कितना है;

(ख) वर्ष 2006-07 की पहली तिमाही की तुलना में उक्त अवधि के दौरान गेल (इंडिया) लिमिटेड की बिक्री वृद्धि का प्रतिशत कितना है; और

(ग) बिक्री तथा लाभांश वृद्धि में भारी अंतर के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) गेल द्वारा वर्ष 2007-08 की पहली तिमाही के दौरान कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया है।

(ख) वर्ष 2006-07 की पहली तिमाही की तुलना में वर्ष 2007-08 की उसी अवधि में बिक्री (शुद्ध उत्पाद शुल्क) में 4% तक की बढ़ोतरी हुई थी।

(ग) ऊपर (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कांडला-पालनपुर मार्ग

3208. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और मुम्बई के बीच समर्पित फ्रेट कोरिडोर के रूप में कांडला से पालनपुर के बीच के मार्ग को परिवर्तित करने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मार्ग पर डबल स्टैक कंटेनर व्यवस्था के साथ विद्युतीकरण किया जाना तकनीकी रूप से संभव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या देश के किसी अन्य भाग में ऐसी डबल स्टैक सुविधा कराए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी नहीं। बहरहाल, कांडला–पालनपुर की पश्चिमी समर्पित माल यातायात गलियारा के लिए "फीडर मार्ग" के रूप में पहचान की गई है।

(ग) और (घ) बिजली कर्षण के तहत 9½ फीट के आई एस ओ (अन्तर्राष्ट्रीय मानक संगठन) का उपयोग करके सपाट किस्म के माल डिब्बों सहित डबल स्टेक कंटेनर गाड़ियों के चालन की तकनीकी व्यावहारिक का अध्ययन किया जा रहा है।

(ङ) और (च) जी हां। भारतीय रेल ने जयपुर पीपावाट पोर्ट/मुन्दड़ा पोर्ट के बीच डीजल मार्ग पर डबल स्टेक कंटेनर गाड़ियां चलाना शुरू कर दिया है। गुड़गांव–रेवाड़ी–अलवर–मथुरा–तुगलकाबाद खण्ड पर विद्युतीकृत/गैर विद्युतीकृत मार्ग के तहत गैर आई एस ओ आकार के डबल स्टेक कंटेनरों की गाड़ियों को चलाने के लिए परीक्षण किए गए हैं। इसके अलावा, डबल स्टेक आई एस ओ हाई क्यूब कंटेनरों की गाड़ियां चलाने के लिए जाखपुरा–दैतारी खण्ड, जिसका विद्युतीकरण निर्धारित है, की पहचान की गई है।

एचएएल विमानपत्तन

3209. श्री एम शिवन्ना :

श्री ई.जी. सुगावनम :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देवनहल्ली में बैंगलोर अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के निर्माण के कारण बैंगलोर स्थित हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) विमानपत्तन बंद होने जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने गत कुछ वर्षों में विमान यातायात में भारी बढ़ोतरी तथा उड्डयन विकास का और एचएएल विमानपत्तन के प्रस्तावित बंदी के कारण विमान यातायात में संभावित भीड़भाड़ का जायजा लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी हां। बैंगलोर के देवनहल्ली नामक स्थान पर एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने का प्रस्ताव पर विचार करते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया था कि नए एयरपोर्ट के प्रचालन में आने के बाद, मौजूदा हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड एयरपोर्ट को व्यावसायिक प्रचालन के लिए बन्द कर दिया जाएगा।

(ग) और (घ) जी हां। बैंगलोर अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लिमिटेड ने हाल ही में यातायात का पुनः पूर्वानुमान लगाया है और इस पूर्वानुमान के आधार पर प्रथम चरण में, देवनहल्ली स्थित नए बैंगलौर अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को वर्ष 2015 के लिए यातायात संभालने के लिए डिजाइन किया गया है।

अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति योजनाएं

3210. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों (एससी) तथा अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के विद्यार्थियों के लिए सरकार द्वारा वर्तमान में क्रियान्वित की जा रही छात्रवृत्ति योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजनाओं के अंतर्गत विद्यार्थियों के चयन के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(ग) वर्ष 2006–07 और 2007–08 के दौरान आबंटित और जारी केन्द्रीय सहायता का योजना–वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 2006–07 के दौरान छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत जारी केन्द्रीय सहायता का राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों/प्रशासनों द्वारा उपयोग का योजना–वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 2006–07 और 2007–08 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार तथा योजना–वार कितने छात्र लाभान्वित हुए हैं/लाभान्वित होंगे?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, उच्चतर अध्ययन के लिए अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु राजीव गांधी अध्येतावृत्ति और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की योग्यता में उन्नयन की योजना, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना और अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर तथा मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

(ख) अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत उन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है जिनके माता–पिता/अभिभावकों की सभी स्रोतों से आय प्रति वर्ष 1 लाख रुपए से अधिक न हो। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति की योजना के अंतर्गत

अनुसूचित जाति की श्रेणी से संबंधित कोई विद्यार्थी जिसे अपेक्षित औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद किसी विश्वविद्यालय तथा शैक्षणिक संस्थन में एम.फिल/पी.एच.डी. डिग्री में प्रवेश दिया गया है, अध्येतावृत्ति प्रदान किए जाने हेतु पात्र होगा। अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत, आवेदक की आयु योजना के विज्ञापन के माह के पहले दिवस को 35 वर्ष से कम होनी चाहिए और नियोजित उम्मीदवार अथवा उसके माता-पिता/अभिभावक की सभी स्रोतों से कुल आय प्रति माह 25,000 रुपए से अधिक नहीं होगी। पी एच डी पाठ्यक्रम के लिए आवेदक को संबद्ध स्नातकोत्तर डिग्री में प्रथम श्रेणी अथवा 60% अंक अथवा समकक्ष ग्रेड प्राप्त होना चाहिए। स्नातकोत्तर डिग्री के लिए संबद्ध स्नातक डिग्री में प्रथम श्रेणी अथवा 60% अंक अथवा समकक्ष ग्रेड प्राप्त होना चाहिए। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के मामले में ऐसे विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं जिन्होंने अधिसूचित संस्थानों में उनके द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार प्रवेश लिया और जिनकी कुल पारिवारिक आय 2 लाख रुपए प्रति वर्ष तक है और अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर तथा मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत ऐसे विद्यार्थी पात्र हैं जिनके माता-पिता/अभिभावकों की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 44,500 रुपए से अधिक नहीं है।

(ग) से (ङ) संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरे के अनुसार।

विवरण

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 2006-07 और 2007-08 के दौरान जारी की गई राज्य-वार केन्द्रीय सहायता, उपयोग में लाई गई केन्द्रीय सहायता और कवर किए गए

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2006-07			2007-08	
		मैट्रिकोत्तर			मैट्रिकोत्तर	
		जारी राशि	उपयोग की गई निधि	कवर किए गए लाभार्थी	जारी राशि #	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	6255.74	प्राप्त नहीं	414537	1326.00	अधिकांश राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने 2007-08 के लिए केन्द्रीय सहायता जारी करने के लिए अपने प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए हैं।
2.	बिहार	1892.74	प्राप्त नहीं	37425		
3.	छत्तीसगढ़	734.00	734.00	42503		
4.	दिल्ली	0.00		443		
5.	गोवा	19.29	11.45	190		
6.	गुजरात	1432.67	1175.35	76713		
7.	हरियाणा	733.86	प्राप्त नहीं	18812	13.00	
8.	हिमाचल प्रदेश	99.29	प्राप्त नहीं	7417		
9.	जम्मू-कश्मीर	173.64	प्राप्त नहीं	12839		
10.	झारखंड	0.00		14600		
11.	कर्नाटक	5142.22	5142.22	186659	1348.00	
12.	केरल	2965.14	प्राप्त नहीं	91146	851.00	
13.	मध्य प्रदेश	2827.98	प्राप्त नहीं	114539	123.00	
14.	महाराष्ट्र	4356.86	प्राप्त नहीं	334441	1255.00	

1	2	3	4	5	6	7
15.	उड़ीसा	1739.68	प्राप्त नहीं	43313		
16.	पंजाब	1091.50	प्राप्त नहीं	60612		
17.	राजस्थान	3804.48	प्राप्त नहीं	140923	770.00	
18.	तमिलनाडु	3233.97	प्राप्त नहीं	374374	928.00	
19.	उत्तर प्रदेश	11034.58	11034.58	684329	3567.00	
20.	उत्तरांचल	555.47	प्राप्त नहीं	33025		
21.	पश्चिम बंगाल	3534.42	3338.39	230415		
22.	दादरा और नगर हवेली	0.00				
23.	दमन और दीव	2.23	2.21	लागू नहीं		
24.	पांडिचेरी	145.44	145.44	2519	2.00	
25.	असम	374.86	339.68	21600		
26.	मणिपुर	139.32	131.97	3184		
27.	मेघालय	1.62	प्राप्त नहीं	1554		
28.	त्रिपुरा	307.17	307.17	10372		
29.	सिक्किम	4.48	प्राप्त नहीं	258		

प्रत्याशित आंकडे, # 2006-07 के लिए बकाया राशि के रूप में जारी की गई केन्द्रीय सहायता।

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की योग्यता के उन्नयन की केन्द्रीय योजना के अंतर्गत जारी किया गया सहायता अनुदान और लाभार्थियों की संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2006-07			2007-08	
		राशि (लाख रुपए में)	उपयोग की गई राशि	लाभार्थियों की संख्या	राशि (लाख रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	44.4	उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं	296	0	0
2.	बिहार	62	उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं	420	0	0
3.	छत्तीसगढ़	7.36	उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं	70	0	0
4.	गुजरात	4.11	उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं	70	0	0
5.	हरियाणा	0	0	0	5.19	40

1	2	3	4	5	6	7
6.	जम्मू–कश्मीर	0	0	0	3	20
7.	झारखंड	0	0	0	11.4	76
8.	कर्नाटक	28.2	उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं	188	0	0
9.	केरल	2.41	उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं	20	0	0
10.	मध्य प्रदेश	58.8	उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं	392	0	0
11.	राजस्थान	12.32	उपयोग की गई	72	8.43	81
12.	सिक्किम	3	उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं	20	0	0
13.	त्रिपुरा	3	उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं	20	0	0
14.	उत्तर प्रदेश	45.16	उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं	367	0	0
15.	उत्तरांचल	0	0	0	3	20
16.	पश्चिम बंगाल	28.97	उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं	248	0	0
	कुल	269.73		2183	31.02	237

अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक–पूर्व/मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 2006–07 और 2007–08 के दौरान जारी की गई राज्य–वार केन्द्रीय सहायता, उपयोग में लाई गई केन्द्रीय सहायता और कवर किए गए लाभार्थियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2006–07						2007–08				
		मैट्रिक–पूर्व			मैट्रिकोत्तर			मैट्रिक–पूर्व		मैट्रिकोत्तर		
		जारी राशि	उपयोग की गई निधि	शामिल किए गए लाभार्थी	जारी राशि	उपयोग की गई निधि	शामिल किए गए लाभार्थी	जारी राशि	शामिल किए गए लाभार्थी	जारी राशि	शामिल किए गए लाभार्थी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	आंध्र प्रदेश	510.00	510.00	104000	364.73	364.73	17000	173.24	52216	698.79	25024	अधिकांश राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने 2007–08 के लिए केन्द्रीय सहायता जारी करने के लिए अपने प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए हैं।
2.	बिहार	216.38	216.38	56546	601.78	601.78	61046			747.74	106780	
3.	गुजरात	346.12	346.12	77500	401.96	401.96	17800					
4.	हिमाचल प्रदेश				35.57	35.57	3898					
5.	जम्मू–कश्मीर	103.11	103.11	61314								
6.	कर्नाटक	122.34	122.34	213761	539.66	539.66	63980	50.00	225901	484.57	90025	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	राजस्थान	310.00	310.00	140000	351.80	351.80	23546				
8.	तमिलनाडु	400.00	400.00	56000	500.00	500.00	34669				
9.	उत्तर प्रदेश	225.60	225.60	88500	671.56	671.56	64972				
10.	उत्तरांचल	16.40	16.40	34252	81.94	81.94	9299				
11.	पश्चिम बंगाल				125.90	1285.90	16111				
12.	असम	55.00	55.00	35000	1285.62	1258.62	68150				
13.	मणिपुर	65.32	65.32	19500	200.70	200.70	16800				
14.	त्रिपुरा	156.69	156.69	70965	160.52	160.52	13837	24.56	30430		
15.	सिक्किम				8.06	8.06	760				

[हिन्दी]

असंरक्षित स्मारक

3211. श्री हरिसिंह चावडा :
डा. धीरेंद्र अग्रवाल :
श्री ई.जी. सुगावनम :
श्री हरिन पाठक :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) तथा राज्य सरकारों द्वारा वर्तमान में संरक्षित स्मारकों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या आज की तिथि के अनुसार हजारों ऐसे स्मारक हैं जो न तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अथवा राज्य सरकारों के नियंत्रण में है और न ही उन्हें अब तक संरक्षित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसे स्मारकों को संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार देश का एक विरासत मानचित्र बनाने की योजना बना रही है जिसमें विरासत केन्द्रों का स्थान-वार विश्लेषण होगा;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) प्रस्तावित विरासत मानचित्र के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 3667 स्मारकों का रख-रखाव किया जाता है। इनकी राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है। राज्य संरक्षित स्मारकों के बारे में आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं और सदन के पटल पर रख दिए जाएंगे।

(ख) ऐसे काफी स्मारक हैं जो न तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और न ही राज्य सरकारों के नियंत्रण में हैं।

(ग) ऐसा कोई डाटाबेस नहीं है जिसमें असंरक्षित स्मारकों के ब्यौरे दिए गए हैं। अतः देश के पुरातत्वीय अवशेषों, स्थलों, पुरावशेषों तथा स्मारकों का राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने के लिए राष्ट्रीय स्मारक तथा पुरावशेष मिशन स्थापित किया गया है।

(घ) केन्द्र सरकार स्थल के महत्व को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्राचीन स्मारक या पुरातत्वीय स्थल और अवशेष को प्राचीन संस्मारक तथ पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत संरक्षित घोषित कर सकती है।

(ङ) और (च) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की राष्ट्रीय स्मारक तथा पुरावशेष मिशन के माध्यम से संरक्षित तथा असंरक्षित दोनों प्रकार के पुरातत्वीय स्मारकों, स्थलों तथा विरासत भवनों का एक विषय संबंधी अंकिय विरासत मानचित्र तैयार करने की योजना है।

(छ) राष्ट्रीय स्मारक तथा पुरावशेष मिशन को अंकीय विरासत मानचित्र तैयार करने सहित अपना कार्य 2012 के अन्त तक पांच वर्षों के भीतर पूरा करने का आदेश दिया गया है।

विवरण

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्मारकों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	136
2.	अरुणाचल प्रदेश	5
3.	असम	53

1	2	3
4.	बिहार	65
5.	छत्तीसगढ़	47
6.	दमन और द्वीव	16
7.	दिल्ली	172
8.	गोवा	21
9.	गुजरात	202
10.	हरियाणा	90
11.	हिमाचल प्रदेश	40
12.	जम्मू और कश्मीर	69
13.	झारखंड	12
14.	कर्नाटक	507
15.	केरल	26
16.	मध्य प्रदेश	287
17.	महाराष्ट्र	286
18.	मणिपुर	1
19.	मेघालय	8
20.	नागालैंड	4
21.	उड़ीसा	78
22.	पाण्डिचेरी	7
23.	पंजाब	31
24.	राजस्थान	161
25.	सिक्किम	3
26.	तमिलनाडु	416
27.	त्रिपुरा	5
28.	उत्तर प्रदेश	742
29.	उत्तरांचल	44
30.	पश्चिम बंगाल	133
	कुल	3667

भुसावल और मुम्बई के बीच जनसाधारण एक्सप्रेस

3212. श्री हरिभाऊ जावले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुसावल और मुम्बई के बीच जनसाधारण एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू किए जाने के लिए जनता के साथ-साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों की ओर से लगातार मांग की जाती रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) भुसावल और मुंबई के बीच जन-साधारण एक्सप्रेस शुरू करने के लिए श्री हरिभाऊ जावले, माननीय संसद सदस्य सहित अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) रेलवे बजट 2007-08 में 5101/5102 मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस-छपरा जन-साधारण एक्सप्रेस (सप्ताह में एक दिन) बरास्ता भुसावल-नासिक रोड की घोषणा की गई है जिससे मुंबई सी एस टी और भुसावल के बीच जन-साधारण गाड़ी सेवा मुहैया हो जाएगी।

एसएसपी उर्वरकों की कीमतों में कमी

3213. श्री अजीत जोगी : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए डीएपी उर्वरक के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किए जाने के लिए एसएसपी उर्वरक की कीमतों में कमी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किसानों को इसका लाभ कब तक मिलने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अमरावती विमानपत्तन

3214. श्री अनंत गुढे :
श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे :
क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में अमरावती (बेल्लोरा) विमानपत्तन विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस विमानपत्तन से विमान यातायात शुरू करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त विमानपत्तन को कब तक विकसित किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ङ) अमरावती (बेलौरा) एयरपोर्ट, महाराष्ट्र राज्य सरकार का है। इसलिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास, एयरपोर्ट का विकास करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

पर्यटन परियोजनाएं

3215. श्रीमती के. रानी : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तमिलनाडु के लिए स्वीकृत पर्यटन परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) ऐसी प्रत्येक परियोजना के संबंध में पूरा किए गए/शेष कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी प्रत्येक परियोजना हेतु स्वीकृत और जारी धनराशि का ब्यौरा क्या है और गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक परियोजना हेतु कितनी विदेशी सहायता प्राप्त की गयी है; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान विकसित किए जाने हेतु प्रस्तावित नए पर्यटक स्थलों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक पर्यटन स्थल के संदर्भ में कार्ययोजना का पूर्ण ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, तमिलनाडु में पर्यटन संबंधी परियोजनाएं, स्वीकृत की गई और अवमुक्त की गयी राशि दर्शाता हुआ एक विवरण संलग्न है।

(ग) पिछले दो वर्षों में, तमिलनाडु में विदेशी सहायता के साथ, पर्यटन मंत्रालय द्वारा कोई पर्यटन संबंधी परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया गया है।

(घ) आज की तारीख तक, वर्ष 2007–08 के लिए तमिलनाडु हेतु निम्नलिखित परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं :–

1. चेट्टीनाड के गंतव्य विकास हेतु 475.35 लाख रुपए
2. मामल्लापुरम नृत्य उत्सव, 2008 हेतु 15.00 लाख रुपए
3. श्रीरंगम, जिला तिरूचिरापल्ली के गंतव्य विकास हेतु 372.70 लाख रुपए
4. गंतव्य विकास योजना के अंतर्गत मैरीना बीच के सौंदर्यीकरण हेतु 492.76 लाख रुपए।

विवरण

10वीं योजना के दौरान तमिलनाडु राज्य के लिए स्वीकृत परियोजनाएं

(लाख रुपयों में)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	योजना	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4	5
2002-03				
1.	श्री ब्रीगदीशवरा मन्दिर, थन्जावुर की प्रकाश–पुंज व्यवस्था	गंतव्य	16.50	16.50
2.	गिंजी फोर्ट में कार्य	गंतव्य	37.50	37.50
3.	मामल्लापुरम में नृत्य उत्सव	उत्सव	5.00	4.00
4.	5 रथों के पास विकास	गंतव्य	299.93	299.93
5.	शोर मन्दिर के पास पार्क का नियास	गंतव्य	328.58	328.58
	कुल		687.51	686.51
2003-04				
1.	तिरूवन्नामलाई में यात्री निवास का निर्माण	गंतव्य	49.06	39.25
2.	इक्विटी स्कीम के अंतर्गत चैन्नई में टीआरसी का निर्माण	एलआरजी	5.00	5.00

1	2	3	4	5
3.	रामेश्वरम में इको–पर्यटन सह पक्षी केन्द्र की स्थापना	गंतव्य	43.00	34.00
4.	विवेकानन्द रॉक के प्रकाश–पुंज की व्यवस्था (विवेकानन्द परिपथ 2003–04)	परिपथ	32.12	32.12
5.	विवेकानन्द रॉक मैमोरियल में ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन (विवेकानन्द परिपथ 2003–04)	परिपथ	225.00	202.00
6.	विवेकानन्द परिपथ के भाग के रूप में रामेश्वरम का विकास (विवेकानन्द परिपथ 2003–04)	परिपथ	168.24	138.12
7.	मुत्तोम बीच और थेक्कूरिच्ची बीच का विकास	गंतव्य	150.00	102.40
8.	इरातिश्वर मन्दिर की प्रकाश–पुंज व्यवस्था	गंतव्य	24.05	22.00
9.	कांचीपुरम में पर्यटन हेतु अवसंरचना का विकास	परिपथ	259.40	259.00
10.	मदुरै में चित्थीराई उत्सव	उत्सव	5.00	4.00
11.	ऊटी, तमिलनाडु में रोपवे लगाना	एलआरजी	397.00	238.00
12.	चेट्टीनाड हैरिटेज उत्सव, तमिलनाडु	उत्सव	5.00	4.00
13.	महाबलीपुरम नृत्य उत्सव	कार्यक्रम	15.00	12.00
14.	पर्यटन विभाग द्वारा पेयमेंट गेवटे सिस्टम की स्थापना	आईटी	3.00	2.70
15.	5 पर्यटक कुटीरों का निर्माण और पेयजल सुविधाएं (विवेकानन्द परिपथ 2003–04)	परिपथ	255.35	76.60
16.	कोडइकनाल, तमिलनाडु में यात्री रोपवे लगाना	एलआरजी	363.00	238.00
17.	धर्मपुरी जिले में तीर्थमलाई का विकास	ग्रामीण पर्यटन (एसडब्ल्यू)	50.00	40.00
18.	शिवगंगा जिले में कराईकुड्डी (चेट्टीनाडु) का विकास	ग्रामीण पर्यटन	50.00	40.00
19.	धर्मपुरी जिले में तीर्थमलाई का विकास	ग्रामीण पर्यटन (एसडब्ल्यू)	50.00	40.00
20.	पुथुकुड्डी जिले में काजुगुमलाई का विकास		48.66	38.94
	कुल		2197.88	1568.13
2004-05				
1.	पाइंट कालीमेरे वन्य जीव अभ्यारण्य मुत्थुपेट में इको पर्यटन का एकीकृत विकास	एलआरजी	368.00	294.40
2.	तमिलनाडु में मामल्लापुरम में संकेतक लगाना	गंतव्य	5.92	5.92
3.	मामल्लापुरम नृत्य उत्सव, 2005	कार्यक्रम	15.00	15.00
4.	सेलम जिले में येरकौड हिल रिजार्ट का गंतव्य विकास	गंतव्य	448.00	358.40
5.	महाबलीपुरम चरण–2 का अवसंरचना एवं गंतव्य विकास	गंतव्य	432.00	345.00

1	2	3	4	5
6.	थुथुकुडी में काजूगुमलाई ग्राम में जीओआई–यूएनडीपी अंतर्जात परियोजना	ग्रामीण पर्यटन	20.00	16.00
7.	शिवगंगा जिले के कराईकुड्डी (चेट्टीनाडु) ग्राम में जीओआई–यूएनडीपी अंतर्जात परियोजना	ग्रामीण पर्यटन	20.00	16.00
	कुल		1308.92	1050.72
2005-06				
1.	कन्याकुमारी में सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन	उत्सव	5.00	5.00
2.	तमिलनाडु में सुनामी की वजह से क्षतिग्रस्त टीटीडीसी और अन्य पर्यटन सुविधाओं का नवीकरण	गंतव्य	499.50	184.96
3.	रामेश्वरम में इको–पर्यटन–सह–पक्षी केन्द्र की स्थापना	गंतव्य	42.50	34.00
4.	रामेश्वरम में राष्ट्रीय तीर्थ उत्सव	उत्सव	5.00	4.50
5.	तमिलनाडु में आदि शंकरा पर्यटक परिपथ का विकास	परिपथ	443.00	354.40
6.	तमिलनाडु के थंजागुर में ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन	गंतव्य	150.00	135.00
7.	तमिलनाडु में रामेश्वरम का गंतव्य विकास	गंतव्य	426.42	341.14
8.	तमिलनाडु में अरूपड्डई विड्डुगल (मुरूगन मन्दिर परिपथ) पलानी–मदुरै–तिरूचिन्डुर–स्वामीमलई–तिरूटानी का एकीकृत विकास	परिपथ	798.97	639.17
9.	तमिलनाडु में तिरूवन्नामलाई का गंतव्य विकास	गंतव्य	459.45	367.56
10.	तमिलनाडु में कोडइकनाल का गंतव्य विकास	गंतव्य	470.19	376.15
11.	तमिलनाडु में चौझानट्टू थिरूपत्तीगल पर्यटक विकास	परिपथ	500.00	400.00
12.	मामल्लापुरम नृत्य उत्सव, 2006	कार्यक्रम	15.00	12.00
13.	तमिलनाडु में जैन तीर्थ क्षेत्र परिपथ। तिरूमलई–मुद्दुपट्टी–तिरूनाथर–कुनरू–वल्लीमलाई	परिपथ	192.00	48.00
14.	मामल्लापुरम में आडियो गाइड सुविधा की शुरूआत	गंतव्य	88.04	39.62
15.	तिरूनैलवेल्ली जिले में थिरूकुरूनगुड्डी का विकास	ग्रामीण पर्यटन	50.00	40.00
16.	तिरूनेलवेली जिले में थिरूप्पुड्डईमाउथुर का विकास	ग्रामीण पर्यटन	49.55	39.64
17.	थेन्नी जिले के कुरनगिनी ग्राम में जीओआई–यूएनडीपी अंतर्जात परियोजना	ग्रामीण पर्यटन	20.00	16.00
18.	डिंडीगुल जिले के थाड्डीयानकुडिसई ग्राम में जीओआई–यूएनडीपी अतर्जात परियोजना	ग्रामीण पर्यटन	20.00	16.00
19.	रामनाथपुरम जिले में देवीपट्टीनम नवभाषणम का विकास	ग्रामीण पर्यटन	50.00	40.00
	कुल		4284.62	3093.14

1	2	3	4	5
2006-07				
1.	रामेश्वरम में राष्ट्रीय तीर्थ उत्सव का आयोजन	उत्सव	5.00	4.00
2.	मदुरै का विकास	गंतव्य	478.03	382.42
3.	मामल्लापुरम नृत्य उत्सव, 2007 मनाना	उत्सव	15.00	12.00
4.	कन्याकुमारी में राष्ट्रीय सांस्कृतिक उत्सव	उत्सव	5.00	5.00
5.	पुलियानचौल्लई का विकास	गंतव्य	97.02	77.62
6.	चैन्नई–कांचीपुरम–थिरुरूकाझुकुन्दरम–(पक्षीतीर्थम) – मामल्लापुरम का विकास	परिपथ	452.78	362.22
7.	आईटी परियोजना का विकास	आईटी	27.60	24.84
8.	कन्याकुमारी का गंतव्य विकास	गंतव्य	258.52	206.81
9.	थंजावुर का गंतव्य विकास	गंतव्य	427.46	341.96
10.	थेनी जिले के कोम्बल ग्राम में ग्रामीण पर्यटन का विकास	ग्रामीण पर्यटन	50.00	40.00
11.	थड्डीयानकुडीसल ग्राम में ग्रामीण पर्यटन का विकास	ग्रामीण पर्यटन	50.00	40.00
	कुल		1866.41	1496.87
	कुल योग		10345.34	7895.37

अल्पसंख्यक/मुस्लिम बहुल जिलों की पहचान

3216. सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड :

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :

श्री सूरज सिंह :

श्री के. एस. राव :

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :

क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में अल्पसंख्यक के साथ–साथ मुस्लिम बहुल क्षेत्र के रूप में कतिपय जिलों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो इन जिलों के राज्य–वार नाम क्या हैं;

(ग) इन जिलों के विकास के लिए तैयार की गई योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) समयबद्ध तरीके से इन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कितनी राशि निर्धारित की गई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार ऐसे जिलों में विशेष कोष की स्थापना करने अथवा सुविधाओं का उन्नयन करने हेतु अधिक वित्तीय सहायता आबंटित करने और इस संबंध में गैर–सरकारी संगठनों तथा निजी क्षेत्र को शामिल करने का है;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(छ) अब तक दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है तथा लाभार्थियों की संख्या कितनी है और सहायता की शर्तें क्या हैं; और

(ज) इस संबंध में राज्य सरकारों की भूमिका क्या है?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) और (ख) सरकार ने अल्पसंख्यक बहुल 90 जिलों की पहचान की है। इन जिलों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (ज) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र राज्य प्रशासन के माध्यम से ऐसे जिलों की 'धीमी विकास' की समस्या के निराकरण के लिए अल्पसंख्यक बहुल जिलों में बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम चलाने के प्रयोजन से वार्षिक योजना 2007–08 में 120 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। इन बजटीय प्रावधान के तहत अब तक कोई राशि निर्धारित नहीं की गई है।

विवरण

अल्पसंख्यक बहुल जिलों की सूची

क्रम सं.	राज्य	जिला
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	निकोबार
2.	अरूणाचल प्रदेश	पूर्वी कामंग

1	2	3
3.	अरूणाचल प्रदेश	निम्न सुबांश्री
4.	अरूणाचल प्रदेश	चांगलांग
5.	अरूणाचल प्रदेश	तिराप
6.	अरूणाचल प्रदेश	तावांग
7.	अरूणाचल प्रदेश	पश्चिम कामंग
8.	अरूणाचल प्रदेश	पप्पुम पेरे
9.	असम	उत्तरी कछार पहाड़ी
10.	असम	कोकराझार
11.	असम	धुगरी
12.	असम	गोलपाड़ा
13.	असम	बोगाईगांव
14.	असम	बरपेटा
15.	असम	दारंग
16.	असम	मारीगांव
17.	असम	नौगांव
18.	असम	काछार
19.	असम	करीमगंज
20.	असम	हेलाकांडी
21.	असम	कामरूप
22.	बिहार	अररिया
23.	बिहार	किशनगंज
24.	बिहार	पुर्णिया
25.	बिहार	कटिहार
26.	बिहार	सीतामढ़ी
27.	बिहार	पश्चिम चंपारन
28.	बिहार	दरभंगा
29.	दिल्ली	उत्तर पूर्वी
30.	हरियाणा	गुड़गांव
31.	हरियाणा	सिरसा

1	2	3
32.	जम्मू और कश्मीर	लेह (लद्दाख)
33.	झारखंड	रांची
34.	झारखंड	गुमला
35.	झारखंड	साहेबगंज
36.	झारखंड	पकोड़
37.	कर्नाटक	गुलबर्गा
38.	कर्नाटक	बीदर
39.	केरल	वेयनाड़
40.	मध्य प्रदेश	भोपाल
41.	महाराष्ट्र	बुलदाना
42.	महाराष्ट्र	वासिम
43.	महाराष्ट्र	हिंगोली
44.	महाराष्ट्र	परभानी
45.	मणिपुर	सेनापति
46.	मणिपुर	तमेंगलांग
47.	मणिपुर	चूरा चांदपुर
48.	मणिपुर	उखरूल
49.	मणिपुर	चंदेल
50.	मणिपुर	थाउबल
51.	मेघालय	पश्चिम गारो हिल्स
52.	मिजोरम	लांगटलाई
53.	मिजोरम	ममित
54.	सिक्किम	उत्तर
55.	उड़ीसा	गाजापट्टी
56.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
57.	उत्तर प्रदेश	सहारनपुर
58.	उत्तर प्रदेश	मुजफ्फरनगर
59.	उत्तर प्रदेश	मेरठ
60.	उत्तर प्रदेश	बागपत

1	2	3
61.	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद
62.	उत्तर प्रदेश	बुलंदशहर
63.	उत्तर प्रदेश	बदांयू
64.	उत्तर प्रदेश	बाराबंकी
65.	उत्तर प्रदेश	खीरी
66.	उत्तर प्रदेश	शाहजहांपुर
67.	उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद
68.	उत्तर प्रदेश	रामपुर
69.	उत्तर प्रदेश	ज्योतिबाफूले नगर
70.	उत्तर प्रदेश	बरेली
71.	उत्तर प्रदेश	पीलीभीत
72.	उत्तर प्रदेश	बहराइच
73.	उत्तर प्रदेश	श्रावस्ती
74.	उत्तर प्रदेश	बलरामपुर
75.	उत्तर प्रदेश	सिद्धार्थनगर
76.	उत्तर प्रदेश	बिजनौर
77.	उत्तराखण्ड	उधमसिंह नगर
78.	पश्चिम बंगाल	हरिद्वार
79.	पश्चिम बंगाल	उत्तर दिनाजपुर
80.	पश्चिम बंगाल	दक्षिण दिनाजपुर
81.	पश्चिम बंगाल	मालदा
82.	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद
83.	पश्चिम बंगाल	बीरभूम
84.	पश्चिम बंगाल	नाडिया
85.	पश्चिम बंगाल	दक्षिण 24 परगना
86.	पश्चिम बंगाल	बर्द्धमान
87.	पश्चिम बंगाल	कूचबिहार
88.	पश्चिम बंगाल	हावड़ा
89.	पश्चिम बंगाल	उत्तर 24 परगना
90.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता

जम्मू और कश्मीर में रेल पटरी

3217. **श्री रेवती रमन सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में एकल रेल पटरी की किलोमीटर में लम्बाई कितनी है;

(ख) क्या रेलवे की इसे दोहरी पटरी में परिवर्तित करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) 31.03.2007 को जम्मू एवं कश्मीर में इकहरी लाइन रेलपथ की लम्बाई 137.77 कि. मी. है।

(ख) और (ग) जालंधर–जम्मूतवी लाइन का दोहरीकरण, जिसका भाग जम्मू और कश्मीर में पड़ता है, पहले से ही प्रगति पर है और इस मार्ग पर संपूर्ण दोहरी लाइन 2008–09 तक उपलब्ध होगी।

विजाग विमानपत्तन

3218. **श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों में विजाग विमानपत्तन के जीर्णोद्धार व मरम्मत के लिए किसी धनराशि का आबंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त कार्य को समय पर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने के प्रस्ताव हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पुनरुद्धार तथा पूंजीगत कार्यों पर वर्ष 2004–05, 2005–06 तथा 2006–07 के दौरान क्रमशः 57.44 करोड़ रुपए, 43.06 रुपए तथा 56.81 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है।

(घ) गहन निगरानी तथा पर्यवेक्षण तथा बजट आबंटन के साथ, यह सुनिश्चित किया जाता है कि हवाई अड्डा कार्य समय अनुसूची के अनुसार पूरे हों।

[हिन्दी]

टिकट काउंटर क्लर्क द्वारा अधिक पैसे लेना

3219. श्री रशीद मसूद :
श्री रेवती रमन सिंह :
श्री चन्द्रदेव प्रसाद राजभर :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रेलवे काउंटर पर टिकट क्लर्क उपभोक्ताओं को देय राशि से कम राशि लौटाते हैं तथा इस प्रकार बची राशि अपनी जेब में डाल देते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान जोन वार रेलवे द्वारा प्राप्त ऐसी शिकायतों की संख्या कितनी है;

(घ) इस पर रेल प्राधिकारियों द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) कोई पृथक आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। बहरहाल, बुकिंग क्लर्कों द्वारा ज्यादा वसूलने के कुछ मामले सामने आए हैं। जिम्मेदार पाए जाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियमों के तहत कार्यवाई की जाती है।

ऋषिकेश और देहरादून के बीच रेल संपर्क

3220. श्री विजय बहुगुणा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार पवित्र शहर ऋषिकेश को देहरादून से जोड़ने का है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त रेल संपर्क के कब तक चालू हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) ऋषिकेश पहले से ही बरास्ता राईवाला देहरादून से जुड़ा हुआ है। ऋषिकेश और देहरादून के बीच अन्य लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कृष्णा गोदावरी गैस नेटवर्क लिमिटेड की स्थापना

3221. डा. एम. जगन्नाथ : क्या **पेट्रोलियम औ प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में गैस के वितरण के लिए कृष्णा गोदावरी गैस नेटवर्क लिमिटेड की स्थापना हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रस्ताव को केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है तथा अनुमोदन दे दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस प्रस्ताव को किस सीमा के भीतर स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (घ) कृष्णा गोदावरी गैस नेटवर्क लिमिटेड (केजीजीएनएल) ने आंध्र प्रदेश राज्य में सामान्य वाहक प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों को बिछाने, तैयार करने तथा प्रचालन हेतु प्राधिकार की मंजूरी के लिए आवेदन किया है। यह उल्लेख किया गया है कि इसके लिए स्रोत व्यवस्था गुजरात राज्य पेट्रोलियम कार्पोरेशन (जीएसपीसी) के केजी बेसिन क्षेत्रों से की जाएगी।

सरकार द्वारा अपनाई गई नीति के अनुसार सामान्य वाहक प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों को बिछाने, तैयार करने तथा प्रचालन का अधिकार, हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) द्वारा प्रमाणित प्रोफाइल वाले उत्पादक के साथ गैस स्रोत गठ–जोड़ के आधार पर प्रदान किया जाता है।

चूंकि जीएसपीसी के क्षेत्रों का उत्पादन प्रोफाइल डीजीएच द्वारा प्रमाणित नहीं है, इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि केजीजीएनएल को प्राधिकार प्रदान करने पर विचार, प्रमाणित होने के बाद ही किया जाए।

ताजमहल का संरक्षण

3222. श्री प्रबोध पाण्डा : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ताजमहल का रंग पीला हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ताजमहल के दूधिया सफेद संगमरमर की वास्तविक सुन्दरता को बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ग) वायु से निष्कासित संघटित तत्व (सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर) की अधिकता के कारण ताज महल की बाहरी सतह का सफेद संगमरमर, विशेष रूप से आले तथा मेहराबें और मीनारों के छज्जों को सहारा देने के लिए प्रयुक्त ब्रैकेटें कुछ पीली दिखाई देती हैं जबकि जिन हिस्सों पर बारिश पड़ती है वे पीले नहीं दिखते। पीला दिखाई देने का मुख्य कारण धूल तथा गंदगी का जमाव हो सकता है जो वर्षा के जल से नहीं धुलती।

संगमरमर के ऊपर इन जमावों को मिट्टी के लेप के उपचार तथा सुरक्षात्मक ढंग से हटाया जाता है जो गैर-संरक्षात्मक तथा गैर-अपघर्षी है। इस उपचार में प्रयोग की जा रही मिट्टी रासायनिक रूप से परिष्कृत एल्युमिनियम सिल्किेट है जो एक निष्क्रिय सामग्री है तथा संगमरमर की सतह पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। मिट्टी के लेप का उपचार वर्ष 2001-03 में किया गया था तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ क्षेत्रों में इसे पुनः किया जा रहा है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की आगरा स्थित वायु प्रदूषण प्रयोगशाला नियमित रूप से ताज महल के आस-पास की हवा में वायु प्रदूषण की मानीटरिंग कर रही है।

[हिन्दी]

मुंबई-दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का चलाया जाना

3223. श्री देविदास पिंगले : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को जानकारी है कि मुम्बई और दिल्ली के बीच चलने वाली सभी राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियां सूरत और वडोदरा होते हुए चलाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे को यह जानकारी भी है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लोग इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या मुम्बई-दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को नासिक रोड, मनमाड और भोपाल होते हुए चलाए जाने का कोई प्रस्ताव रेलवे के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो इस सबंध में निर्णय को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। महाराष्ट्र से प्रारम्भ होने वाली दो मुम्बई-दिल्ली राजधानी गाड़ियों का रतलाम स्टेशन (मध्य प्रदेश) पर ठहराव है। इसके अतिरिक्त, 2953/2954 मुंबई-हजरत निजामुद्दीन अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस का बोरीवली (महाराष्ट्र) एवं नागदा स्टेशन (मध्य प्रदेश) पर अतिरिक्त ठहराव है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रनवे पर जानवर

3224. श्री किरिप चालिहा : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में "पक्षियों के विमान से टकराने" और "नीलगाय" के रनवे पर आने के अनेक मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो विमानपत्तन-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस खतरे को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सिविल हवाई अड्डों के रनवे पर "नीलगायों" से संबंधित किसी मामले की सूचना नहीं है। तथापि, दिनांक 01.01.2004 से 31.12.2006 के बीच पक्षियों से टकराने के 536 मामलों की रिपोर्ट हुई है। हवाई अड्डा-वार ब्यौरा निम्नलिखित है:-

अगरतला-1, अहमदाबाद-44, अमृतसर-3, औरंगाबाद-2, बागडोरा-1, बेलूरघाट-1, बैंगलोर-42, बड़ौदा-15, भावनगर-1, भोपाल-3, भुवनेश्वर-2, भुज-1, मुम्बई-86, कोलकाता-25, कालीकट-6, कोयम्बटूर-4, कोचीन-8, दिल्ली-79, फुरसतगंज-1, गुवाहाटी-8, गोवा-17, हैदराबाद-59, इंदौर-7, जयपुर-21, जम्मू-2, जोधपुर-2, जोरहाट-1, कानपुर-1, खुजराहो-2, लखनऊ-3, चेन्नई-33, मंगलोर-5, मदुरै-3, नागपुर-5, पटना-1, पुणे-9, रायपुर-1, राजकोट-7, रांची-1, त्रिची-3, त्रिवेन्द्रम-2, तिरूपति-1, उदयपुर-5, बड़ोदरा-1, वाराणसी-5, विजाग-1, विजयवाड़ा-3, दियू-2।

(ग) सरकार ने अनेक निरोधक उपाय सुनिश्चित किए हैं। पक्षियों को आकर्षित करने वाले श्रोतों की पहचान करने तथा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने के लिए उन हवाई अड्डों पर जहां अनुसूचित उड़ाने प्रचालित होती हैं, एयरफील्ड पर्यावरण प्रबंधन समितियां गठित की गई हैं। हवाई अड्डों के बाहर तथा भीतर पक्षियों के टकराने की घटनाओं को कम करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं जैसे कूड़े का उपयुक्त निपटान, जलभराव की रोकथाम, कूड़ाघरों को ढकना, आधुनिक वधशालाओं की स्थापना, पक्षियों को डराना तथा गोली मारना आदि।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेल टैंकर

3225. डा. रामकृष्ण कुसमारिया : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल कंपनियों ने देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अपने पेट्रोल पंप डीलरों को अपने स्वयं के तेल टैंकरों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या नियम बनाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ग) तेल कंपनियों के टर्मिनलों/डिपुओं पर डीलरों को पेट्रोल और डीजल की सुपुर्द आपूर्तियां तेल विपणन कंपनियों के अपने टैंक ट्रकों द्वारा अथवा जिनको परिवहन कार्य के लिए ठेका दिया जाता है, उनके द्वारा की जाती हैं। डीलरों और ग्राहकों को पेट्रोलियम उत्पादों के थोक परिवहन के लिए टैंक ट्रकों के नियोजन हेतु उद्योग आधार पर सार्वजनिक निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। डीलरों और ग्राहकों को इस सार्वजनिक निविदा में भाग लेने के लिए कहा जाता है। आमंत्रित किए जाने वाली निविदा में टैंकरों की स्थान-वार आवश्यकताएं दर्शाई जाती हैं। इन सार्वजनिक निविदाओं को निविदा में की गई न्यूनतम पेशकश के आधार पर अंतिम रूप दिया जाता है और सफल घोषित पक्षकारों को निविदा में पेशकश किए गए टैंकरों के लिए ठेके दिए जाते हैं।

वर्ष 2005 में आमंत्रित निविदाओं के आधार पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में कंपनी-वार कार्यरत डीलरों की टैंक लारियों की संख्या इस प्रकार है:-

कंपनी का नाम	डीलरों द्वारा लगाए गए टैंक ट्रकों की संख्या	
	उत्तर प्रदेश	उत्तराखंड
आईओसीएल (आईबीपी प्रभाग सहित)	968	148
एचपीसीएल	181	25
बीपीसीएल	330	33

सामाजिक सेवाओं और सामुदायिक विकास पर व्यय

3226. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस्पात कंपनियों की योजना सामाजिक सेवाओं और सामुदायिक विकास पर 230 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च करने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में आज तक इन कंपनियों विशेषकर बोकारो इस्पात लि. द्वारा उक्त सेवाओं पर वास्तव में खर्च की गई धनराशि और खर्च की जाने वाली राशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने सामाजिक सेवाओं और सामुदायिक विकास के लिए कोई मानदंड निर्धारित किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास) : (क) और (ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन इस्पात कंपनियों की सामाजिक सेवाओं तथा सामुदायिक विकास से संबंधित योजनाओं पर व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों खासतौर से बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा निगमित सामाजिक जिम्मेदारी पर किए गए व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्रम सं.	कंपनी का नाम	पिछले 3 वर्षों के दौरान खर्च की गई धनराशि			बजट प्रावधान (धनराशि को चालू वर्ष 2007-08 के दौरान खर्च किए जाने की संभावना)	पहली तिमाही तक खर्च की गई धनराशि (अप्रैल-जून), 2007-08
		2004-05	2005-06	2006-07		
1	2	3	4	5	6	7
1.	सेल	137.69	596.51	1978.26	10000.00	490.00
2.	बोकारो इस्पात संयंत्र	27.87	104.41	278.72	2068.39	22.00
3.	आरआईएनएल	9.50	13.50	116.00	2700.00	77.67
4.	सिल	4.42	3.17	5.59	15.75	7.00
5.	एमएसटीसी	–	7.00	31.00	118.00	10.00
6.	एफएसएनएल	0.20	0.20	2.35	6.00	2.00
7	बीआरएल	55.00	58.00	63.00	13.00	15.12

1	2	3	4	5	6	7
8.	मेकॉन	6.39	7.94	11.61	20.90	2.20
9.	केआईओसीएल	310.00	175.00	136.00	200.00	40.00
10.	एनएमडीसी	926.00	867.00	2448.00	8900.00	285.11
11.	मॉयल	–	60.00	71.00	300.00	73.00

(घ) और (ङ) जी, हां। निवल वितरण योग्य लाभ के 2 प्रतिशत के बराबर धनराशि सी एस आर कार्यकलापों के लिए आबंटित की जाएगी।

विवरण

इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किए गए सामाजिक निगमित जिम्मेदारी (सीएसआर) कार्यकलापों का ब्यौरा

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल)

इस्पात विनिर्माण के कार्य के अलावा कंपनी के उद्देश्य इस प्रकार कारोबार करना है कि उन समुदायों को सामाजिक, पर्यावरण संबंधी और आर्थिक लाभ प्राप्त हों जिनके बीच यह प्रचालन करती है। सेल के सीएसआर कार्यकलापों में संयंत्रों के आस–पास के परिसरीय क्षेत्रों में शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं, पेयजल सुविधाएं, सांस्कृतिक एवं मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध करवाना और अनुषंगी विकास के अलावा सड़कों तथा संपर्क सुविधाओं में सुधार करना शामिल है। निगमित स्तर पर खेल–कूद की गतिविधियों को प्रायोजित किया जा रहा है और नेहरू चैंपियन कॉलेज हॉकी टूर्नामेंट, चैन्नई ओपन ऑफ तमिलनाडु टैनिस एसोसिएशन तथा चिरिया माइंस में सेल इंटर विलेज फुटबॉल टूर्नामेंट जैसे विभिन्न खेल–कूद आयोजनों को प्रायोजित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आरआईएनएल सीएसआर कार्यकलाप करता है जिनमें पर्यावरण सुरक्षा, सामुदायिक स्वास्थ्य, पीपुल केयर, सांस्कृतिक विकास तथा परिसरीय विकास शामिल है।

मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड (मॉयल)

मॉयल द्वारा किए गए सीएसआर कार्यकलापों में शिक्षा, गांवों को गोद लेने सहित सामुदायिक विकास, चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाना और पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना शामिल है। मॉयल की खानों के आस–पास के गांवों और इनसे लगे हुए अन्य स्थानों पर शैक्षणिक कार्यकलापों में प्राइमरी स्कूलों का निर्माण, बच्चों की ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, यूनीफार्म और स्टेशनरी उपलब्ध करवाना और मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना शामिल है। सामुदायिक विकास कार्यकलापों में बस स्टॉपों का निर्माण, नालियों और पुलियाओं का निर्माण, पेयजल की व्यवस्था और सामुदायिक केंद्रों जैसे जनउपयोग के भवनों का निर्माण शामिल है। स्वास्थ्य सुविधाओं के तहत खनन क्षेत्रों के आस–पास रह रहे ग्रामीणों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाई गई और चिकित्सा शिविर भी आयोजित किए गए। मॉयल ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा दिया है और ग्रामीणों को वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया है। पेड़ लगाने के कार्य में निःशुल्क पौधे और मार्गदर्शन देने के जरिए सहायता उपलब्ध करवाई गई। मॉयल द्वारा नागपुर में रोड़–डिवाइडरों और ट्रैफिक आइसलैंड्स पर पेड़ लगाकर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण का कार्य किया गया।

कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड (केआईओसीएल)

पिछले वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा शुरू किए गए विभिन्न सीएसआर कार्यक्रमों के तहत केंद्रीय स्कूल चलाने, शैक्षणिक संस्थाओं को पुस्तकों का वितरण तथा अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करने, आदिवासियों तथा समीपवर्ती क्षेत्रों के अन्य लोगों को दवाइयों के वितरण तथा चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने, पेयजल उपलब्ध करवाने, गरीब बच्चों को दोपहर का भोजन उपलब्ध करवाने, सामुदायिक विकास के तहत अस्पतालों का निर्माण करने और उन्हें चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाने और पुलों का निर्माण आदि जैसे कार्यकलाप शामिल हैं।

नेशनल मिनरल डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (एनएमडीसी)

एनएमडीसी परियोजना क्षेत्रों में नए स्कूल भवन और अतिरिक्त क्लासरूम उपलब्ध करवाने, परियोजना स्कूलों में स्थानीय आदिवासी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा सुविधा उपलब्ध करवाने और निःशुल्क स्कूल यूनीफार्म, पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी मद उपलब्ध करवाने, मेधावी बच्चों को नकद पुरस्कार प्रदान करने, स्थानीय आदिवासियों और ग्रामीणों को परियोजना अस्पतालों को निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध करवाने, निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित करने, समीपवर्ती गांवों में खुले कुओं तथा हैंड पम्पों का निर्माण करके पेयजल उपलब्ध करवाने, और समीपवर्ती गांवों को आपस में जोड़ने के लिए सभी मौसमों के अनुकूल सड़कों का निर्माण जैसे सीएसआर कार्यकलाप करता है।

स्पंज आयरन (इंडिया) लिमिटेड (सिल)

सिल आदिवासियों के कल्याण हेतु संयंत्र के आस–पास के आदिवासी गांवों में सीएसआर कार्यक्रमों को कार्यान्वित करता है। वर्ष 2007–08 के लिए पूरी बजट राशि उन स्कूल भवनों में अतिरिक्त रूम उपलब्ध करवाने पर खर्च की जा रही है जिनमें समीपवर्ती गांवों के आदिवासी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाई जाती है।

एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी में सीएसआर योजनाओं में गरीब तथा निराश्रित बच्चों, महिलाओं, बूढ़ों, कलाकारों और संगीतज्ञों और छात्रों के लिए समर्पित किसी धमार्थ संगठन को अधिकतम 1 लाख रुपए वार्षिक का भुगतान करना शामिल है। पात्र संगठनों को अपेक्षाकृत अधिक धनराशि का भुगतान भी किया जाता है। ऐसे अनाथ बच्चों को गोद लेने के लिए, जिनके अच्छा खिलाड़ी बनने की संभावना है, सामाजिक तथा धर्मार्थ कार्य के प्रति समर्पित गैर–सरकारी संगठनों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एंबुलेंस खरीदने, गरीब स्कूली बच्चों को छात्रवृत्ति का भुगतान करने, लघु चिकित्सा केंद्रों/रक्तदान से जुड़े संगठनों को उपस्करों हेतु निधियन, स्कूलों के पुस्तकालयों तथा शैक्षणिक संस्थाओं को आवश्यक सामान की खरीद के लिए चंदा दिया गया है।

फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

सीएसआर कार्यक्रमों के तहत एफएसएनएल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के मेधावी छात्रों को पुस्तकें/नोटबुक, यूनीफार्म का कपड़ा वितरित करता है। खेल मैदानों का विकास, खेल–कूद सामग्री उपलब्ध करवाना, अवसंरचनात्मक सुविधाओं सहित अतिरिक्त कमरों और हॉलों का निर्माण जैसे अन्य कार्यकलाप जरूरत के आधार पर किए जाते हैं। एफएसएनएल ने राउरकेला, बर्नपुर, भिलाई, बोकारो, वाईजैग, दुर्गापुर, डोल्वी, डुबुरी, रायगढ़ स्थित अपनी उत्पादन इकाइयों और अपने निगमित कार्यालय के समीपवर्ती गांवों में सीएसआर कार्यक्रम शुरू करने के लिए 10 स्कूल अभिज्ञात किए हैं।

भारत रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड (बीआरएल)

बीआरएल में सीएसआर कार्यकलापों के लिए चिन्हित क्षेत्र समीपवर्ती गांवों के क्षेत्रों के लिए स्कूल बस सुविधा उपलब्ध करवाना, समीपवर्ती गरीब लोगों के फायदे के लिए भंडारीदह तथा रांची रोड़ में प्राइमरी स्कूल चलाना, रियायती फीस पर सभी सुविधाओं सहित भंडारीदह में 12वीं कक्षा तक का एक डीएवी स्कूल चलाना और भंडारीदह रिफ्रैक्टरीज संयंत्र में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना आदि हैं।

मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन रांची तथा समीपवर्ती गांवों में झुग्गी–झोंपड़ी/पिछड़े क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों, अल्प संख्यकों और समाज के कमजोर वर्गों के विकास एवं कल्याण के लिए सामुदायिक विकास संबंधी कार्यकलाप करता है।

हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

हालांकि एचएससीएल सीएसआर कार्यक्रमों से संबंधित कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है, तथापि, अपनी प्रतिकूल वित्तीय स्थिति के कारण कंपनी सीएसआर कार्यक्रम कार्यान्वित करने में असमर्थ है।

[अनुवाद]

बीएचपीवी का पुनरुद्धार

3227. श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोत्चा : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैसर्स भारत हैवी प्लेट्स एंड वेसल्स लि. (बीएचपीवी), विशाखापत्तनम से पुनरुद्धार पैकेज के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार बीएचपीवी को अपने पुनरुद्धार और भावी विकास के लिए वर्तमान कार्यादेशों को पूरा करने की अनुमति देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) बीएचपीवी के पुनरुद्धार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (च) कंपनी के पुनरुद्धार के लिए एक प्रस्ताव बीएचपीवी से प्राप्त हुआ है। भेल ने कुछ पूर्वशर्तों के साथ बीएचपीवी के अधिग्रहण में रुचि दिखाई है। विचारार्थ प्रस्ताव में भेल द्वारा दी गई पूर्वशर्तों में अन्य बातों के साथ–साथ निधियों का निवेश तथा भारत सरकार के ऋणों/ब्याजों की माफी/परिवर्तन, आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार से छूट तथा राज्य सरकार द्वारा बीएचपीवी को दिए गए दानपत्र के जरिए भूमि का हस्तांतरण शामिल है। बैंकरों तथा राज्य सरकार के साथ भी बैठकें की गई। बैंकरों ने मूलधन की पूरी राशि के भुगतान के बदले में ब्याज की माफी के लिए सिद्धांत रूप से सहमति दे दी है। आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने भी मांगी गई छूटों पर सिद्धांत रूप से सहमति व्यक्त कर दी है। सरकार द्वारा अंतिम रूप से निर्णय लेने से पूर्व विभिन्न मंत्रालयों के विचार मांगे गए हैं।

[हिन्दी]

नागपुर-नागभिड रेल लाइन

3228. प्रो. महादेवराव शिवनकर :

श्री शिशुपाल एन. पटले :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने महाराष्ट्र की नागपुर–नागभिड रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदले जाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के जिलों का सर्वेक्षण करने की स्वीकृति दी है;

(घ) यदि हां, तो इन मार्गों का निर्माण कार्य कब तक शुरू किए जाने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी, हां। नागपुर–नागभीर (106 कि.मी.) लाइन का छोटी आमान से बड़े आमान में परिवर्तन के लिए 2003–04 में एक सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, इस लाइन के आमान परिवर्तन की लागत (–) 5% की प्रतिफल की दर के साथ 141.56 करोड़ रु. आंकी गई थी। लाइन की अलाभप्रद प्रकृति, चालू परियोजनाओं के हैवी थ्रो–फारवर्ड और संसाधनों की अत्यधिक तंगी के दृष्टिगत परियोजना को शुरू नहीं किया जा सका।

(ग) 2007–08 के बजट में नई लाइनों, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण के कुछ सर्वेक्षण शामिल किए गए हैं।

(घ) और (ङ) परियोजना के स्वीकृत होने पर कार्य शुरू होगा।

[अनुवाद]

हेलीकॉप्टर पाइलटों की योग्यताएं और कौशल

3229. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय (डी.जी.सी.ए.) ने हेलीकॉप्टर पाइलटों की योग्ताएं और कौशल की जांच के लिए किसी हेलीकॉप्टर उड़ान प्रचालन निरीक्षक की नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डी.जी.सी.ए. ने हेलीकॉप्टर पाइलटों के उड़ान कौशल का निरीक्षण करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की है;

(घ) यदि हां, तो डी.जी.सी.ए. द्वारा की गई व्यवस्था हेलीकॉप्टर पाइलटों की योग्यताएं और कौशल के लिए निर्धारित मानदंड के अनुसार सत्यापन हेतु पर्याप्त है; और

(ङ) यदि नहीं, तो ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) हेलीकॉप्टर विमानचालकों की अर्हताओं तथा कुशलता की जांच करने के लिए, नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा एक हेलीकॉप्टर उड़ान प्रचालक निरीक्षक की नियुक्ति की गई है।

(ग) और (घ) नागर विमानन महानिदेशक द्वारा अनुमोदित जांचकर्ता, विमानचालकों की अर्हताएं तथा कुशल परीक्षण की जांच करते हैं जिससे प्रचालन में सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन एयरलाइंस में बिजनेस श्रेणी की सीटों के निःशुल्क उन्नयन

3230. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

श्री रवि प्रकाश वर्मा :

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस में बिजनेस श्रेणी की सीटों में निःशुल्क उन्नयन करने की प्रक्रिया से प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए की हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में हुए नुकसान का ब्यौरा क्या है;

(घ) इंडियन एयरलाइंस की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(ङ) गत एक वर्ष के दौरान इस संबंध में कितनी सफलता हासिल हुई?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) अक्टूबर, 2005 में सरकार द्वारा तत्कालीन इंडियन एयरलाइंस को, बजटीय सहायता के रूप में 325 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई थी। उपर्युक्त धन का, 43 नए विमानों की खरीद के लिए आंशिक धन के एक हिस्से के रूप में उपयोग कर लिया है। इंडियन एयरलाइंस एवं एयर इंडिया को अब भारतीय राष्ट्रीय विमानन कम्पनी

लिमिटेड में विलयित कर दिया गया है। विलय से, संयुक्त परिसम्पत्तियों को लीवरेज करने और पूंजी को बेहतर बनाने तथा एक सुदृढ़ एयरलाइन्स का निर्माण करने का अवसर प्राप्त होगा।

संभावित मैला ढोने वालों की पहचान के लिए सर्वेक्षण

3231. श्री रवि प्रकाश वर्मा :

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों से उन संभावित मैला ढोने वालों की पहचान करने के लिए निर्धारित अवधि के भीतर एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा है, जिन्हें मैला ढोने वालों और उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास संबंधी राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत मुक्ति दिलाई जानी है और उनका पुनर्वास किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) किन-किन राज्यों ने उक्त सर्वेक्षण पूरा कर लिया है;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा उन राज्यों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, जिन्होंने उक्त सर्वेक्षण कार्य पूरा नहीं किया है; और

(ङ) इस मामले में तेजी लाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : क) से (ङ) तत्कालीन मैन्युअल स्केवेंजरों और इनके आश्रितों को वैकल्पिक व्यवसायों में पुनर्वास हेतु सामजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मैन्युअल स्केवेंजरों के पुनर्वास हेतु एक नई स्व-रोजगार योजना शुरू की है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, योजना के बनाने के समय 3.42 लाख तत्कालीन पुनर्वासित किए जाने वाले मैन्युअल स्केवेंजर और उनके आश्रित थे।

बिहार में पर्यटन परियोजनाएं

3232. श्री विजय कृष्ण : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि के अनुसार बिहार राज्य द्वारा प्रस्तुत की गई पर्यटन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उपरोक्त प्रत्येक परियोजना के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और ऐसी कितनी पर्यटन परियोजनाएं सरकार के पास लंबित हैं तथा इसके क्या विशिष्ट कारण हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) पर्यटन का विकास एवं संवर्धन मुख्यतः राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, गंतव्यों/परिपथों के उत्पाद/अवसंरचना विकास और भारी राजस्व सृजक परियोजनाओं को सहायता की योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को पर्यटन संबंधी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत, सभी प्रकार से पूर्ण परियोजना प्रस्तावों का योजना दिशा-निर्देशों के आधार पर परीक्षण किया जाता है और पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर उन्हें अनुमोदित किया जाता है तथा संबंधित शीर्ष के अंतर्गत, उपलब्धता की शर्त पर धनराशि अवमुक्त की जाती है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार राज्य को स्वीकृत परियोजनाओं की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार राज्य के लिए स्वीकृत की गई परियोजनाएं

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि
1	2	3
वर्ष 2004-05		
1.	बोधगया में न्यू हाई स्कूल भवन का निर्माण और मायासरोवर झील के सामने से विद्यमान हाई स्कूल को हटाना	33.11
2.	भीमबांध (मुंगेर) में इको-पर्यटन विकास	427.00

1	2	3
3.	मनेर में पर्यटक रिजार्ट का विकास	407.20
4.	बाल्मिकी नगर (पश्चिम चंपारण) का इको पर्यटन विकास	300.06
5.	गया में विष्णु विहार का विकास	271.06
6.	गंतव्य विकास के अंतर्गत मनेर शरीफ, पटना में पर्यटक परिसर का निर्माण	500.00
7.	नालंदा जिले में नेपुरा – जीओआई–यूएनडीपी अंतर्जात पर्यटन परियोजना	20.00
	कुल	1958.43
वर्ष 2005–06		
1.	पर्यटक परिपथ की योजना के अंतर्गत बोधगया–राजगीर–नालंदा का विकास	768.12
2.	हरिहर क्षेत्र (सोनपुर) मेला, 2005	0.99
3.	बिहार में सुल्तानगंज से देवघर तक कांवड़िया मार्ग परिपथ का एकीकृत विकास	443.12
	कुल	1212.23
वर्ष 2006–07		
1.	वृहत परियोजना स्कीम के अंतर्गत पर्यटक परिपथ बोधगया–राजगीर–नालंदा का विकास	1922.42
2.	बिहार के राज्य पर्यटन विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता	14.87
	कुल	1937.29

शॉपिंग पर्यटन गंतव्य स्थल को बढ़ावा देना

3233. श्री जुएल ओराम : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का शॉपिंग पर्यटन गंतव्य स्थलों को बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए किन–किन स्थलों की पहचान की गई है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ उड़ीसा में किसी स्थल की पहचान की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (घ) पर्यटन मंत्रालय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को पर्यटन एवं शिल्प मेलों के आयोजन हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 2006–07 में उड़ीसा राज्य सरकार ने 30 लाख रुपए की केन्द्रीय वित्तीय सहायता से पर्यटन, संस्कृति एवं हस्तशिल्प के संवर्धन हेतु भुवनेश्वर में "तोशाली नेशनल हैंडीक्राफ्ट्स मेला – 2007" का आयोजन किया है।

[हिन्दी]

भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेल लाइन

3234. श्री प्रेम कुमार धूमल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिमाचल प्रदेश में भानुपल्ली–बिलासपुर–बैरी रेल लाइन के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस परियोजना के पूरा होने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस परियोजना का कार्य कब तक शुरू किए जाने और पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) भानुपल्ली–बिलासपुर–बेरी नई लाइन का सर्वेक्षण पहले ही पूरा हो चुका है और इस प्रस्तावित नई लाइन के लिए वित्त व्यवस्था के समुचित तंत्र का आकलन किया जा रहा है ताकि प्रस्ताव के संबंध में तदनुसार आगे की कार्रवाई की जा सके।

(ग) कार्य अभी तक स्वीकृत नहीं है, अतः परियोजना के शुरू और पूरा होने के समय को दर्शाना व्यावहारिक नहीं है।

पर्यटन का विकास

3235. डा. धीरेंद्र अग्रवाल :

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पर्यटन के विकास में वित्त, अवसंरचना और सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समस्याओं का सामना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इसका क्या परिणाम निकला?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पर्यटन के विकास एवं संवर्धन की जिम्मेवारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को पर्यटन के विकास एवं संवर्धन हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है:-

1. गंतव्यों तथा परिपथों हेतु उत्पाद/अवसंरचना विकास
2. भारी राजस्व सृजक परियोजनाओं को सहायता
3. कम्प्यूटरीकरण एवं सूचना प्रौद्योगिकी
4. कार्यक्रम/मेले और उत्सव

10वीं योजनावधि के दौरान, पर्यटन मंत्रालय ने 2011.68 करोड़ रुपए की राशि की 1160 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है।

महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्रों में पर्यटकों की सुरक्षा एवं बचाव को सुनिश्चित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को पर्यटक पुलिस तैनात करने का सुझाव दिया है। कुछ राज्य सरकारों ने एक अथवा दूसरे रूप में पर्यटक पुलिस की तैनाती कर दी है।

धनबाद और मुंबई के बीच नई रेल सेवा

3236. श्री टेक लाल महतो : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे हजारी बाग रोड, कोडरमा, पारसनाथ होते हुए धनबाद और मुंबई के बीच एक नई रेल सेवा शुरू करने पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रस्तावित रेल सेवा को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एयर इंडिया का स्टार एलायंस के साथ समझौता

3237. श्री सुरेश कलमाडी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया ने विमानन विश्वव्यापी नेटवर्क का हिस्सा बनने का निर्णय लिया है और स्टार एलायंस के साथ समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कदम से दोनों विमान कंपनियों को क्या लाभ होने की संभावना है; और

(घ) इस समझौते की निबंधन और शर्तों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (घ) एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स के विलय द्वारा बनी नई कम्पनी को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से, एयर इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल ने एयर इंडिया के स्टार एलाइंस में शामिल होने को अनुमोदित कर दिया है और शामिल होने की प्रक्रिया तथा संबंधित गतिविधियों पर उनके प्रबंधन के साथ वार्ताएं आरम्भ करने की सिफारिश की है। एक बार अंतिम रूप से इस गठबंधन में शामिल होने पर निर्णय ले लिए जाने के बाद इस गठबंधन के नियमों व शर्तों को तैयार किया जाएगा। इस गठबंधन द्वारा एयर इंडिया और इसके ग्राहकों को होने वाले संभावित मुख्य लाभ इस प्रकार है:-

ग्राहकों के लिए : (i) विस्तृत वैश्विक नेटवर्क पर प्रवेश/एकल टिकट के विकल्प तथा बेरोक-टोक यात्रा/स्थानांतरण; (ii) अर्न/बर्न माइल्स के लिए वैश्विक भागीदार एफएफपी का विकल्प; (iii) वैश्विक गठबंधन के उत्पादों की सम्पूर्ण रेंज पर एक स्थल प्रवेश; तथा (iv) विश्व भर में वाहकों पर सेवा का गुणवत्ता मानक।

एयर इंडिया के लिए : (i) नए बाजारों में प्रवेश के लिए अंतर्राष्ट्रीय मार्ग नेटवर्क का पुनः संरेखण; (ii) बढ़े हुए फीडर यातायात के जरिए लाभप्रदता बढ़ना; (iii) श्रेष्ठतम परिपाटियों, प्रक्रियाओं, प्रणालियों में प्रवेश; (iv) अधिक गहरे तथा अधिक अर्थपूर्ण सूचना हिस्सेदारी सक्षम करने के लिए गठबंधन के सदस्यों के साथ सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों का एकीकरण; तथा (v) सांझी गठबंधन, सुविधाओं, अवसंरचना तथा ब्रांडिंग में प्रवेश पाना।

निपटान आयोग की स्थापना

3238. चौ. मुनव्वर हसन : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार औषधियों के संबंध में 800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की अधिक प्रभार संबंधी देनदारी का निर्णय करने के लिए एक निपटान आयोग की स्थापना करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है और इसके विचारार्थ विषय क्या हैं तथा इसके सदस्य कौन-कौन हैं; और

(ग) उक्त आयोग के कब तक कार्य शुरु करने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हांडिक) : (क) से (ग) राष्ट्रीय औषध नीति, 2006 के प्रारूप में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रस्ताव किया गया है कि एक बारगी निपटान योजना के माध्यम से डीपीसीओ 1979 के अंतर्गत औषध मूल्य समकरण खाता की पुरानी देय राशियों के मामलों के निपटान किये जाने के प्रयास किए जाएंगे।

मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 11.01.2007 को आयोजित अपनी बैठक में राष्ट्रीय औषध नीति के प्रारूप पर विचार किया गया था। मंत्रिमंडल ने इस नीति को मंत्रियों के समूह को संदर्भित कर दिया है। मंत्रियों के समूह की प्रथम बैठक दिनांक 10.04.2007 को आयोजित की गई थी। राष्ट्रीय औषध नीति को अंतिम रूप देने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

[हिन्दी]

उर्वरकों उद्योगों की उत्पादन क्षमता में गिरावट

3239. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में उर्वरक उद्योगों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या प्राकृतिक गैस की कमी के कारण इन उद्योगों की उत्पादन क्षमता में गिरावट दर्ज की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान दर्ज की गई गिरावट के प्रतिशत का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) प्रमुख उर्वरकों यथा यूरिया, डीएपी और मिश्रित उर्वरकों का उत्पादन करने वाले उर्वरक उद्योगों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रमुख उर्वरकों यथा यूरिया, डीएपी और मिश्रित उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि हुई, जो इस प्रकार है:-

('000 मी.टन)

वर्ष	यूरिया, डीएपी और मिश्रित उर्वरकों का उत्पादन
2004-05	30810.9
2005-06	31490.9
2006-07	32624.1

सरकार यूरिया के उत्पादन को नेफ्था से प्राकृतिक गैस में बदलकर सतत स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहन देने और क्षमता में सुधार की नीति का अनुसरण कर रही है। पीएण्डके क्षेत्र में आयोजित कच्ची सामग्रियों, मध्यवर्तियों और तैयार उर्वरकों पर अन्तर्निहित निर्भरता के कारण पीएण्डके उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार संसाधन सम्पन्न देशों में संयुक्त उद्यम की स्थापना को बढ़ावा दे रही है।

विवरण

देश में प्रचालित राज्य-वार और क्षेत्र-वार प्रमुख उर्वरक इकाइयों की संख्या

क्रम सं.	राज्यों के नाम	प्रचालित इकाइयों की संख्या	क्षेत्र			
			सार्वजनिक क्षेत्र	सहकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1	आन्ध्र प्रदेश	4			4	4
2	असम	2	2			2
3	बिहार					

1	2	3	4	5	6	7
4	छत्तीसगढ़					
5	गोवा	1			1	1
6	गुजरात	8		3	5	8
7	हरियाणा	1	1			1
8	झारखंड					
9	कर्नाटक	1			1	1
10	केरल	2	2			2
11	मध्य प्रदेश	2	2			2
12	महाराष्ट्र	5	4		1	5
13	उड़ीसा	2		1	1	2
14	पंजाब	2	2			2
15	राजस्थान	3			3	3
16	तमिलनाडु	4	1		3	4
17	उत्तर प्रदेश	7		5	2	7
18	पश्चिम बंगाल	1			1	1
	कुल	45	14	9	22	45

[अनुवाद]

नक्सलियों/माओवादियों द्वारा रेलवे संपत्ति को नुकसान

3240. श्री भर्तृहरि महताब :

श्री दलपत सिंह परस्ते :

श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

श्री धर्मेन्द्र प्रधान :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को माओवादियों द्वारा 24 जून, 2007 को समाप्त चौबीस घंटे के घोषित आर्थिक बंद के कारण संपत्ति का नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ गाड़ियों को सावधानी उपायों के तहत रद्द करना पड़ा;

(घ) यदि हां, तो क्या टिकटधारियों को धनराशि वापिस की गई;

(ङ) यदि हां, तो इससे रेलवे को कुल कितना नुकसान हुआ;

(च) गत एक वर्ष के दौरान नक्सलियों/माओवादियों द्वारा रेल लाइनों/स्टेशनों/संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की ऐसी अन्य घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(छ) इससे रेलवे संपत्ति को कितना वित्तीय नुकसान पहुंचा और इसमें कितनी जानें गईं; और

(ज) ऐसी स्थिति से निपटने और रेल यात्रा को सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिए रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी, हां। 24 जून, 2007 को मोओवादियों द्वारा घोषित 24 घंटे के आर्थिक बंद के दौरान रेलवे सम्पत्ति की लगभग 3,89,05,000 रु. की हानि होने का अनुमान लगाया गया है।

कथित तौर पर माओवादियों ने पूर्व-मध्य रेलवे के धनबाद मंडल में (चक्रवाडीह-मंगरा स्टेशन और चेतार-रिपुघुंटा स्टेशनों के बीच) दो स्थानों पर बम विस्फोट किए जिसके कारण रेल पटरी को नुकसान हुआ। 22 खाली डिब्बों के साथ दो बिजली रेल इंजन, पटरी से उतर गए थे जिसके कारण शिरोपरि बिजली फिटिंग की क्षति हुई।

(ग) और (घ) जी, हां।

(ङ) जोनल रेलों से सूचना एकत्र की जा रही है।

(च) और (छ) नक्सलियों/माओवादियों द्वारा 2006–07 के दौरान रेलवे सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने की निम्नलिखित घटना करने की सूचना है:

1. 25.04.2006 को हथियारों से लैस 100/150 उग्रवादी पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल के आसनसोल–झाझा खण्ड को नरगंजो रेलवे स्टेशन के रेलवे केबिन में आए और रेलवे कर्मचारियों का अपहरण कर जंगल की ओर खींचकर ले गए और उन्होंने किलोमीटर नं.–357/21–22 पर पटरी पर बम्ब रख दिया। उन्होंने नरगंजो रेलवे स्टेशन के रेलवे केबिन को उड़ा दिया।

2. 26.04.2007 को माओवादियों ने पूर्व रेलवे के मालदा मंडल में दशरथपुर और जमालपुर रेलवे स्टेशन के बीच किलोमीटर नं. –364/1–2 पर एक बारूदी सुरंग का विस्फोट किया।

3. 19.5.2006 को माओवादियों ने पूर्व तट रेलवे पर पटरी के 02 टुकड़े (26 मीटर की लम्बाई) रेलपथ से उस समय हटा दिए जब लौह अयस्क से भरे 53 माल डिब्बों वाली उड़ान गाड़ी सं. के वी एल–35/25 बंसी–कमालूर स्टेशनों से गुजर रही थी। इसके कारण सभी 3 बिजली इंजन पटरी से उतर गए और सात भरे हुए माल डिब्बे उलट गए। मानव जीवन के नुकसान की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। रेलवे सम्पत्ति की 1,65,32,000 रु. की हानि होने का अनुमान है।

4. 14.8.2006 को दो विशाल पेड़ों को काटकर माओवादियों द्वारा उन्हें पटरी पर रख दिए जाने के कारण पूर्व तट रेलवे में कमालूर–भंसी स्टेशनों के बीच शिरोपरि उपस्कर और सिगनल एवं दूर संचार में खराबी हो गई थी। मानव जीवन के नुकसान की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। रेलवे सम्पत्ति की 72,000 रु. की हानि होने का अनुमान है।

5. 8.10.2006 दो पटरियां, चालू ट्रैक से हटा दी गई थी और पूर्व तट रेलवे पर कि.मी. 442/22–23 पर माओवादियों द्वारा एक विस्फोट उपकरण लगाया गया था जिसके कारण मालगाड़ी पटरी से उतर गई और रेलपथ को नुकसान हुआ। मानव जीवन के नुकसान की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। रेलवे सम्पत्ति के 1,08,54,939 रु. की हानि होने का अनुमान लगाया गया है।

6. 15.10.2006 को 50/60 माओवादियों ने दक्षिण पूर्व रेलवे में गाड़ी सं. एन के के सी–470 के 3 रेल इंजनों में आग लगा दी।

7. 30.10.2006 को पूर्व तट रेलवे में कि.मी. 417/8 पर चालू ट्रैक से दो रेल पटरियों को हटा दिया गया जिसके परिणामस्वरूप मालगाड़ी पटरी से उतरी और पटरी को नुकसान हुआ। मानव जीवन के नुकसान की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। रेलवे सम्पत्ति की 2,24,15,942 रु. की हानि होने का अनुमान है।

8. 8.12.2006 को हथियारों से लैस नक्सलवादियों के एक ग्रुप ने महाराष्ट्र राज्य में दक्षिण–पूर्व–मध्य रेलवे के नागपुर मंडल के दाराक्सा–बटालाऊ रेलवे स्टेशन के समीप एक इंजन को आग लगा दी। इसमें मानव जीवन की कोई हानि नहीं हुई। रेलवे सम्पत्ति को 20000 रु. की हानि होने का अनुमान है।

9. 10.12.2006 को दक्षिण पूर्व रेलवे में गाड़ी सं. 346–डाउन टाटा–कड़कपुर यात्री गाड़ी में हथियारों से लैस नक्सलवादियों ने रेलवे सुरक्षा बल की रोकड़ मार्ग रक्षण पार्टी के ऊपर हमला किया और उनसे .303 रायफलों व 20 राउंड गोलियां छीन ली जिसके कारण रेलवे ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा बल के दो कर्मचारियों को गंभीर चोटें आई।

(ज) रेल यात्रा को सुरक्षित और सुखद बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

- रेलवे सुरक्षा बल/राजकीय रेलवे पुलिस के कर्मियों द्वारा महत्वपूर्ण मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों का मार्गरक्षण करके।
- आधुनिक सुरक्षा उपकरण की खरीद करके।
- कर्मचारियों का निकट एवं प्रभावी पर्यवेक्षण।
- जनशक्ति बढ़ाकर।
- श्वान दस्तों को सुदृढ़ कर।
- राजकीय रेलवे पुलिस/सिविल पुलिस/आसूचना एजेंसियों के साथ नियमित समय पर बैठकें आयोजित करके।

रेलवे स्टेशनों पर कृषि बिक्री केन्द्रों की स्थापना

3241. श्री चन्द्रभूषण सिंह :

श्री थावरचन्द गहलोत :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार देश में रेलवे स्टेशनों पर किसानों द्वारा कृषि उत्पादों की बिक्री हेतु बिक्री केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या विभिन्न कंपनियों ने ऐसे बिक्री केन्द्रों की स्थापना के लिए आवेदन किया है;

(घ) यदि हां, तो किन–किन कंपनियों ने आवेदन किया है और ऐसे बिक्री केन्द्रों की स्थापना के लिए किन–किन स्थानों का विकल्प दिया है;

(ङ) कितने रेलवे स्टेशनों पर इस योजना को कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(च) क्या यह योजना सब्जियों के व्यापार में कुछ कंपनियों के एकाधिकार को बढ़ावा देती है और गरीब सब्जी विक्रेताओं को बुरी तरह प्रभावित करती है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या सुरक्षोपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) एग्रो-रिटेल आउटलेटों और आपूर्ति श्रृंखलाओं के विकास द्वारा अधिशेष रेल भूमि का उपयोग करके अतिरिक्त यातायात घनत्व की व्यवहार्यता का पता लगाने का विनिश्चय किया गया है।

(ग) और (घ) यद्यपि कई कंपनियों ने रुचि दिखाई है, इस समय रुचि संभाव्यता प्रकृति की है। संगत सूचना प्राप्त करने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति को अभी आमंत्रित किया जाना है।

(ङ) इस स्तर पर रेलवे स्टेशनों की संख्या को बताना समय से पूर्व होगा।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर में आरक्षण नीति

3242. श्री सुनील खां : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में सहायक पंजीयक तथा अन्य पदों की भर्ती में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के रोस्टर का अनुपालन नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में अजा/अजजा के लोगों से कोई शिकायत मिली है;

(घ) यदि हां, तो इन पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी सहित कितने अध्यापक तथा कर्मचारी कार्यरत हैं तथा उनमें से अजा, अजजा तथा अपिव श्रेणी के कितने हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (घ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय को कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनकी जांच की जा रही है।

(ङ) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर में कुल 283 व्याख्याता और अध्यापन-इतर कर्मचारी कार्यरत हैं जिनमें से 89 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित हैं।

खाद्य कानूनों के समेकन हेतु संवैधानिक निकाय

3243. श्री एनेन बर्मन : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खाद्य कानूनों के समेकन तथा उन्हें और अधिक कठोर बनाने और नए खाद्य कानून बनाने हेतु एक संवैधानिक निकाय गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) संवैधानिक निकाय के सदस्य कौन-कौन होंगे;

(ङ) क्या यह नया निकाय प्रयोगशालाओं के प्रत्यायन एवं प्रमाणन हेतु भी उत्तरदायी होगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (च) सरकार ने खाद्य से संबंधित कानूनों के समेकन और खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने तथा खाद्य वस्तुओं के निर्माण, भण्डारण, वितरण, विक्रय और आयात को विनियमित करने के लिए ताकि मानव उपभोग के लिए सुरक्षित तथा स्वास्थ्यप्रद खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित हो, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना करने के वास्ते खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 अधिसूचित किया है। उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार खाद्य प्राधिकरण का एक कार्य प्रयोगशालाओं के प्रत्यायन तथा मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाओं को अधिसूचित करने की प्रक्रिया और मार्गनिर्देश निर्धारित करना है। इस अधिनियम के तहत खाद्य प्राधिकरण का गठन एक अध्यक्ष और निम्नलिखित 25 सदस्यों के द्वारा किया जाएगा:-

(i) केंद्रीय सरकार के क्रमशः खाद्य प्रसंस्करण, कृषि, वाणिज्य, उपभोक्ता मामले, स्वास्थ्य विधायी मामले, लघु उद्योग मंत्रालयों/विभागों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा सात पदेन सदस्य नियुक्त किए जाएंगे जिनका दर्जा भारत सरकार के संयुक्त सचिव के दर्जे से कम के नहीं होगा।

(ii) खाद्य उद्योग से दो प्रतिनिधि जिनमें से एक लघु उद्योग से होगा।

(iii) उपभोक्ता संगठनों से दो प्रतिनिधि।

(iv) तीन प्रख्यात खाद्य प्रौद्योगिकीविद् या वैज्ञानिक।

(v) राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए पांच सदस्य।

(vi) कृषक संगठनों का प्रतिनिधित करने के लिए दो व्यक्ति।

(vii) खुदरा व्यापार संगठनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक व्यक्ति।

[हिन्दी]

गैस सिलेंडरों का आबंटन

3244. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गैस सिलेंडरों के वाणिज्यिक उपयोग पर रोक लगाने के लिए गैस सिलेंडरों के आबंटन पर शर्तें लगाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को सरकारी क्षेत्र के उपक्रम इंडियन आयल कार्पोरेशन द्वारा प्रति परिवार केवल एक सिलेंडर प्रदान करने की नीति के बारे में जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो क्या इससे आम उपभोक्ता के सामने आ रही समस्याओं के मद्देनजर उक्त नीति की समीक्षा करने के लिए कोई मांग हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ङ) घरेलू एलपीजी एक राजसहायता प्राप्त उत्पाद है। जबकि ओएमसीज ग्राहकों की वास्तविक मांग को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं, अनधिकृत उपयोग के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का विपथन रोकने के लिए नियंत्रण करने की जरूरत है। ओएमसीज के एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों को केवल बुकिंगों के प्रति एलपीजी सिलेंडर जारी करने होते हैं और घरेलू एलपीजी की रिफिल आपूर्तियां ओएमसीज द्वारा ग्राहकों की वास्तविक जरूरतों के अनुसार की जा रही हैं।

वर्तमान में नए एलपीजी कनेक्शन वास्तविक घरेलू ग्राहकों के लिए तुरन्त उपलब्ध है और एलपीजी कनेक्शन की आपूर्ति तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 (नियंत्रण आदेश) के अनुसार की जाती है। परिवार आधार पर और पाइप वाली प्राकृतिक गैस (पीएनजी) के ग्राहकों को एलपीजी कनेक्शनों पर प्रतिबंध से संबंधित नियंत्रण आदेश पर संशोधन सरकार के विचाराधीन है।

उत्तर-पूर्व रेलवे में नई रेल लाइनें

3245. प्रो. हरिकेवल प्रसाद : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के अन्तर्गत हथुआ भाटनी तथा छितौनी कुम्कुही रोड़ के बीच रेल खण्ड पर नई रेल लाइन बिछाने का कोई कार्य किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अब तक कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है; और

(ग) उक्त रेल लाइन पर कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां। हथुआ से भटनी तक तथा छितौनी से तुमकुही रोड़ तक नई लाइन का कार्य प्रारंभ किया गया है।

(ख) हथुआ–भटनी नई लाइन परियोजना के हथुआ–बथुआ बाजार (22 कि.मी.) खण्ड में भूमि अधिग्रहण मिट्टी संबंधी, पुल संबंधी, गिट्टी संबंधी कार्य इत्यादि प्रारंभ किए गए हैं। बथुआ बाजार से भटनी तक शेष खण्ड में भूमि अधिग्रहण का कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है। समग्र वास्तविक प्रगति 22% है। जहां तक छितौनी–तुमकुही रोड़ का संबंध है, छितौनी पनियाहावा के लिए मिट्टी संबंधी कार्य, ब्लैंकेटिंग और स्टेशन भवन के कार्य संबंधी टैंडरों को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस कार्य को संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आगामी वर्षों में पूरा किया जाएगा।

(ग) इन दो परियोजनाओं को पूरा करने के लिए लक्ष्य तिथि अभी तक तय नहीं की गई है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में सिटी गैस वितरण गतिविधियां

3246. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने राज्य में सिटी गैस वितरण गतिविधियां शुरू करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक सरकार ने इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सहायक सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु कर्नाटक उद्योग मित को मॉडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है;

(ग) क्या केन्द्र द्वारा सिटी गैस वितरण नीति शुरू किए जाने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने गैस वितरण के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया है; और

(घ) यदि हां, तो कर्नाटक राज्य में यह किस सीमा तक सफल रहा है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) कर्नाटक सरकार ने मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) को कर्नाटक राज्य में नगरीय तथा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क्स बिछाने, निर्माण करने और उसका संचालन करने के लिए "अनापत्ति प्रमाणपत्र" प्रदान कर दिया है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) जैसा ऊपर (क) तथा (ख) में उल्लेख किया गया है।

नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति

3247. श्री नवीन जिन्दल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) ने अपनी रिफाइनरी के लिए प्राकृतिक गैस की आपूर्ति हेतु ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजनार्थ गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इस पाइपलाइन पर कुल कितना खर्च आने की संभावना है; और

(घ) इस परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) जी, हां। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) ने अपनी रिफाइनरी के लिए 1.0 मिलियन मीटरी मानक घन मीटर प्रतिदिन (एमएमएससीएमडी) प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए मैसर्स आयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) के साथ करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) जी, हां। दुलियाजान से नुमालीगढ़ तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए एक नई प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है।

(ग) और (घ) प्रस्तावित प्राकृतिक गैस पाइपलाइन 318 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से अक्टूबर, 2008 तक पूरी होने की आशा है।

[हिन्दी]

पेट्रोल/डीजल में मिलावट

3248. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान उड़ीसा में पेट्रोल तथा डीजल में मिलावट की जांच करने के लिए कितने नमूने लिए गए;

(ख) यदि हां, तो उनमें से कितने नमूनों में मिलावट पाई गई;

(ग) एजेंटों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) कार्रवाई किस प्रकार से की गई तथा कितने एजेंटों के लाइसेंस जब्त किए गए?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (घ) तेल विपणन कंपनियां मिलावट में संलिप्त पाए गए डीलरों के विरुद्ध विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों (एमडीजी)/डीलरशिप करार के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई करती है। तेल विपणन कंपनियों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के अलावा राज्य सरकारें आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत सरकार द्वारा जारी नियंत्रण आदेशों के प्रावधानों के तहत चूककर्ता डीलरों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए शक्तिप्रदत्त हैं। एमडीजी, 2005 के अंतर्गत, पहली बार मिलावट सिद्ध होने पर डीलरशिप समाप्त कर दी जाती है। ओएमसीज़ से लिए गए नमूनों तथा की गई कार्रवाईयों का ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है और सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

रेलवे स्टेशनों पर साइबर कैफे

3249. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन रेलवे स्टेशनों के नाम क्या हैं, जहां पर अब तक साइबर कैफे खोले गए हैं;

(ख) इनमें से कितने साइबर कैफे ने कार्य करना शुरू कर दिया है;

(ग) शेष साइबर कैफे के कब तक कार्य शुरू कर दिए जाने की संभावना है; और

(घ) उन रेलवे स्टेशनों के नाम क्या हैं जहां पर चालू वर्ष के दौरान साइबर कैफे खोले जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) अभी तक 24 रेलवे स्टेशनों पर साइबर कैफे खोले गए हैं। संलग्न विवरण में साइबर कैफों की सूची दी गई है।

(ख) सभी 24 साइबर कैफे में कार्य चालू हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) चालू वित्त वर्ष के दौरान अजमेर, अमृतसर, चैन्नै सेंट्रल, पटना, संबलपुर, सूरत तथा त्रिची में 7 और साइबर कैफे खाले जाने का प्रस्ताव है।

विवरण

24 स्टेशनों की सूची

क्रम सं.	स्टेशनों की सूची
1.	अहमदाबाद
2.	आसनसोल
3.	बेंगलुरु
4.	चंडीगढ़
5.	कोयम्बतूर
6.	एर्णाकुलम
7.	गोरखपुर
8.	गुंटूर
9.	हावड़ा
10.	हैदराबाद
11.	जयपुर
12.	झांसी
13.	जोधपुर
14.	लखनऊ
15.	लुधियाना
16.	मुंबई सेंट्रल
17.	मैसूर
18.	नागपुर
19.	नई दिल्ली
20.	पुणे
21.	पुरी
22.	सियालदाह
23.	सिकंदराबाद
24.	विजयवाड़ा

रसोई गैस की मांग तथा उत्पादन

3250. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में रसोई गैस (एल.पी.जी.) की मांग तथा उत्पादन क्या रहा है;

(ख) देश में आज की तिथि में राज्य-वार कितने रसोई गैस वितरक तथा उपभोक्ता हैं;

(ग) क्या विद्यमान मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन तथा वितरकों की संख्या पर्याप्त है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो कमी की पूर्ति करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, देश में एल पी जी की मांग और उत्पादन निम्नानुसार रहा है:-

(टी एम टी)

	खपत	उत्पादन
2005-06	10456	7717
2006-07	10855	8454
2007-08 (अप्रैल-जून) अनंतिम	2708	2159

(ख) देश में 1.7.2007 की स्थिति के अनुसार, डिस्ट्रीब्यूटरों की संख्या और उपभोक्ताओं की संख्या विवरण में दी गई है।

(ग) से (ङ) हालांकि डिस्ट्रीब्यूटरों की नियुक्ति करना एक सतत प्रक्रिया है, तो भी एल पी जी का उत्पादन देश की संपूर्ण मांग को पूरा करने के लिए काफी नहीं है। इस कमी को एल पी जी का आयात करके पूरा किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के आयात के आंकड़े निम्नानुसार है:-

वर्ष	आयात (टी एम टी में)
2005-06	2883
2006-07	2288
2007-08 अप्रैल-जून (अनन्तिम)	526

विवरण

दिनांक 1.7.2007 की स्थिति के अनुसार कुल एलपीजी उपभोक्ता तथा डिस्ट्रीब्यूटर

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	घरेलू उपभोक्ता (लाख में)	एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर
1	2	3
चंडीगढ़	3.14	28
दिल्ली	40.18	315
हरियाणा	31.39	279
हिमाचल प्रदेश	12.10	120
जम्मू और कश्मीर	13.45	153
पंजाब	44.54	420
राजस्थान	39.11	434
उत्तर प्रदेश	98.43	1160
उत्तरांचल	14.48	169
उप योग उत्तर	296.82	3078
अंडमान और निकोबार	0.50	4
अरुणाचल प्रदेश	1.17	30
असम	18.42	251
विहार	22.66	308
झारखण्ड	10.47	141
मणिपुर	2.09	31
मेघालय	1.03	32
मिजोरम	1.83	25
नागालैंड	1.32	27
उड़ीसा	14.17	185
सिक्किम	1.11	7
त्रिपुरा	2.42	30
पश्चिम बंगाल	48.84	471
उप योग पूर्व	126.03	1542
छत्तीसगढ़	10.20	153
दादरा और नगर हवेली	0.30	1
दमन और दीव	0.27	2
गोवा	3.96	53
गुजरात	52.24	539
मध्य प्रदेश	39.63	570
महाराष्ट्र	125.75	998
उप योग पश्चिम	232.33	2316
आंध्र प्रदेश	104.02	880
कर्नाटक	53.58	488
केरल	51.52	374
लक्षद्वीप	0.03	1
पांडिचेरी	2.36	18
तमिलनाडु	90.23	656
उप योग दक्षिण	301.76	2417
कुल योग	956.94	9353

सी एन जी किटों से लोकल रेलगाड़ियां चलाया जाना

3251. **श्री के. सी. पल्लानी शामी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के पास देश में कुछ चयनित मार्गों पर सी एन जी किटें लगी लोकल रेलगाड़ियां चलाये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इससे वार्षिक रूप से ईंधन लागत में लगभग कितनी कमी आएगी;

(ग) क्या ऐसी रेलगाड़ियां अन्य मार्गों पर भी चलाये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां। डीजल शेड, शकूरबस्ती में एक डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (डी ई एम यू) को कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस (सी एन जी) के साथ दोहरे ईंधन इंजन में बदला गया है और इसे दिल्ली–रोहतक, दिल्ली–रेवाड़ी और दिल्ली– शामली खंडों पर सी एन जी से परीक्षण के तौर पर चलाया जा रहा है।

(ख) सी एन जी आधारित डी ई एम यू की परिचालन लागत डीजल आधारित डी ई एम यू की परिचालन लागत से 25% कम होने की आशा है।

(ग) और (घ) जी, हां। सी एन जी आधारित डी ई एम यू की संख्या बढ़ाने के लिए 100 डी ई एम यू को सी एन जी आधारित दोहरे ईंधन वाले डी ई एम यू में बदलने की एक परियोजना शुरू की गई है।

[हिन्दी]

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का आंतरिक संसाधनों का उपयोग

3252. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के उत्पादन लागत में कमी करने तथा अपना स्वयं का विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस.ई.जेड.) गठित करने के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) के आंतरिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने के लिए कोई कार्य–योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस विशेष आर्थिक क्षेत्र में सेल के अलावा अन्य इस्पात संयंत्रों के लिए प्लॉट तथा इस्पात उत्पाद भी होंगे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त योजना की वर्तमान में क्या प्रगति चल रही है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास) : (क) और (ख) 49,000 करोड़ रुपए की निर्देशात्मक लागत पर 14.6 मिलियन टन वार्षिक (2006–07) के वर्तमान स्तर से तप्त धातु का उत्पादन 2010–11 तक 26 मिलियन टन वार्षिक करने के लिए स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लि. की महत्वकांक्षी आधुनिकीकरण और विस्तार योजनाएं हैं। इन कार्यक्रमों में होने वाले व्यय का निधियन सेल के अपने आंतरिक संसाधनों तथा आवश्यकतानुसार बाजार से उधार लेकर पूरा करने का प्रस्ताव है। सेल ने अपनी उत्पादन लागत को युक्तिसंगत बनाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इन कदमों में बेसिक आक्सीजन फर्नेस (बी ओ एफ) रूट के जरिए इस्पात का 100% उत्पादन, सतत ढलाई के जरिए इस्पात की प्रोसेसिंग, अर्द्ध परिसज्जित इस्पात की कमी करके मूल्यवर्धन, सभी ब्लास्ट फर्नेसों (बी एफ) में आक्जीलरी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, स्टेट आफ आर्ट प्रोसेस कंट्रोल कंप्यूटराइजेशन/आटोमेशन, डी–बोटलनेकिंग तथा उत्पादकता में सुधार करने की योजनाएं, सेकेण्डरी रिफाइनिंग तथा कोयला तथा लोह अयस्क खानों में उत्पादन सुविधाओं का संवर्धन शामिल है।

सेल का सेलम इस्पात संयंत्र के समीपवर्ती क्षेत्र में एक इस्पात क्षेत्र विशेष आर्थिक जोन (एस ई जैड) विकसित करने की योजना है। सेलम इस्पात संयंत्र के उपलब्ध उत्पादों का उपयोग करने की सुविधा हेतु सेल भावी इकाइयों के लिए कस्टमाइज इनपुट उपलब्ध करा कर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इन इकाइयों में कटलरी, किचन एंड हास्पीटल वेयरस, यूटेन्सिल्स, केमिकल तथा फार्मास्यूटिकल एक्यूपमेंट मेन्यूफेक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए मशीनें तथा पाइप मेन्यूफेक्चरर्स, आटो कम्पोनेंट्स, लिफ्ट के लिए पैनल आदि शामिल है।

(ग) और (घ) प्रस्तावित इस्पात क्षेत्र एस ई जैड में वे इकाइयां होंगे जो विभिन्न क्षेत्रों जैसे किचन एंड हास्पीटल वेयरस, यूटेन्सिल्स, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए मशीनें एवं एक्यूपमेंट, केमिकल तथा फार्मास्यूटिकल सेक्टर, पाइप एंड ट्यूब मेन्यूफेक्चरर्स आदि में उत्पादन सुविधाएं स्थापित करेंगी। ये प्रोसेसिंग इकाइयां सेल के अतिरिक्त अन्य कंपनियों द्वारा स्थापित की जाएंगी। सेल प्रस्तावित एस ई जेड में प्रोसेसिंग इकाइयों को कस्टमाइज स्टील इनपुट उपलब्ध कराएगा। परियोजना का ब्यौरा मास्टर प्लानिंग, विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट, यूटिलिटी प्लानिंग तथा बाजार अध्ययन जैसे परियोजना घटकों के तैयार होने के बाद ही पता चल पाएगा।

(ङ) यह योजना फिलहाल आयोजना चरण में है।

[अनुवाद]

समपारों का खोला जाना

3253. श्री जी. एम. सिद्धेश्वर : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को कर्नाटक सरकार से कर्नाटक के दावनगेरे जिले में कोडागनूर रेलवे स्टेशन के निकट समपार गेट सं. 305/9–10 को खोले जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे ने कर्नाटक सरकार के अनुरोध पर विचार किया है तथा इसे स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

आटोमोबाइल उद्योग की मांगें

3254. श्री एस.के. खारवेन्थन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को देश में ऑटोमोबाइल सेवाओं के व्यापक उपयोग के लिए ऑटोमोबाइल उद्योग की मांग की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो रेल द्वारा आटोमोबाइल क्षेत्र से संबंधित संचालित किए गए यातायात का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे के पास ऑटोमोबाइल क्षेत्र से आ रही मांग को पूरा करने के लिए ट्रिपल डेकर कंटेनर रेलगाड़ियां चलाये जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन्हें कब तक चला दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान (अगस्त, 2007 तक) ऑटोमोबाइल सेक्टर के यातायात से 140 रेकों का लदान किया गया है।

(ग) और (घ) जी हां। ट्रिपल स्टैक कंटेनर रेलगाड़ी चलाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है और अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन (अ.अ.मा.सं.) के अनुमोदन के बाद इसका परीक्षण किया जायेगा।

[हिन्दी]

मुडखेड़ परभनी रेल मार्ग पर दोहरीकरण कार्य

3255. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुडखेड़ परभनी रेल मार्ग पर दोहरीकरण का कोई कार्य चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अब तक कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) कार्य स्वीकृत नहीं है। बहरहाल, मुडखेड़–परभनी (81 कि.मी.) खंड के दोहरीकरण के लिए एक प्रारंभिक इंजीनियरी–एवं–यातायात सर्वेक्षण को बजट 2007–08 में शामिल कर लिया गया है।

[अनुवाद]

आलुओं का प्रसंस्करण

3256. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आलुओं को प्रसंस्कृत भोजन में बदलने के लिए देशी प्रसंस्करण की व्यापक संभावनाएं देश मे ही मौजूद हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में आलू आधारित प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अधिकार है; और

(घ) यदि हां, तो इस क्षेत्र में देशी उद्योगों को बढ़ावा देने तथा विकास करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (घ) देश में आलू के प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाने की पर्याप्त गुंजाइश है। खुदरा खाद्य बिक्री, बागान और अल्कोहल पेयों के मामलों को छोड़कर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में शतप्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने आलू के प्रसंस्करण के लिए अपनी यूनिटों की स्थापना की है। मंत्रालय आलू के प्रसंस्करण समेत कृषि खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के संवर्धन और विकास के लिए विभिन्न योजना स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण/स्थापना संबंधी योजना स्कीम के तहत मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 25% की दर से जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपए है और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, सिक्किम एवं पूर्वोत्तर के राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप और एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम क्षेत्रों समेत दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% की दर से जिसकी अधिकतम सीमा 75 लाख रुपए है, सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देता है। इसके अलावा, सरकार ने फलों और सब्जी उत्पादों को उत्पाद शुल्क के भुगतान से पहले ही छूट दी है। सरकार ने आयकर अधिनियम के तहत फल एवं सब्जियों के प्रसंस्करण, परिरक्षण एवं पैकेजिंग के लिए स्थापित किए जाने वाले नए कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को पांच साल के लिए लाभ पर 100% आयकर छूट और अगले 5 वर्षों के लिए लाभ पर 25% आयकर छूट दी है।

निजी एयरलाइनों के विलय तथा अधिग्रहण के संबंध में नीति

3257. श्री के.एस. राव : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विमानन उद्योग में विलय तथा अधिग्रहण के मामले में अपनी नीति तथा नियमों में ढील देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स के विलय से यात्रियों को लाभ हुआ है तथा प्रचालन लागत एवं बीमा में बचत ने निजी एयरलाइनों के विलय तथा अधिग्रहण के लिए एक अनुकरणीय मॉडल प्रस्तुत किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) सरकार पहले ही गैर–पक्षपातपूर्ण तरीके से एयरलाइनों के विलय/टेकओवर की स्थिति में हवाई अड्डा अवसंरचना के उपयोग से संबंधित एक नीत जारी कर चुकी है।

(ग) से (ङ) एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स के विलय से, अन्य बातों के साथ–साथ एशिया की अन्य प्रतिस्पर्धी एयरलाइनों के आकार के समतुल्य भारत में सबसे बड़ी एयरलाइन का सृजन होगा जिसके परिणामस्वरूप मितव्ययिता के स्तर तथा प्रचालनों में साहचर्य स्थापित होगा। तथापि, निजी एयरलाइनें अपने स्वयं के निर्णय के आधार पर अपने प्रस्तावित विलय/अधिग्रहण के लिए अलग–अलग मॉडल अपनाने के लिए स्वतंत्र है।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों की कालाबाजारी

3258. श्री चन्द्रदेव प्रसाद राजभर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पेट्रोलिमय उत्पादों की कालाबाजारी फलफूल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी गैस एजेन्सियां/पेट्रोल पम्प दोषी पाए गए; और

(घ) सरकार द्वारा दोषी पाई गई गैस एजेन्सियों/पेट्रोल पम्पों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) पी डी एस केरोसीन/राज सहायता प्राप्त एल पी जी की कालाबाजारी के लिए उपयोग करके धन कमाने के वास्ते कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों जैसे पी डी एस मिट्टी तेल/एल पी जी सिलेन्डरों की कालाबाजारी की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसका कारण राजसहायता प्राप्त मिट्टी तेल, गैर राज सहायता प्राप्त मिट्टी तेल और अन्य पेट्रोलियम पदार्थों जैसे एम एस, एच एस डी के मूल्यों में बहुत अंतर होना है। सरकार ने 2004 में राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एन सी ए ई आर) के माध्यम से एक अध्ययन कराया था। एन सी ए ई आर ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ साथ अनुमान लगाया कि 2004 में पी डी एस के ओ की कुल बिक्री का 17.9% का खुले बाजार (काले बाजार) में विपथन हुआ था।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) ने खुदरा बिक्री केन्द्र में 5661 भ्रष्टाचार के मामलों का पता लगाया था और विपणन अनुशासन दिशानिर्देश (एम डी जी)/डीलरशिप करारों के प्रावधानों के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। उसी अवधि के दौरान 226 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरों को एम डी जी के अनुसार विभिन्न अनियमितताओं के लिए दंडित किया गया था।

विमानपत्तनों का निजीकरण

3259. श्री अशोक अर्गल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के उन विमानपत्तनों का ब्यौरा क्या है जिनका निजीकरण किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार निजी विमानपत्तनों पर अपना नियंत्रण खोती जा रही है;

(ग) यदि हां, तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा मुम्बई विमानपत्तन का निजीकरण करने से पूर्व इसके विकास पर कितनी धनराशि खर्च हुई; और

(घ) निजी विमानपत्तनों में सरकार की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) मौजूदा एयरपोर्टों का निजीकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) मुम्बई के छत्रपति शिवाजी अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को संयुक्त उद्यम कम्पनी को सौंपे जाने से पूर्व, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान इसके विकास पर किया गया व्यय 203.38 करोड़ रुपए था।

(घ) दिल्ली एवं मुम्बई एयरपोर्टों की पुनर्संरचना की गई है और फिर इन्हें संयुक्त उद्यम कम्पनियों को सौंप दिया गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास, इन संयुक्त उद्यम कम्पनियों के साथ राजस्व सहभागिता व्यवस्थाओं के अतिरिक्त, इक्विटी का 26% हिस्सा भी है।

[अनुवाद]

मुस्लिम बहुल राज्यों में कम्प्यूटर केन्द्र

3260. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अल्पसंख्यक समुदायों विशेषकर मुसलमानों

के सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक पिछड़ेपन के मद्देनजर सरकार ने विशेषकर मुस्लिम बहुल राज्यों में कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विश्व में हुए नवीनतम विकासों के बारे में मुस्लिम समुदाय को शिक्षित करने के लिए कोई कार्य योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) देश में अल्पसंख्यक समुदाय के ज्ञान का स्तर अद्यतन रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय उर्दू भाषा उन्नयन परिषद, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है, ने गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से, विशेष रूप से मुस्लिम बहुल जनसंख्या वाले राज्यों में 228 केन्द्रों की स्थापना की है। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय घटनाओं के साथ-साथ आधुनिक संदर्भ के विचारों को उर्दू भाषा में उपलब्ध कराना है।

बौद्ध स्थलों का सौंदर्यीकरण

3261. श्री मोहन जेना : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा के जजपुर जिले में रत्नागिरी में छठी शताब्दी के विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्मारक का सौंदर्यीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त स्थलों पर ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने उक्त बौद्ध स्मारक के आस-पास बड़े स्तर पर पौध रोपण शुरू किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) वर्ष 2004-05 में 740.66 लाख रुपए की कुल राशि हेतु, उड़ीसा सरकार के लिए ललितगिरी, रत्नागिरि, उदयगिरि और लैंगुडी में सुविधाओं के विकास हेतु, उड़ीसा में बौद्ध परिपथ के एकीकृत विकास की एक परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई थी। परियोजना के घटकों में, चारदीवारी, प्रवेशद्वार, प्लाजा, व्याख्यान केन्द्र, वाटर कासकेड्स, कैफेटेरिया, शिल्प बाजार, प्रार्थना हॉल-सह-ध्यान केन्द्र, ओपन एयर ऑडिटोरियम, जलापूर्ति एवं स्प्रिंकलर प्रणाली और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण शामिल है।

(ग) और (घ) उड़ीसा में बौद्ध स्थलों में ध्वनि एवं प्रकाश शो (एसइएल) के संबंध में, उड़ीसा राज्य सरकार की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) और (च) ऊपर वर्णित परियोजना के अंतर्गत, पौध रोपण संचालित करने के लिए, पर्यटन मंत्रालय ने किसी सहायता की मंजूरी नहीं दी है।

जैव ईंधन की खेती

3262. श्री सुग्रीव सिंह :

श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड का विचार देश में जैव ईंधन उत्पादक पौधों जटरोफा की खेती के लिए किसानों के साथ अनुबंध खेती संबंधी समझौते करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा ऐसे किसानों को दिए जाने वाले प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे समझौतों के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (घ) जी नहीं। आज की स्थिति के अनुसार, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के पास देश में जैव ईंधन उत्पादक पौधों-जटरोफा की खेती के लिए किसानों के साथ अनुबंध खेती करारों पर हस्ताक्षर करने की कोई योजना नहीं है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए विनियामक प्राधिकरण

3263. श्री किसनभाई वी. पटेल : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एक खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र हेतु विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास तथा इस क्षेत्र के रोजगार के सृजन हेतु लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम,

2006 में अधिसूचित किया है जिसमें खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने तथा खाद्य वस्तुओं के निर्माण, भण्डारण, वितरण, विक्रय और आयात को विनियमित करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना करने का उल्लेख है ताकि मानव उपभोग के लिए सुरक्षित तथा स्वास्थ्यप्रद खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित हो।

(ग) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी योजना स्कीमों के अंतर्गत देश में विभिन्न पणधारियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है। मंत्रालय द्वारा अपनाए गए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संबंधी विजन, 2015 के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र की वृद्धि के लिए एक समेकित रणनीति और कार्ययोजना तैयार की गई है। इस रणनीति का उद्देश्य वर्ष 2015 तक जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के प्रसंस्करण स्तर को 6% से बढ़ाकर 20%, मूल्यवर्धन को 20.5% से बढ़ाकर 35% और विश्व खाद्य व्यापार में अंशदान को 1.6% से बढ़ाकर 3% करना है। विजन, 2015 को साकार करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की तीव्र वृद्धि और उसके फलस्वरूप खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसरों के सृजन के वास्ते 11वीं योजना अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रमुख रणनीतिक पहल की पहचान की है:–

(i) उपयुक्त बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज समेत पहचाने गए झुंडों में मेगा खाद्य पार्कों की स्थापना।

(ii) समेकित शीतश्रृंखला/मूल्यवर्धन और परिरक्षण संबंधी बुनियादी ढांचे का सृजन।

(iii) बूचड़खानों का आधुनिकीकरण।

(iv) सड़क–गली किनारे बिकने वाली खाद्य वस्तुओं तथा फूड स्ट्रीट की स्वच्छता और गुणवत्ता का उन्नयन।

(v) गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना और उन्नयन।

(vi) कर ढांचे को तर्कसंगत बनाना।

(vii) बुनियादी ढांचा विकास में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और निजी निवेश को प्रोत्साहित करना।

(viii) लघु और असंगठित क्षेत्र के लिए क्षमता निर्माण प्रारंभ करना।

(ix) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रमुख संवर्धनात्मक अभियान शुरू करना।

(x) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में महत्वपूर्ण ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास के सृजन के लिए बड़े पैमाने पर जन निवेश करने की जरूरत।

यात्री आरक्षण प्रणाली टिकटों पर विज्ञापन

3264. श्री मिलिन्द देवरा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने यात्री आरक्षण प्रणाली (पी आर एस) टिकटों पर विज्ञापन छापने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त कदम से कितना राजस्व सृजित होने की संभावना है;

(घ) विज्ञापन देने वालों को किन–किन निबंधनों एवं शर्तों का पालन करना होगा;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त योजना को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) जी हां, रेलों ने वाणिज्यिक प्रचार के माध्यम से अतिरिक्त आमदनी सृजित करने के लिए यात्री आरक्षण प्रणाली (पी आर एस) टिकटों पर वाणिज्यिक विज्ञापन मुद्रित करने का विनिश्चय किया है। इस योजना से अर्जित होने वाले राजस्व को आकलित करना फिलहाल व्यावहारिक नहीं है।

(घ) और (ङ) विज्ञापनों के माध्यम से दिए गए संदेश, सामाजिक दृष्टि से आपत्तिजनक नहीं होने चाहिए तथा सार्वजनिक नैतिकता को ध्यान में रखकर बनाए जाने चाहिए। नशीले पदार्थों, सिगरेटों, बीड़ियों तथा तंबाकू अन्य उत्पादों का कड़ाई से निषेध किया जाता है।

(च) यह योजना पहले से ही शुरू की जा चुकी है।

गैर-अनुसूचित औषधियों के एम आर पी में विसंगति

3265. श्री अधीर चौधरी : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) औषधियों के राष्ट्रीय उत्पादन की तुलना में कर छूट उठाने वाले राज्यों में कितनी मात्रा में औषधियों का उत्पादन होता है;

(ख) छूट उठाने वाले राज्यों में उत्पादित गैर–अनुसूचित औषधियों की तुलना में देश के शेष भाग में उत्पादित गैर–अनुसूचित औषधियों के अधिकतम खुदरा मूल्य (एम आर पी) में कितने प्रतिशत अंतर है; और

(ग) इस मामले में प्रधानमंत्री जी की मंजूरी के बावजूद आर्थिक सलाहकार परिषद् की सिफारिशों का कार्यान्वयन करके लोक हित में इस विसंगति को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) इस विभाग में अलग-अलग राज्यों के उत्पादन के ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

(ख) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के अधीन नहीं आने वाली दवाओं यानी गैर अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशनों के संबंध में, विनिर्माता सरकार/राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) से अनुमोदन लिए बगैर स्वयं ही मूल्य निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र है। ऐसे मूल्य निर्धारण सामान्यतया विभिन्न कारकों, जैसे फार्मूलेशन में प्रयुक्त बल्क ड्रग की लागत, एक्सीपीएन्ट्स की लागत, आर एंड डी की लागत, यूटिलिटीज/पैकिंग पदार्थों की लागत, बिक्री प्रोत्साहन लागत, ट्रेड मार्जिन, गुणवत्ता आश्वासन लागत एवं आयात की अवतरित लागत आदि पर निर्भर करते हैं। यह सच है कि गैर अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशनों के संबंध में संरचना एवं वजन/पैक आकार एक समान रहने के बावजूद भी विभिन्न ब्रांडों की कीमतें भिन्न होती हैं क्योंकि गैर-अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशनों का मूल्य विर्निमाताओं द्वारा उत्पादन मितव्ययता के आधार पर, जो कि अलग-अलग मामलों में भिन्न होते हैं, निर्धारित किए जाते हैं। भिन्न-भिन्न ब्रांड नाम के गैर-अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशन पैकों के मूल्य एक ही शहर/स्थान पर विनिर्मित होने के बावजूद भी अलग होते हैं। डीपीसीओ, 1995 के प्रावधानों के अनुसार गैर-अनुसूचीबद्ध दवाओं/फार्मूलेशनों के मूल्य निर्धारण पर एनपीपीए का कोई नियंत्रण नहीं है। कर-मुक्त राज्यों और देश के अन्य हिस्सों में विनिर्मित गैर अनुसूचीबद्ध दवाओं के किसी ब्रांड के अलग-अलग अधिकतम खुदरा मूल्य के संबंध में एनपीपीए के पास अब तक कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) इस संबंध में राजस्व विभाग द्वारा कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

किसानों को राजसहायता प्राप्त दरों पर उर्वरक

3267. श्री संतोष गंगवार :

श्रीमती निवेदिता माने :

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार किसानों को राजसहायता प्राप्त दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने का है जैसा कि दिनांक 9 अगस्त, 2007 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) किसानों को राजसहायता प्राप्त दरों पर उर्वरक कब तक उपलब्ध कराए जाएंगे;

(ङ) क्या सरकार का विचार उर्वरक राजसहायता को नियमित रूप से बढ़ाते रहने की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने का है; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) से (घ) केन्द्र सरकार विभिन्न रासायनिक उर्वरकों अर्थात्, यूरिया, डीएपी, एमओपी, मिश्रित उर्वरकों के 11 ग्रेडों और एसएसपी की बिक्री पर राजसहायता की एक योजना को प्रशासित कर रही है। राजसहायता प्राप्त ये उर्वरक किसानों को अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो फार्मगेट स्तर पर इन उर्वरकों की वास्तविक सुपुर्दगी लागत से काफी कम होता है। चालू वर्ष में इन उर्वरकों की अनुमानित बिक्री उर्वरक राजसहायता की आवश्यकता तथा राजसहायता की पिछले वर्ष की अग्रेनीत देनदारियां लगभग 47,979.45 करोड़ रुपए हैं। उपर्युक्त आवश्यकता की तुलना में बजट अनुमान 2007-08 के अंतर्गत 22,452 करोड़ रुपए का आबंटन उपलब्ध कराया गया है। वित्त मंत्रालय को 2007-08 की अनुपूरक अनुदान मांग में बकाया आवश्यकता को आबंटित करने के लिए सूचित किया गया है।

(ङ) और (च) उर्वरकों के स्थायी उपयोग और संगत राजसहायता तथा मूल्य निर्धारण मुद्दों से संबंधित सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए मंत्रियों के समूह का गठन किया गया है। उर्वरक राजसहायता में वृद्धि से संबंधित मुद्दे पर भी मंत्रियों के समूह द्वारा विचार किया जा रहा है।

खुदरा बिक्री केन्द्रों/गैस एजेन्सियों का आबंटन

3268. श्री कीरेन रिजीजू :

श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में 1 अप्रैल, 2004 से 31 मार्च, 2007 तक सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा आबंटित खुदरा बिक्री केन्द्रों तथा गैस एजेंसियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ मामलों में बिना विज्ञापन दिए तथा इस संबंध में उचित क्रियाविधि अपनाए आबंटन किया गया था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे आबंटनों को रद्द करने तथा ऐसे आबंटनों के लिए जिम्मेदार पाये गए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों ने बारह हजार नए खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने का निर्णय लिया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) 1 अप्रैल, 2004 से 31 मार्च, 2007 की अवधि के दौरान देशभर में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) नामतः इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच पी सी) और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बी पी सी) द्वारा 12885 खुदरा बिक्री डीलरशिप और 752 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप आबंटित किए गए हैं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (ङ) ओ एम सीज ने ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं भेजी है जिसमें आबंटन समुचित प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना किया गया हो। तथापि, प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का आबंटन स्थान की व्यवहार्यता, वाणिज्यिक व्यवहार्यता और उम्मीदवार के पात्रता मानदण्ड पूरे करने के अध्यधीन विभिन्न व्यक्ति श्रेणियों नामतः सरकारी संगठनों/पी एस यूज/स्वायत्त निकायों/पुण्यार्थ न्यास/बड़े फ्लीट आपरेटरों/भूस्वामियों आदि को विज्ञापनों के मार्ग के बिना किया गया।

(च) और (छ) ओ एम सीज की वर्ष 2007-08 के दौरान 3215 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप स्थापित करने की योजना है।

विवरण

तेल विपणन कंपनियों द्वारा 1 अप्रैल, 2004 से 31 मार्च, 2007 तक की अवधि के लिए आबंटित खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों/एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरों की संख्या

क्रम सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों की संख्या	एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की संख्या
1	2	3	4
राज्य			
1	आंध्र प्रदेश	1207	156
2	अरुणाचल प्रदेश	11	1
3	असम	137	4
4	बिहार	397	24
5	छत्तीसगढ़	226	24
6	दिल्ली	48	12
7	गोवा	69	1
8	गुजरात	541	19
9	हरियाणा	673	13
10	हिमाचल प्रदेश	171	1
11	जम्मू और कश्मीर	235	6
12	झारखंड	213	5
13	कर्नाटक	822	9
14	केरल	656	9
15	मध्य प्रदेश	531	98
16	महाराष्ट्र	975	44
17	मणिपुर	11	3
18	मेघालय	68	0
19	मिजोरम	8	0
20	नागालैंड	16	3
21	उड़ीसा	422	14
22	पंजाब	1307	15
23	राजस्थान	965	34
24	सिक्किम	13	3
25	तमिलनाडु	1157	93
26	त्रिपुरा	10	0
27	उत्तरांचल	118	6
28	उत्तर प्रदेश	1399	131
29	पश्चिम बंगाल	444	20
30	अंडमान और निकोबार	0	1
31	चंडीगढ़	7	1
32	दादरा और नागर हवेली	3	0
33	दमन और दीव	5	0
34	लक्षद्वीप	0	0
35	पांडिचेरी	20	2
	योग	12885	752

[अनुवाद]

कुड्डापाह से बंगलौर के बीच नई रेल लाइन

3269. श्री किन्जरपु येरननायडु :

श्री ए. साई प्रताप :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुड्डापाह से बंगलौर के बीच नई रेल लाइन का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम रहे;

(ग) केन्द्र सरकार के पास आंध्र प्रदेश में नई रेल लाइनों के लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसकी मंजूरी के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) हाल ही में पूरा किए गए अद्यतन सर्वेक्षण के अनुसार, कुड्डापाह–बैंगलुरू (255.40 कि.मी.) नई रेल लाइन परियोजना की लागत 852.51 करोड़ रुपए आकलित की गई है। आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने इस परियोजना की 50% लागत वहन करने की सहमति दी है। सर्वेक्षण रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने पर ही प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लिया जाना व्यावहारिक होगा।

(ग) और (घ) केवल एक ही प्रस्ताव अर्थात् काकिनाडा–पिथापुरम (21.5 कि.मी.) नई रेल लाइन के लिए अंतिम स्वीकृति की प्रतीक्षा है। योजना आयोग ने प्रस्ताव को सशर्त "सैद्धांतिक" अनुमोदन दिया है। अपेक्षिता स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई है।

[हिन्दी]

गोरखपुर-गोन्डा लूप लाइन पर आमान परिवर्तन

3270. योगी आदित्यनाथ : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने गोरखपुर–गोन्डा लूप लाइन के गोरखपुर–आनन्द नगर–नौतन्वा–गोन्डा से संबंधित आमान परिवर्तन कार्य को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त लाइन पर आमान परिवर्तन कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) उक्त कार्य को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस परियोजना पर कितना व्यय होने का अनुमान है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी, हां। संपूर्ण परियोजना खंड पर भूमि संबंधी, पुल संबंधी तथा मिट्टी संबंधी आदि कार्य शुरू हो गए हैं। समग्र वास्तविक प्रगति 13% है।

(ग) संपूर्ण परियोजना को पूरा करने के लिए अभी तक कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(घ) इस परियोजना की प्रत्याशित लागत 381.17 करोड़ रुपए है।

नागपुर-छिंदवाड़ा रेलवे लाइन का आमान परिवर्तन

3271. श्री संजय धोत्रे :

श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र राज्य में नागपुर और छिंदवाड़ा के बीच छिंदवाड़ा छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने संबंधी कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या उक्त परियोजा का कार्य समय से पीछे चल रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त कार्य को पूरा करने में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। बड़े पुलों और सुरंगों के लिए भू–तकनीकी सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और ढांचागत अभिकल्प कार्य शुरू कर दिया गया है। निजी और सरकारी भूमि के अधिग्रहण के लिए सभी आवेदन प्रस्तुत किए जा चुके हैं। वनभूमि का अधिग्रहण का कार्य चल रहा है। वनभूमि के अलावा भूमि की लागत, संबंधित प्राधिकारियों को अदा कर दी गई है। छिंदवाड़ा और उमरानाला (24 कि.मी.) के बीच मिट्टी संबंधी कार्य शुरू कर दिया गया है। बनाए जाने वाले 254 छोटे पुलों में से 169 छोटे पुलों के लिए पूर्व बलित बाक्सों का निर्माण शुरू हो गया है। 27 बड़े पुलों का निर्माण किया जाना है जिनमें से 3 पुलों पर कार्य शुरू हो गया है और 18 अन्य पुलों का टेंडर प्रक्रियाधीन है। 31.3.2007 तक इस परियोजना पर 13.38 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 2007–08 के बजट में इस परियोजना के लिए 70 करोड़ रुपए परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(ख) से (घ) इस कार्य के लिए अभी तक कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। बहरहाल, आमान परिवर्तन के कारण मार्ग घुमावदार हुआ है क्योंकि कुछ लंबाई में बहुत तीखे मोड़ और ग्रेडिएंट्स हैं और अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण में समय लग गया है। कुछ निविदाओं का अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। परियोजना पर प्रगति का कार्य तेजी से करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

ओ एन जी सी द्वारा शुरू किए गए सामाजिक कार्य

3272. श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्री जीवाभाई ए. पटेल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेष रूप से गुजरात में सामाजिक दायित्व नीति के अंतर्गत तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओ एन जी सी) द्वारा किए गए जन कल्याण कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन कार्यों के लिए आबंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा इन पर कितना व्यय किया जाता है;

(ग) सामाजिक दायित्व नीति के अंतर्गत शुरु किए जाने वाले कार्यों के संबंध में क्या प्रावधान तथा नियम बनाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार को गत दो वर्षों के दौरान विशेष रूप से गुजरात में ऐसे सामाजिक दायित्वों को पूरा करने में ओ एन जी सी की लापरवाही के संबंध में किसी संसद सदस्य से काई अभ्यावेदन पत्र प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) नैगम सामाजिक दायित्व (सी एस आर) नीति के अधीन निम्नलिखित कार्यों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है:–

(1) शिक्षा

(2) स्वास्थ्य रक्षा

(3) उद्यमिता

(4) जल प्रबंधन

(5) आपदा राहत तथा

(6) सामाजिक प्रयोजन

ओ एन जी सी द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक कल्याण के लिए आरम्भ किए गए प्रमुख कार्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) गुजरात में पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में सी एस आर नीति के अधीन निधियों का आबंटन तथा किए गए व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

वर्ष	आबंटन (लाख रुपए)		व्यय (लाख रुपए)	
	देश	गुजरात	देश	गुजरात
2004-05	6498.0	230.0	4446.40	141.51
2005–06	9126.0	230.0	3151.57	228.72
2006–07	10823.0	230.0	3463.0	230.0

(ग) सी एस आर नीति के अधीन वित्तीय सहायता के लिए पात्रता हेतु निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होती हैं:–

(1) एन जी ओ/संस्थान के मामले में, इसे पंजीकृत, सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त तथा कम से कम 3 वर्षों से अस्तित्व में होना चाहिए।

(2) एजेंसी/संस्थान को 3 वर्षों के परीक्षित लेखे प्रस्तुत करने चाहिए।

(3) एजेंसी/संस्थान को चार्टर्ड लेखाकार द्वारा विधिवत सत्यापित उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

(4) कार्यान्वयन एजेंसियों/संस्थानों को परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी, अर्थात् परियोजना का उद्देश्य, लाभप्राप्तकर्ता, कार्यनीति, कार्य पद्धति, संसाधन, कार्ययोजना तथा मूल्यांकन योजना प्रस्तुत करनी चाहिए।

(5) एजेंसी/संस्थान के सभी कार्यकलाप निगम के व्यवसाय क्षेत्रों में अथवा उसके आसपास के स्थानों में आरम्भ किए जाएंगे।

(6) कार्यान्वयन एजेंसी/संस्थान को कार्य पूरा होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

(7) एजेंसी/संस्थान को वर्ष में एक बार से अधिक वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी।

(घ) और (ङ) माननीय संसद सदस्यों ने संसद प्रश्नों और अभ्यावेदनों के माध्यम से ओ एन जी सी की सी एस आर नीति के अधीन आरम्भ किए गए कार्यकलापों से संबंधित मुद्दे उठाए हैं।

विवरण

ओ एन जी सी के कारपोरेट कार्यालय द्वारा गुजरात में किए गए प्रमुख कार्यों का विवरण

लाभार्थी	प्रयोजन
1	2
बड़ोदरा नगर निगम	तूफान के पानी की निकासी के लिए नालियां तथा सड़कों का निर्माण
श्रमिक विकास संस्थान	आदिवासी ग्रामों में साक्षरता परियोजना के लिए वित्तीय सहायता
श्रमिक विकास संस्थान, बड़ोदरा	प्रशिक्षण केन्द्र भवन के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता
नवजीवन श्रमशाला, मानुन्द	महसाणा के समीप मानुन्द में पिछड़े वर्ग के स्कूल के छात्रों के लिए पेयजल की व्यवस्था करना।

1	2
हजीरा क्षेत्र शैक्षणिक तथा धर्मार्थ न्यास	सूरत में आई टी आई की स्थापना करने के लिए
गुजरात राज्य सरकार	पश्चिमी क्षेत्र में 150 आंगनबाड़ियों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देना
लाइफ लाइन फाउंडेशन	गुजरात के राजमार्ग और उत्तराखंड में दुर्घटनाग्रस्त लोगों की अपघात देखभाल के लिए व्यवस्था करना।
श्रमिक विकास संस्थान तथा आदिवासी जागृति अभियान	गुजरात के आदिवासियों के कार्य के लिए
भारतीय रेल	अंकलेश्वर परिसम्पत्ति, जिला भरूच में पनोली में रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर का निर्माण
स्वायत्त निकाय अंकलेश्वर	अंकलेश्वर में हाई मास्त लाइटिंग व्यवस्था
प्रधान मंत्री सहायता कोष	गुजरात भूकंप पीड़ितों को राहत तथा उनका पुनर्वास
मुख्य मंत्री राहत कोष	मुख्य मंत्री सहायता कोष के मार्फत गुजरात में बाढ़ राहत के लिए
स्थानीय समुदाय	मेहसाणा कार्य केन्द्र के समीप विभिन्न स्थलों पर सात निःशुल्क चिकित्सा कैम्प लगाना

[अनुवाद]

संवेदनशील रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा का उन्नयन

3273. **श्री एस. राजगोपाल : क्या रेल मंत्री** दिनांक 26 अप्रैल, 2007 के अतारांकित प्रश्न सं. 3510 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील स्ट्रेशनों के रूप में पहचाने गए 185 रेलवे स्टेशनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन सभी रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा उन्नयन पूरा कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इन स्टेशनों पर विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में किए गए सुरक्षा उन्नयन का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रेलवे प्लेटफार्मों पर केवल वास्तविक यात्रियों के प्रवेश की अनुमति देने के प्रस्ताव पर कोई निर्णय लिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील पहचान किए गए 185 रेलवे स्टेशनों की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

राज्य	17 मैट्रो रेलवे स्टेशनों सहित सुरक्षा की दृष्टि से पहचान किए गए 185 रेलवे स्टेशनों का ब्यौरा
1	2
महाराष्ट्र	पुणे, नागपुर, मुंबई सेंट्रल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, कल्याण, मुलुंड, भायखला, कुर्ला टर्मिनस, मटुंगा, दादर, नासिक रोड़, मनमाड, अकोला, चर्च गेट, महालक्ष्मी, विरार, माहिम, खेरे, बोरीवली, बांद्रा टर्मिनस, अंधेरी, जलगांव, भुसावल, चालीसगांव, बडनेरा, मुरलीजापुर, मिरज
पश्चिम बंगाल	सियालदाह, हावड़ा, आसनसोल, सभी 17 मैट्रो स्टेशन, न्यू जलपाईगुड़ी, खड़गपुर, दम-दम, बर्धमान, दुर्गापुर, मालदा टाउन, हसनाबाद, बसिरहाट, बारासात, चांदपारा, ठाकुरनगर, गोबरडांगा, मछिलंदपुर, न्यू बरेकपोरा, केनिंग, सोनारपुर, गढिया, जादवपुर, माझरहाट, श्रीरामपुर, मिदनापुर, पुरूलिया
बिहार	पटना, गया, बरकाकाना, डाल्टनगंज, राजेन्द्र नगर, समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, दानापुर, नरकटियागंज, रक्सौल, किशनगंज

1	2
उड़ीसा	भुवनेश्वर, राउरकेला, पुरी, कटक, चक्रधरपुर, झारसुगुडा, आद्रा
पंजाब	लुधियाना, अमृतसर, पठानकोट, जालंधर, फगवाड़ा, पटियाला, भठिंडा
जम्मू और कश्मीर	जम्मू तवी, ऊधमपुर, गगवाल, सांबा
दिल्ली	नई दिल्ली, दिल्ली मेन, हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली सराय रोहिल्ला, दिल्ली शाहदरा
उत्तर प्रदेश	लखनऊ, वाराणसी, हरिद्वार, इलाहाबाद, आगरा कैंट, मुगल सराय, आयोध्या, फैजाबाद, कानपुर सेंट्रल, अलीगढ़, मथुरा, लखनऊ जंक्शन, झांसी, बरेली, सहारनपुर, खुर्जा, आगरा फोर्ट
असम	गुवाहाटी, लमडिंग, डिब्रूगढ़, न्यू तिनसुकिया, दीमापुर, कोकराझार, सिलीगुर, मरयानी, सिमलगुड़ी, जोरहाट टाउन, फरकटिंग, पाथरखोला, लंगचोलिएट, नेलालौंग, धनश्री, दलदली, डिफू, दोतोहाजा, मिगरेनदिशा, डियाजोबरा, हथीखली, मेबोंग, कुमारघाट, मनु, जतिंगा, घंगतला, चेगांव, रावतावगन, फकीरग्राम, सलवाड़ी
आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम, सिकंदराबाद, हैदराबाद, तिरुपति, वारांगल, काजीपेट
झारखंड	टाटा नगर, रांची, बोकारो, धनबाद, मुरी
कर्नाटक	बंगलोर सिटी, मैसूर, यशवंतपुर, धर्मावरम
गुजरात	वडोदरा, सूरत, उज्जैन, अहमदाबाद, द्वारका, गोधरा, साबरमती
हरियाणा	अम्बाला कैंट, छत्तीसगढ़, कालका
तमिलनाडु	चेन्नै सेंट्रल, कोयम्बतूर, मद्रास, एग्मोर, मदुरै, त्रिवेन्द्रम, अरक्कोणम, रामेश्वरम, कन्याकुमारी
मध्य प्रदेश	ग्वालियर

(ख) जी, हां। प्रक्रिया चल रही है।

(ग) संवेदनशील स्टेशनों पर सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। ये कदम आंध्र प्रदेश के संवेदनशील स्टेशनों के मामले में भी लागू होते हैं:–

1. अनधिकृत प्रवेश/निकासी स्थलों को बंद करने के लिए उसकी समीक्षा की जा रही है।

2. महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर क्लोज सर्किट टेलीविजन और कैमरा लगाए गए हैं और प्लेटफार्मों तथा अन्य स्टेशन क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधि अथवा व्यक्तियों पर निगरानी रखने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की तैनाती की जाती है।

3. प्लेटफार्मों के मुख्य प्रवेश द्वार पर डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टरें लगाए गए हैं।

4. यात्रियों को सभी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर सावधानी बरतने के लिए सचेत करने हेतु जन उद्‌घोषणा प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है।

5. श्वान दस्ता को सुदृढ़ किया जा रहा है।

6. गाड़ियों और रेलवे परिसरों में अनधिकृत यात्रियों/अवांछित व्यक्तियों के विरुद्ध निरंत अभियान चलाए जा रहे हैं।

7. स्टेशनों पर गाड़ियों में चढ़ते और उतरते समय संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के कार्मिकों को अच्छी तरह समझा जाता है।

इन उपायों के अतिरिक्त आधुनिक सुरक्षा उपकरण प्राप्त किए जा रहे हैं। रेल सुरक्षा बल में रिक्तियों को भरने के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं और इसे और भी सुदृढ़ किया जा रहा है।

(घ) से (च) यात्रा करने के लिए वैध टिकटधारी सभी यात्रियों और प्लेटफार्म टिकटधारकों को प्लेटफार्म पर प्रवेश करने की इजाजत दी जाती है। प्लेटफार्मों पर अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए पुलिस की सहायता नियमित रूप से ली जाती है।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों को इथेनोल की आपूर्ति

3274. श्री काशीराम राणा :

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों को इथेनोल की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान अलग–अलग कंपनी–वार कितनी आपूर्ति की गई तथा इस पर कितनी लागत आई;

(ग) क्या कई तेल कंपनियां इथेनोल की आपूर्ति नहीं करना चाहती;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा एथेनोल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के अंतर्गत एथेनोल की अधिप्राप्ति की जा रही है।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान अधिप्राप्त एथेनोल की मात्रा व लागत संबंधी एक विस्तृत कंपनी–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पिछले दो वर्षों के दौरान अधिप्राप्त एथेनोल की मात्रा व लागत संबंधी एक विस्तृत कंपनी–वार ब्यौरा

(i) **इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड** -

वर्ष	एथेनोल मात्रा (किलोलीटर)	लागत (करोड़ रुपए में)
2005–06	24798	60.05
2006–07	51839	139.87
2007–08 (15.08.2007 तक)	61020	167.82
योग	137657	367.74

(ii) **भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड** -

वर्ष	एथेनोल मात्रा (किलोलीटर)	लागत (करोड़ रुपए में)
1	2	3
2005–06	9460	23.96
2006–07	20359	51.96
2007–08 (30.06.2007 तक)	8789	22.87
योग	38607	98.79

(iii) **हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड** -

वर्ष	एथेनोल मात्रा (किलोलीटर)	लागत (करोड़ रुपए में)
अगस्त 2005 से जुलाई 2006 तक	15283	35.09
अगस्त 2006 से जुलाई 2007 तक	33398	88.28
योग	48681	123.35

आई.ओ.सी. द्वारा विदेशी बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री

3275. श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" :

श्री सूरज सिंह :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय तेल निगम (आई ओ सी) विदेशों में खुदरा बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री करता है;

(ख) यदि हां, तो उक्त निगम ने अपना व्यवसाय किन–किन देशों से किया है तथा वर्ष 2005–06 तथा 2006–07 के दौरान कुल कितनी धनराशि अर्जित की गई है;

(ग) क्या उक्त संगठन का विचार अपने व्यवसाय को अब बन्द करने का है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) प्रत्येक देश के उक्त संगठन ने पहले ही कितनी ही पूंजी निवेश कर दी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी) श्रीलंका और मारिशस में अपनी सहायक कंपनियों जैसे लंका आई ओ सी लि. और इंडियन ऑयल (मारिशस) लि. के माध्यम से खुदरा बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री करती है। वर्ष 2006–07 और 2005–06 के दौरान इंडियन ऑयल (मारिशस) का शुद्ध लाभ क्रमशः 7.86 करोड़ रुपए तथा 6.07 करोड़ रुपए रहा। लंका

आई.ओ.सी. लि. को वर्ष 2006–07 और 2005–06 के दौरान क्रमशः 29.38 करोड़ रुपए और 75.28 करोड़ रुपए की हानि हुई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) आई.ओ.सी. का पूंजी निवेश लंका आई.ओ.सी. लि. में 194.14 करोड़ रुपए और इंडियन आयल (मारिशस) लि. में 75.67 करोड़ रुपए है।

[अनुवाद]

निजी कंपनियों द्वारा कंटेनर रेलगाड़ियां चलाना

3276. श्री सुकदेव पासवान :

श्री चंद्रकांत खैरे :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने निजी कंपनियों को अपनी कंटेनर रेलगाड़ियां चलाने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो नई नीति के अंतर्गत जिन कंपनियों ने अनुमति मांगी है, उनका ब्यौरा क्या है तथा अब तक कितने लाइसेंस जारी किए गए हैं;

(ग) इन कंपनियों के साथ किए गए समझौतों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा इनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) इन कंपनियों द्वारा कंटेनर रेलगाड़ियां चलाने के लिए क्या समय अवधि निर्धारित की गई है;

(ङ) इस क्षेत्र में निजी कंपनियों द्वारा कितना निवेश किए जाने का अनुमान है; और

(च) इन निजी कंपनियों को लाइसेंस जारी करने से रेलवे को कुल कितना राजस्व अर्जित हुआ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) निम्नलिखित 15 परिचालकों ने आवेदन किया है और सभी को अनुमति दे दी गई है:

1. अदानी लॉजिस्टिक्स लिमिटेड
2. बॉक्सट्रास लॉजिस्टिक्स (इंडिया) सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
3. सेन्ट्रल वेयरहाऊसिंग कार्पोरेशन
4. कंटेनर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
5. कंटेनर रेल रोड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
6. दिल्ली असम रोडवेज कार्पोरेशन लिमिटेड
7. ई टी ए इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
8. गेटवे रेल फ्रेट प्राइवेट लिमिटेड
9. हिंद टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड एवं एम एस सी एजेंसी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
10. इनोवेटिव बी 2 बी लॉजिस्टिक्स सोल्युशन प्राइवेट लिमिटेड
11. इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर एवं लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
12. कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड
13. पिपावाव रेलवे कार्पोरेशन लिमिटेड
14. रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड
15. सिकल मल्टी मॉडल एवं रेल ट्रांसपोर्ट लिमिटेड

(ग) इस समय, अनुसरण की जा रही सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों को ध्यान में रखकर अनुबंध तैयार किया गया है। यह लाभप्रद है, यह विभिन्न रेलगाड़ी परिचालकों को एक सामान अवसर उपलब्ध कराती है और इसमें राष्ट्रीय एवं जनहितों के साथ-साथ निजी हितों का भी पर्याप्त ध्यान रखा गया है। इसे सभी परिचालकों के साथ हस्ताक्षरित किया गया है।

(घ) "सैद्धांतिक अनुमोदन" को तिथि के तीन वर्ष के भीतर रियायत अनुबंध की आवश्यकताओं के अनुसार परिचालन के लिए अपनी कंटेनर गाड़ियां चलाना अपेक्षित है।

(ङ) प्राइवेट कंपनियों के लिए चल स्टॉक और इनलैंड कंटेनर डिपो में निवेश करना अपेक्षित है जिसे वे अपनी आवश्यकतानुसार कर रहे हैं।

(च) उपरोक्त 15 पार्टियों से लाइसेंस फीस के तौर पर 580 करोड़ रुपए एकत्रित किए गए हैं।

[हिन्दी]

मंदिरों का जीर्णोद्धार

3277. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के शोलापुर जिले में स्थित विट्ठल रकुमाई मंदिर तथा अहमदनगर जिले में स्थित शिर्डी साईनाथ मंदिन के नवीकरण/सौंदर्यीकरण के लिए अब तक कोई धनराशि संस्वीकृत की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए महाराष्ट्र के इन मंदिरों को राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) पर्यटन मंत्रालय ने 14.08.2003 को पंढरपुर, देहू तथा आलंदी परिपथ के एकीकृत विकास हेतु 684.73 लाख की कुल राशि की एक परियोजना को मंजूरी दी है जिसमें दर्शन मंडप, शौचालयों तथा अन्य सुविधाओं के निर्माण के प्रावधान के साथ पंढरपुर में भगवान विट्ठल मंदिर का विकास शामिल है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय में अहमदनगर में शिर्डी साईनाथ मंदिर के लिए कोई परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) मंदिरों सहित पर्यटक रुचि वाले स्थानों का संवर्धन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पर्यटन मंत्रालय भारत तथा विदेशों में स्थित अपने भारत पर्यटन कार्यालयों और "इन्क्रेडिबल इंडिया" अभियान के माध्यम से भी इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और ऑनलाइन मीडिया में पर्यटक रुचि वाले स्थानों/स्थलों/मंदिरों का संवर्धन करता है।

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केंद्र

3278. श्री एस. अजय कुमार : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक विभिन्न राज्यों में सरकार द्वारा स्थापित खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केंद्र (एफपीटीसी) तथा प्रशिक्षण–सह–उत्पाद विकास केंद्रों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन केंद्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचिज जनजातियों के लिए विशेष योजनाओं तथा कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में सरकार द्वारा केंद्र–वार कितनी वित्तीय सहायता दी गई?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) सरकार इन केंद्रों की स्थापना नहीं करती है, वह केवल राज्य सरकार के संगठनों, शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संस्थानों, गैर–सरकारी संगठनों, सहकारिताओं आदि को केंद्र स्थापित करने के लिए सहायता देती है। गत तीन वर्षों के दौरान और 31 जुलाई, 2007 तक 70 खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केंद्रों को सहायता दी गई जो संलग्न विवरण–I में उल्लिखित है।

(ख) खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षणार्थियों के चयन में अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्गों से संबंधित व्यक्तियों तथा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उपलब्ध कराई गई केंद्र–वार वित्तीय सहायता विवरण–II में दी गई है।

विवरण-I

गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वित्तीय वर्ष (जुलाई, 2007 तक) सहायता प्राप्त खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण क्षेत्रों के राज्यवार ब्यौरे

राज्य का नाम	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08 (जुलाई 2007 तक)
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	–	1	–	4
हरियाणा	–	–	1	–
हिमाचल प्रदेश	–	1	–	1
झारखण्ड	–	2	–	–
केरल	–	1	–	1
कर्नाटक	–	–	1	–
महाराष्ट्र	–	–	–	3
मध्य प्रदेश	–	1	6	2
उडीसा	1	3	3	–
पंजाब	–	–	–	1

1	2	3	4	5
राजस्थान	1	–	2	–
तमिलनाडु	2	2	–	1
उत्तरांचल	–	3	–	–
उत्तर प्रदेश	4	6	7	4
पश्चिम बंगाल	1	–	3	1
कुल	9	20	23	18

विवरण-II

वर्ष 2004–05 के दौरान खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए जारी किया गया केंद्रवार अनुदान

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	संगठन का नाम और पता	मंजूर की गई राशि
1	2	3
1.	मैसर्स अभिनव, जे–20, इण्डस्ट्रियल एरिया, बेगराजपुर, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश	1.00 (मूल पूंजी सहायता)
2.	मैसर्स हेडगेवार, समाज कल्याण समिति, कासगंज, एटा, उ.प्र.	1.93
3.	मैसर्स रत्नाकर रूरल अर्बन विकास इंस्टीट्यूशन, पो.ऑ. काबरा, माधापुर, जिला ढेकनाल–759014, उड़ीसा	1.98
4.	कृषि विज्ञान केंद्र, धौलपुर, राजस्थान क्र. सं. 4–56/2003–एफपीटीसी, दि. 2.8.2004	2.00
5.	श्री अरबिंदो अनुशीलन सोसाइटी, सहारापाड़ा, सूरी–731101, पश्चिम बंगाल	2.00
6.	सोशल वेल्फेयर सेंटर, तिरूवरूर, तमिलनाडु	2.00
7.	मैसर्स रामपुर समाज सेवा समिति रामपुर (कुंडल), दिल्ली रोड, जिला–सोनीपत, हरियाणा	1.00 (मूल पूंजी सहायता)
8.	प्रोफेसर एंड हैड, डिपार्टमेंट ऑफ फ्रूट क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चरल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट, तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, कोयम्बटूर–641003	2.00
9.	मैसर्स अक्कई पोलीक्राफ्ट एसोसिएशन, सी–1255, इंदिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	2.00
10.	लघु उद्योग सेवा संस्थान, सिकरौरा, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश	2.00
11.	डा. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट हेल्थ केयर एंड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, 4 गुलमोहर एवेन्यू, जामिया नगर, नई दिल्ली	7.50
	वर्ष 2005–06 के दौरान खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए जारी किया गया केंद्रवार अनुदान	
1.	पवन शिक्षा एवं उत्थान समिति, ग्राम खेती, जिला चमोली, उत्तराखंड	2.00
2.	साम्या एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी, विलेज महिपुरा, देहरादून रोड, सहारनपुर–247001, उत्तर प्रदेश	1.73

1	2	3
3.	हिमाल्टों ग्रामोद्योग संस्थान, मिनी इण्डस्ट्रियल एरिया, भटवारी, साई, रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड	1.63
4.	करून्या इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी एंड साइस, करून्या नगर, कोयम्बटूर–641114	7.50
5.	जनता ग्राम विकास संस्थान, सराय छावत, नगरा–बलिया, उत्तर प्रदेश	1.73
6.	जुडिशल एजूकेशन एंड सोशल अपलिफट सोसाइटी, जिला डिंडीगुल, तमिलनाडु	1.966
7.	उड़ीसा मीडिया सेंटर, 47, एकामारा विहार, नायापल्ली, भुवनेश्वर–751015, उड़ीसा	2.827
8.	फेयरडील ग्रामोद्योग सेवा समिति, ग्राम एवं पो.ओ. बिशनपुर जिला बाराबंकी, उत्तर प्रदेश	1.78
9.	निर्मल ग्रामोद्योग सेवा निकेतन, 128, महाराणा प्रताप नगर, एटा–207001, उत्तर प्रदेश	1.81
10.	बेटर इंस्टिट्यूट फार रूरल डेवलपमेंट एंड एक्शन, कनेहीपुर वाया खालीकोटे (आरएस) जिला गंजम–761039, उड़ीसा	1.68
11.	पीपुल्स एसोसिएशन फारटोटल हेल्प एंड यूथ एप्लॉज, डी–42, महेंद्र पार्क, उत्तम नगर, नई दिल्ली	2.00
12.	जाग्रति ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, 521/62, महाराणा एक्सटेंशन, बाड़ा चांदगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	2.00
13.	विकास भारती, बिशनपुरा, गुमला–835331, झारखण्ड	2.00
14.	अम्बोटा ग्राम उद्योग विकास संस्थान, ग्राम, पोस्ट अम्बोटा, जिला उना, हिमाचल प्रदेश	1.986
15.	नेय्याटिंकारा तालुक ट्रेडिशनल आयल वरकर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि., ओलाथानी, पो.आ. नैय्याटिंकारा तालुक, जि तिरूवनंतपुरम, केरल	2.00
16.	भुवनेश्वर साइंस एड इन्वायरमेंट फोरम, 47, वी.आई.पी. एरिया, आईआरसी ग्राम, भुवनेश्वर–751015 उड़ीसा	2.00
17.	श्रीकृष्ण ग्रामोत्थान समिति, ग्राम–सब्जीत का पुरा, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश	2.00
18.	हरित ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, ग्राम एवं पो.आ. कैंची, जिला नैनीताल, उत्तराखण्ड	2.00
19.	ग्रामीण महिला विकास संस्थान, बी–137/8, इन्दिरा नगर, लखनऊ, उ.प्र.	2.00
20.	रूरल इन्टिग्रेटेड एण्ड सोशल एजुकेशन सोसाइटी, 1–455, द्वारका नगर, जिला अनंतपुर, आंध्र प्रदेश	1.785

वर्ष 2006–07 के दौरान खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए जारी किया गया केंद्रवार अनुदान

(लाख रुपए में)

1.	जागरूक महिला मंडल, वार्ड नं. 11, सदा कालोनी, चंदेरी, जिला अशोक नगर, मध्य प्रदेश	2.00
2.	हेरिटेज फाउंडेशन समंतराय हाउस, 293/600, यूनिट 7, सूर्यानगर, भुवनेश्वर, उड़ीसा	2.00
3.	आर.के. जैन शिक्षण एवं समाज कल्याण संस्थान, ग्राम कोटरा, पोस्ट हुसैनपुर, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश	1.738
4.	भुवनेश्वर विज्ञान तथा पर्यावरण फोरम, 47, वी.आई.पी. एरिया, आई.आर.सी. गांव, जिला भुवनेश्वर, उडीसा	1.00 (मूल पूंजी)
5.	भारतीय किसान कल्याण समिति, ए.बी. नगर, उन्नाव, उत्तर प्रदेश	2.00
6.	पवन शिक्षा एवं जन उत्थान समिति, खेती, जिला चमोली, उत्तराखण्ड	1.00 (मूल पूंजी)

1	2	3
7.	तरू, शिक्षण एवं प्रशिक्षण समिति, केशव कालोनी, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश	2.00
8.	हिमाल्टो ग्रामोद्योग संस्थान, मिनी इंडस्ट्रियल एरिया, भाटयारी सैन, जिला रूद्रप्रयाग, उत्तराखण्ड	1.00 (मूल पूंजी)
9.	श्री कृष्ण ग्रामोद्योग समिति, सब्जीत का पुरा, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश	1.00
10.	तफा पाली मिलानी संघ, सरीशहाट, जिला 24 परगना, पश्चिम बंगाल	2.00
11.	लक्ष्मी महिला हस्तशिल्प केंद्र संघ, कल्याण भवन, गुलावठी, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश	1.797
12.	रामकृष्ण मिशन आश्रम, सरीशा, दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल	2.00
13.	सर्वदलीय मानव विकास केंद्र, बहजोई, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश	1.935
14.	श्री कृष्ण ग्रामीण शिक्षण संस्थान, ग्राम सिया कुंडल, पो.आ. उमरावगंज, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश	2.00
15.	मानव कल्याण एवं विकास समिति, विलास गंज, आगरा, उ.प्र.	1.95
16.	जनकल्याण सोसाइटी, सिवानी मण्डी, जिला भिवानी, हरियाणा	2.00
17.	उड़ीसा मीडिया सेन्टर, 47 इकामरा विहार, नयापल्ली, भुवनेश्वर, उड़ीसा	5.087
18.	कॉलेज ऑफ डेरी एण्ड फूड साइंस टेक्नॉलॉजी, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नॉलोजी, उदयपुर, राजस्थान	7.50
19.	संपर्क बिल्डिंग परफेक्ट रिलेशन, बी–29, सेक्टर 53, नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, उ.प्र.	2.00
20.	नेटिव एजुकेशन एण्ड एम्प्लायमेंट डेवलपिंग सोसाइटी, ओल्ड विधानसभा रोड़, भोपाल, म.प्र.	2.00
21.	कृषि विज्ञान केंद्र, वनस्थली विद्यापीठ, टोंक, राजस्थान	2.00
22.	रामकृष्ण मिशन, पल्लीमंगल, कमारपुकुरू, जिला हुगली, प. बंगाल	2.00
23.	दीनदयाल शिक्षा समिति, ग्वालियर, म.प्र.	2.00
24.	एसोसिएशन फॉर सोशल वर्क एण्ड सोशल रिसर्च इन उड़ीसा, बौद्ध, उड़ीसा	2.00
25.	स्माल इण्डस्ट्रीज सर्विस इंस्टिट्यूट, हुबली, कर्नाटक	7.11
26.	आधारशिला सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास संस्थान, लखनऊ, उ.प्र.	2.00
27.	बेगम हजरतमहल वूमेन एजुकेशनल सोसाइटी, संडीला, हरदोई, उ.प्र.	2.00

काकीनाडा में तेल शोधक संयंत्र

3279. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :
डा. एम. जगन्नाथ :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओ एन जी सी) ने आंध्र प्रदेश में काकीनाड़ा में एक तेल शोधक संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है;

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना पर कुल कितना व्यय किए जाने की संभावना है; और

(ङ) इस कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) वर्तमान में आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) एक संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से आंध्र प्रदेश राज्य के काकीनाडा में एक निर्यातोन्मुख रिफाइनरी परियोजना की स्थापना के लिए तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता की जांच कर रही है।

(ग) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ई आई एल) को 15.0 मि. मी. टन प्रति वर्ष की संवर्धित क्षमता के लिए विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट (डी एफ आर) तैयार करने हेतु नियुक्त किया गया है।

(घ) और (ङ) डी एफ आर पूरी हो जाने तथा उसके वित्तीय मूल्यांकन के बाद ही सही निवेश की वास्तविक मात्रा तथा उसके पूर्ण होने की समय सीमा निर्धारित की जा सकती है।

उड़ान के दौरान मृत्यु हो जाने पर मुआवजा

3280. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इण्डियन फ्लाइट के विमान के शौचालय के पास एक विमान यात्री मृत पाया गया जैसाकि 19 जून, 2007 के "द टाइम्स आफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा विमान यात्री के रिश्तेदार को ऐसे मामलों में मुआवजे की अदायगी के लिए क्या दिशानिर्देश निर्धारित किये गये हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। श्री मधुर खरबंदा, जो दिनांक 18 जून, 2007 को आईसी 859 में यात्रा कर रहे थे, वे विमान के पिछले शौचालय में गए तथा जब वे कुछ समय तक वापिस नहीं आए जो केबिन क्रू ने शौचालय का दरवाजा खोला तथा उन्हें मृत पाया। विमान में उपस्थित तीन डॉक्टरों ने श्री खरबंदा की तत्काल जांच की व उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। विमान के उतरने के पश्चात श्री खरबंदा को सिंगापुर हवाईअड्डे के अधिकारियों द्वारा व्यवस्थित एक डॉक्टर द्वारा भी देखा गया तथा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। नीति के अनुसार विमान में स्वाभाविक मृत्यु से मरने वाले यात्री के संबंधी को किसी प्रकार की क्षति पूर्ति देय नहीं होती है।

[हिन्दी]

इथनॉल मिश्रित पेट्रोल

3281. श्री सूरज सिंह :

श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में 5 प्रतिशत इथनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन कंपनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने पेट्रोल में 5 प्रतिशत इथनॉल मिलाना शुरू किया है;

(घ) उन कंपनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस नीति को अब तक स्वीकार नहीं किया है; और

(ङ) इस नीति को नहीं अपनाने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दिनांक 20.09.2006 की अधिसूचना संख्या जी एस आर 580(ई) द्वारा यह निदेश दिया है कि वाणिज्यिक व्यवहार्यता की शर्त पर तेल विपणन कंपनियां 1.11.2006 से अधिसूचित 20 राज्यों तथा 4 संघ राज्य क्षेत्रों में, भारतीय मानक विनिर्देश के अनुसार 5% एथेनोल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री करेंगी। तेल विपणन कंपनियां तीन वर्ष की वैद्यता अवधि के साथ खुली निविदाओं द्वारा देशी उत्पादकों से एथेनोल का प्रापण कर रही हैं, जिसे और दो वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, दिल्ली, बिहार, झारखण्ड, गोवा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश (आंशिक) राज्यों में एथेनोल की आपूर्ति के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। एथेनोल मिश्रित पेट्रोल की आपूर्ति पहले से ही उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, झारखंड (आंशिक), गुजरात (आंशिक), तथा आंध्र प्रदेश (आंशिक) में शुरू की गई है।

(ग) से (ङ) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी एल), भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बी पी सी एल) तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच पी सी एल) ने पहले से ही उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, झारखंड (आंशिक), गुजरात (आंशिक), तथा आंध्र प्रदेश (आंशिक) राज्यों में 5% एथेनोल मिश्रित पेट्रोल को बेचना शुरू कर दिया है।

तथापि, निम्नलिखित कारणों से शेष राज्यों में इन कंपनियों द्वारा 5% ई बी पी कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं किया जा सका –

(1) पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित गजट अधिसूचना के जारी होने में विलम्ब।

(2) एथेनोल के अन्तर–राज्य निर्बाध संचलन में बाधाएं।

(3) उत्पाद परमिटों के जारी होने में विलंब तथा

(4) एथेनोल पर करों/शुल्कों की वसूली का गैर योक्तिकीकरण।

अन्य पिछड़ा वर्गों को मैट्रिक से पूर्व/पश्चात् की कक्षाओं हेतु छात्रवृत्ति की अदायगी के लिए धनराशि उपलब्ध कराना

3282. श्री गणेश सिंह : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की तरह अन्य पिछड़ा वर्गों के छात्रों को मैट्रिक से पूर्व/पश्चात् की कक्षाओं हेतु छात्रवृत्ति की 100 प्रतिशत अदायगी हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में इस निर्णय के कब तक ले लिए जाने की संभावना है तथा राज्य सरकारों को कब तक राशि उपलब्ध करा दिये जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (ग) अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी प्रतिबद्धदेयता के अतिरिक्त शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार की सहायता, छात्रवृत्ति की राशि के 50% तक सीमित है। उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत मौजूदा वित्त पोषण पैटर्न को परिशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

इराक से तेल क्षेत्रों की मांग

3283. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत तथा इराक के बीच संयुक्त कार्य की हाल में हुई बैठक में इराक से तेल क्षेत्रों की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संपूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पहले हस्ताक्षर किए गए समझौतों के कार्यान्वयन के संबंध में कोई वार्ता की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारत का इराक के पुनर्निर्माण में किस प्रकार का सहयोग देने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ङ) जी, हां। हाल ही में नई दिल्ली में मई, 2007 में आयोजित आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग के लिए भारत-ईराक संयुक्त आयोग के 16वें सत्र में, भारत से प्राप्त अनुरोध पर, ईरानी पक्ष, नए ईराकी तेल और गैस कानून के अनुसार वर्ष 2001 में अन्वेषण और उत्पादन के लिए ओ एन जी सी को प्रदान किए गए 8 ब्लॉकों के लिए संविदा के पुनर्वैधीकरण पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है। तत्पश्चात् 3 अगस्त, 2007 को तेल मंत्रालय, ईराक और ओ एन जी सी विदेश लिमिटेड (ओ वी एल) के बीच एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। ईराकी पक्ष ने तेल और गैस के मूल्यांकन, वेधन, अन्वेषण तथा उत्पादन से संबंधित कार्यों की श्रेणी में ईराकी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यमों के माध्यम से निविदाओं में भाग लेने के लिए इंडियन आयल कारपोरेशन को आमंत्रित किया है। इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अपस्ट्रीम और डाऊनस्ट्रीम दोनों क्षेत्रों में प्रशिक्षण, प्रचालन तथा अनुरक्षण, गैस पारेषण लाइनों, एल पी जी संयंत्रों, आटोमोटिव क्षेत्र आदि के लिए संपीडित प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में सेवाएं देती हैं।

[अनुवाद]

दिल्ली में रात्रि पर्यटन को बढ़ावा

3284. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान का संयुक्त रूप से दिल्ली में रात्रि पर्यटन को बढ़ावा देने की किसी योजना को शुरू करने का विचार है जैसाकि दिनांक 11 अगस्त, 2007 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है तथा उन स्मारकों के क्या नाम हैं जिन्हें अब तक इस प्रयोजनार्थ चुना गया है; और

(ग) उक्त परियोजना को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ग) पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 2006-07 में 2375.09 लाख रुपए की कुल लागत की दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 13 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) स्मारकों के प्रदीप्तिकरण के लिए भारत पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) की एक विशाल परियोजना स्वीकृत की थी। इस परियोजना के अंतर्गत कवर किए गए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के स्मारकों में - पुराना किला, शेरशाह गेट और मस्जिद, सफदरजंग मकबरा, सब्ज बुर्ज, कोटला फिरोजशाह, खाने-खाना, निजामुद्दीन स्थित 12 खम्भा, दिल्ली गेट में स्थित लाल दरवाजा क्षेत्र, ग्रीन पार्क में स्थित छोटी गुमटी, ग्रीन पार्क में स्थित सीकरी गुमटी, ग्रीन पार्क में स्थित बीरान की गुम्बद, ग्रीन पार्क में स्थित दादी पोती का गुम्बद, जोरबाग में नजफ खान का मकबरा स्थित है।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में रिक्त पद

3285. श्री गिरिधर गमांग : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में उच्च स्तर पर अधिसंख्य रिक्तियां रिक्त पड़ी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का उद्यम-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन रिक्तियों को स्वीकृति प्रदान करने तथा नियुक्ति करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) रिक्तियों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में मुख्य कार्यपालकों के 10 पद तथा कार्यकारी निदेशकों के 43 पद रिक्त हैं।

(ख) निदेशक मण्डल स्तर के इन 53 पदों का सरकारी क्षेत्र के उद्यम वार विवरण संलग्न हैं।

(ग) निदेशक मण्डल स्तर की कुछ नियुक्तियों में विलम्ब के कारणों में सतर्कता निकासी व सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने में विलम्ब, नियुक्त व्यक्ति द्वारा कार्यभार ग्रहण करने में विलम्ब, आकस्मिक रिक्तियां उत्पन्न होना, न्यायालय संबंधी मामलों तथा संबंधित मंत्रालयों द्वारा आस्थागित रखे गए पदों का पुनरुद्धार इत्यादि शामिल है।

(घ) सरकार ने विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनमें केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में ऐसे पदों पर भर्ती के लिए समय सीमा दर्शाई गई है। लोक उद्यम चयन बोर्ड की सिफारिशें रिक्ति उत्पन्न होने की तारीख से कम-से-कम 6 महीने पहले की जानी चाहिएं तथा अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के लिए संबंधित मंत्रालय/विभाग को भेजी जानी चाहिए।

विवरण

केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निदेशक मंडल स्तर की रिक्तियों का ब्यौरा (31.8.2007 की स्थिति के अनुसार)

(I) केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उन उद्यमों में निदेशक मंडल स्तर की रिक्तियां, जिनमें लोक उद्यम चयन बोर्ड की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है।

क्र. सं.	पद का नाम	रिक्ति की तारीख
1.	निदेशक (तकनीकी), भारत भारी उद्योग निगम लि.	30.03.06
2.	प्रबंध निदेशक, नागालैण्ड पल्प एंड पेपर कारपोरेशन लि.	22.03.07
3.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नेशनल जूट मैन्यू. कारपो. लि.	29.03.07
4.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, स्कूटर्स इंडिया लि.	13.04.07
5.	निदेशक (विपणन), हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि.	30.04.07
6.	निदेशक (वाणिज्य), इंस्ट्रूमेंटेशन लि.	01.06.07
7.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारत भारी उद्योग निगम लि.	21.06.07
8.	प्रबंध निदेशक, हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लि.	21.06.07
9.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लि.	26.06.07
10.	निदेशक (तकनीकी), इंडियन रेन्युएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी	27.06.07
11.	निदेशक (उत्पादन), हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि.	27.06.07
12.	निदेशक (ओ एंड सी), कोंकण रेलवे कारपोरेशन लि.	01.07.07
13.	निदेशक (वित्त), ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लि.	05.07.07
14.	निदेशक (तकनीकी), एचएमटी मशीन टूल्स लि.	09.07.07
15.	निदेशक (तकनीकी), फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स (त्रावणकोर) लि.	31.07.07
16.	निदेशक (वित्त), आई टी आई लि.	01.08.07
17.	निदेशक (पी एंड एनएस), भारत संचार निगम लि.	06.08.07
18.	निदेशक (मानव संसाधन), आई टी आई लि.	24.08.07

(ii) **केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उन उद्यमों में निदेशक मंडल स्तर की रिक्तियां, जिनमें लोक उद्यम चयन बोर्ड की सिफारिशों पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है।**

क्रम सं.	पद का नाम	रिक्ति की तारीख
1.	निदेशक (सी एंड एम), भारतीय पर्यटन विकास निगम लि.	16.03.05
2.	निदेशक (विपणन), राज्य व्यापार निगम लि.	14.12.06
3.	निदेशक (बीटी एंड सी), शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	01.03.07
4.	निदेशक (तकनीकी), हिंदुस्तान लेटक्स लि.	24.04.06
5.	निदेशक (प्रचालन), एचएमटी लि.	01.07.07
6.	निदेशक (वाणिज्य, एंड सीपी), केंद्रीय भंडागार निगम	15.11.05
7.	प्रबंध निदेशक, बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लि.	01.12.06
8.	निदेशक (विपणन), नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लि.	22.05.06
9.	निदेशक (परियोजना), राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.	07.09.06
10.	निदेशक (मानव संसाधन), नेशनल टेक्सटाइल्स कारपोरेशन लि.	22.05.06
11.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपो. लि.	10.11.06
12.	निदेशक (वित्त), हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि.	05.05.06
13.	निदेशक (वित्त), नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि.	23.01.07
14.	निदेशक (प्रचालन), पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	21.02.07
15.	निदेशक (वित्त), राइट्स लि.	28.02.07
16.	निदेशक (मानव संसाधन), पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	25.01.07
17.	निदेशक (आईएमओ), कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	12.12.06
18.	निदेशक (वित्त), टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लि.	09.03.07
19.	निदेशक (वित्त), नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपो. लि.	12.03.07
20.	निदेशक (इंजीनियरिंग), नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रकशन कारपो. लि.	29.11.06
21.	निदेशक (वित्त), हिंदुस्तान लेटेक्स लि.	26.02.07
22.	निदेशक (सी एंड एम), भारत संचार निगम लि.	13.03.07
23.	निदेशक (तकनीकी), सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लि.	01.04.07
24.	निदेशक (विपणन), पी ई सी लि.	01.07.07
25.	निदेशक (वित्त), राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.	01.05.07
26.	निदेशक (विपणन), इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि.	06.02.07
27.	निदेशक (मानव संसाधन), महानगर टेलीफोन निगम लि.	04.04.07
28.	निदेशक (पी एंड पीएस), शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	18.06.07
29.	निदेशक (वित्त), टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंस इंडिया लि.	01.06.07

(ii) **केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उन उद्यमों में निदेशक मंडल स्तर की रिक्तियां, जिनमें सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन तो उपलब्ध है परंतु पदधारक ने अभी कार्यभार ग्रहण करना है**

क्रम सं.	पद का नाम	रिक्ति की तारीख
1.	निदेशक (प्रचालन), हिंदुस्तान कॉपर लि.	01.02.07
2.	निदेशक (वित्त), ब्रिज एंड रूफ कंपनी लि.	01.05.07
3.	निदेशक (वित्त), भारत भारी उद्योग निगम लि.	01.01.07
4.	निदेशक (वित्त), ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपो. लि.	01.12.06
5.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ड्रेजिंग कारपो. ऑफ इंडिया लि.	01.12.06
6.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आवास एवं शहरी विकास निगम लि.	07.12.06

नए फ्रेट टर्मिनल

3286. श्री आलोक कुमार मेहता :
श्री राम कृपाल यादव :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे द्वारा कितने नए फ्रेट टर्मिनल विकसित किए गए हैं तथा वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) नए फ्रेट टर्मिनल विकसित करने में कितने निवेश की आवश्यकता होगी;

(ग) इन नए फ्रेट टर्मिनलों से कितने अतिरिक्त राजस्व का सृजन होगा;

(घ) क्या रेलवे के पास कतिपय फ्रेट टर्मिनलों को निजी कंपनियों को देने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) इस प्रकार की सभी टर्मिनलों से राजस्व उत्पादन की मात्रा की गणना नहीं की जा सकती। बहरहाल, इन नए टर्मिनलों की योजना इस प्रकार बनाई गई है कि भारतीय रेल के बढ़ते माल व्यवसाय को पूरा किया जा सके।

(घ) रेल टर्मिनलों को कंपनियों को पट्टे पर देने की फिलहाल कोई नीति नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

भारतीय रेल पर माल टर्मिनलों के विकास के लिए 2007-08 के रेलवे के निर्माण, मशीनरी तथा चल स्टॉल कार्यक्रम में निम्नलिखित कार्य शामिल किए गए हैं:-

क्रम सं.	कार्य	स्थल	रेलवे	कार्य की लागत (करोड़ रुपए में)
1	2	3	4	5
1.	न्यू गुड्स कॉम्प्लेक्स	रैरू	उ.म.रे.	4.38
2.	पूर्ण रेक टर्मिनल का विकास	जयराम नगर	द.पू.म.रे.	1.43
3.	पूर्ण रेक टर्मिनल का विकास	भूपदेवनगर	द.पू.म.रे.	1.88
4.	पूर्ण लम्बाई रेक सम्हलाई साइडिंग तथा पत्थर की ईंटों वाली सतह के साथ पटरी स्तर वाला प्लेटफार्म	गोविन्द नगर	पूर्वो.रे.	2.23

1	2	3	4	5
5.	माल सवारीडिब्बा टर्मिनल के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण	होलम्बी कलां	उ.रे.	39.37
6.	सम्हलाई के लिए माल शेड सुविधाएं	तलोजा पंचानन्द	म.रे.	1.00
7.	माल टर्मिनल	दौण्ड	म.रे.	.49
8.	बड़ी लाइन पर माल टर्मिनल स्वीकृत किए गए	शोरानूर	द.रे.	.45
9.	बड़ी लाइन पर माल टर्मिनल स्वीकृत किए गए	बुदलपुर	द.रे.	.37
10.	नया माल टर्मिनल सराय एवं मानसी	सोनपुर	पू.म.रे.	इसमें परियोजना–दर–परियोजना अंतर होता है।
11.	माल टर्मिनल, सहरसा	समस्तीपुर	पू.म.रे.	
12.	माल टर्मिनल, भभुआ रोड	मुगलसराय	पू.म.रे.	
13.	माल टर्मिनल	सनतनगर	द.म.रे.	13.52
14.	माल टर्मिनल	काकीनाडा पत्तन	द.म.रे.	68.24
15.	माल टर्मिनल	रेड्डीपलम (गुंटूर)	द.म.रे.	1.53

[हिन्दी]

विश्व बैंक से वित्तीय सहायता

3287. श्री रामदास आठवले : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान पर्यटन क्षेत्रों के विकास के लिए विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्तीय सहायता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर्यटन स्थलों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है जिनके विकास के लिए आज की तिथि के अनुसार इस राशि का उपयोग किया गया है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली-जयपुर रेल लाइन का आमान परिवर्तन कार्य

3288. श्री सुभाष महरिया : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली–जयपुर रेल लाइन वाया लोहारू–झुंझुनू–सीकर–चुरू–रींगस–जयपुर तथा सूरतगढ़–हनुमानगढ़ रेलवे लाइनों पर आमान परिवर्तन के कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कार्य को कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) दिल्ली से रेवाड़ी तक पहले से ही एक बड़ी आमान की लाइन है। बरास्ता लोहारू, रेवाड़ी से सदुलपुर पहले से एक स्वीकृत आमान परिवर्तन कार्य है, जिसे 2008–09 में पूरा करने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त लोहारू–सीकर और जयपुर–रिंगस–सीकर–चुरू आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है। सर्वेक्षण के अनुसर, आमान परिवर्तन (319 कि.मी.) की लागत 500 करोड़ रुपए आंकी गई है। प्रस्ताव को योजना आयोग के पास सैद्धांतिक सहमति के लिए भेजा गया है।

सूरतगढ़–हनुमानगढ़ पहले से ही एक बड़ी आमान वाली लाइन है।

[अनुवाद]

बंगलौर-पटना एक्सप्रेस की बारंबारता

3289. श्री एम. शिवण्णा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगलौर–पटना एक्सप्रेस की बारंबारता सप्ताह में तीन दिन से बढ़ाकर सप्ताह में छः दिन कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे इस संबंध में लगातार तथा बढ़ती मांग को देखते हुए इस एक्सप्रेस रेलगाड़ी को प्रतिदिन चलाने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) रेल बजट 2007–08 में पटना–बंगलूरू संघमित्रा एक्सप्रेस के फेरे सप्ताह में 2 दिन से बढ़ाकर सप्ताह में 6 दिन करने के बारे में 2007–08 के दौरान घोषणा की गई है।

(ख) और (ग) शेष दिन 2557/2558 दरभंगा–बंगलूरू एक्सप्रेस (साप्ताहिक) पहले से ही पटना और बंगलूरू के बीच पटना–बंगलूरू संघमित्रा एक्सप्रेस के रास्ते पर चल रही है, इसके परिणामस्वरूप पटना और बंगलूरू के बीच यात्रा करने के इच्छुक यात्रियों के लिए एक दैनिक सेवा उपलब्ध है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों हेतु विकास निधियां

3290. श्री हितेन बर्मन : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य भारतीय बैंक ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विस्तार हेतु तीन विकास निधियों की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निधि स्थापित करने के लिए समुचित कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विस्तार के लिए विकास निधियों की स्थापना हेतु कोई सिफारिश नहीं की है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को किसी और बैंक से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कलाकृतियों का अधिग्रहण

3291. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्थान–वार ऐतिहासिक महत्व की कलावस्तुओं के अधिग्रहण, संरक्षण तथा जीर्णोद्धार में लगी राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इनमें से अधिकांश संस्थाओं का कार्य अतिव्याप्ति से ग्रस्त है तथा उनमें कोई साहचर्य नहीं है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार कलाकृतियों के अधिग्रहण के संबंध में सतत नीति पर विचार करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सारनाथ के संग्रहालय से दिसम्बर, 2004 में पांचवीं शताब्दी के बुद्ध के शीश की चोरी की जांच पूरी कर ली गई है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) संस्कृति मंत्रालय के तहत् राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली; राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली; भारतीय संग्रहालय, कोलकाता; सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद; इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद तथा विक्टोरिया मेमोरियल, कोलकाता कलावस्तुओं के अधिग्रहण, परिरक्षण और पुनरुद्धार में कार्यरत राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हैं। इसके अलावा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला, लखनऊ भी राष्ट्रीय स्तर पर कलावस्तुओं के परिरक्षण और पुनरुद्धार में कार्यरत हैं।

(ख) और (ग) इन सभी संस्थानों की अपनी विशिष्ट पहचान, उद्देश्य एवं लक्ष्य हैं। तथापि, जब भी आवश्यक होता है, ये एक–दूसरे के साथ सहयोग करते हैं।

(घ) और (ङ) कलावस्तुओं का अधिग्रहण प्रत्येक संस्थान द्वारा इसके दायित्व, आवश्यकता तथा मौजूदा संग्रहों की प्रकृति के आधार पर किया जाता है। चूंकि इन संस्थानों के उद्देश्य और लक्ष्य अलग–अलग हैं और इनमें से कुछेक संस्थान स्वायत्त हैं और इनका प्रबंधन न्यासी बोर्ड/सोसाइटियों द्वारा किया जाता है, अतः इन सभी संस्थानों के लिए कला अधिग्रहण की कोई एकल नीति नहीं हो सकती।

(च) से (ज) दिसम्बर, 2004 में राष्ट्रीय संग्रहालय, कोलकाता से सारनाथ के 5वीं शताब्दी के भगवान बुद्ध के शीश की चोरी का मामला केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दिया गया है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र के लिए राज्य एयरलाइन की स्थापना

3292. श्री हरिभाऊ जावले : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र के लिए स्टेट एयरलाइन्स की स्थापना हेतु अधिसूचना जारी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास स्टेट एयरलाइन्स कैटेगरी में जलगांव नगर को शामिल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) महाराष्ट्र सरकार की ओर से एक राज्य एयरलाइन की स्थापना के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

असम की अल्पसंख्यक जनसंख्या की स्थिति

3293. श्री अनवर हुसैन : क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार असम में, विशेष रूप से इसके धुबरी, गोलपारा, बारपेटा, मोरीगांव, नवगांव इत्यादि जिलों में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के अवसंरचनात्मक तथा न्यूनतम मूलभूत सुविधाओं के अभाव से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो क्या असम की अल्पसंख्यक जनसंख्या की दयनीय जीवनयापन की स्थिति का कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उनकी स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) से (ग) असम राज्य के धुबरी, गोलपाड़ा, बरपेटा, मोरीगांव और नवगांव जिलों को उन 13 अल्पसंख्यक बहुल जिलों में शामिल किया गया है जिनकी पहचान इनमें अल्पसंख्यकों की आबादी और परस्पर पिछड़ेपन के आधार पर अर्थात् इन जिलों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और इनमें उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं के राष्ट्रीय औसत के आधार पर किया गया है।

(घ) देश भर में पहचान किए गए सभी अल्पसंख्यक बहुल जिलों में 'धीमी विकास' की समस्या के निराकरण के लिए इन सब जिलों हेतु बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम चलाने के प्रयोजन से वार्षिक योजना 2007-08 में 120 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति योजना में परिवर्तन

3294. श्री अनंत गुढे :
श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना में कुछ परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कब तक उक्त परिवर्तन कार्यान्वित कर दिए जाएंगे;

(ग) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए न्यूनतम वार्षिक आय मानदंडों में संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (घ) जी, हां। अनुसूचित जातियों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों को केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना को सुचारु बनाया जा रहा है।

पश्चिम-मध्य रेल में बैरागढ़ तथा भोपाल रेलवे स्टेशन को शामिल करना

3295. श्री कैलाश जोशी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस तथ्य के बावजूद कि बैरागढ़ तथा भोपाल स्टेशन उसी महानगर का हिस्सा हैं तथा उसी नगर निगम में आते हैं, बैरागढ़ रेलवे स्टेशन तथा भोपाल रेलवे स्टेशन अलग रेल जोनों अर्थात् पश्चिम रेलवे तथा पश्चिम-मध्य रेलवे में आते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे को इन दोनों रेलवे स्टेशनों को एक जोन में लाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) बैरागढ़ रेलवे स्टेशन को कब तक पश्चिम-मध्य रेल जोन में लाया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां। बैरागढ़ रेलवे स्टेशन, पश्चिम रेलवे के रतलाम जिले के क्षेत्राधिकार में और भोपाल रेलवे स्टेशन, पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल में आता है।

(ख) एक खंड विशेष को एक मंडल/जोन विशेष में रखने का निर्णय भौगोलिक आधार को मद्देनजर रखे बिना केवल परिचालनिक/प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रस्ताव को परिचालनिक/प्रशासनिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत व्यवहार्य नहीं पाया गया।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखंड में रेल लाइन

3296. श्री रशीद मसूद : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार उत्तराखंड में टनकपुर से बागेश्वर तथा ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक नई रेल लाइन बिछाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजना पर कब तक कार्य शुरू होगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) खानपुर से बागेश्वर और ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक नई रेल लाइन बिछाने की मांगें प्राप्त हुई हैं। इन लाइनों के लिए सर्वेक्षण किए गए थे और अलाभप्रद प्रकृति, चालू परियोजनाओं के अत्यधिक थ्रो-फारवर्ड और संसाधनों की तंगी के कारण इन पर विचार नहीं किया गया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि परियोजनाएं स्वीकृत नहीं है।

[अनुवाद]

विशाखापत्तनम में पेट्रो-रसायन निवेश क्षेत्र

3297. डा. एम. जगन्नाथ : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से विशाखापत्तनम में पेट्रो-रसायन निवेश तंत्र स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने उक्त परियोजना के लिए कोई वित्तीय सहायता मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) से (घ) जी, हां। विशाखा-पत्तनम - काकीनाडा-राजमुंद्री में पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर) स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से एक आवेदन प्राप्त हुआ था। आंध्र प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों के सहयोग से 26 जुलाई, 2007 को इसकी प्रारम्भिक जांच की गई थी। तदनुसार, आन्ध्र प्रदेश सरकार को संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करना है।

पेट्रोल तथा डीजल के मूल्यों को फिर से घटाना

3298. श्री किरिप चालिहा : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास पेट्रोल तथा डीजल के मूल्यों को जून, 2006 के पहले के स्तर पर करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब तक होगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ग) अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में गिरावट के आधार पर, पेट्रोल और डीजल के मूल्य 30.11.2006 को कम किए गए थे। इन्हें 16.2.2007 को पुनः कम किया गया था। प्रत्येक अवसर पर पेट्रोल और डीजल के मूल्यों (दिल्ली मूल्य) को क्रमशः 2/- प्रति लीटर तथा 1/- रुपया प्रति लीटर कम किया गया था। इन कटौतियों के पश्चात्, पेट्रोल और डीजल के मूल्य पुनः जून, 2006 से पूर्व के स्तर तक लाए गए। चूंकि पेट्रोल और डीजल के बिक्री मूल्य अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों से कम बने रहे हैं और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री पर कम वसूली होती रही है, इसलिए अभी हाल में मूल्य घटाने जैसे किसी प्रकार के संशोधनों का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

उर्वरकों पर राजसहायता

3299. श्री हेमलाल मुर्मू :
श्री सुग्रीव सिंह :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में उर्वरकों पर राजसहायता जारी रखने का निर्णय किया है जैसा कि दिनांक 09 अगस्त, 2007 के 'हिन्दुस्तान' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2007-08 के दौरान उर्वरक क्षेत्र को आबंटित राजसहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार का विचार कब तक राजसहायता आबंटन की नीति की समीक्षा करने का है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार विभिन्न रासायनिक उर्वरकों अर्थात्, यूरिया, डीएपी, एमओपी, मिश्रित उर्वरकों के 11 ग्रेडों और एसएसपी की बिक्री पर राजसहायता की एक योजना को प्रशासित कर रही है। राजसहायता प्राप्त ये उर्वरक किसानों को अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो फार्मगेट स्तर पर इन उर्वरकों की वास्तविक सुपुर्दगी लागत से काफी कम होता है। चालू वर्ष में इन उर्वरकों की अनुमानित बिक्री उर्वरक राजसहायता की आवश्यकता तथा राजसहायता की पिछले वर्ष की अग्रेनीत देनदारियां लगभग 47,979.45 करोड़ रुपए हैं। उपर्युक्त आवश्यकता की तुलना में बजट अनुमान 2007–08 के अंतर्गत 22,452 करोड़ रुपए का आबंटन उपलब्ध कराया गया है। वर्ष 2006–07 के दौरान उर्वरक राजसहायता पर 25,952 करोड़ रुपए का व्यय हुआ था।

(घ) उर्वरकों के स्थायी उपयोग और संगत राजसहायता तथा मूल्य निर्धारण मुद्दों से संबंधित सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए मंत्रियों के समूह का गठन किया गया है। राजसहायता नीति से संबंधित मुद्दे पर भी मंत्रियों के समूह द्वारा विचर किया जा रहा है।

[अनुवाद]

रेलवे में रिक्त पद

3300. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे में नई भर्तियों पर प्रतिबंध लगा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि हां, तो जोन–वार कितने पद रिक्त हैं तथा ये पद कब से रिक्त हैं;

(घ) क्या रिक्त पदों को न भरने के कारण वर्तमान कर्मचारियों पर अतिरिक्त भार डाला जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप यात्रियों की सुरक्षा को खतरा पैदा होता है; और

(ङ) यदि हां, तो रिक्त पदों को भरने के लिए कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 30.06.2007 की जोन–वार रिक्तियों की स्थिति निम्नानुसार हैं:–

1.	मध्य रेलवे	13274
2.	पूर्व रेलवे	13153
3.	पूर्व तट रेलवे	8243
4.	पूर्व मध्य रेलवे	14227
5.	उत्तर रेलवे	17118
6.	उत्तर मध्य रेलवे	8671
7.	पूर्वोत्तर रेलवे	3370
8.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	8876
9.	उत्तर–पश्चिम रेलवे	8138
10.	दक्षिण रेलवे	7472
11.	दक्षिण मध्य रेलवे	10601
12.	दक्षिण पूर्व रेलवे	12462
13.	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	8591
14.	दक्षिण पश्चिम रेलवे	6264
15.	पश्चिम रेलवे	7698
16.	पश्चिम मध्य रेलवे	9519

रिक्तियों का उत्पन्न होना तथा भरा जाना एक सतत् प्रक्रिया है। हालांकि इस सतत् प्रक्रिया में हर समय कुछ रिकत्यां होने की संभावना रहती है, सरकार की यह नीति रहती है कि मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों को तत्काल भरा जाय। रिक्ति की अवधि का ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(घ) मौजूदा कर्मचारियों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाता है जिससे कि संरक्षा मानकों से समझौता होता हो। अपेक्षित संख्या में कर्मचारियों को नियुक्त करके तथा ई प्रौद्योगिकी अपनाकर वांछित अधिकतम आउटपुट की प्राप्ति की जाती है।

(ङ) क्षेत्रीय रेलों के महाप्रबंधकों को पहले से ही आवश्यकता का आकलन करने तथा ग्रुप "सी" कोटियों के मामले में रेल भर्ती बोर्डों का समय–समय पर इंडेंट भेजकर इन्हें भरने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। ग्रुप "डी" के लिए भर्ती, रेलों द्वारा स्वयं की जाती है।

अतिरिक्त स्थान का उपयोग हेतु विशेष प्रयोजन वाहन

3301. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

श्री मिलिन्द देवरा :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के कार्य समूह ने विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्लेटफार्म तथा स्टेशन के आस-पास के क्षेत्रों पर उपलब्ध काफी जगह के उपयोग हेतु स्पेशल पर्पस व्हीकल (एस पी वी) के निर्माण का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राजस्व संभावना के दोहन हेतु रेलवे ने क्या कदम उठाया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए रेल कार्यक्रमों के कार्य संचालन ग्रुप रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि स्टेशनों के आस-पास के क्षेत्रों तथा प्लेटफार्मों के ऊपर एयर स्पेस को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पी पी पी) के माध्यम से वाणिज्यिक रूप से विकसित किया जा सकता है। यह भी सुझाव दिया गया है कि संयुक्त उद्यम विशेष प्रयोजन योजना मॉडल (एस पी वी) के आधार पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी से नए यात्री टर्मिनल शुरू किए जा सकते हैं जिनका प्रतियोगात्मक बोलियों के माध्यम से विनिश्चय किया जा सकता है।

(ग) सार्वजनिक-निजी भागीदारी से विश्व-श्रेणी के स्टेशनों के रूप में विकसित किए जाने के लिए 22 स्टेशनों की पहचान की गई है।

एक अलग प्राधिकरण, अर्थात् रेल भूमि विकास प्राणिकरण (आर एल डी ए) की स्थापना की गई है ताकि रेलों की अतिरिक्त भूमि का वाणिज्यिक विकास किया जा सके।

नाडीकुडी और श्रीकलाहस्ती के बीच नई रेल लाइन

3302. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र के अंतर्गत नाडीकुडी और श्रीकलाहस्ती के बीच नई रेल लाइन डालने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) नाडीकुडे-श्रीकालाहस्ती नई रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण 2004-05 में पूरा किया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार इस 309 कि.मी. लंबी लाइन की लागत 711.52 करोड़ रुपए आंकी गई है, सर्वेक्षण रिपोर्ट दक्षिण मध्य रेलवे के जांच हेतु विचाराधीन है।

(ग) इस संबंध में कोई समय सीमा देना व्यवहार्य नहीं है।

रेक प्वाइंटों से आय

3303. श्री हरिभाऊ राठौड़ : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य रेल के नागपुर मंडल के अंतर्गत धमनगांव पर रेक प्वाइंटों से कितनी वार्षिक आय होती है;

(ख) इस रेक प्वाइंट से चालू वर्ष में कितना अनुमानित लाभ हुआ;

(ग) क्या यह सच है कि रेकों की शंटिंग के कारण स्थानीय यातायात प्रभावित हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या स्थानीय यातायात में व्यवधान डाले बिना रेकों की शंटिंग की कोई पृथक व्यवस्था है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) 2006-07 के दौरान और 2007-08 में अगस्त तक धमनगांव गुड्स शेड से कोई प्रारंभिक लदान नहीं किया गया। बहरहाल, 2006-07 के दौरान भारतीय खाद्य निगम के 6 खाद्यान्न रैकों को पुनः बुक किया गया तथा 24,19,146/- रुपए की आमदनी हुई। इसके अतिरिक्त, 2006-07 के दौरान 59 रैकों की और 2007-08 में अप्रैल से अगस्त के बीच 28 रैकों की उतराई की गई।

(ग) जी, हां। स्टेशन और एडवांसड स्टार्टर सिगनल के बीच धमनगांव स्टेशन क्षेत्र में एक समपार गेट है जिसे सभी गाड़ियों को रास्ता देने के लिए बंद किया जाना है। इस गेट को गुड्स शैड से/में रैक के स्थापन/हटाने के लिए शंटिंग करते समय बंद किया जाना होता है।

(घ) और (ङ) इस समय गेट को बिना बंद किए रैक के स्थापन के लिए पृथक व्यवस्था करना व्यावहारिक नहीं है। बहरहाल, उक्त गेट (नं. 74 ए) के लिए एक ऊपरी सड़क पुल पहले से ही स्वीकृत है और कार्य प्रगति पर है।

मर्चेंट एयरपोर्ट्स

3304. श्री रेवती रमन सिंह :

श्री चन्द्रभूषण सिंह :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान विमान यातायात तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना हेतु अनुमानों में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) मर्चेंट एयरपोर्ट्स की संकल्पना के क्या उद्देश्य हैं तथा यात्रियों और कार्गो यातायात की मांगों को पूरा करने के लिए ऐसे कितने विमानपत्तनों की आवश्यकता पड़े;

(ग) क्या सरकार का विचार सरकारी-निजी संयुक्त उद्यम को छोड़कर सरकार के सुरक्षा विनियमों के अंतर्गत शुद्ध रूप से व्यावसायिक व्यवहार्यता के आधार पर निजी कंपनियों द्वारा निर्मित, विकसित तथा परिचालित मर्चेंट एयरपोर्ट्स में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) वर्ष 2004-05, 2005-06 एवं 2006-07 के दौरान विमान यात्रियों की संख्या में वार्षिक वृद्धि क्रमशः 21.5%, 23.7% एवं 31.4% थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विमान यात्रियों की संख्या में 21.6% की वृद्धि दिखाई दी है।

(ख) से (ङ) हवाईअड्डा आधारिक संरचना पर मौजूदा नीति में, सार्वजनिक या निजी क्षेत्रों में नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों का निर्माण करने तकनीकी क्लीयरेंस तथा सक्षम प्राधिकारी से लाइसेंस प्राप्त करके एवं केन्द्रीय सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद संयुक्त उद्यम के रूप में आरंभ किए जाने की सुविधा प्रदान की गई है। नीति में केवल ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के विकास में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का भी प्रावधान है।

[हिन्दी]

पर्यटन उद्योग से अर्जित राजस्व

3305. श्री जीवाभाई ए. पटेल :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यटन से कितना राजस्व अर्जित हुआ तथा इसका वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पर्यटन क्षेत्र से हुई आय संतोषजनक है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) पर्यटन से प्राप्त राजस्व को बढ़ाने के लिए पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इन कदमों के बाद सरकार को कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) वर्ष 2004, 2005 और 2006 के दौरान पर्यटन से अनुमानित विदेशी मुद्रा आय क्रमशः 4769, 5731 और 6569 मिलियन अमरीकी डालर है।

(ख) और (ग) हालांकि हाल के वर्षों में पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय से लगातार वृद्धि हो रही है, ऐसा महसूस किया जाता है कि विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में फैले भारत की प्रकृति की प्रचुर उदारता, इसकी कला, वास्तुकला और दार्शनिक विचार के विशाल धरोहर, इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, इसके विविध ग्रामीण क्षेत्र एवं वन्यजीवन और योग, सिद्ध आदि की पुरातन परंपराएं दोहन किए जाने योग्य इसके पास प्रचुर पर्यटन संभावना है जो कि पर्यटन से आय में आगे और वृद्धि करने में मददगार हो सकते हैं।

(घ) पर्यटन को बढ़ावा देने और इससे प्राप्त होने वाले राजस्व में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- पर्यटन परिपथों और गंतव्यों की अवसंरचना विकास की अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पर्यटक स्थलों का विकास करना;
- होटल अवसंरचना, विशेषतया बजट होटलों, की वृद्धि पर ध्यान देना;
- प्रमुख पर्यटक आकर्षणों के लिए एयर क्षमता में वृद्धि करने और सड़क अवसंरचना में सुधार करने के माध्यम से संपर्क बेहतर करना;
- "इन्क्रेडिबल इंडिया" अभियान द्वारा इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से ग्राहकों तक सीधी पहुंच बनाना;
- विश्व स्तर की प्रचार सामग्री का सृजन करना;
- विदेशों में स्थित मार्केटों में एयरलाइनों, टूअर ऑपरेटरों तथा थोक विक्रेताओं के साथ मिलकर प्रत्यक्ष सहकारी मार्केटिंग करना;
- उभरते बाजारों, विशेषतया चीन, पूर्वोत्तर एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देना;
- व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों का सृजन करना; और
- इंटरनेट एवं वेब मार्केटिंग का प्रयोग करना;
- पर्यटक संबंधी प्रकाशनों का सृजन करना; और
- विभिन्न पर्यटन उत्पादों पर स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए, मीडिया कार्मिकों और टूअर ऑपरेटरों को भारत की सुपरिचितिकरण यात्रा पर आमंत्रित करने के लिए, आतिथ्य कार्यक्रम को पुनः प्रवर्तित करना, जिसमें एयर पैसेज प्रदान करना भी शामिल होगा।

(ङ) सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप विदेशी पर्यटक आगमन और विदेशी मुद्रा आय से 2003 से 2006 की अवधि के दौरान क्रमशः 17.9 प्रतिशत तथा 23.3 प्रतिशत की अच्छी औसत वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई।

[अनुवाद]

रैकों की कमी

3306. श्री बसुदेव आचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे विद्युत इस्पात तथा सीमेंट क्षेत्र के प्रस्तावित भारी विकास के कारण 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रैकों की बढ़ती मांग के बारे में चिंतित है जैसा कि दिनांक 02 अगस्त, 2007 के "बिजनेस लाइन" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकारी क्षेत्र की वैगन विनिर्माण इकाइयों में उत्पादन बढ़ाने तथा पुनर्गठन हेतु रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां। 11वीं योजना अवधि के अंत तक समग्र माल यातायात लगभग 1100 मिलियन टन होने का अनुमान है। इस मांग को पूरा करने के लिए उच्चतर योजना परिव्यय की परिकल्पना की गई है।

(ख) 2.8.07 के दि बिजनेस लाइन में यह रिपोर्ट छपी थी कि वैगन इन्वेस्टमेंट स्कीम (डब्ल्यूआईएस) के ग्राहकों की संख्या बढ़ने और सेन्ट्रल बोर्ड आफ ट्रैफिक (सीबीटी) के ग्राहकों के लिए वचनबद्ध आबंटन के कारण दक्षिण पूर्व रेलवे के सामने लौह अयस्क के ग्राहकों के लिए वैगनों की सप्लाई की गंभीर चुनौती आने की संभावना है। रिपोर्ट में कहा गया कि डब्ल्यूआईएस के अंतर्गत 15 रेकों के वर्तमान स्तर में लगभग 40 और रेक बढ़ाए जाने की संभावना है तथा डब्ल्यूआईएस के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाने वाले रेकों की संख्या में वृद्धि करने से सीबीटी और अन्य ग्राहकों के लिए उपलब्ध रेकों की संख्या पर असर पड़ेगा। बहरहाल, इस रिपोर्ट में 11वीं और 12वीं योजना अवधि में रेकों की मांग अथवा पावर और सीमेंट सेक्टर की मांग का कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया है।

(ग) भारी उद्योग विभाग, उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के वैगन विनिर्माता यूनिटों द्वारा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए रि-स्ट्रक्चरिंग और तकनीकी अपग्रेडेशन का कार्य किया जा रहा है। रेलें, लागत आधार पर उनके लिए बोगियों और कपलरों की खरीद कर उन्हें आवश्यक सहायता मुहैया करा रही है।

[हिन्दी]

गैस आधारित इकाइयों को प्राकृतिक गैस, एलएनजी आधारित इकाइयों में परिवर्तित करना

3307. प्रो. महादेवराव शिवनकर : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जिन गैस आधारित इकाइयों को पर्याप्त गैस नहीं मिलती उनके लिए कोल बेड मीथेन (सीबीएम) तथा कोयला वैकल्पिक फीडस्टॉक हो सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) से (ग) विद्यमान गैस आधारित इकाइयां, जिन्हें पर्याप्त मात्रा में गैस नहीं मिलती है, के लिए कोल-बेड मीथेन (सीबीएम) और कोयला वैकल्पिक फीडस्टॉक नहीं हो सकता है क्योंकि इनमें से अधिकतर गैस आधारित संयंत्र एचबीजे पाइपलाइन के साथ स्थित हैं और सीबीएम और कोयला क्षेत्र के आस-पास स्थित नहीं हैं।

तथापि, कोयला खानों के नजदीक नए संयंत्रों के लिए अमोनिया और यूरिया उत्पादन हेतु सीबीएम और कोयला वैकल्पिक फीडस्टॉक हो सकते हैं। यूरिया इकाइयों के लिए 8 मार्च, 2007 को अधिसूचित नई मूल्य निर्धारण योजना चरण-III जो 1 अक्टूबर, 2006 से प्रभावी है, के अंतर्गत सरकार ने अमोनिया और यूरिया के उत्पादन के लिए कोयला और सीबीएम को वैकल्पिक फीडस्टॉक के रूप में मान्यता दी है।

[अनुवाद]

ट्रिनिडाड और टोबेगो में अन्वेषण हेतु भूमि का अधिग्रहण

3308. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ने ट्रिनिडाड और टोबेगो में अन्वेषण हेतु अधिकार प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वे देश कौन कौन से हैं जहां पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने अन्वेषण के अधिकार प्राप्त किए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) ओ एन जी सी मित्तल एनर्जी लिमिटेड, (ओ एम ई एल), जो कि ओ एन जी सी विदेशी लिमिटेड (ओ वी एल) और मित्तल इंवेस्टमेंट सार्ल के बीच एक संयुक्त उद्यम है, ने ट्रिनिडाड और टोबेगो में एक ब्लाक के लिए बोली लगाई थी। तथापि, ट्रिनिडाड और टुबैगो की सरकार ने ब्लाक देने को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) उन देशों के नाम जहां पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्रों के तेल उपक्रमों ने अन्वेषण रकबा अर्जित किया है, वे हैं – आस्ट्रेलिया, ब्राजील, कोलम्बिया, क्यूबा, मिश्र पूर्वी तिमोर, गैबन,

आइवरी कोस्ट, लीबिया, म्यांमार, नाइजीरिया, ओमान, कतर, साओ टोम प्रिंसिपे, सूडान, सीरिया, यूनाइटेड किंगडम, वियतनाम और यमन।

कच्चे तेल की चोरी

3309. चौ. मुनव्वर हसन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मैसर्स शारदा ट्रांसपोर्ट कंपनी के विरुद्ध विभागीय जांच का क्या परिणाम निकला;

(ख) क्या माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ओ एन जी सी ने नवागांव, जीजीएस-1 में चोरी के प्रयास के बारे में जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो जांच प्राधिकरण का ब्यौरा क्या है तथा रिपोर्ट के क्या निष्कर्ष हैं;

(घ) इस संबंध में फर्म के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) कार्रवाई कब तक पूरी कर ली जाएगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ग) दिनांक 04.04.2006 को चोरी के हुए प्रयास के तुरंत बाद, ओ एन जी सी ने एक विभागीय जांच प्राधिकरण गठित किया था जिसमें उप महाप्रबंधक, मुख्य अभियन्ता और प्रबन्धक को शामिल किया गया था। जांच समिति ने दिनांक 17.04.2006 के अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और निम्नलिखित विशिष्ट सिफारिशें की थीं:-

- जी जी एस में प्रवेश करने/बाहर जाते समय टैंकरों की जांच-पड़ताल करना, जिसमें पाली कार्मिकों द्वारा सील/ताला तोड़ना भी शामिल है, सी आई एफ सुरक्षागार्ड की मौजूदगी में ही किए गए।
- द्वार पर सुरक्षा को सुदृढ़ किया जाए ताकि लदान/उतराई कार्यों के दौरान स्थलों से टैंकर कर्मियों के बच निकलने की घटना को रोका जा सके।
- उतराई कार्यकलापों के लिए पालियों में समर्पित जनशक्ति का होना ताकि समुचित प्राधिकार तथा जिम्मेदारी के साथ कार्य-अनुशासन बनाए रखा जा सके।

उपर्युक्त सिफारिशें लागू कर दी गई हैं जो अब मानक प्रक्रिया का एक भाग हैं।

जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि "माननीय गुजरात उच्च न्यायालय" को प्रस्तुत कर दी गई थी।

(घ) और (ङ) फर्म का ठेका, घटिया निष्पादन के कारण दिनांक 1.8.2007 से समाप्त कर दिया गया है और बैंक गारंटी का आह्वान किया गया है। यह मामला माध्यस्थम के तहत है।

हिमाचल प्रदेश में रेल परियोजनाएं

3310. प्रो. प्रेम कुमार धूमल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भानुपाली-बिलासपुर, चंडीगढ़-बद्दी रेल लाइन तथा हिमाचल प्रदेश के बद्दी बरोतीवाल में अंतर्देशीय कंटेनर डिपो रेल मंत्रालय के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) नांगल-तलवाड़ा रेल लाइन के कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी लाइन के लिए सर्वेक्षण पहले ही पूरा कर लिया गया है और इस प्रस्तावित नई लाइन के लिए वित्त पोषण तंत्र का उपयुक्त आकलन किया जा रहा है ताकि प्रस्ताव पर तदनुसार आगे की कार्रवाई की जा सके। जहां तक चंडीगढ़-बादी नई लाइन का संबंध है, इस नई लाइन परियोजना को "प्रारंभ में" अनुमोदन के आधार पर बजट 2007-08 में शामिल किया गया था। सरकार ने हाल ही में इस परियोजना के लिए अंतिम अनुमोदन संसुचित कर दिया है और तदनुसार प्रारंभिक कार्य जैसे अंतिम स्थान सर्वेक्षण, विस्तृत अनुमान, भूमि अधिग्रहण आदि शुरू किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ क्षेत्र कॉनकोर के नई रेल संपर्क इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी) जोकि चंडीगढ़ के नजदीक धापर में पहले से ही परिचालित है, द्वारा सेवित हो सकता है। धापर और हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ के बीच की दूरी केवल 50-85 कि.मी. के बीच है। कॉनकोर बद्दी में सड़क आधारित आईसीडी तैयार करने के लिए बद्दी के यातायात की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए एक स्वतंत्र सर्वेक्षण की प्रक्रिया भी शुरू करने जा रही है।

(ग) और (घ) नौंगलडैम-ऊना हिमाचल से चुरारू टकराला (32.73 कि.मी.) तक का खंड पहले ही पूरा हो चुका है और यातायात के लिए खोल दिया गया है। शेष खंड को पूरा करने के लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर आगामी वर्षों में इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा।

पूर्वतटीय रेलवे जोन में सड़क उपरिपुल

3311. श्री अर्जुन सेठी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्व तटीय रेलवे जोन में पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्मित किए गए सड़क उपरिपुलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक ऐसे सड़क उपरिपुल हेतु स्वीकृत राशियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्माण कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो रांडिया रेलवे गेट पर सड़क उपरिपुल को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है तथा पूर्व तटीय रेलवे जोन में पिछले तीन वर्षों हेतु कुल कितनी राशि के बजट का प्रावधान किया गया है; और

(ङ) निर्धारित समय के भीतर पुल को पूरा करने में विलंब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) वर्ष 2007-08 तक पूर्व तट रेलवे पर ऊपरी सड़क पुल के 18 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से एक कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। 11 कार्य योजना आकलन और निविदा को अंतिम रूप दिए जाने के स्तरों पर है। शेष छः कार्यों के लिए वास्तविक निर्माण कार्य चालू है। इन कार्यों के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित धनराशि का ब्यौरा नीचे तालिका में भी दिया गया है:-

(हजार रु. में)

कार्य का नाम	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
हल्दीपौदार-सिलापंप ऊपरी सड़क पुल	4200	10000	15000	25000
जगन्नाथपुर-बेहरामपुर लाजपल्ली के नजदीक ऊपरी सड़क पुल	0	2600	25000	4080
समपार के बदले दुवादा ऊपरी सड़क पुल (नार्थ केबिन)	100	10000	1000	100
नेल्लिमारिया-विजयनगर के बीच ऊपरी सड़क पुल	0	15000	25000	2877
चिपुरूपाली-गारीवाडी के बीच ऊपरी सड़क पुल	24000	10000	20000	16965
किमी. 293/16-17 पर रंदिया गेट समपार के बदले भद्रक-बौदपुर ऊपरी सड़क पुल	1000	10000	10000	40000

(ग) जी, हां। राज्य सरकार द्वारा जैसे ही नक्शे और अनुमानों को अंतिम रूप दिया जाता है वैसे ही रेलवे के हिस्से का कार्य शुरू कर दिया जाता है और निर्माण कार्य कार्यक्रम के अनुसार चलता रहता है।

(घ) फरवरी, 2008। रंडिया ऊपरी सड़क पुल के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित बजट निम्नानुसार है:-

2005-06 - 1 करोड़

2006-07 - 1 करोड़

2007-08 - 4 करोड़

(ङ) इस पुल को फरवरी, 08 तक पूरा करने का लक्ष्य है। राज्य सरकार के सड़क एवं पुल विभाग से पहुंच मार्ग के लिए अनुमान फरवरी, 07 में ही प्राप्त हुआ है।

भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस को पुरूलिया होकर चलाना

3312. श्री नरहरि महतो : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुरूलिया जिले के लोगों की मांग के मद्देनजर रेलवे का भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस को पुरूलिया रेलवे जंक्शन पश्चिम बंगाल से होकर चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस संबंध में रेलवे को कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं। वर्तमान में, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) कुछ अनुरोध प्राप्त हुए थे और उनकी जांच की गई थी। वर्तमान में, परिचालनिक कारणों से भुवनेश्वर राजधानी को पुरूलिया के रास्ते चलाना व्यावहारिक नहीं है।

बंगाल इम्यूनिटी लिमिटेड का पुनरुद्धार

3313. **श्री सुनील खां** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगाल इम्यूनिटी लिमिटेड का जल्द ही पुनरुद्धार किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड (बीसीपीएल) के साथ भागीदारी करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) से (घ) बंगाल इम्यूनिटी लिमिटेड (बीआईएल), कोलकाता को बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंसियल रिकंस्ट्रक्शन (बीआईएफआर) द्वारा 25.2.2003 को पारित आदेश के अनुपालन में बंद कर दिया गया। सभी कर्मचारियों को वीएसएस के अधीन 30.9.2003 को कार्यमुक्त कर दिया गया। कोलकाता उच्च न्यायालय ने सरकारी परिसमापक नियुक्त कर दिया। उच्च न्यायालय, कोलकाता द्वारा पहले बीआईएल कर्मचारी संघ और उसके बाद इस विभाग के हस्तक्षेप से सरकारी परिसमापक की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन हेतु अपीलीय प्राधिकरण (एआईएफआर) ने बीआईएल, कोलकाता के पुनरुद्धार के बारे में इस विभाग के दृष्टिकोण से अवगत होने की इच्छा व्यक्त की थी। विभाग ने अपने दृष्टिकोण को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरु कर दी है। यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है।

[हिन्दी]

सेल द्वारा लीज राशि का भुगतान

3314. **श्री हंसराज गं. अहीर** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र इलैक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड का भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) के साथ विलय के लिए 57 करोड़ रुपए की पट्टे की धनराशि की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या केंद्र सरकार ने उक्त धनराशि का भुगतान करने के लिए सेल को निदेश दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केंद्र सरकार का विचार इस संबंध में राज्य सरकार को अनुदेश जारी करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास) : (क) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) को एमईएल की भूमि स्थानांतरित करने के लिए "अनापत्ति" उपलब्ध करवाने हेतु महाराष्ट्र इलैक्ट्रोस्मैल्ट लिमिटेड (एमईएल) द्वारा महाराष्ट्र सरकार को दिए गए आवेदन के जवाब में, महाराष्ट्र सरकार ने सेल/एमईएल को अपनी अनअर्जित आय का 50% जमा करने के निदेश दिए, जो लगभग 57 करोड़ रुपए है।

(ख) सरकार द्वारा सेल को उपर्युक्त राशि का भुगतान करने के लिए कोई निदेश नहीं दिए गए हैं और इस मांग को छोड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) इस संबंध में राज्य सरकार को निर्देश देने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, इस मांग को छोड़ने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में मर्चेंट एयरपोर्ट

3315. **श्री इकबाल अहमद सरडगी** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कर्नाटक के बीजापुर, गुलबर्गा और शिमोगा जिलों में मर्चेंट एयरपोर्ट विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को उक्त विमानपत्तनों हेतु 19 प्रकार के मत प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) भारत सरकार को कर्नाटक सरकार की ओर से गुलबर्गा, बीजापुर तथा शिमोगा में सार्वजनिक निजी भागीदारी आधार पर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) से (घ) कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि 19 कंपनियों की ओर से रुचि अभिव्यक्तियां (ईओआई) प्राप्त हो चुकी हैं तथा इन कंपनियों को प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) प्रस्तुत करने के लिए कहा

गया है। आर एफ पी प्राप्ति की अंतिम तिथि 24 सितम्बर, 2007 है।

दिल्ली में रिंग रेलमार्ग में आमूल-चूल परिवर्तन

3316. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों के मद्देनजर रिंग रेल के पूर्ण पुनर्गठन का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रिंग रेल को दिल्ली मेट्रो से जोड़ने का भी प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उपर्युक्त प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) सार्वजनिक–निजी–सहभागिता आधार पर उच्च आवृत्ति मैट्रो/माडर्न इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (ईएमयू) चालन के लिए रिंग रेल का उपयोग करने के संबंध में शहरी विकास मंत्रालय से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ग) जी, हां।

(घ) शहरी विकास मंत्रालय से मैट्रो कोरिडोर और भारतीय रेल लाइनों को जोड़ने के लिए भी एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ङ) परिचालनिक और तकनीकी कारणों से प्रस्ताव को व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

उत्कृष्टता केन्द्र

3317. श्री के.सी. पल्लानी शामी : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड का "विश्व स्तरीय उत्कृष्टता केन्द्रों" की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी क्या विशेषताएं हैं;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों का भी इसके लिए कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) जी, हां। प्रौद्योगिकी में अग्रणियता (लीडरशिप) प्राप्त करने के लिए बनाई गई रणनीति के अनुसार, भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) ने सात उत्कृष्टता केन्द्रों (सीओई) का सृजन किया है, जो भेल के उत्पादों की विविध विकासात्मक आवश्यकताओं तथा विद्युत स्टेशन, अंतरिक्ष केन्द्र, रक्षा संस्थान और महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक उद्यमों जैसे अन्य संगठनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अत्याधुनिक हार्ड वेयर/सॉफ्ट वेयर और जनशक्ति से सुसज्जित हैं।

भेल ने निम्नलिखित उत्कृष्टता केन्द्रों (सीओई) की स्थापना की है:–

(i) सिमुलेटरों के लिए उत्कृष्टता केन्द्र।

(ii) कम्प्यूटेशनल फ्ल्यूड डायनेमिक्स के लिए उत्कृष्टता केन्द्र।

(iii) स्थायी मैग्नेट मशीनों के लिए उत्कृष्टता केन्द्र।

(iv) भूतल इंजीनियरिंग के लिए उत्कृष्टता केन्द्र।

(v) इन्टेलिजेंट मशीनों तथा रोबोटिक्स के लिए उत्कृष्टता केन्द्र।

(vi) मशीन डायनेमिक्स के लिए उत्कृष्टता केन्द्र।

(vii) विकसित फैब्रिकेशन प्रौद्योगिकी के लिए उत्कृष्टता केन्द्र।

प्रथम छः केन्द्र कॉरपोरेट अनु. एवं वि. संस्थान, हैदराबाद में अवस्थित हैं जबकि अंतिम एक तिरूचिरापल्ली में अवस्थित है।

(ग) भारी उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पास भेल के अलावा किसी अन्य के पास विश्वस्तरीय उत्कृष्टता केन्द्र (डब्ल्यूसीसीई) स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

होलालकेरे में प्लेटफार्म को ऊंचा किया जाना

3318. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को कर्नाटक में होलालकेरे और रामगिरी रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफार्मों को ऊंचा किए जाने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) इन परियोजनाओं पर कार्य के कब तक शुरू किए जाने और पूरा होने की संभावना है; और

(ङ) इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां। होलालकेरे और रामगिरी पर प्लेटफार्मों के विस्तार/सतह को ऊंचा करने का कार्य स्वीकृत कार्य है।

(ख) से (घ) होलालकेरे रेलवे स्टेशन – मध्यम स्तर के प्लेटफार्म संख्या 1 का 275 मीटर से 479 मीटर तक विस्तार और मध्यम स्तर के प्लेटफार्म संख्या 2 का 350 मीटर लंबाई तक निर्माण।

रामगिरी रेलेव स्टेशन – मध्यम स्तर के प्लेटफार्म का 275 मीटर से 470 मीटर तक विस्तार।

ये कार्य पहले ही शुरू हो चुके हैं और दिसंबर, 2007 तक पूरा किए जाने की योजना है।

(ङ) होलालकेरे कार्य की प्रत्याशित लागत 22.20 लाख रु. और रामगिरी कार्य की लागत 10.50 लाख रु. है।

सोयाबीन आधारित प्लास्टिक

3319. श्री एस.के. खारवेन्थन : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सोयाबीन आधारित प्लास्टिक जैव अपघटनीय है और इसका प्रयोग फूड पैकेजिंग के प्रयोजनार्थ किया जा सकता है क्योंकि यह फूड ग्रेड मानकों को पूरा करता है एवं पर्यावरण अनुकूल है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पारम्परिक प्लास्टिकों के स्थान पर सोयाबीन आधारित प्लास्टिक का प्रयोग करने हेतु कोई कदम उठाए हैं तथा इस पर कोई अनुसंधान किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) हालांकि जानकारी है कि जैवअपघटीय प्लास्टिक विभिन्न नवीकरणीय कृषि स्रोतों जैसे सोया प्रोटीन से प्राप्त होते हैं, तथापि, खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग के लिए इनके उपयोग के संबंध में पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) से (घ) पारंपरिक प्लास्टिक का अधिकतर प्रयोग, खासतौर पर पैकेजिंग में विभिन्न लक्षणों जैसे हल्के वजन, जल एवं जल जनित जीवों के विरुद्ध बेहतर प्रतिरोधक क्षमता, खुशबू को बनाए रखने एवं पैक किए जाने वाले खाद्य पदार्थों के अधिक शेल्फ लाइफ के कारण पारंपरिक पदार्थों जैसे कागज, जूट, कांच आदि के प्रतिस्थापन के रूप में हो रहा है।

वर्तमान में जैवअपघटीय प्लास्टिक का प्रयोग सीमित है एवं मौजूदा समय में इसका उपयोग कंपोस्ट, ढंकने के काम एवं कुछ पैकेजिंग उपयोग तक सीमित है। जैवअपघटीय पालीमरिक पदार्थों के उत्पादन के लिए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) द्वारा कुछ अनुसंधान परियोजनाओं को सहयोग दिया गया है। उच्च लागत, सामान्य प्लास्टिक के साथ मिश्रण संबंधी समस्याएं एवं सीमित तकनीकी लक्षण, जैवअपघटीय प्लास्टिक के सीमित उपयोग के अन्य कारण हैं।

कर्नाटक में घरेलू रसोई गैस उपभोक्ता

3320. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में घरेलू रसोई गैस के उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है;

(ख) बंगलोर शहर में रसाई गैस उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है;

(ग) प्रत्येक वर्ष कितनी मीट्रिक टन रसोई गैस की आवश्यकता है;

(घ) क्या कर्नाटक में घरेलू रसोई गैस की कोई कमी है;

(ङ) क्या कर्नाटक में घरेलू रसोई गैस के लिए कनेक्शन देने का काम रोक दिया गया है;

(च) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि घरेलू उपभोग के निमित्त रसोई गैस का करीब 25 प्रतिशत होटलों, रेस्तराओं और ऑटोमोबाइल फिलिंग स्टेशनों पर प्रयोग किया जा रहा है; और

(छ) यदि हां, तो इस चोरी को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) 1.7.2007 की स्थिति के अनुसार, कर्नाटक राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियां (ओ एम सीज) 5284094 ग्राहकों को गैस दे रही हैं। इनमें से बंगलोर शहर में 1986369 से अधिक ग्राहक थे।

(ग) कर्नाटक राज्य तथा बंगलोर शहर में एल पी जी की अनुमानित आवश्यकता क्रमशः 50,337 मी. टन और 18,686 मी. टन प्रतिमाह है।

(घ) इस समय देश में कर्नाटक राज्य सहित एल पी जी की कुल मिलाकर कमी नहीं है और डिस्ट्रीब्यूटरों को एल पी जी की आपूर्तियां एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरों के पास पंजीकृत ग्राहकों की वास्तविक मांग के अनुसार देशी उत्पादन और आयातों के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र की विपणन कंपनियों द्वारा की जा रही है।

(ङ) जी, नहीं। इस समय नए एल पी जी कनेक्शन वास्तविक

घरेलू ग्राहकों के लिए मांग पर उपलब्ध है और कर्नाटक में नए कनेक्शन जारी करने के लिए कोई प्रतीक्षा सूची नहीं है।

(च) ओ एम सीज ने सूचित किया है कि उनके पास देश में घरेलू एल पी जी के विपथन की प्रतिशतता के बारे में कोई आंकड़े नहीं हैं। तथापि, वाणिज्यिक उपयोग के लिए घरेलू एल पी जी के विपथन के कुछ उदाहरण ओ एम सीज के ध्यान में आए हैं।

(छ) दोषी डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध एल पी जी विपथन अनुशासन दिशा–निर्देशों (एम डी जी) के अधीन प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। ओ एम सीज द्वारा एम डी जी के अधीन कार्रवाई करने के अलावा, राज्य सरकारों को यह अधिकार है कि वे घरेलू एल पी जी का अवैध उपयोग किए जाने के विरुद्ध कार्रवाई करें।

वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए घरेलू एल पी जी सिलेन्डरों के विपथन/काला बाजारी को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:–

1. अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत प्रख्यापित एल पी जी (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के तहत ओ एम सीज के वितरकों द्वारा वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए घरेलू एल पी जी सिलेंडरों का विपथन/कालाबाजारी निषिद्ध है। राज्य सरकारें इस आदेश के उपबंधों के तहत दोषी वितरकों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए शक्तिप्रदत्त हैं। राज्य सरकारों को अनधिकृत इस्तेमाल के लिए घरेलू सिलेंडरों के विपथन के विरुद्ध कदम उठाने के लिए समय समय पर सतर्क किया गया है।

2. ओ एम सीज के अधिकारी डिस्ट्रीब्यूटरों के गोदाम, सुपुर्दगी बिन्दु और मार्ग में यह सुनिश्चित करने के लिए यादृच्छिक जांचें करते हैं कि विपथन/कालाबाजारी न हो। एम डी जी के अनुसार घरेलू एल पी जी सिलेंडर के वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किसी विपथन/कालाबाजारी के साबित हो जाने के मामले में डिस्ट्रीब्यूटर के विरुद्ध निम्न कार्रवाई की जाती है:–

पहले अपराध पर 20,000 रुपए जुर्माना और वाणिज्यिक दरों पर विपथित एल पी जी का मूल्य।

दूसरे अपराध पर 50,000 रुपए जुर्माना और वाणिज्यिक दरों पर विपथित एल पी जी का मूल्य, और

तीसरे अपराध पर डिस्ट्रीब्यूटरशिप की समाप्ति।

3. सरकार ने जनता को यह चेतावनी देते हुए विज्ञापन जारी किए हैं कि गैर घरेलू उद्देश्यों के लिए घरेलू एल पी जी का उपयोग अवैध, खतरनाक और राष्ट्रीय हित के विरुद्ध है। इन विज्ञापनों के माध्यम से ओ एम सीज को किसी अनियमितता/कदाचार के बारे में सूचित करने के लिए आम लोगों का सहयोग भी मांगा गया है।

4. सरकार ने ओ एम सीज को घरेलू और गैर–घरेलू सिलेंडरों के लिए अलग अलग रंग आरम्भ करने का परामर्श दिया है। इससे घरेलू एल पी जी का अनाधिकृत उपयोग के लिए विपथन नियंत्रित करने में भी सहायता मिलने की संभावना है।

[हिन्दी]

सी.एन.जी. फिलिंग स्टेशन

3321. श्री अशोक अर्गल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2007–08 के दौरान सरकार द्वारा देश में कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस (सी एन जी) फिलिंग स्टेशनों की स्थापना हेतु राज्य–वार क्या योजना तैयार की गई है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान सी.एन.जी. फिलिंग स्टेशन राज्य–वार कहां–कहां स्थापित किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) जबकि सरकार ने 2007–08 की अवधि के दौरान देश में संपीडित प्राकृतिक गैस (सी एन जी) भरण केन्द्र स्थापित करने के लिए कोई योजना तैयार नहीं की हैं, वहीं सरकार ने इस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए एक विनियामक ढांचा तैयार किया है। "पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2008" 3.4.2006 को प्राख्यापित किया गया है। "प्राकृतिक गैस पाइपलाइनें और नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क्स के लिए नीति" 20.12.2006 को अधिसूचित की गई है जो सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख 22.12.2006 से प्रभावी हुई है।

[अनुवाद]

हरिदासपुर-पारादीप रेल परियोजना

3322. श्री मोहन जेना : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में प्रस्तावित हरिदासपुर–पारादीप रेल परियोजना की धीमी प्रगति के क्या कारण हैं;

(ख) रेलवे को इस संबंध में क्या कठिनाइयां हो रही हैं;

(ग) उक्त रेल परियोजना को गति प्रदान करने हेतु रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यह परियोजना कब तक पूरी होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) हरिदासपुर–पारादीप नई लाइन परियोजना स्वीकृत है। कार्य को रेल

विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) द्वारा सृजित एक विशेष प्रयोजन योजना हरिदासपुर–पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड (एचपीआरसीएल) द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। करार पर 11.10.06 को हस्ताक्षर किए गए थे। महानदी और लुना पुल के दीर्घकालिक मद का कार्य पहले ही शुरू हो गया है। इनके अतिरिक्त, संपूर्ण परियोजना पर भूमि संबंधी, पुल संबंधी और भवन संबंधी कार्य शुरू किए जा रहे हैं।

भूमि अधिग्रहण का कार्य, जो पहले धीमा था, ने गति पकड़ ली है। वर्तमान में कोई बाधा नहीं है।

(घ) 2009–10।

गैस हाइड्रेट्स हेतु भारत-अमरीका समझौता

3323. श्री सुग्रीव सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और अमरीका ने गैस हाइड्रेट्स के क्षेत्र में सहयोग हेतु किसी समझौते पर हस्ताक्षर किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त समझौते को कब तक क्रियान्वित किया जाएगा; और

(घ) उक्त समझौता ज्ञापन के क्रियान्वयन के पश्चात् देश में नेचुरल गैस हाइड्रेट्स के संबंध में अन्वेषणात्मक अनुसंधान हेतु नेचुरल गैस हाइड्रेट् प्रोग्राम को कितना बढ़ावा मिलेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) जी, हां। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन हाईड्रोकार्बन महानिदेशालय (डी जी एच) ने 17.12.2006 को गैस हाइड्रेट के क्षेत्र के सहयोग के लिए संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (यू एस जी एस) के साथ भारत सरकार की ओर से एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) इस समझौते के अधीन यू एस जी एस और डी जी एच द्वारा गैस हाइड्रेट कोरिंग/वेधन कार्यक्रम से पहले, उसके दौरान तथा बाद में गहराई से अध्ययन किया जाना था। 28.04.06 से 19.08.06 की अवधि के दौरान भारतीय समुद्र से गैस हाइड्रेट के लिए वेधन/कोरिंग कार्यक्रम वेधन जहाज जोइडेस रिजोल्यूशन द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम को "एन जी एच पी अभियान 01" नाम दिया गया था।

भारतीय और अमरीकी वैज्ञानिक इस समय भारत तथा विदेश में विभिन्न प्रयोगशालाओं और संस्थानों में वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं।

(ग) यह समझौता 17.2.2006 को लागू हुआ था और अभी भी चल रहा है।

(घ) उपर्युक्त समझौते के माध्यम से "एन जी एच पी अभियान 01" आरम्भ किया गया था जिससे कृष्णा गोदावरी महानदी तथा अंडमान अपतटीय समुद्री क्षेत्रों में गैस हाइड्रेट विद्यमान होने की पुष्टि हुई है।

हरियाणा में केन्द्र संरक्षित स्मारक

3324. श्री नवीन जिन्दल : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हरियाणा स्थित केन्द्र संरक्षित स्मारकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके रख–रखाव पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या हरियाणा स्थित कुछ और स्मारकों को केन्द्र संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किए जाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन स्मारकों से कितना राजस्व अर्जित किया गया है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) हरियाणा में 90 केन्द्रीय संरक्षित स्मारक/स्थल हैं जिनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के संरक्षण, परिरक्षण, रखरखाव तथा पर्यावरण संबंधी विकास पर किया गया व्यय निम्न प्रकार है:

वर्ष	राशि
2004–05	166.49 लाख रुपए
2005–06	193.71 लाख रुपए
2006–07	342.16 लाख रुपए

(ग) और (घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन स्मारकों से अर्जित राजस्व निम्नानुसार है :–

रुपए लाखों में

वर्ष	दो टिकटेड स्मारकों से राजस्व	अन्य स्रोतों से राजस्व	कुल
2004–05	03.89	0.30	04.19
2005–06	04.30	0.15	04.45
2006–07	03.75	–	03.75

विवरण

हरियाणा में केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची

क्र. सं.	स्मारक/स्थल का नाम	स्थान	जिला
1	2	3	4
1	कोस मीनार	अम्बाला	अम्बाला
2	प्राचीन स्थल	नौरंगाबाद	भिवानी
3	कोस मीनार सं. 18	अलनपुर	फरीदाबाद
4	बंध या बांध	अनंगपुर	फरीदाबाद
5	कोस मीनार सं. 22	औरंगाबाद	फरीदाबाद
6	कोस मीनार सं. 24	बंचारी	फरीदाबाद
7	कोस मीनार सं. 25	बंचारी	फरीदाबाद
8	कोस मीनार सं. 27	फुलवाना	फरीदाबाद
9	कोस मीनार सं. 16	गधपुरी	फरीदाबाद
10	कोस मीनार सं. 17	गधपुरी	फरीदाबाद
11	कोस मीनार सं. 26	होडल	फरीदाबाद
12	कोस मीनार सं. 23	खतियाला	फरीदाबाद
13	कोस मीनार सं. 21	खेड़ा सराय (बामनी खेड़ा)	फरीदाबाद
14	कोस मीनार सं. 20	खुसरोपुर (कुसालीपुर)	फरीदाबाद
15	कोस मीनार सं. 10	ख्वाजा सराय (घोसीपुर सराय)	फरीदाबाद
16	बरियानाला के ऊपर मुगल पुल	ख्वाजा सराय (एतमादपुर)	फरीदाबाद
17	सूरज कुंड मेसनरी	लकड़पुर	फरीदाबाद
18	कोस मीनार सं.11	मवई (फरीदाबाद सैक्टर 29)	फरीदाबाद
19	कोस मीनार सं. 13	मजेसर	फरीदाबाद
20	कोस मीनार सं. 19	पलवल	फरीदाबाद
21	कोस मीनार सं. 15	सीकरी	फरीदाबाद
22	प्राचीन स्थल	बनवाली (सजोतर)	फतेहाबाद
23	हनुमान की मस्जिद	फतेहाबाद	फतेहाबाद
24	फिरोज शाह की लाट	फतेहाबाद	फतेहाबाद
25	बावली गौस अली शाह	फर्रूख नगर	गुड़गांव
26	अला वरदी खान की मस्जिद	सराय अला वरदी खान	गुड़गांव
27	टीला	अगरोहा	हिसार
28	बरसी गेट	हांसी	हिसार
29	क्षतिग्रस्त किला (पृथ्वी राज चौहान का किला)	हांसी	हिसार
30	फिरोजशाह महल तथा तहखाना	हिसार	हिसार
31	गुजरी महल	हिसार	हिसार
32	लाट की मस्जिद	हिसार	हिसार
33	प्राचीन स्थल	राखीगढ़ी	हिसार
34	कोस मीनार	मैमी कलां	करनाल
35	कोस मीनार	दाहा	करनाल
36	पुरानी मुगल सराय का गेटवे	घरौंदा	करनाल
37	कोस मीनार	घरौंदा (उत्तरी)	करनाल
38	कोस मीनार	घरौंद (दक्षिणी)	करनाल
39	छावनी चर्च टावर	करनाल	करनाल
40	यूरोप के सिपाही की कब्र	करनाल	करनाल
41	कोस मीनार	करनाल (नमस्ते चौक)	करनाल
42	कोस मीनार	करनाल (नगर क्षेत्र)	करनाल
43	कोस मीनार	कोहांड	करनाल

1	2	3	4
44	कोस मीनार	कुतेल	करनाल
45	कोस मीनार	तिरावड़ी (उत्तरी)	करनाल
46	कोस मीनार	तिरावड़ी (दक्षिणी)	कैथल
47	थेह पोलर	सिवान (पोल्लार)	करनाल
48	प्राचीन शिवालय सहित प्राचीन ईंट मंदिर	मरवाना, कलायत	कैथल
49	कोस मीनार	अमीन	कुरूक्षेत्र
50	प्राचीन टीला	अमीन	कुरूक्षेत्र
51	कोस मीनार	अधौन	कुरूक्षेत्र
52	कोस मीनार	भवानी खेड़ा	कुरूक्षेत्र
53	कोस मीनार	फतूपुर	कुरूक्षेत्र
54	कोस मीनार	मोहारी	कुरूक्षेत्र
55	प्राचीन टीला जिसे राजा कर्ण का किले के नाम से जाना जाता है	थानेसर (मिर्जापुर)	कुरूक्षेत्र
56	कोस मीनार	थानेसर (दारा कलां)	कुरूक्षेत्र
57	पाथर मस्जिद	थानेसर	कुरूक्षेत्र
58	शेख चिल्ली का मकबरा	थानेसर	कुरूक्षेत्र
59	राजा हर्ष का टीला	थानेसर	कुरूक्षेत्र
60	कोस मीनार	सराय सुखी	कुरूक्षेत्र
61	कोस मीनार	शाहबाद	कुरूक्षेत्र
62	कोस मीनार	जैनपुरा	कुरूक्षेत्र
63	जल महल तथा साथ लगी भूमि	नारनौल	महेन्द्रगढ़
64	शाह इब्राहिम का मकबरा	नारनौल	महेन्द्रगढ़
65	शाह कुली खान का मकबरा	नारनौल	महेन्द्रगढ़

1	2	3	4
66	कोस मीनार	जतीपुर	पानीपत
67	ओबेलिस्क, पानीपत की तीसरी लड़ाई का स्मारक	काला अंब	पानीपत
68	कोस मीनार	किवाना	पानीपत
69	कोस मीनार	मनाना	पानीपत
70	बाबे–फैज गेट	पानीपत	पानीपत
71	अहाते की दीवार सहित काबुली बाग मस्जिद	पानीपत	पानीपत
72	इब्राहिम लोदी का मकबरा	पानीपत	पानीपत
73	दो कोस मीनार	पानीपत तरफ उनसर	पानीपत
74	कोस मीनार	तरफ अफगान	पानीपत
75	कोस मीनार	सिवाली (सेवाह)	पानीपत
76	कोस मीनार	बैयान पुर	रोहतक
77	प्राचीन स्थल	खोकरा कोट	रोहतक
78	शाहजहां की बाउली	मेहम	रोहतक
79	थेर टीला	सिरसा	सिरसा
80	मुगल कोस मीनार	अकबर पुर बारोटा	सोनीपत
81	मुगल कोस मीनार	गन्नौर	सोनीपत
82	मुगल कोस मीनार	जगदीश पुर	सोनीपत
83	मुगल कोस मीनार	जावा हरि	सोनीपत
84	मुगल कोस मीनार	पंछी गुजरान	सोनीपत
85	मुगल कोस मीनार	राजपुर	सोनीपत
86	ख्वाजा खिज्र का मकबरा	सोनीपत	सोनीपत
87	मुगल कोस मीनार	सोनीपत	सोनीपत
88	कुशान स्तूप जो जरासंघ के किले के नाम से मशहूर है	करनाल	करनाल
89	झज्जर में स्मारक समूह	झज्जर	झज्जर
90	नाभा हाउस	दाराकलां (के.के.आर.)	कुरूक्षेत्र

बी पी सी एल पेट्रोल पम्प

3325. श्री अधीर चौधरी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर उत्तरी भारत में जिनके पट्टे की अवधि समाप्त हो चुकी है और जहां निगम पेट्रोलियम उत्पाद के भण्डारण का अधिकार खो चुका है बी पी सी एल के ऐसे कितने पेट्रोल पम्प चल रहे हैं;

(ख) पट्टे की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी ऐसे खुदरा बिक्री केन्द्रों के आधुनिकीकरण पर निगम द्वारा खुदरा बिक्री केन्द्र-वार और धनराशि-वार कितना निवेश/खर्च किया गया है और उन खुदरा बिक्री केन्द्रों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार निगम द्वारा धनराशि के दुरुपयोग किए जाने के संबंध में जांच करेगी;

(घ) क्या तेल निगम विशेषकर बी पी सी एल ऐसे खुदरा बिक्री केन्द्रों को बंद करेगा जो पट्टे की अवधि समाप्त होने के कारण सभी प्रकार के वैधानिक अधिकार खो चुके हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने सूचित किया है कि निगम के पास देश में चल रहे कुल 409 खुदरा बिक्री केन्द्र, जिनका पट्टा समाप्त हो चुका है, में से 105 खुदरा बिक्री केन्द्र उत्तरी भारत में स्थित हैं। तथापि, इनमें से किसी भी मामले में, इन स्थलों के पट्टे की अवधि की समाप्ति के पश्चात् निगम द्वारा खुदरा बिक्री केन्द्रों के आधुनिकीकरण पर किसी प्रकार का व्यय/निवेश नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) निगम ने खुदरा बिक्री केन्द्रों की सुरक्षा के लिए सभी उपलब्ध विकल्पों अर्थात् सांविधिक विकल्प, कानूनी किराया अधिनियम, आदि पर कार्रवाईयां की हैं। निगम द्वारा स्थलों के नए पट्टे/खरीद के लिए भूस्वामियों के साथ वार्ता करने के लिए भी प्रयास किए गए हैं। निगम सभी विकल्पों के असफल रहने के पश्चात् मामला-दर-मामला आधार पर खुदरा बिक्री केन्द्रों के स्थल के समर्पण/बंद करने पर भी विचार कर रहा है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

ऑटोमोबाइल हेतु भारत स्टेज IV मानदंड

3326. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आर. ए. माशेलकर समिति द्वारा अनुशंसित वाहन उत्सर्जन मानदंडों हेतु सख्त रोडमैप के अनुरूप सरकार का विचार ईंधन कंपनियों और आटोमोबाइल विनिर्माताओं हेतु भारत स्टेज IV मानदंडों को अधिसूचित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन मानदंडों को कब तक अधिसूचित किए जाने की संभावना है;

(ग) ऑटोमोबाइल और ईंधन कंपनियों में इन मानदंडों के क्रियान्वयन हेतु क्या तिथि निर्धारित की गई है;

(घ) देश के उन शहरों के नाम क्या हैं जहां इन मानदंडों को लागू किए जाने की संभावना है;

(ङ) ईंधन और ऑटोमोबाइल कंपनियों द्वारा इन मानदंडों को पूरा करने के लिए कितना व्यय किए जाने की संभावना है;

(च) क्या सरकार का विचार इन मानदंडों को पूरा करने हेतु इन कंपनियों को कोई सहायता देने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (घ) माशेलकर समिति की सिफारिशों के आधार पर ऑटो ईंधन नीति में दिए गए रोड मैप के अनुसार, सरकार को 11 शहरों नामतः दिल्ली/रा. रा. क्षेत्र, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, कानपुर तथा आगरा में दिनांक 1.4.2010 से पेट्रोल तथा डीजल दोनों प्रकार के चार पहिया वाहनों के लिए यूरो IV समतुल्य उत्सर्जन मानदण्डों की शुरुआत करनी है। तेल विपणन कंपनियां 1.4.2010 से इन शहरों के लिए यूरो IV समतुल्य मानक ईंधन की आपूर्ति करेंगी।

(ङ) ऑटो ईंधन नीति रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2010 तक यानीय उत्सर्जन मानदण्डों को पूरा करने के लिए अपेक्षित ऑटो ईंधन विनिर्देश प्राप्ति के लिए सक्षम बनाने हेतु रिफाइनरियों के लिए अनुमानित व्यय लगभग 30,000 करोड़ रुपए है।

भारतीय ऑटोमोबाइल विनिर्माता सोसाइटी (एस आई ए एम) की ऑटो ईंधन नीति रिपोर्ट में दिए गए अनुमानों के अनुसार, ऑटोमोबाइल उद्योग को प्रस्तावित उत्सर्जन मानदण्डों के अनुरूप वाहनों को बनाने के लिए 25,000 करोड़ रुपए का निवेश आवश्यक होगा।

(च) से (ज) सरकार ईंधन गुणवत्ता सुधार परियोजनाओं को लागू करने के लिए सभी सांविधिक मंजूरियां प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। तथापि, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में प्रचालन करने वाली तेल कंपनियां ऑटो ईंधन गुणवत्ता सुधार परियोजनाओं को लागू करने के लिए कारगर उपाय करेंगी।

सिर पर मैला ढोने वाले लोगों की मुक्ति और पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय योजना

3327. श्री रनेन बर्मन : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सिर पर मैला ढोने वाले लोगों की मुक्ति और पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय योजना बनाने के कारण और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी धनराशि आबंटित और जारी की गई है तथा इसके अंतर्गत क्या उपलब्धियां हासिल हुई हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी धनराशि का उपयोग किया गया तथा इसके लाभार्थियों की संख्या कितनी रही;

(घ) सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत निधियों के उपयोग की निगरानी हेतु क्या उपाय किए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार के पास इस योजना के अंतर्गत केन्द्र की अंशभागिता बढ़ाने हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (च) योजना को मैनुअल स्केवेंजरों और इनके आश्रितों को वैकल्पिक व्यवसायों में प्रशिक्षण और पुनर्वास हेतु इन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। योजना के अंतर्गत जारी कुल राशि, प्रयुक्त राशि और शामिल लाभार्थियों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

मैनुअल स्केवेंजरों के पुनर्वास हेतु स्व–रोजगार योजना फरवरी, 2007 में शुरू की गई है। योजना में स्केवेंजरों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना की तुलना में प्रशिक्षण, ऋण, पूंजी और ब्याज सब्सिडी हेतु उदार प्रावधान हैं। मंत्रालय द्वारा योजना के कार्यान्वयन को नियमित तौर पर मॉनीटर किया जाता है।

विवरण

स्केवेंजर्स की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत जारी केन्द्रीय सहायता, प्राप्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र और शामिल लाभार्थियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य	जारी कुल केन्द्रीय सहायता	प्राप्त कुल उपयोगिता प्रमाण पत्र	लाभार्थियों की संख्या	
				प्रशिक्षित	पुनर्वासित
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	55.78	23.87	8716	31410
2	असम	7.50	5.82	5891	1894
3	बिहार	11.27	0.00	425	285
4	गुजरात	30.61	0.00	1029	18139
5	हरियाणा	18.37	10.06	5747	15684
6	हिमाचल प्रदेश	8.62	5.51	5093	3234
7	जम्मू और कश्मीर	1.03	0.00	936	211
8	कर्नाटक	41.32	22.80	1668	19439
9	केरल	0.55	0.00	156	189

1	2	3	4	5	6
10	मध्य प्रदेश	119.12	107.16	50940	91021
11	महाराष्ट्र	46.22	26.86	12976	19838
12	उड़ीसा	19.61	11.33	6349	13007
13	पंजाब	6.63	0.00	4523	2988
14	राजस्थान	44.48	0.00	11152	14793
15	तमिलनाडु	57.80	0.00	11245	23551
16	उत्तर प्रदेश	227.75	205.98	42215	181553
17	पश्चिम बंगाल	7.23	3.92	1049	2740
18	दिल्ली	5.28	0.98	400	2941
19	पांडिचेरी	0.08	0.04	0	0
20	नागालैण्ड	0.11	0.00	0	0
21	मेघालय	0.03	0.00	18	129
22	छत्तीसगढ़	16.89	0.00	2153	879
23	झारखण्ड	10.85	0.00	0	0
24	उत्तरांचल	10.00	0.00	0	0
	योग	747.11	424.331	172681	443925

[हिन्दी]

किसानों को उर्वरक पर राजसहायता

3328. श्री संतोष गंगवार :

श्री हेमलाल मुर्मू :

श्री विजय कृष्ण :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार स्मार्ट कार्ड के माध्यम से किसानों को उर्वरकों पर राजसहायता मुहैया कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उर्वरकों पर राजसहायता सीधे किसानों को देने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या टाटा कन्सलटेन्सी सर्विसेज (टीसीएस) ने सरकार के इस प्रस्ताव पर अध्ययन करवाया है;

(ङ) यदि हां, तो टीसीएस ने इस संबंध में सरकार को कोई रिपोर्ट सौंपी है;

(च) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(छ) सरकार द्वारा उक्त रिपोर्ट के आलोक में क्या कार्रवाई की जा रही है/किए जाने का विचार है; और

(ज) वर्तमान उर्वरक राजसहायता प्रस्ताव से देश के प्रत्येक राज्य के किसानों को होने वाले संभावित लाभों का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) से (च) बजट 2007–08 में सरकार ने घोषणा की है कि किसानों को सीधे राजसहायता देने की एक वैकल्पिक प्रणाली का पता लगाने की जरूरत है और उर्वरक उद्योग ने उर्वरक विभाग के साथ मिलकर एक अध्ययन करने और हल निकालने के लिए काम करने पर अपनी सहमति दे दी है। तदनुसार, फर्टिलाइजर एशोसिएशन ऑफ इण्डिया (एफएआई) ने किसानों को राजसहायता देने के लिए वैकल्पिक तंत्र तैयार करने हेतु अध्ययन करने के लिए टाटा कन्सलटैंसी सर्विसेज (टीसीएस) को नियुक्त किया है। टीसीएस की रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:–

(i) स्मार्ट कार्ड के माध्यम से किसानों/खेतिहरों को सीधे राजसहायता का वितरण।

(ii) किसानों और डीलरों को जिला स्तर पर पंजीकरण कराने की जरूरत है।

(iii) राजसहायता का वितरण उर्वरक उत्पादों (या पोषक तत्वों) की खरीद से जुड़ा हुआ है

(iv) जिला (प्रत्येक राज्य के अंतर्गत) उर्वरक राजसहायता के प्रबंधन/बजट प्रावधान करने के लिए इकाई होगा।

(छ) और (ज) उर्वरकों के सतत उपयोग और विद्यमान राजसहायता और मूल्य निर्धारण मामलों पर विचार करने के लिए मंत्रियों के एक दल का गठन किया गया है। किसानों को राजसहायता जारी करने के लिए वैकल्पिक प्रणाली से संबंधित मामलों पर भी मंत्रियों के दल द्वारा विचार किया जा रहा है।

वैकल्पिक ईंधन के रूप में रसोई गैस

3329. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर वनों के निकट स्थित गांवों में रसाई गैस सिलिंडर को मुहैया कराने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार गांवों में वैकल्पिक ईंधन के रूप में रसोई गैस सिलिण्डरों की आसान उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए अपनी राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (घ) एलपीजी एक स्वच्छ एवं पर्यावरण अनुकूल ईंधन है। 31.03.2007 की स्थिति के अनुसार देश की लगभग 48.6% जनसंख्या को शामिल करते हुए एलपीजी का उपयोग उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज़) 9.43 करोड़ (लगभग) एल पी जी ग्राहकों को सेवा प्रदान कर रही है, जिनमें से 2.15 करोड़ (लगभग) ग्राहक ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। ओएमसीज़ ने शहरी, अर्द्ध–शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कम–आय वाले समूहों की मांग को पूरा करने के उद्देश्य के साथ–साथ परिवहन में सुविधा हेतु देश में पर्वतीय क्षेत्रों तथा आंतरिक क्षेत्रों में एलपीजी पहुंचाने के उद्देश्य से अगस्त, 2002 से 5 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेण्डर भी आरंभ किए हैं।

राज्य वार ब्यौरा संबद्ध ओएमसीज़ के निदेशक (विपणन) के पास उपलब्ध है।

सरकार ने ओएमसीज को उनके वाणिज्यिक मूल्यांकन तथा एक स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटरशिप बनाए रखने के लिए, उपलब्ध रिफिल बिक्री संभावना के आधार पर उनके द्वारा अभिज्ञात स्थानों के अनुसार एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थापित करने की स्वतंत्रता प्रदान की है। तथापि, सरकार ने ओएमसीज़ को अर्द्ध–शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल करने के लिए विपणन योजनाएं तैयार करने का भी परामर्श दिया है। ओएमसीज़ ने मुख्यतः ग्रामीण और ग्रामीण–शहरी (अर्द्ध शहरी) स्थानों में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थापित करने के लिए 841 स्थानों को शामिल करते हुए एक सामान्य उद्योग विपणन योजना को अंतिम रूप दिया है।

रेलगाड़ियों में पुलिस कर्मियों द्वारा अधिकारों का दुरुपयोग

3330. श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री हरिसिंह चावड़ा :
क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को इस बात की जानकारी है कि राजकीय रेलवे पुलिस और राज्य पुलिसकर्मी भीड़–भाड़ वाली रेलगाड़ियों में सीट मुहैया कराने हेतु यात्रियों से पैसा लेते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या रेलवे ने इस संबंध में कोई औचक जांच की है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान ध्यान में आई ऐसी घटनाओं का जोनवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) ऐसी गतिविधियों में कितने रेल अधिकारियों को संलिप्त पाया गया है; और

(च) दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/की जानी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी, हां। राज्य पुलिसकर्मियों द्वारा यात्रियों से पैसा लेकर गाड़ी में सीट दिलाने का केवल एक मामला 01.06.2006 को पाया गया था।

(ग) ऐसी गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए रेल सुरक्षा बल के पदाधिकारियों द्वारा वाणिज्यिक तथा सतर्कता शाखाओं के साथ मिलकर निरंतर औचक जांच और छापे मारे जाते हैं।

(घ) 01.06.2006 को दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर गाड़ी नं. 2554 वैशाली एक्सप्रेस में सीटें दिलाने के लिए यात्रियों से पैसे लेने के मामले में संलिप्त पाया गया। दिल्ली रेल पुलिस/नई दिल्ली में भारतीय दंड संहिता की धारा 384 के तहत अपराध सं. 202/06 द्वारा एक मामला दर्ज किया गया था।

(ङ) जी नहीं। ऐसे कार्यों में कोई रेल अधिकारी संलिप्त नहीं पाया गया।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा

3331. श्री किन्जरपु येरननायडु :

श्री अजीत जोगी :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में विभिन्न स्थानों पर विदेशी पर्यटकों के साथ किए गए दुर्व्यवहार की घटनाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक मामले में क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) भारतीय पर्यटन स्थलों का दौरा करते समय विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा के बारे में उनका भरोसा पुनः कायम करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (घ) कानून एवं व्यवस्था राज्य का विषय है और पर्यटकों के साथ दुर्व्यहार की घटनाओं से संबंधित आंकड़ों का संकलन और अनुरक्षण पर्यटन मंत्रालय द्वारा नहीं किया जाता है। तथापि, उनकी सुरक्षा एवं बचाव सुनिश्चित करने और अवैधानिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, पर्यटन मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को पर्यटक केन्द्रों में पर्यटक पुलिस तैनात करने का सुझाव दिया है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तर प्रवेश, दिल्ली आदि की राज्य सरकारों द्वारा एक रूप अथवा दूसरे रूप में पर्यटक पुलिस को तैनात कर दिया गया है।

[हिन्दी]

वातानुकूलित डिब्बों का विनिर्माण

3332. श्री संजय धोत्रे :

श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे अपनी आय बढ़ाने हेतु नये वातानुकूलित डिब्बों का निर्माण कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन नए डिब्बों में उपलब्ध कराने हेतु प्रस्तावित विशेष सुविधाओं का ब्यौरा क्या है तथा इसके परिणामस्वरूप आय में कितनी धनराशि की बढ़ोत्तरी होने की संभावना है;

(ग) रेलवे द्वारा अब तक ऐसे कितने डिब्बों का विनिर्माण किया गया है; और

(घ) भविष्य में ऐसे कितने डिब्बों का विनिर्माण किए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) वातानुकूलित थी टियर सवारी डिब्बों, प्रथम श्रेणी वातानुकूलित सवारी डिब्बों, वातानुकूलित टू टियर सवारी डिब्बों और मिश्रित सवारी डिब्बों जैसे प्रथम वातानुकूलित एवं एसी–3 टियर और एसी–3 टियर एवं एसी–2 टियर के लिए अतिरिक्त पैसेंजर बर्थों/सीटों के साथ बढ़ी हुई यात्री क्षमता विन्यास को विकसित किया गया है और इस प्रकार के सवारी डिब्बों का विनिर्माण शुरू हो गया है।

इनके अतिरिक्त, उच्चतर यात्री वहन क्षमता वाले एसी गरीब रथ स्लीपर और चेयर कार सवारी डिब्बों का भी विनिर्माण किया जा रहा है। इन सवारी डिब्बों में विभिन्न श्रेणी के सवारी डिब्बों के लिए निर्धारित सभी मानक सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी। अतिरिक्त आय का कोई आकलन उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) इस तरह के उच्चतर क्षमता वाले एसी सवारी डिब्बों का विनिर्माण हाल ही में शुरू हुआ है और अभी तक केवल तीन एसी–3 टियर और दो एसी–2 टियर सवारी डिब्बों का विनिर्माण किया गया है। अन्य विभिन्न प्रकार के सवारी डिब्बों का विनिर्माण भी चालू वर्ष में शुरू कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जुलाई, 07 तक विनिर्मित गरीब रथों की संख्या निम्नानुसार है:

गरीब रथ चेयर कार	–	20 सवारी डिब्बे
गरीब रथ स्लीपर	–	56 सवारी डिब्बे

भविष्य में, इन उच्चतर यात्री क्षमताओं वाले उक्त वर्णित प्रकार के सवारी डिब्बों के विनिर्माण की योजना है।

गैर-सरकारी संगठनों को केन्द्रीय सहायता

3333. श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

श्री काशीराम राणा :

श्री असादूद्दीन ओवेसी :

श्री हरिसिंह चावड़ा :

श्री धीरेंद्र अग्रवाल :

श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे :

श्री आलोक कुमार मेहता :

श्री मदन लाल शर्मा :

प्रो. एम. रामदास :

श्री प्रभुनाथ सिंह :

श्री नकुल दास राई :

क्या **सामाजिक और न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन गैर–सरकारी संगठनों का राज्य और संघ राज्य क्षेत्र–वार ब्यौरा किया है जिन्हें सरकार द्वारा वर्ष 2006–07 के दौरान अनुदान मुहैया कराई गई;

(ख) क्या उन गैर-सरकारी संगठनों ने उपयोग प्रमाण-पत्र सौंप दिया है जिनको पिछले वर्षों के दौरान निधियां मुहैया करायी गई थीं;

(ग) यदि हां, तो उन गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने उपयोग प्रमाण-पत्र समय पर जमा नहीं किया;

(घ) गैर-सरकारी संगठनों द्वारा उपयोग प्रमाण-पत्र जमा करने के पश्चात् उनके द्वारा किए गए कार्य की निगरानी हेतु कोई निगरानी तंत्र मौजूद है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या यह सच है कि अधिकांश गैर-सरकारी संगठन अगले वर्ष हेतु अनुदान प्राप्त करने के लिए अपना कार्य पूरा किए बगैर उपयोग प्रमाण-पत्र जमा कर रहे हैं; और

(छ) यदि हां, तो ऐसे मामलों में क्या कार्रवाई की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दिसम्बर, 2006 तक 1527 गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान प्रदान किए गए जिनके ब्यौरे मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध हैं।

(ख) से (छ) गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान की संस्वीकृति के दिशा-निर्देश और प्रक्रिया में पर्याप्त सुरक्षोपाय विद्यमान हैं। सहायता अनुदान संस्वीकृत करने से पूर्व राज्य सरकारों से सिफारिशें प्राप्त की जाती हैं जिनमें लेखा परीक्षित लेखे, उपयोगिता प्रमाणपत्र, वार्षिक रिपोर्टें, लाभार्थियों की सूची आदि जैसे ब्यौरे निहित होते हैं। गैर-सरकारी संगठनों के निष्पादन को अर्धवार्षिक आधार पर और केन्द्र/राज्य सरकारों तथा अभिनिर्धारित अभिकरणों द्वारा सावधिक निरीक्षणों के माध्यम से मॉनीटर किया जाता है। सहायता अनुदान की किश्तों को संतोषजनक निरीक्षण रिपोर्टें प्राप्त होने के बाद ही जारी किया जाता है।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में रेल परियोजनाएं

3334. श्री एल. राजगोपाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में कुल कितनी कि. मी. लंबी रेल पटरी को बड़ी लाइन में बदला गया; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान वर्षवार और परियोजनावार कितना आबंटन और व्यय किया गया?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में लगभग 163 कि.मी. रेलपथ को बड़ी लाइन में परिवर्तित किया गया है।

(ख) वर्षवार, परियोजनावार किया गया आबंटन संबंधित वर्षों की पिंक बुक में उपलब्ध कराया गया है। बहरहाल, आंध्र प्रदेश राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली चालू आमान परिवर्तन परियोजनाओं का ब्यौरा उनकी अनुमानित लागत, मार्च, 2007 तक किया गया खर्च, 2007-08 के लिए परिव्यय सहित, निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत	मार्च, 2007 तक किया गया खर्च	2007-08 के लिए परिव्यय
1.	धर्मावरम-पकाला	294.99	18.61	85.00
2.	पेंडाकल्लू से गुत्ती तक गुंटूर-गुंतकल तथा गुंतकल-कल्लुरू नई लाइन	528.38	463.92	60.00
3.	नौपाडा-गुनुपुर	91.30	61.92	25.00

[हिन्दी]

भारतीय भेषज बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियां

3335. श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" :
श्री रामजीलाल सुमन :
क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुराष्ट्रीय विदेशी कम्पनियां भारतीय भेषज बाजार में व्यापक स्तर पर अपने उत्पाद बेच रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम क्या हैं जो वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान आज तक सक्रिय हैं;

(ग) क्या ये कंपनियां भेषज अनुसंधान के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं;

(घ) यदि हां, तो मुख्य उपलब्धियां क्या हैं तथा वर्ष 2006-07 के दौरान उनकी कुल बिक्री की प्रतिशतता की तुलना में अनुसंधान कार्य पर ऐसी कंपनियों द्वारा अलग-अलग कुल कितना व्यय किया गया; और

(ङ) वर्ष 2006-07 के दौरान भारत में ऐसी प्रत्येक कम्पनी का कुल टर्न ओवर कितना रहा है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) और (ख) एब्बोट इंडिया लि., अस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया लि., बेयर फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लि., एलीलिली एंड कम्पनी (इंडिया) प्रा. लि., फुलफोर्ड इंडिया लि., ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन फार्मास्यूटिकल्स लि., जानसन एंड जानसन लि., मर्क लि., नोवार्टिस इंडिया लि., आर्गेनान (इंडिया) लि., फाइजर लि., रोश साइंटिफिक कम्पनी (इंडिया) प्रा. लि., सनोफी अवेन्टिस समूह, वायेथ लि., जीएयके फार्मास्यूटिकल्स लि. (ग्लेक्सो), सैंडोज प्रा. लि., यूनी सांक्यो लि., क्विंटाइल्स रिसर्च (इंडिया) प्रा. लि. और रीजेंट ड्रग्स लि. जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां तथा बहुत सी अन्य कंपनियां भारतीय औषध बाजार में अपने उत्पाद बेच रही है।

(ग) से (ङ) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निम्नलिखित नौ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा औषधियों के क्षेत्र में अनुसंधान पर किए गए खर्च के साथ-साथ वर्ष 2006-07 के दौरान उनकी कुल बिक्री और कुल बिक्री के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान व्यय के बारे में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी निम्नानुसार है:-

(रुपए लाख में)

क्रम सं.	कम्पनी	अनुसंधान व्यय अप्रैल, 06 – मार्च, 07 जब तक ब्यौरा न दिया गया हो	बिक्री कारोबार अप्रैल 06 मार्च – 07 जब तक ब्यौरा न दिया गया हो	बिक्री कारोबार के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान व्यय
1.	एबोट इंडिया लि.	208 दिसम्बर 2005–नवम्बर 2006	51024 दिस. 2005–नव. 2006	0.41
2.	मर्क लि.	156 जन. 2006– दिस. 2006	32949 जन 2006– दिस. 2006	0.47
3.	जीएसके फार्मास्युटिकल्स लि. (ग्लेक्सो)	615 जन 2006–दिस 2006	167757 जन 2006–दिस 2006	0.37
4.	जॉनसन जॉनसन लि.	एनए	एनए	एनए
5.	फाइजर लि.	2380 दिस 2005–नव. 2006	66200 दिस 2005–नव 2006	3.60
6.	सैण्डोज प्रा. लि.	10363	53032	19.54
7.	यूनी सैंक्यो लि.	21	4958	0.42
8.	क्वीनटाइल्स रिसर्च (इंडिया) प्रा. लि.	4569	6410	71.28
9.	रीजेन्ट ड्रग्स लि.	953	12909	7.38

जनजातीय पर्यटन

3336. **श्री सुभाष सुरेशचंद देशमुख** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश में विशेषकर महाराष्ट्र में जनजातीय पर्यटन की भारी संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में जनजातीय पर्यटन के विकास के लिए कोई कार्य योजना तैयार की जाएगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ग) जनजातीय पर्यटन सहित पर्यटन के विकास एवं संवर्धन की

जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय, गंतव्यों तथा परिपथों (ग्रामीण पर्यटन सहित) के उत्पाद/अवसंरचना विकास की योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सभी प्रकार से पूर्ण प्रस्तावों का योजना दिशा-निर्देश के अनुसार परीक्षण किया जाता है और पारस्परिक प्राथमिकता एवं निधियों की उपलब्धता के आधार पर निधियां जारी की जाती हैं।

पर्यटन मंत्रालय ने 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र सरकार के लिए 82.68 करोड़ रुपए की 52 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है।

[अनुवाद]

इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण और विस्तार

3337. **श्री एस. अजय कुमार :**
श्री हरिभाऊ राठौड़ :
श्री सुनील खां :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण संबंधी परियोजनाओं का संयंत्र-वार ब्यौरा और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) आधुनिकीकरण प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाने की संभावना है;

(ग) इस पर संयंत्र-वार कितना व्यय होने का अनुमान है; और

(घ) देश में इस्पात संयंत्रों के विस्तार के लिए अतिरिक्त जनशक्ति, पूंजी मशीनरी और भूमि की कितनी आवश्यकता का अनुमान है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास) : (क) और (ख) इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन दोनों प्रमुख इस्पात कंपनियां अर्थात् स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लि. (सेल) तथा राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. (आर आई एन एल) अपनी महत्वाकांक्षी आधुनिकीकरण और विस्तार योजनाएं चला रही हैं। सेल का 14.6 मिलियन टन वार्षिक (2006-07) के वर्तमान स्तर से तप्त धातु का उत्पादन वर्ष 2010-11 तक 26 मिलियन टन वार्षिक करने के लिए अपने संयंत्रों में आधुनिकीकरण और क्षमता विस्तार करने का प्रस्ताव है तथा विस्तार योजना 2010 तक क्रमिक रूप से पूरी की जाएगी। राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. 4.05 मिलियन टन वार्षिक (2006-07) के वर्तमान स्तर से तप्त धातु का उत्पादन वर्ष 2009-10 तक बढ़ा कर 6.50 मिलियन टन वार्षिक करने के लिए अपनी क्षमता विस्तार करने का प्रस्ताव है और यह विस्तार योजना मार्च, 2010 तक पूरी की जानी है।

इस्पात मंत्रालय निजी क्षेत्र में आधुनिकीकरण के लिए परियोजनाओं की मॉनिटरिंग नहीं करता और ब्यौरा व स्थिति का विवरण नहीं रखता।

(ग) आज की स्थिति के अनुसार सेल लगभग 49,000 करोड़ रुपए की वर्तमान इंडिकेटिव लागत पर सभी प्रमुख इस्पात संयंत्रों के विस्तार/सबसटेंस योजनाओं को मंजूर कर चुका है। इन योजनाओं का संयंत्रवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए)

सेल	कुल निवेश
इस्को इस्पात संयंत्र (आई एस पी)	8871
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (डी एस पी)	5549
राउरकेला इस्पात संयंत्र (आर एस पी)	7668
बोकारो इस्पात संयंत्र (बी एस एल)	8399
भिलाई इस्पात संयंत्र (बी एस पी)	11262
सेलम इस्पात संयंत्र (एस एस पी)	1419
सबसटेंस योजना	6065
योग	49233

आर्डर दिए गए पैकेजों/मदों तथा शेष कार्यों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. (आर आई एन एल) के विस्तार की अनुमानित लागत 11,200 करोड़ रुपए है।

(घ) वर्धित उत्पादन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सेल दक्ष प्रचालनों और आटोमेशन के उच्च स्तरों के जरिए अपनी श्रम उत्पादकता में वृद्धि करेगा। विस्तार परियोजनाओं में वर्क लोड को पूरा करने के लिए परियोजना क्षेत्र में भर्ती करने की आवश्यकता होगी। तथापि, वार्षिक पृथकीकरण के कारण कारखाना तथा गैर कारखाना क्षेत्रों में कर्मचारियों की संख्या में क्रमिक रूप से कमी होगी। पृथकीकरण की कमी को पूरा करने तथा कार्यबल की आयु में सुधार करने के लिए भी चुनिंदा भर्ती की जाएगी। विस्तार परियोजनाओं की आवश्यकताओं को विद्यमान कर्मचारियों के पुनः प्रशिक्षण तथा पनुः तैनाती के जरिए आंशिक रूप से पूरा किया जाएगा।

सेल के विस्तार के लिए भारी मशीनरी की कुल आवश्यकता के बारे में अभी अन्तिम निर्णल लिया जाना है क्योंकि विस्तार योजनाओं के विभिन्न पैकेजों के लिए निविदा कार्य प्रगति पर है।

सेल के इस्को इस्पात संयंत्र (आई एस पी) के विस्तार के लिए केवल 365 एकड़ अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है तथा सेल के अन्य इस्पात संयंत्रों के विस्तार के लिए किसी अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता नहीं है।

आर आई एन एल के विस्तार के लिए परामर्शदाता द्वारा प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार अपेक्षित अतिरिक्त जनशक्ति की अनुमानित संख्या 1995 है, अनुमानित पूंजीगत मशीनरी की लागत 7424 करोड़ रुपए है तथा विद्यमान संयंत्र की चारदीवारी के भीतर 750 एकड़ भूमि की आवश्यकता का अनुमान है।

हैदराबाद और सिकन्दराबाद हेतु एमएमटीएस का द्वितीय चरण

3338. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार हैदराबाद और सिकन्दराबाद नगर युग्मों के लिए मल्टी–मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम (एमएमटीएस) के द्वितीय चरण के लिए लागत का 2/3 हिस्सा देने पर सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने उक्त परियोजना को अपनी स्वीकृति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उक्त परियोजना को स्वीकृति न देने के क्या कारण हैं और परियोजना को स्वीकृति कब तक दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) आंध्र प्रदेश सरकार हैदराबाद और सिंकदराबाद नगर युग्मों के लिए मल्टी–मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वितीय चरण की दो तिहाई लागत का अंशदान करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गई है।

(ग) प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

क्रूड इस्पात का उत्पादन

3339. श्री चंद्रकांत खैरे :

श्रीमती मनोरमा माधवराज :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत विश्व के पांचवे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक देश के रूप में उभरकर सामने आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष क्रूड इस्पात का कितना उत्पादन हुआ और अन्य क्रूड इस्पात उत्पादक देशों के साथ तुलनात्मक स्थिति क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस क्रूड इस्पात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है;

(ङ) क्या कोल्ड–रोल्ड स्टील मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन आफ इंडिया ने बड़े इस्पात संयंत्रों पर हॉट–रोल्ड स्टील के मूल्यों में वृद्धि करने का आरोप लगाया है; और

(च) यदि हां, तो इस पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2006 के दौरान भारत अपरिष्कृत इस्पात का उत्पादन करने वाले पांचवें सबसे बड़े उत्पादक के रूप में उभरा है और इसने 49.4 मिलियन टन (अनंतिम) का उत्पादन किया है।

(ग) पिछले तीन कलैंडर वर्षों के दौरान विश्व के अपरिष्कृत इस्पात का उत्पादन करने वाले अग्रणी देशों सहित भारत में अपरिष्कृत इस्पात का उत्पादन निम्नानुसार है:–

देश	विश्व का अपरिष्कृत इस्पात का उत्पादन (एमटी)		
	2006	2005	2004
चीन	422.7	355.8	280.5
जापान	116.2	112.5	112.7
यूनाइटेड स्टेट्स	98.6	94.9	99.7
रूस	70.8	66.1	65.6
भारत*	49.4	45.7	42.2
दक्षिण कोरिया	48.5	47.8	47.5
जर्मनी	47.2	44.5	46.4
यूक्रेन	40.9	38.6	38.7
इटली	31.6	29.3	28.5
ब्राजील	30.9	31.6	32.9

(स्रोत : आईआईएसआई)

(* संयुक्त संयंत्र समिति)

(घ) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अपरिष्कृत इस्पात (बिलैट्स, स्लेब्स आदि) के निर्यात के जरिए अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नानुसार है:–

(मूल्य : करोड़ रुपए)

2004–05	2005–06	2006–07
575.46	850.29	850.29

(स्रोत : संयुक्त संयंत्र समिति)

(ङ) कोल्ड रोल्ड स्टील मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सी ओ आर एस एम ए) ने घरेलू उत्पादकों द्वारा एच आर क्वायल की कीमत में बढ़ोत्तरी के संबंध में मंत्रालय को अभ्यावेदन दिया था और एचआर क्वॉयलों के आयात पर सीमा शुल्क को 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करने की मांग की है।

(च) इस्पात की घरेलू कीमत बाजार शक्तियों द्वारा तय की जाती है। इस्पात पर आयात शुल्क को क्रमिक रूप से कम किया गया है और इसे वर्ष 2002–03 में 25–30 प्रतिशत से कम करके वर्ष 2006–07 में 5 प्रतिशत कर दिया गया है। बजट प्रस्तावों को तैयार करते वक्त शुल्क ढांचे की विस्तृत समीक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

पेट्रोल की रिफाइनरी ट्रांसफर कीमत

3340. श्री सूरज सिंह :

डा. चिन्ता मोहन :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जून, 2007, तक प्रति लीटर पेट्रोल की रिफाइनरी ट्रांसफर कीमत कितनी थी;

(ख) क्या तेल कंपनियां देश में पेट्रोल को रिफाइनरी ट्रांसफर कीमत पर बेचती और खरीदती हैं;

(ग) यदि हां, तो मई, जून और जुलाई, 2007 के दौरान विभिन्न कंपनियों द्वारा पेट्रोल की कितनी मात्रा खरीदी और बेची गई; और

(घ) ये सौदे पेट्रोल की कितनी कीमत पर किए गए?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का आधुनिकीकरण

3341. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :

श्री किन्जरपु येरननायडु :

डा. धीरेन्द्र अग्रवाल :

श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उन उपक्रमों का आधुनिकीकरण करने की व्यवस्था की है जो घाटे में चल रहे हैं या रुग्ण होने वाले हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितने उपक्रमों को घाटा हुआ है और उनकी कितनी राशि का घाटा हुआ है;

(ग) क्या इन उपक्रमों पर सरकारी क्षेत्र के उपक्रम–वार कोई ऋण या देयता बाकी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उनको घाटा होने के क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बी आर पी एस ई) की स्थापना की है जो अन्य बातों के साथ–साथ केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उद्यमों के पुनरुद्धार प्रस्तावों के बारे में सरकार को परामर्श देगा। बी आर पी एस ई की अनुशंसाओं के आधार पर सरकार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 26 उद्यमों का अनुमोदन कर दिया है जिसमें आज की तारीख तक 1941.30 करोड़ रुपए (इक्विटी, ऋण तथा अनुदान के रूप में) की नकद सहायता तथा 6322.38 करोड़ रुपए की गैर नकद सहायता (ब्याज, दण्डात्मक ब्याज, भारत सरकार के ऋण, गारण्टी शुल्क आदि की छूट के रूप में) शामिल है।

(ख) लोक उद्यम सर्वेक्षण, 2005–06 के अनुसार वर्ष 2003–04, 2004–05 तथा 2005–06 में घाटा उठाने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की संख्या क्रमशः 89 (घाटा 8522 करोड़ रुपए), 79 (घाटा 9356 करोड़ रुपए) तथा 58 (घाटा 5952 करोड़ रुपए) थी।

(ग) और (घ) दिनांक 31 मार्च, 2006 तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के ऐसे उद्यमों से संबंधित ऋण एवं चालू देयताएं तथा प्रावधानों का ब्यौरा (उद्यमवार) संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) घाटा/रुग्णता के कारण बहुआयामी हैं और ये उद्यम–दर–उद्यम भिन्न–भिन्न हो सकते हैं। बहरहाल, घाटा उठाने वाली सरकारी कम्पनियों को सामान्य तौर पर जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनमें पुराने व अप्रचलित संयंत्र तथा मशीनरी, अनग्रसन प्रौद्योगिकी, क्षमता का कम उपयोग, अत्यधिक श्रमशक्ति, विपणन संबंधी अक्षम नीतियां, तीव्र प्रतिस्पर्धा, पुनरुद्धार/पुनर्स्थापन हेतु धन उपलब्ध कराने के मामले में वित्तीय संस्थानों की अनिच्छा, ब्याज का भारी बोझ, निविष्टि की अधिक लागत, संसाधन की कमी, निरन्तर घाटे के कारण निवल परिसंपत्ति का क्षय तथा रुग्ण एवं अधिग्रहीत उद्यमों की अन्तर्निहित समस्याएं शामिल हैं।

विवरण

दिनांक 31.3.2006 की स्थिति के अनुसार घाटा उठाने वाले केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से देय ऋण एवं चालू देयताएं व प्रावधान राशि

(रु. लाख में)

क्र.सं.	कंपनी का नाम	ऋण	देयता एवं प्रावधान
1	2	3	4
1	एयरलाइंस एलाइड सर्विसेज लि.	0	29728
2	अंडमान एवं निकोबार वन एवं पौध विकास निगम लि.	2257	1646
3	एंड्रयू यूले एंड कं. लि.	22587	19832
4	भारत हैवी प्लेट्स एवं वेसल्स लि.	55098	21187
5	भारत रेफ्रेक्ट्रीज लि.	21153	13561
6	भारत वैगन एंड इंजी. लि.	9637	4396
7	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि.	42425	14687
8	ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि.	14242	6333
9	बुशवेयर लि.	28	159
10	बर्न स्टैंडर्ड कं. लि.	80196	48943
11	केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लि.	32171	13345
12	फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	273980	27744
13	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि.	27411	68693
14	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लि.	42247	6492
15	हिंदुस्तान केबल्स लि.	139782	57122
16	हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लि.	960926	24181
17	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बंस लि.	7439	681
18	हिंदुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि.	43699	13066
19	हिंदुस्तान फोटो फिल्म मैन्यु. कं. लि.	386407	6891
20	हिंदुस्तान प्रिफैब लि.	10177	2261
21	हिंदुस्तान साल्ट्स लि.	583	380
22	हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्र. लि.	126498	34914
23	हिंदुस्तान वेजीटेबल ऑयल कारपोरेशन लि.	16026	658
24	एचएमटी चिनार वाचेज लि.	12265	3294

1	2	3	4
25	एचएमटी मशीन टूल्स लि.	56024	30441
26	एचएमटी वाचेज लि.	62984	18586
27	हुगली डॉग एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि.	31584	12866
28	होटल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	0	2899
29	आई टी आई लि.	198072	184261
30	इंस्ट्रुमेंटेश्न लि.	37319	9955
31	जे एंड के मिनरल डेवलपमेंट कारपो. लि.	0	510
32	जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	0	11756
33	कर्नाटक ट्रेड प्रोमोशन आर्गेनाइजेशन	747	65
34	कोंकण रेलवे कारपोरेशन लि.	525311	44058
35	मध्य प्रदेश अशोक होटल कारपो. लि.	415	144
36	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि.	73369	43056
37	नागालैण्ड पल्प एंड पेपर कं. लि.	7432	6304
38	नेशनल इंस्ट्रुमेंट्स लि.	23887	1372
39	नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन (धारक कंपनी) लि.	813489	15551
40	नेपा लि.	21624	7788
41	उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लि.	2291	276
42	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि.	120	394
43	एनटीसी (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं माहे) लि.	103666	14365
44	एनटीसी (दिल्ली, पंजाब एवं राजस्थान) लि.	45394	1968
45	एनटीसी (गुजरात) लि.	62399	2572
46	एनटीसी (मध्य प्रदेश) लि0	41117	11453
47	एनटीसी (उत्तर प्रदेश) लि.	121422	4665
48	एनटीसी (पश्चिम बंगाल, असम, बिहार और उड़ीसा) लि.	47219	4108
49	उड़ीसा ड्रग्स एंड केमिकल्स लि.	821	506
50	रेलटेल कारपोरेशन इंडिया लि.	21700	54099
51	रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लि.	19365	6263
52	सांभर साल्ट्स लि.	1485	394
53	सेमी कंडक्टर काम्प्लेक्स लि.	1068	2232

1	2	3	4
54	स्टेट फार्म्स कारपो. आफ इंडिया लि.	11342	3709
55	त्रिवेणी स्ट्रक्चर्स लि.	17732	5815
56	तुंगभद्रा स्टील प्राडक्ट्स लि.	16445	4739
57	टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	64843	2555
58	उत्कल अशोक होटल कारपो. लि.	713	217
	कुल योग	4778633	930136

[अनुवाद]

नौपाडा-गुनुपुर के बीच आमान परिवर्तन

3342. श्री गिरिधर गमांग : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में नौपाडा से गुनुपुर रेल लाइन के आमान परिवर्तन हेतु कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) पूर्व तटीय रेलवे जोन द्वारा आमान परिवर्तन का काम शुरू करने और उसे पूरा करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) गुनुपुर से थेरूबली तक बड़ी लाइन को जोड़ने हेतु विस्तार परियोजना के रूप में गुनुपुर से थेरूबली तक बड़ी लाइन के सर्वेक्षण में कितनी प्रगति हुई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) नौपाडा–गुनुपुर आमान परिवर्तन पर वर्ष 2004–05, 2005–06 और 2006–07 के दौरान किया गया खर्च क्रमशः 12.82 करोड़ रु., 7.32 करोड़ रु. और 26.13 करोड़ रु. है। वर्ष 2007–08 के दौरान परियोजना के लिए मुहैया कराया गया परिव्यय 25 करोड़ रु. है।

(ख) परिचालनिक प्राथमिकता और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार परियोजन का कार्य प्रगति पर है;

(ग) गुनुपुर से थेरूवली तक लाइन के विस्तार के लिए व्यवहारिकता अध्ययन किया गया जिसके अनुसार परियोजना को व्यवहार्य नहीं पाया गया।

[हिन्दी]

गंगा नदी के किनारों का रख-रखाव

3343. श्री रामदास आठवले : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गंगा नदी के किनारों के रख–रखाव की जिम्मेदारी निजी संस्थाओं को सौंपने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अभी तक क्या प्रयास किए गए हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

भिवाड़ी को दिल्ली-अहमदाबाद रेल लाइन से जोड़ना

3344. श्री सुभाष महरिया :

श्रीमती सुशीला बंगारु लक्ष्मण :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे की राजस्थान में एक उभरते प्रमुख क्षेत्र भिवाड़ी को बढ़ावा देने हेतु उसे दिल्ली–अहमदाबाद बड़ी लाइन से जोड़ने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का विचार इसके आर्थिक महत्व को देखते हुए इस परियोजना को स्वीकृति देने का है;

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ङ) रेवाड़ी–भिवाड़ी के बीच नई लाइन के लिए सर्वेक्षण 2003–04 में पूरा किया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 24.87 कि.मी. लाइन के लिए निर्माण की लागत (–) 58.56% प्रतिफल की दर के साथ 105.04 करोड़ रुपए आकलित की गई थी। राजस्थान की राज्य सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना तथा निर्यात तथा संबद्ध गतिविधियों की योजना के अवसंरचनात्मक विकास के लिए राज्य को सहायता

(एएसआईडीई) के अंतर्गत इस परियोजना को शुरू करने के लिए अपनी इच्छा जतायी है। इस परियोजना की लागत वहन करने के लिए यह मामला राज्य सरकार को भेजा गया था लेकिन इस संबंध में कोई सकारात्मक प्रत्युत्तर नहीं मिला। इसे ध्यान में रखते हुए, इसके अलाभप्रदस्वरूप तथा संसाधनों की कमी के कारण प्रस्तावित नई लाइन शुरू नहीं की गई।

शार्ट हाल मार्गों पर विमान सेवाएं

3345. श्री अनंत गुढे :

श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार शार्ट हाल मार्गों पर विमान सेवाओं के अंतर्गत 200–300 कि.मी. की दूरी पर स्थित प्रमुख पर्यटन स्थलों और मुख्य शहरों-कस्बों के लिए विमान सेवाएं उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए किन-किन मार्गों की पहचान की गई है;

(ग) क्या इन शार्ट हाल मार्गों पर अपनी सेवाएं शुरू करने वाली निजी एयरलाइनों को कोई प्रोत्साहन पैकेज दिया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल्ल पटेल) : (क) से (घ) सरकार ने पूर्वोत्तर सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों की हवाई परिवहन सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हवाई परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमन के लिए मार्ग संवितरण दिशानिर्देश बनाए हैं। तथापि यातायात मांग तथा वाणिज्यिक साध्यता के आधार पर विनिर्दिष्ट स्थानों के लिए हवाई सेवाएं उपलब्ध कराना एयरलाइनों पर है। इस प्रकार, एयरलाइनें सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशानिर्देश के अनुपालन के अध्यादीन देश में कहीं भी प्रचालन करने को स्वतंत्र हैं।

असम में कच्चे तेल और गैस पाइपलाइन को क्षति

3346. श्री रशीद मसूद : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आतंकवादी गुटों ने हाल ही में असम में कच्चे तेल और गैस पाइपलाइनों को भारी क्षति पहुंचायी है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षति के कारण कुल कितनी हानि हुई है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी कार्यवाहियों को रोकने हेतु क्या प्रशासनिक उपधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने सूचित किया है कि असम में पिछले दिनों आपराधिक कार्यों के कारण कच्चे तेल और गैस पाइपलाइनों को कोई भारी क्षति नहीं हुई।

(ग) आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं

(i) सी आई एस एफ तेल और गैस कंपनियों को सुरक्षा प्रदान कर रही है।

(ii) सी आई एस एफ और राज्य पुलिस नियमित रूप से संयुक्त गश्त लगाते हैं।

(iii) ठेके के मजदूरों को कारखाना परिसरों में प्रवेश करने के लिए फोटो पहचान पत्र/अनुज्ञा पत्र जारी किया जाता है।

(iv) आतंकवादियों की बढ़ रही धमकियों को ध्यान में रखते हुए, असम में तैनात सुरक्षा कार्मिकों को संवेदनशील बनाया जा रहा है।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम उत्पादों की मांग और पूर्ति

3347. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2004–05, 2005–06 और 2006–07 के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की अनुमानित मांग वास्तविक खपत से अधिक थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या उपर्युक्त अवधि के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों का अनुमानित उत्पादन, वास्तविक उत्पादन से कम था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पेट्रोलियम उत्पादों का अनुमानित उत्पादन प्रतिशत वास्तविक उत्पादन से कम है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) अनुमानित मांग को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) जी हां। योजना आयोग के दसवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज के अनुसार वर्ष 2006–07 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की मांग 120.4 मि.मी. टन अनुमानित थी। वर्ष 2006–07 (अनंतिम) के दौरान वास्तविक खपत 119.8 मि.मी. टन थी।

(ग) से (छ) वर्ष 2004–05 से 2006–07 के दौरान अनुमानित उत्पादन और वास्तविक उत्पादन निम्नवत् है –

(हजार मीटरी टन)

वर्ष	अनुमानित उत्पादन	वास्तविक उत्पादन	अंतर
2004–05	137351	122749	(–)14602
2005–06	137272	124080	(–)13192
2006–07	135966	140070	4104

वर्ष 2004–05 तथा 2005–06 के दौरान, वास्तविक परिशोधन अनुमानों से कम था, जिसका मुख्य कारण उत्पादों की मांग में कम वृद्धि, क्रूड की कम उपलब्धता, कुछ रिफाइनरी परियोजनाओं का विलम्ब/स्थगन था। तथापि, वर्तमान में परिशोधन क्षमता खपत से अधिक है और भारत पेट्रोलियम उत्पादों का शुद्ध निर्यातक है।

योजनाओं के लिए निर्धारित लक्ष्य

3348. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, लड़के और लड़कियों के लिए छात्रावास, विशेष केन्द्रीय सहायता और विशेष संघटक योजना जैसी कई योजनाओं के लिए कोई वास्तविक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए हैं;

(ख) यदि हां, तो कोई वास्तविक लक्ष्य निर्धारित न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या राज्यों को केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए धनराशि आबंटित नहीं की गई है जिसके फलस्वरूप योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निदेश जारी किए गए हैं; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे किन–किन राज्यों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई जिन्होंने गत एक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अभी तक केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए धनराशि आबंटित नहीं की है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) और (ख) योजनाओं के लिए परिमाणात्मक प्रेषणीय/वास्तविक आउटपुट को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के 2007–08 के परिणाम बजट में दर्शाया गया है।

(ग) से (च) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनओं के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता की निर्मुक्ति, वित्तीय वर्ष के लिए संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर की जाती है। फिर भी, अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के मामले में केन्द्रीय सहायता, पिछड़ेपन एवं अन्य प्रयास–आधारित मानदण्ड के तुलना में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के आकार के आधार पर जारी की जाती है।

कुचुवेली-बंगलौर एक्सप्रेस के फेरे

3349. **श्री एन. शिवण्णा :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुचुवेली और बंगलौर के बीच चलने वाली एक्सप्रेस गाड़ी के फेरे बढ़ाकर उसे दैनिक गाड़ी बनाने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) 6315/6316 कुचुवेली–बंगलूरू एक्सप्रेस के फेरे 25.08.2007 से साप्ताहिक से बढ़ाकर सप्ताह में तीन दिन कर दिए गए हैं।

यूनेस्को द्वारा विश्व दाय स्थलों की सूची बनाना

3350. **श्री रेवती रमन सिंह :** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख के अनुसार यूनेस्को की सूची में शामिल भारतीय दाय/सांस्कृतिक स्थलों के नाम और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि यूनेस्को की विश्व दाय समिति ने अमूल्यवान वैश्विक कीमत की संपत्तियों, जो ग्रह की सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर है, वाली सूची को हाल ही में अद्यतन किया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त सूची में शामिल किए गए नए भारतीय स्थलों का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा इस सूची में और भारतीय स्थलों को शामिल कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल भारत के विश्व विरासत स्थलों का ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ख) और (ग) यूनेस्को की विश्व विरासत समिति ने क्राइस्टचर्च (न्यूजीलैंड) में 23 जून से 02 जुलाई, 2007 तक आयोजित अपने 31वें अधिवेशन में विश्व विरासत सूची को अद्यतन किया है तथा लाल किला परिसर, दिल्ली, भारत को इसके स्थानीय परम्पराओं के अनुसार निर्मित अद्भुत मुगल वास्तुशिल्प प्रदर्शित करने वाला उत्कृष्ट सार्वभौमिक महत्व, शाहजहां के शासन काल से शक्ति का प्रतीक और वह स्थान, जहां

प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और आज भी मनाया जाता है, होने के कारण इसे विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया है।

(घ) यूनेस्को की विश्व विरासत समिति द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार भारत में सांस्कृतिक श्रेणी के अन्तर्गत 15 स्थलों तथा प्राकृतिक श्रेणी के अन्तर्गत 4 स्थलों को यूनेस्को की अनंतिम सूची में पहले ही शामिल कर लिया गया है। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

भारत में विश्व विरासत सांस्कृतिक स्थल

क्र.सं.	स्थल का नाम	राज्य
1	2	3
सांस्कृतिक स्थल		
1.	अजन्ता गुफाएं (1983)	महाराष्ट्र
2.	एलोरा गुफाए (1983)	महाराष्ट्र
3.	आगरा किला (1983)	उत्तर प्रदेश
4.	ताजमहल (1983)	उत्तर प्रदेश
5.	सूर्य मंदिर, कोणार्क (1984)	उड़ीसा
6.	स्मारक समूह, महाबलीपुरम् (1984)	तमिलनाडु
7.	चर्चें तथा कॉन्वेंटें, गोवा (1986)	गोवा
8.	मंदिर समूह, खजुराहो (1986)	मध्य प्रदेश
9.	स्मारक समूह, हम्पी (1986)	कर्नाटक
10.	स्मारक समूह, फतेहपुर सीकरी (1986)	उत्तर प्रदेश
11.	मंदिर समूह, पट्टडकल (1987)	कर्नाटक
12.	एलिफेंटा गुफाएं (1987)	महाराष्ट्र
13.	तंजावुर, गंगईकोंडाचोलापुरम् तथा दारासुरम स्थित महान विद्यमान चोल मंदिर (1987 तथ 2004)	तमिलनाडु
14.	बौद्ध स्मारक, सांची (1989)	मध्य प्रदेश
15.	हुमायूं का मकबरा, दिल्ली (1993)	दिल्ली
16.	कुतुब मीनार परिसर, दिल्ली	दिल्ली
17.	माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया (1999, 2005)	पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु
18.	महाबोधि मंदिर, बोधगया (2002)	बिहार
19.	प्रागैतिहासिक शैलाश्रय, भीमबेटका (2003)	मध्य प्रदेश
20.	चम्पानेर – पावागढ़ पुरातत्वीय उद्यान (2004)	गुजरात
21.	छत्रपति शिवाजी टर्मिनस (पूर्व विक्टोरिया टर्मिनस), मुम्बई (2004)	महाराष्ट्र
22.	लालकिला परिसर (2007)	दिल्ली

विवरण-II

यूनेस्को विश्व विरासत समिति द्वारा अनुमोदित अनंतिम सूची में शामिल किए गए भारत के सांस्कृतिक स्थलों की सूची (15 मार्च, 2006 तक)

क्रम संख्या	स्मारक/स्थल का नाम	राज्य का नाम
1	2	3
सांस्कृतिक विरासत स्थल		
1.	प्राचीन बौद्ध स्थल, सारनाथ	उत्तर प्रदेश
2.	अल्ची चोस-कोर के नाम से विख्यात बौद्ध मठीय परिसर, अल्ची (लेह)	जम्मू और कश्मीर
3.	हड़प्पन शहर, धोलावीरा, जिला कच्छ	गुजरात
4.	गोलकोंडा किला, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश

1	2	3
5.	स्मारक समूह, मांडू, जिला धार	मध्य प्रदेश
6.	हेमिस गुम्पा	जम्मू और कश्मीर
7.	मत्तानचेरी महल, एरनाकुलम	केरल
8.	रानी की वाव (रानी का सीढ़ीदार कुआं), पाटन, जिला मेहसाणा	गुजरात
9.	ब्रहमपुत्र नदी की मध्य धारा मे माजुली नदी द्वीप	असम
10.	विष्णुपुर स्थित मंदिर	पश्चिम बंगाल
11.	शेर शाह सूरी का मकबरा, सासाराम	बिहार
12.	श्री हरि मंदिर साहिब, अमृतसर	पंजाब
13.	काकला शिमला रेलवे	हरियाणा/हिमाचल प्रदेश
14.	माथेरन लाइट रेलवे (भारत की माउंटेन रेलवे का विस्तार)	महाराष्ट्र
15.	चंडीगढ़ आधुनिक वास्तुकला (ली करबूसियर)	चंडीगढ़
प्राकृतिक विरासत स्थल		
16.	कैंगचेंडजोंगा राष्ट्रीय पार्क	पश्चिम बंगाल
17.	वाइल्ड ऐस सेंचुरी	गुजरात
18.	नामदफाह राष्ट्रीय पार्क	अरूणाचल प्रदेश
19.	पश्चिमी घाट (सात सब कलस्टरों सहित)	तमिलनाडु, केरल कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात
	8. पश्चिमी घाट – अगस्तमलई सब क्लस्टर (पांच स्थल एलीमेंट सहित)	
	9. पश्चिमी घाट – पेरियार सब क्लस्टर (छः स्थल एलीमेंट सहित)	
	10. पश्चिमी घाट – अन्नामलई सब क्लस्टर (सात स्थल एलीमेंट सहित)	
	11. पश्चिमी घाट – नीलगिरि सब क्लस्टर (छः स्थल एलीमेंट सहित)	
	12. पश्चिमी घाट – तलकावेरी सब क्लस्टर (छः स्थल एलीमेंट सहित)	
	13. पश्चिमी घाट – कुदरेमुख सब क्लस्टर (पांच स्थल एलीमेंट सहित)	
	14. पश्चिमी घाट – सहेदरी सब क्लस्टर (चार स्थल एलीमेंट सहित)	

[हिन्दी]

नए अन्वेषण के अन्तर्गत निजी कंपनियों को ब्लाकों का आबंटन

3351. श्री जीवाभाई ए. पटेल :

श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई अन्वेषण और लाइसेंस नीति के अंतर्गत निजी कंपनियों को राज्यवार कितने ब्लाक आबंटित किए गए हैं;

(ख) उनके आबंटन के क्या कारण हैं और उक्त ब्लाकों को निजी कंपनियों को जिस नियम के अंतर्गत आबंटित किया गया है उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) उनमें से कितनी कंपनियों ने अभी उत्पादन शुरू नहीं

किया है और सरकार द्वारा उत्पादन न होने की स्थिति में की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में किन कंपनियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एन ई एल पी) के हुए छह दौरों के अंतर्गत कुल 21 जमीनी अन्वेषण ब्लाक अभी तक विभिन्न निजी कंपनियों को प्रचालक के रूप में प्रदान किए गए हैं। इनमें से असम में 7 गुजरात और राजस्थान में 3–3, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में 2–2 और मिजोरम और आंध्र प्रदेश में 1–1 दिए गए हैं।

(ख) वर्ष 1997 में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति के अंतर्गत ब्लाक पारदर्शी शर्तों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोलियों के ज़रिए भारतीय तलछटीय बेसिन के त्वरित अन्वेषण के लिए प्रदान किए गए हैं।

(ग) उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पी एस सीज) पर, ब्लाक में अन्वेषण कार्य की वचनबद्धता के अनुसार, अन्वेषण कार्यकलाप करने के लिए, भारत सरकार और ठेकेदारों के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं। अन्वेषण के परिणामतः यदि कोई तेल/गैस की खोज ब्लाक में की जाती है, तो ठेकेदार, उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं की शर्तों के अनुसार दी हुई समय सीमा में उन खोजों को और विकसित करता है।

अभी तक गैस का वाणिज्यिक उत्पादन 0.3 एम एम एस सी एम डी गैस की दर से मैसर्स नाइको द्वारा प्रचालित एक ब्लाक अर्थात सीबी–ओएनएन–2002/2 से शुरू हो गया है।

(घ) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दवा कंपनियों द्वारा ऋण पर राजसहायता लेना

3352. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दवा विनिर्माताओं द्वारा लिए गए ऋण की राशि पर 5 प्रतिशत ब्याज राजसहायता देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) कितनी भेषज इकाइयों को ब्याज राजसहायता से लाभ मिलने की आशा है; और

(घ) वर्ष 2007–08 के दौरान सरकार द्वारा ऐसी राजसहायता के लिए कितनी अनुमानित लागत वहन की जाएगी?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) और (ख) भारत में औषध उद्योग में अच्छी विनिर्माण प्रथा शुरू करने के लिए दिनांक 1.7. 2005 से औषध और सौंदर्य प्रसाधन नियमावली 1945 में अनुसूची एम का अनुपालन अनिवार्य कर दिया गया है। औषध उद्योग के छोटे और मझौले उद्यमों (एसएमई) को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मेरे मंत्रालय की एक योजना को क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है जिसके अंतर्गत मंजूरशुदा परियोजनाओं पर पहचान किए गए अनुसूचित बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रभारित ब्याज के पांच प्रतिशत बिन्दु की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(ग) आशा की जाती है कि इस योजना के अंतर्गत लगभग 2000 से 3000 इकाइयां लाभ उठाना चाहेंगी।

(घ) शुरूआत में, योजना आयोग ने वर्ष 2007–08 के लिए इस शीर्ष के अन्तर्गत 15.00 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।

क्रोमाइट अयस्क भंडार

3353. श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री सुग्रीव सिंह :
क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में क्रोमाइट अयस्क भंडार सीमित मात्रा में है;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार देश में राज्य–वार क्रोमाइट अयस्क का कितना अनुमानित भंडार है;

(ग) गत 2005–06 तथा 2006–07 के दौरान क्रोमाइट की घरेलू खपत तथा निर्यात का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान क्रोमाइट से विभिन्न राज्यों को कितनी रायल्टी प्राप्त हुई?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

कोल बेड मीथेन

3354. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2010 तक प्राकृतिक गैस के उत्पादन को दुगुना करने का लक्ष्य रखा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की गई पहल का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में कोल बेड मीथेन के उत्पादन को बढ़ाने पर भी बल दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी), आयल इंडिया लिमिटेड (ओ आई एल) और निजी कंपनियों/संयुक्त उद्यम कंपनियों (जे वीज) द्वारा लगाए गए अनुमानों के अनुसार प्राकृतिक गैस का उत्पादन 2006-07 में 31.742 बिलियन घन मीटर (बी सी एम) से बढ़कर 2010-11 में 55.03 बी सी एम हो जाने की संभावना है और इसके आगे बढ़कर 2011-12 में 63.23 बी सी एम हो जाने की संभावना है।

(ख) गैस का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित पहलें की जा रही हैं –

(i) नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एन ई एल पी) के क्रमिक दौरों में बड़े रकबे प्रस्तावित करके देश में तेल और गैस के अन्वेषण की गति बढ़ाना।

(ii) नई खोजों के वर्धित विकास के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि करना।

(iii) वर्तमान क्षेत्रों से निकासी घटक बढ़ाना।

(iv) कोल बेड मीथेन (सी बी एम) जैसे वैकल्पिक स्रोतों का अन्वेषण और विकास करके प्राकृतिक गैस की उपलब्धता अनुपूरित करना।

(v) वैकल्पिक हाइड्रोकार्बन संसाधनों की उपलब्धता के लिए भविष्य के विकल्पों हेतु गैस हाइड्रेट संसाधनों के अन्वेषण में उद्यम करना।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा सी बी एम बोली के तीन दौरों के अंतर्गत अब तक की गई पहलों के आधार पर सरकार ने देश के भिन्न कोयला क्षेत्रों में 26 सी बी एम ब्लाक प्रदान किए हैं। बोली के भावी दौरों के अंतर्गत कुछ और ब्लाकों को प्रस्ताव के लिए काटने के प्रयास जारी हैं।

अन्वेषण कार्यों से उत्साहवर्धक सी बी एम संसाधनों का पता लगाया है। भारत के पूर्वी मध्य भाग में बड़ी खोजें हुई हैं। सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल में ऐसे एक ब्लाक के लिए विकास योजना पहले ही अनुमोदित की जा चुकी है, जहां देश में पहली बार वाणिज्यिक सी बी एम उत्पादन पहले ही 23000 घन मीटर/दिन की दर पर आरंभ हो चुका है।

आंध्र प्रदेश में बेलुम गुफाएं

3355. डा. एम. जगन्नाथ : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ए. एस. आई. आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में स्थित "बेलुम गुफाओं" को उसकी विशाल पर्यटन संभावना के कारण एक प्रमुख ऐतिहासिक स्मारक के रूप में विकसित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ए. एस. आई. आंध्र प्रदेश में वर्तमान "बेलुम गुफाओं" के आस-पास नई गुफाएं खोजने की किसी परियोजना पर काम कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) बेलुम गुफाएं आंध्र प्रदेश सरकार के संरक्षण में है। आंध्र प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा इस स्मारक को पहले ही प्रमुख ऐतिहासिक स्मारक के रूप में विकसित किया गया है तथा पर्यटक अक्सर इसे देखने आते हैं।

(ग) और (घ) इस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने आंध्र प्रदेश में बेलुम गुफाओं के आस-पास नई गुफाएं उत्खनित करने की कोई परियोजना शुरू नहीं की है।

महाराष्ट्र में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां

3356. श्री हरिभाऊ राठौड़ :

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में इस समय कुल कितनी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग इकाइयां चल रही हैं;

(ख) इन इकाइयों में कुल कितना निवेश हुआ और उनके द्वारा कितना उत्पादन किया जाता है;

(ग) इनमें निर्यातोन्मुखी इकाइयों की संख्या कितनी है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा राज्य में नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और शीतागारों को स्थापित करने के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण/स्थापना के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों/उद्यमियों को सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में है इसलिए महाराष्ट्र समेत देश में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों और निर्यात यूनिटों के उत्पादन और निवेश के आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। दसवीं योजना अवधि, यानी 2002-03 से 2006-07 के

दौरान महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए अनुदान हेतु मंत्रालय में 456 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना और शीतागारों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं –

वर्ष	खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों के लिए धनराशि (लाख रुपये में)	शीतागारों के लिए धनराशि (लाख रुपये में)
2004–05	623.02	शून्य
2005–06	859.72	99.92
2006–07	1399.64	107.06

कांगड़ा और कुल्लू विमानपत्तन

3357. प्रो. प्रेम कुमार धूमल : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार हिमाचल प्रदेश सरकार के कांगड़ा और कुल्लू विमानपत्तनों के रनवे का विस्तार करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं हेतु वर्ष 2007–08 के लिए कितना वित्तीय आबंटन किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) कांगड़ा हवाईअड्डे पर रनवे विस्तार कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है। कुल्लू हवाई अड्डे के लिए ब्यास नदी पर पुल बनाकर रनवे के विस्तार हेतु व्यवहार्यता अध्ययन शुरू किया जा चुका है।

कांगड़ा हवाई अड्डे पर रनवे की मूल पट्टी के स्तरीकरण तथा ड्रेनेज कार्यों के लिए वर्ष 2007–08 के लिए वित्तीय आबंटन 30 लाख रुपए है। कुल्लू हवाई अड्डे के लिए रनवे के विस्तार तथा संबद्ध कार्यों जिनमें नदी प्रशिक्षण कार्य शामिल हैं, के लिए 1 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।

[हिन्दी]

निजी क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को रोजगार देने हेतु फिक्की की स्थायी समितियां

3358. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उद्योग जगत और फिक्की ने हाल ही में निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए स्थायी समितियां गठित की हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) सरकार को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री (फिक्की) पी. एच. डी. चैम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री (पी.एच.डी.सी.सी.आई.) या किसी अन्य उद्योग संगठन द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को रोजगार प्रदान करने हेतु किसी स्थायी समिति के गठन के विषय में जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दवाइयों के लेबल पर हिन्दी में ब्यौरा

3359. श्री हितेन बर्मन : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2 अक्तूबर, 2006 से दवाइयों के लेबल पर अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी में भी दवाइयों के नाम और मूल्य को छापना अनिवार्य कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दवाइयों के लेबल पर अंग्रेजी में दी गई अन्य सूचना को भी हिंदी में छापा जाएगा ताकि व्यक्ति इन्हें आसानी से समझ सके;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सभी कंपनियां इस नियम का पालन कर रही हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) से (ङ) जी नहीं। दवाओं के लिए द्विभाषी लेबलिंग अनिवार्य नहीं है। तथापि, फार्मा उद्योग से अंग्रेजी की विद्यमान प्रणाली के अलावा दवाओं के नाम, निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि और एमआरपी हिंदी में मुद्रित करने का अनुरोध किया गया था। यद्यपि द्विभाषी लेबलों के इस अनुरोध पर फार्मा कंपनियों द्वारा स्वैच्छिक कार्रवाई का प्रस्ताव है, फिर भी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से इसे अनिवार्य बनाने के लिए औषध एवं सौंदर्य प्रसाधन नियमावली में संशोधन करने का अनुरोध किया गया है। फार्मा पीएसयूज और निजी क्षेत्र की अनेक कंपनियों ने अपने उत्पादों पर द्विभाषी लेबल चिपकाना शुरू कर दिया है।

चिकित्सा पर्यटन

3360. श्री के.एस. राव : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान चिकित्सा उपचार एवं पर्यटन हेतु कितने विदेशी पर्यटक भारत आए और इससे कितनी विदेश मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) दंत और हृदय रोगियों के उपचार करने के लिए क्या चिकित्सा अवसंरचना और सुविधाएं उपलब्ध हैं और ऐसे उपचार की सफलता की दर क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विदेशी चिकित्सा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करने और घरेलू रोगियों को तुलनात्मक कम लागत पर लाभ देने के लिए नए निवेश से ट्रेवल एजेंट, सरकारी और निजी अस्पतालों को प्रोत्साहित करने वाली विशिष्ट चिकित्सा पर्यटन नीति तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) पर्यटन मंत्रालय चिकित्सा पर्यटकों के आगमन, उनसे प्राप्त विदेशी मुद्रा आय, बीमारी/रोग की प्रकृति और उपचार की सफलता दर के विषय में अलग से किसी जानकारी का संग्रह नही करता है।

(ग) और (घ) स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर पर्यटन मंत्रालय ने चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पहले ही अनेक कदम उठाए हैं जिनमें विदेशी बाजारों में संवर्धन और ब्रोशर्स, सीडीज तथा फिल्मों आदि जैसे प्रचार सामग्रियों का उत्पादन एवं लक्षित बाजारों में इनका वितरण करना शामिल है। वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट, लंदन तथा आई.टी.बी., बर्लिन आदि जैसे विविध अंतर्राष्ट्रीय यात्रा मेलों में विशेष संवर्धन भी किए जाते हैं। देश के चुनिंदा अस्पतालों के ऊपर, जो कि प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर स्वास्थ्य पर्यटन को भी बढ़ावा दे रहे हैं, एक निर्देशिका को व्यापक प्रचार हेतु पर्यटन मंत्रालय की वेबसाइट www.incredibleindia.org पर दर्शाया गया है।

आयातित फार्मूलेशन

3361. डॉ. मुनव्वर हसन : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन.पी.पी.ए. अंतिम आयातित फार्मूलेशनों की 35% और 50% एम.ए.पी.ई. वृद्धि की दोहरी नीति का पालन कर रहा था;

(ख) यदि हां, तो क्या डीसीजीआई ने नोवार्टिस को प्रमाण-पत्र प्रदान किया है और इस अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र के आधार पर एन.पी.पी.ए. ने 50% एम.ए.पी.ई. की अनुमति दी थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और फार्मूलेशनों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या एन.पी.पी.ए. ने बाद में नोवार्टिस आयातित फार्मूलेशन्स पर 50% एम.ए.पी.ई. वापस ले लिया था; और

(ङ) यदि हां, तो कंपनियों को इस फार्मूलेशन के लिए अधिक धनराशि का भुगतान करने के लिए कहने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) से (ङ) सूचीबद्ध आयातित फार्मूलेशन के मामले में, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 95) के पैरा 7 के अनुसार ब्याज और आयात के लाभ सहित बिक्री व्ययों तथा संवितरण व्ययों को पूरा करने के लिए ऐसे मार्जिन सहित अवतरित लागत, इसके मूल्य निर्धारण का आधार बनेगा जो अवतरित लागत के 50% से अधिक नहीं होगा। "अवतरित लागत" का अर्थ है – सीमा शुल्क और क्लियरिंग शुल्कों सहित किसी फार्मूलेशन की आयात लागत।

डीसीजी(आई)के कार्यालय ने मैसर्स नोवार्टिस को कोइ अनुपलब्धता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है। तथापि, डीसीजी(आई) के कार्यालय में एनपीपीए को यह स्पष्ट कर दिया था कि "नए औषध" के रूप में देश में आयात और विपणन हेतु मैसर्स नोवार्टिस को औषध और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम के नियम 122-क के अन्तर्गत दिनांक 12.4.2007 को अनुमति दे दी गई है क्योंकि मैसर्स नोवार्टिस उक्त फार्मूलेशन वाला एकमात्र आवेदक था।

राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने मैसर्स नोवार्टिस के विटालक्स प्लस टैब्लेट्स के लिए मूल्य निर्धारण हेतु आवेदन के आधार पर विटालक्स का मूल्य निर्धारण करते समय 35% विनिर्माण पश्चात अधिकतम अनुमत व्यय (एमएपीई) की अनुमति दी है जिसमें कंपनी ने स्वयं 35% एमएपीई का दावा किया था।

पुरूलिया से कोटशिला तक रेल लाइन का दोहरीकरण

3362. श्री नरहरि महतो : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का पश्चिम बंगाल विशेषकर पुरूलिया-कोटशिला खंड में रेल लाइनों के दोहरीकरण का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त कार्य कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल में दोहरी/बहुलाइन परियोजनाएं जारी हैं। प्रत्याशित यातायात के मद्देनजर जब भी लाइन की वहन क्षमता संतृप्त हो जाती है, दोहरीकरण/बहुलाइनों का कार्य शुरू किया जाता है। फिलहाल, पुरुलिया–कोटशिला के देहरीकरण का कार्य आवश्यक नहीं समझा गया है।

एचएससीएल को घाटा

3363. श्री सुनील खां : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल) घाटे में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एचएससीएल के कर्मचारियों को अब तक वेतन मिलता रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) एचएससीएल का पुनरुद्धार करने और इसके कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास) : (क) और (ख) जी, हां। हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल) के पिछले कई वर्षों के दौरान निवल हानि हुई है। पिछले 3 वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी का लाभ/हानि निम्नानुसार है :–

(करोड़ रुपए)

वर्ष	ब्याज, मूल्यह्रास तथा कर से पूर्व लाभ (+)/हानि (–)	निवल लाभ (+)/ हानि (–)
2004–05	(+) 28.68	(–) 94.21
2005–06	(+) 30.96	(–) 85.97
2006–07	(+) 30.17	(–) 83.50

हानि का मुख्य कारण कंपनी द्वारा लिए गए सरकारी ऋणों पर ब्याज है।

(ग) जी, हां। एचएससीएल के कर्मचारियों को आज तक वेतन मिल रहा है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) एचएससीएल द्वारा कंपनी के लिए पुनरुद्धार तथा पुनर्संरचना पैकेज तैयार करने के लिए मैसर्स ए.एफ. फर्गुसन को नियुक्त किया गया था। एचएससीएल ने प्रस्ताव इस्पाप मंत्रालय को प्रस्तुत कर दिया है।

सरकार ने दिनांक 28.12.2006 को एचएससीएल को सभी बकाया सांविधिक देयताओं और इसके कर्मचारियों को बकाया वेतन का भुगतान करने के लिए 21.44 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र इलैक्ट्रोस्मैल्ट लिमिटेड में विस्फोट/दुर्घटनाएं

3364. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र इलैक्ट्रोस्मैल्ट लिमिटेड में कितने विस्फोट और दुर्घटनाएं हुई;

(ख) इस संबंध में कोई उच्चस्तरीय जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(घ) इनके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, महाराष्ट्र इलैक्ट्रोस्मैल्ट लिमिटेड (एमईएल), चंद्रपुर में हुए विस्फोटों एवं घातक दुर्घटनाओं की संख्या नीचे दी गई है :

वर्ष	विस्फोट	घातक दुर्घटना
2004	शून्य	शून्य
2005	शून्य	शून्य
2006	शून्य	शून्य
2007 (अगस्त, 07 तक)	1	2

(ख) से (ङ) जी, हां। विस्फोट और घातक दुर्घटनाओं के मामलों की जांच की गई है। जांच के परिणाम, उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई तथा इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदम नीचे दिए गए हैं :–

जांच के निष्कर्ष	भविष्य में इस प्रकार दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदम	उत्तरदायी व्यक्ति (व्यक्तियों) के विरुद्ध की गई कार्रवाई
बारिश के मौसम में अचानक चिपकी हुई सामग्री गिरने, सुपरहीटेड स्मैल्टिंग जोन से निकले हुए ऑक्सीजन रिलीज होने जिससे असाधारण रूप से उच्च दाब जैसे मिश्रण बन गया जो भट्टी के जरिए छत पार करने के कारण दुर्घटना हुई। पर्याप्त मात्रा में	विशेष रूप से वर्षा के मौसम में भट्टी में अत्यधिक चूरे युक्त कच्ची सामग्री को चार्ज नहीं करना। अलार्म सिस्टम सहित ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोक्साइड तथा कार्बन मोनोक्साइड एनालाईजर लगाए गए हैं। बेहतर मॉनीटरिंग के लिए क्लोज सर्किट कैमरा लगाए जा रहे हैं।	दुर्घटना के लिए कोई व्यक्ति अकेला उत्तरदायी नहीं पाया गया।
वाहन के सामने सोए हुए एक कंडक्टर पर ट्रक चढ गया।	ट्रक के सामान उतारने/चढ़ाने के दौरान पर्यवेक्षण तथा काम शुरू करने से पूर्व ड्राईवरों, कंडक्टरों और श्रमिकों को कार्य सुरक्षा संबंधी अनुदेश दिए जा रहे हैं।	दुर्घटना के लिए कोई जवाबदेही निर्धारित नहीं की गई।
लोडर का आर्म नीचे आ गया तथा व्यक्ति लोडर के आर्म तथा कंट्रोल वॉल के बीच दब गया। उस समय वह बंद स्थिति में लोडर के हाईड्रोलिक कंट्रोल वॉल्व सेटिंग को एडजेस्ट कर रहा था।	जब भी कंट्रोल वॉल्व एरिया/फ्रंट चैसिस में काम होता है बकिट के होरिजेंटल पोजीशन में रखा जा रहा है। जब भी लिफ्टेड पोजीशन में बकिट/बाडी सहित व्हीकल में व्यक्ति काम कर रहे होते हैं प्रोपर सुपोर्ट उपलब्ध कराया जाता है।	दुर्घटना के लिए कोई जवाबदेही निर्धारित नहीं की गई।

[अनुवाद]

यात्री सुविधाएं

3365. श्री के.सी. पल्लानी शामी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे द्वारा विशेषकर दक्षिण रेलवे के अंतर्गत विभिन्न यात्री सुविधाओं हेतु अब तक कितनी धनराशि स्वीकृत और खर्च की गई;

(ख) दक्षिण रेलवे द्वारा आधुनिकीकरण और सौंदर्यीकरण हेतु चयनित स्टेशनों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(ग) चयनित स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का कार्य कब तक पूरा किया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सभी भारतीय रेलों और विशेष रूप से दक्षिण रेलवे पर विभिन्न यात्री सुविधाओं पर योजना शीर्ष–यात्री सुविधाओं के अंतर्गत स्वीकृत राशि तथा अभी तक खर्च की गयी राशि निम्नानुसार है :–

(आंकड़े हजार रु. में)

वर्ष	सभी क्षेत्रीय रेलवे		दक्षिण रेलवे	
	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
2004-05	2135715	2227600	228659	206900
2005-06	2733301	2562300	253834	258200
2006-07	4011033	4079100	351808	444600

दक्षिण रेलवे पर, आधुनिकीकरण और सौंदर्यवर्धन के लिए 47 स्टेशनों की पहचान की गयी है तथा लक्ष्य इस प्रकार है :–

मार्च, 2008 तक : (25) चेंगलपट्टू, काटपाडी, चैन्ने इगमोर, तांबरम, तिरूतनी, ईरोड, कोयंबटूर, पालघाट, कालीकट, मंगलोर, एर्नाकुलम जं., त्रिचूर, क्विलोन, त्रिवेंद्रम सेंट्रल, कन्याकुमारी, पांडिचेरी, वृद्धाचलम, चिरूचिरापल्ली जं., तंजावुर, कुंभकोणम, डिंडीगुल, मदुरै, तिरूनेलवेली, तूतीकोरिन एवं विरूद्धनगर।

मार्च, 2009 तक : (22) अंबूर, जोलारपेट्टई, पुडूर, सुलूरपेटा, सेलम, तिरूपुर, सोरानुर, कन्नुर, थालासेरी, नागरकोईल, एर्नाकुलम टाउन, कोट्टायम, चेंगनुर, श्रीरंगम, तिरूवरूर, नागापट्टिनम, मइलादुथूरै, करैकुड्डी, पलानी, रामेश्वरम, रामनाथपुरम।

निजी एयरलाइनों द्वारा सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन

3366. श्री पी.एम. सिद्दीश्वर : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी एयरलाइनों के प्रचालनों के दौरान सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करने की कोई घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे मामलों में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) संरक्षा आडिट निगरानी, निरीक्षण, आकस्मिक जांच इत्यादि के दौरान निर्धारित मानकों की नियमित निगरानी और जांच की जाती है।

प्रचालन दस्तावेजों का गैर अद्यतन होना, क्रू रोस्टर रिकार्ड का गैर कम्प्यूटरीकरण, उड़ान ड्यूटी समय सीमा अधिक होने का पता लगाने में असफलता प्रचालनात्मक कार्यकलापों इत्यादि के पर्यवेक्षण तथा आंतरिक आडिटिंग में कमी जैसे निर्धारित मानकों के परिवर्तन का पता कुछ मामलों में चला था। इस पर निर्धारित मानकों के संबंध में तथा इसकी सही कार्रवाई की उपयुक्त सलाह दी गई है जिससे इस पर समयबद्ध आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

अनुसूचित जाति के छात्रों को गुणवत्तापरक शिक्षा

3367. श्री एस.के. खारवेन्थन : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जाति के छात्रों के उत्थान के लिए उन्हें "पब्लिक स्कूलों के समान" गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने हेतु कोई नई योजना बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना में कितना खर्च होने का अनुमान है; और

(घ) समाज के उपेक्षित वर्गों के छात्रों के शिक्षा स्तर का उन्नयन करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (घ) सरकार, अनुसूचित जाति के छात्रों एवं छात्राओं के शैक्षिक विकास के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रही है, जिसमें शामिल हैं :

(क) योग्यता उन्नयन (ख) फ्री कोचिंग योजना (ग) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना (घ) राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (ङ) राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना; और (च) स्कूलों एवं प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु गैर–सरकारी संगठन योजनाएं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने हाल ही में निर्दिष्ट उत्कृष्ट संस्थानों में 12वीं कक्षा से आगे अध्ययन करने के लिए अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा की नई छात्रवृत्ति योजना शुरू की है।

[हिन्दी]

विमानपत्तनों पर दुकानों का आबंटन

3368. श्री अशोक अर्गल : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यात्रियों की सुविधा हेतु देश के विमानपत्तनों पर दुकानें आबंटित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में विमानपत्तनों पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के व्यक्तियों को कितनी कैंटीन और दुकानें आबंटित की गईं, और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को दुकानें कब तक आबंटित किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) हवाईअड्डों पर दुकानें/कैन्टीनों के लिए निविदायें आमंत्रित करके लाइसेंस आधार पर 5 वर्षों तक की अवधि के लिए आबंटित की जाती है। ऐसे मामलों में आरक्षण नीति लागू नहीं होती।

[अनुवाद]

असम में मेगा गैस क्रैकर परियोजना

3369. श्री अनवर हुसैन : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने असम में मेगा गैस क्रैकर परियोजना शुरू और पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कितने लोगों के लाभान्वित होने की संभावना है;

(घ) असम में इस परियोजना का कार्पोरेट कार्यालय किस स्थान पर स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) उक्त परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) और (ख) सरकार ने वर्ष 2006–07 में लापेतकाता, डिब्रुगढ़ जिला, असम में असम गैस क्रैकर परियोजना का अनुमोदन किया है जिसमें गेल (इंडिया) लि. मुख्य प्रोमोटर होगा और इक्विटी व्यवस्था होगी – गेल 70% ऑयल इंडिया लि. (ओआईएल) 10% नुमालीगढ़ रिफायनरी लि. (एनआरएल) : 10% और असम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन (असम सरकार) : 10%। कुल परियोजना लागत 5460.61 करोड़ रु. (नियत लागत) है। परियोजना के लिए 5 वर्षों की निर्माण अवधि के दौरान 2138 करोड़ रु. की पूंजी सब्सिडी और 15 वर्षों की प्रचालन अवधि के दौरान 908.91 करोड़ रु. की फीडस्टॉक सब्सिडी अनुमोदित की गई है। यह परियोजना पॉलीप्रोपीलीन (पीपी) 60,000 टीपीए और उच्च घनत्व पॉलीइथाइलीन (एचडीपीई)/लीनीयर लो डेंसिटी पॉलीइथाइलीन (एलएलडीपीई) 220,000 टीपीए का उत्पादन करेगी। इस उद्देश्य के लिए मेसर्स ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड (बीसीपीएल) नामक संयुक्त उपक्रम की एक कंपनी बनाई गई है। कार्यान्वयन अनुसूची वित्तीय बंदी से 60 महीने है।

(ग) इस परियोजना से 1,00,000 तक का प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रोजगार दोनों सृजित होने की आशा है जो मूलतः डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रसंस्करण सेक्टर में भारी निवेश आकर्षित करने से होगा।

(घ) गुवाहाटी, असम में।

(ङ) परियोजना की अब तक की स्थिति निम्नानुसार है:-

(i) संयुक्त उपक्रम कंपनी मैसर्स ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड (बीसीपीएल) जिसे 8 जनवरी, 2007 को निगमित किया गया, के लिए 18.10.2006 को एक करार किया गया।

(ii) पंजीकृत कार्यालय गुवाहाटी और प्रोजेक्ट कार्यालय डिब्रुगढ़ में प्रचालानात्मक बनाए गए हैं। मुख्य प्रचालन अधिकारी (सीओओ) और मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) की तैनाती कर दी गई है।

(iii) भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने लापेतकाता, असम में डिब्रुगढ़ जिले में 9 अप्रैल, 2007 को इस परियोजना की आधारशिला रखी।

(iv) परियोजना के लिए अपेक्षित लगभग 1108 एकड़ भूमि में से बीसीपीएल द्वारा 2692 बीघा (लगभग 890 एकड़) भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है।

(v) फीडस्टॉक (गैस व नेफ्था) आपूर्ति करारों का बीसीपीएल बोर्ड अनुमोदन कर चुका है।

(vi) ऑयल इंडिया डेवलपमेंट बोर्ड 327 करोड़ रुपए का एक आवधिक ऋण देने की पेशकश पर सहमत हो गया है।

पास्को और सेल के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

3370. **श्री जुएल ओराम :** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पॉस्को और भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) ने रणनीतिक व्यवसाय और वाणिज्यिक हित के क्षेत्र में आपसी सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेल और पॉस्को द्वारा संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास) : (क) और (ख) जी, हां। पॉस्को तथा सेल ने चुनिंदा क्षेत्रों जैसे निगमित नीति आयोजना के क्षेत्रों में जानकारी का आदान-प्रदान, इंजीनियरों और टैक्नीशियनों जैसे प्रोफेशनल्सं का आदान-प्रदान, खानों के विकास तथा एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी), प्रोसेस इनोवेशन (पीआई) तथा सिक्स-सिग्मा जैसे बिजनेस प्रैक्टिसों के क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी तथा विशेषज्ञता का आदान-प्रदान, प्रत्येक के मौजूदा विपणन तथा वेयरहाउसिंग नेटवर्क का संयुक्त उपयोग तथा कोककर कोयले, निकल तथा फेरो मिश्र की अधिप्राप्ति और परिवहन वैसलों को प्राप्त करने में समन्वय आदि के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ग) और (घ) सेल तथा पॉस्को द्वारा किए जाने वाले विचार-विमर्श तथा बातचीत की शर्त पर प्रथम दृष्ट्या, संयुक्त अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करने पर सहमति हो गई है।

विमान के इंजन हेतु ओवरहॉल की सुविधाएं

3371. **श्रीमती के. रानी :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में इंजन के ओवरहॉल के लिए पर्याप्त सुविधाओं के अभाव की वजह से बहुत से विमान प्रचालन में नहीं रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितने विमानों का प्रचालन नहीं किया गया; और

(घ) देश में पर्याप्त इंजन ओवरहॉल सुविधाओं को प्रदान करने और विमान सर्विसिंग की गुणवत्ता में सुधार के लिए किए गए/किए जाने वाले उपाय क्या हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

स्मारकों के रख-रखाव हेतु वित्तीय सहायता

3372. **श्री सुब्रत बोस :**
श्री हरिन पाठक :
क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत देश के कई प्राचीन और ऐतिहासिक भवनों के रख-रखाव हेतु अलग से धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई राज्य सरकारों ने इस संबंध में केन्द्र सरकार के पास कोई कार्ययोजना भेजी है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2007-08 के दौरान अभी तक प्रत्येक राज्य हेतु कितनी राशि स्वीकृत/जारी की गई है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क)

और (ख) देश के विभिन्न भागों में स्थित केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों के रखरखाव तथा संरक्षण के लिए वर्ष 2007–08 के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को गैर–योजना के तहत 51.21 करोड़ रुपए तथा योजना के तहत 69.11 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट प्राप्त हुआ है।

(ग) इस प्रकार की कोई योजना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को प्रस्तुत नहीं की गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बढ़ी कीमतों पर अनुसूचित दवाओं की बिक्री

3373. मो. मुकीम :
श्री धर्मेन्द्र प्रधान :
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री चन्द्रकांत खैरे :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भेषज कंपनियां अनुसूचित दवाओं के संघटकों में कुछ परिवर्तन करके तथा नए नाम से खुलेआम बढ़ी कीमतों पर अनुसूचित दवाओं को बेच रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर छूट देने के बावजूद कुछ दवाओं की कीमतें अभी भी बढ़ रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने दवाओं की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि को रोकने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) से (च) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ 95) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट 74 बल्क औषध एवं उनपर आधारित फार्मूलेशन मूल्य नियंत्रणाधीन हैं एवं उनके मूल्य, राष्ट्रीय औषधीय मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा डीपीसीओ 95 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित/संशोधित किए जाते हैं। डीपीसीओ, 95 के अंतर्गत अनुसूचीबद्ध औषधों और फार्मूलेशनों का मूल्य निर्धारण/संशोधन एक सतत प्रक्रिया है। एनपीपीए द्वारा निर्धारित मूल्य का कोई उल्लंघन होने पर अतिप्रभारित राशि की वसूली के लिए एनपीपीए द्वारा कार्रवाई की जाती है।

अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशनों के संघटकों में परिवर्तन का मुद्दा एनपीपीए द्वारा औषध महानियंत्रक (भारत) के कार्यालय को संदर्भित कर दिया गया है क्योंकि वह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासित औषध एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 के तहत आता है।

गैर–अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशनों के मामले में, यदि एक वर्ष में 10% से अधिक की मूल्य वृद्धि होती है और फार्मूलेशन पैक का वार्षिक टर्नओवर एक करोड़ रुपए से अधिक होता है और इसके अलावा उक्त फार्मूलेशन के क्षेत्र में फार्मूलेटर की हिस्सेदारी बाजार का कम से कम 20% होनी आवश्यक है अथवा दवा उस समूह की प्रथम तीन शीर्ष दवाओं में है, तो एनपीपीए सिर्फ मूल्य में उतार–चढ़ाव की निगरानी करता है। मामले को आगे जांच के लिए उठाया जाता है और यदि जनहित में आवश्कता पड़ती है तो डीपीसीओ, 95 के पैरा 10(ख) के अधीन मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। अब तक, एनपीपीए/सरकार के हस्तक्षेप के फलस्वरूप 30 कंपनियों ने 51 पैकों के मूल्य घटाए हैं। एनपीपीए द्वारा डीपीसीओ, 95 के पैरा 10 (ख) के अधीन 20 पैकों के मूल्य निर्धारित किए गए हैं।

समय–समय पर घोषित औषध नीतियों का लक्ष्य गरीबों को उचित कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं मुहैया कराना है। राष्ट्रीय औषध नीति, 2006 के मसौदे में अन्य बातों के साथ–साथ, यह प्रस्ताव किया गया है कि आम जनता और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को सस्ती दवाएं मुहैया कराने का एक रास्ता यह हो सकता है कि देश में जेनेरिक औषधों के उत्पादन व विपणन को बढ़ावा दिया जाए। इसे जेनेरिक औषधों के लिए निःशुल्क गुणवत्ता अधिप्रमाणन तथा सार्वजनिक खरीद और वितरण में जेनेरिक औषधों को प्राथमिकता देने के जरिए हासिल किया जा सकता है। राष्ट्रीय औषध नीति के प्रारूप पर मंत्रिमंडल ने 11.1.2007 को हुई अपनी बैठक में विचार किया। मंत्रिमंडल ने इस नीति को मंत्री समूह (जीओएम) को संदर्भित कर दिया है। इस जीओएम की पहली बैठक 10.4.2007 को हुई थी। राष्ट्रीय औषध नीति को अंतिम रूप दिए जाने के लिए कोई समय–सीमा तय नहीं की गई है।

[हिन्दी]

विभिन्न राज्यों में संस्कृति को बढ़ावा

3374. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों की संस्कृति का संरक्षण करने तथा उनका प्रचार–प्रसार करने का है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों विशेषकर उत्तराखण्ड और महाराष्ट्र के संबंध में ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इन राज्यों को कितनी निधियां स्वीकृत की गई हैं;

(ग) यदि नहीं, तो निधियां स्वीकृत नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों को कोई दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

प्राचीन ग्रंथों हेतु राष्ट्रीय पुस्तकालय

3375. श्री हरिन पाठक :
श्री नरहरि महतो :
क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर गुजरात, राजस्थान तथा महाराष्ट्र में प्राचीन ग्रंथों और वैदिक साहित्य तथा प्राचीन धर्मों का एक राष्ट्रीय वाचनालय स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पायलटों द्वारा सरकारी क्षेत्र की एयरलाइनों को छोड़कर जाना

3376. श्रीमती किरण माहेश्वरी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की एयरलाइनों के प्रशिक्षित पायलट स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले रहे हैं और निजी क्षेत्र की एयरलाइनों में जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया को छोड़कर कितने पायलट निजी क्षेत्र की एयरलाइनों में गए; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) जी, नहीं। गत तीन वर्षों के दौरान इंडियन एयरलाइंस से किसी भी पायलट ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नहीं ली है। एयर इंडिया के संबंध में गत तीन वर्षों में केवल एक ही पायलट ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है क्योंकि उसे चिकित्सीय कारणों की वजह से स्थायी रूप से ग्राउंडिड पायलट बना दिया गया था।

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र की एयरलाइनों द्वारा पायलटो को रोके रखने के लिए सतत रूप से उठाए जाने वाले कदम इस प्रकार हैं:–

(i) अन्य स्थापित भारतीय वाहकों की तुलना में परिलब्धियों का तुलनात्मक स्तर बनाए रखना,

(ii) उच्चतर सेवा सुरक्षा प्रस्तुत करना;

(iii) पायलटों को उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान करने के लिए लाइसेंस गुम हो जाने के बीमे की पुनरीक्षा की जानी तथा पायलटों को बीमा कवर उपलब्ध करवाना;

(iv) लाइसेंस की वैधता के आधार पर सेवानिवृत्ति की आयु के बाद भी पायलटों की सेवाएं बरकरार रखना।

अध्यक्ष महोदय : सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न 12.00 पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों को लेते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : पेपर्स लेड हो रहे हैं, क्या इसलिए ऑब्जेक्शन है?

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.0½ बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : महोदय, मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) सेन्ट्रल वक्फ काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल वक्फ काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेन्ट्रल वक्फ काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2005–06 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6926/2007]

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं कैसे बना सकता हूं?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) (एक) साऊथ जोन कल्चरल सेन्टर, तंजावुर के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साऊथ जोन कल्चरल सेन्टर, तंजावुर के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6927/2007]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(क) (एक) हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिमिटेड, पिंपरी के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिमिटेड, पिंपरी का वर्ष 2005–2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6928/2007]

(ख) (एक) बंगाल केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगाल केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2005–2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6929/2007]

[हिन्दी]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नारनभाई रठवा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) रेलवे में भर्ती और पदोन्नति श्रेणियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर उनकी भर्ती के संबंध में की गई प्रगति के बारे में प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6930/2007]

(2) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत रेल यात्री (अप्रत्याशित घटनाओं की जांच की रीति) संशोधन नियम, 2007, जो 9 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 540 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6931/2007]

[अनुवाद]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : मैं एचएमटी लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2006–2007 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6932/2007]

अपराह्न 12.02 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

तीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री चरणजीत सिंह अटवाल।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कम से कम अपने उपाध्यक्ष महोदय के प्रति सम्मान दिखाइये।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको डिप्टी स्पीकर साहब की रैस्पैक्ट करनी चाहिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री चरणजीत सिंह अटवाल (फिल्लौर) : मैं गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का तीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02½ बजे

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

[अनुवाद]

श्रीमती प्रतिभा सिंह (मंडी) : मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2007–08) के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं:–

(1) 'सहायक सामान और साधनों की खरीद/फिटिंग के लिए निःशक्त व्यक्तियों को सहायता योजना' (एडीआईपी) विषय पर 27वां प्रतिवेदन।

(2) 'माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण विधेयक, 2007' के बारे में 28वां प्रतिवेदन।

विवरण

श्रीमती प्रतिभा सिंह (मंडी) : मैं 'राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम' विषय पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के 15वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2006–2007) (14वीं लोक सभा) के 21वें की गई कार्रवाई प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति

तेईसवां और चौबीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा (बोब्बिली) : मैं शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति (2007–2008) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं:–

(1) "संपदा निदेशालय" के बारे में समिति का 23वां प्रतिवेदन; और

(2) "केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग" (सीपीडब्ल्यूडी) विषय के बारे में 17वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई कार्यवाही के बारे में समिति का 24वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03½ बजे

कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति

बाईसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : अध्यक्ष महोदय, मैं ग्राम न्यायालय विधेयक, 2007 के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का 22वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) इमिग्रेशन चैक रिक्वायरमेंट सस्पेंशन सिस्टम (ई.सी. आर.एस.) को समाप्त करना*

[अनुवाद]

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : मैं उत्प्रवास अधिनियम के अंतर्गत किए गए एक महत्वपूर्ण सुधार उपाय के संबंध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखना चाहता हूं जिसे मैं बड़ी संख्या में गरीब लोगों के लाभ के लिए लागू करना चाहता हूं।

उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अंतर्गत, एक व्यक्ति जिसके पास "उत्प्रवास जांच अपेक्षित" वाला पासपोर्ट होता है, को विदेश में रोजगार के लिए देश को छोड़ने से पूर्व उत्प्रवास संरक्षी से उत्प्रवास स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। यह एक सांविधिक आवश्यकता है।

उत्प्रवास अधिनियम उन व्यक्तियों, जो रोजगार के अलावा अन्य देशों की यात्रा करते हैं, के "उत्प्रवास जांच अपेक्षित" पासपोर्ट की देखरेख नहीं करता है। तथापि पिछले दो दशकों से प्रशासनिक निर्देश लागू किए हुए हैं कि उन्हें उत्प्रवास जांच अपेक्षित का निलम्बन कराना होता है अथवा जिसे आमतौर पर उत्प्रवास जांच अपेक्षित का निलम्बन कहा जाता है।

महोदय, उत्प्रवास जांच अपेक्षित के निलम्बन की प्रणाली का कोई सांविधिक आधार नहीं है। कोई अन्य देश अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं पर ऐसे प्रतिबंध नहीं लगाता है। उत्प्रवास जांच अपेक्षित के निलम्बन की प्रणाली से यात्रियों को काफी असुविधा और परेशानी होती है। इसके परिणामस्वरूप उत्प्रवास कार्यालयों में और अवैध भर्ती एजेंटों और बिचौलियों के बीच संबंधों में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में गरीब लोगों का शोषण होता है।

महोदय, गत पांच वर्षों में 5.5 लाख से अधिक व्यक्तियों, जिन्होंने रोजगार के अतिरिक्त अन्य परियोजनाओं के लिए विदेश यात्राएं की हैं, ने उत्प्रवास जांच अपेक्षित का निलम्बन प्राप्त किया था।

उत्प्रवास जांच अपेक्षित के निलम्बन की प्रणाली का जिसका कोई सांविधिक आधार नहीं है, प्रतिगामी है। यह एक प्रकार का कर लगाती है, जो कि भ्रष्टाचार के अलावा एक गरीब व्यक्ति पर उत्प्रवास जांच अपेक्षित के निलम्बन का शुल्क है। हालांकि इसे एक अच्छी कल्पना से लागू किया गया था कि यात्रा वीजा का रोजगार प्रयोजनों के लिए दुरुपयोग को रोका जा सके। इसने यह उद्देश्य प्राप्त नहीं किया है।

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रन्थालय में भी रखा गया देखिए संख्या एल.टी. 6933/2007।

इसलिए, मंत्रालय ने इसकी गहन जांच की है और मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति के समक्ष उत्प्रवास जांच अपेक्षित के निलम्बन को समाप्त करने का एक प्रस्ताव रखा। सचिवों की समिति में 20 अगस्त, 2007 को हुई अपनी बैठक में प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

महोदय, उत्प्रवास जांच अपेक्षित के निलम्बन की प्रणाली को समाप्त करने को लागू करने से पूर्व मैं इस महत्वपूर्ण सुधार उपाय के लाभों को इस सम्मानित सदन के साथ बांटना चाहता हूं।

सर्वप्रथम, इससे 6 लाख से अधिक गरीब यात्रियों को असुविधा और परेशानी से बचाया जा सकेगा। उत्प्रवास जांच अपेक्षित के निलम्बन को समाप्त करने के परिणामस्वरूप सभी उत्प्रवास जांच अपेक्षित वाले पासपोर्ट धारकों को अनावश्यक खर्च करने से बचाया जा सकेगा जो अनुमानतः प्रतिवर्ष लगभग 600 करोड़ रु. है।

दूसरे, अशिक्षित उत्प्रवास जांच अपेक्षित वाले पासपोर्ट धारकों को उत्प्रवास जांच जो कि विदेश में रोजगार के लिए अनिवार्य है, और उत्प्रवास जांच अपेक्षित का निलम्बन, जो कि केवल विदेश यात्राओं के लिए है, के बीच अन्तर की जानकारी नहीं होती है। इन यात्रा वीजाओं पर रोजगार के लिए भेजने में प्रायः इस अनभिज्ञता का लाभ उठाया जाता है। गरीब कामगार को यह पता नहीं होता कि एजेन्ट ने केवल यात्रा वीजा का प्रबन्ध किया है और वह बाहर जाने के बाद वहां काम करने का पात्र नहीं है। उत्प्रवास जांच अपेक्षित के निलम्बन को समाप्त करके इस अस्पष्टता को समाप्त कर दिया जाएगा।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि यात्रा वीजा पर विदेश जाने वाले उत्प्रवास जांच अपेक्षित वाले पासपोर्ट धारकों के आंकड़े तैयार किए जा सकें, हमने गृह मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वह निर्गमन और आगमन कार्डों में उपयुक्त संशोधन करें।

मैं इस सदन के सदस्यों के साथ इस महत्वपूर्ण उत्प्रवास सुधार, जिसे 1 अक्टूबर, 2007 से लागू किया जाएगा, को बांटने के लिए दिए गए इस अवसर के लिए आभार व्यक्त करता हूं।

अपराह्न 12.04¼ बजे

(दो) रक्षा मंत्रालय से संबंधित रक्षा संबंधी स्थायी समिति के नौवें, बारहवें और तेरहवें प्रतिवदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : मैं दिनांक 01 सितम्बर, 2004 के लोकसभा समाचार–भाग दो में अंतर्विष्ट लोकसभा के माननीय अध्यक्ष के निदेश के अनुसरण में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोकसभा) के

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रन्थालय में भी रखा गया देखिए संख्या एल.टी. 6934/2007।

9वें, 12वें और 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति संबंधी विवरण को सभा पटल पर रखता हूं।

रक्षा संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) की 9वीं रिपोर्ट 'सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों', 12वीं रिपोर्ट 'रक्षा क्षेत्र में चिकित्सा सेवाओं और शिक्षा की पुनरीक्षा' और 13वीं रिपोर्ट 'विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की महत्वपूर्ण पुनरीक्षा' से संबंधित है। 9वीं रिपोर्ट 20 मार्च, 2006 को लोक सभा को प्रस्तुत की गई थी। 12वीं रिपोर्ट 2 अगस्त, 2006 को और 13वीं रिपोर्ट 3 अगस्त, 2006 को प्रस्तुत की गई थी। ये रिपोर्टें राज्य सभा के पटल पर उसी दिन अर्थात् क्रमशः 20 मार्च, 2006, 2 अगस्त, 2006 और 3 अगस्त, 2006 को रख दी गई थी।

रक्षा संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) की 9वीं रिपोर्ट में समाविष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई के विवरण को 30 अगस्त, 2006 को रक्षा संबंधी स्थायी समिति के पास भेज दिया गया था। 12वीं रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई के विवरण 6 नवम्बर, 2006 को भेजे गए और समिति द्वारा व्यक्त की गई इच्छानुसार की कई कार्रवाई पर संशोधित टिप्पणियां 13 अप्रैल, 2007 को भेजी गई थी तथा 13वीं रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई की टिप्पणियां रक्षा संबंधी स्थायी समिति को 17 जनवरी, 2007 को भेजी गयीं।

समिति द्वारा अपनी 9वीं, 12वीं और 13वीं रिपोर्ट में की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की मौजूदा स्थिति का उल्लेख सदन के पटल पर रखे गए मेरे वक्तव्य के अनुबंध I, II और III में किया गया है। मैं अनुबंधों में दिए गए विवरण पढ़ कर सदन का अमूल्य समय नहीं लेना चाहूंगा। मेरा अनुरोध है कि उसे पढ़ा गया मान लिया जाए।

अपराह्न 12.04½ बजे

(तीन) लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से संबंधित उद्योग संबंधी स्थायी समिति के एक सौ उनासीवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : मैं उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 179वें प्रतिवेदन में सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

विभाग ने 48 सिफारिशों में से 4 सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और समिति सरकार के उत्तर के मद्देनजर सिफारिशों पर आगे कार्रवाई करना नहीं चाहती। जहां तक शेष 37 सिफारिशों का संबंध है तो सरकार द्वारा आगे की कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है और वक्तव्य को पढ़ा हुआ समझा जाए।

---

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रन्थालय में भी रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6935/2007।

अपराह्न 12.04¾ बजे

(चार) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित "हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय के कार्यकलाप - एक पुनरीक्षा" विषयक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के बारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : मैं 28.11.2006 के लोक सभा में प्रस्तुत किए गए "हाईड्रोकार्बन महानिदेशालय के कार्यकलाप – एक पुनरीक्षा" विषय पर निदेश 73 क के उपबंधों के अंतर्गत अध्यक्ष के निदेशों के अनुसरण में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) के बारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफाशिों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य रखता हूं।

समिति के प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्यवाही संबंधी वक्तव्य 29 मार्च 2007 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति को भेज दिया गया था। सिफारिशों सं. 2 (अनुवर्ती कार्यवाही प्रतिवेदन के पैरा 6) को सविस्तार प्रतिपादित किया गया और यह भी सुनिश्चित किया गया कि ए टी आर के मसौदे को तथ्यात्मक रूप से सही पाया गया था देखें का.ज्ञा. सं.ओ. – 270 12/1/2005 – ओ एन जी - III दिनांक 25.6.07 द्वारा।

उक्त प्रतिवेदन में समिति द्वारा ऐसी पंद्रह सिफारिशें की गई हैं जिनमें सरकार द्वारा कार्यवाही की मांग की गई थी। ये सिफारिशें मुख्य रूप से संवर्ग की संख्या डी जी एच के बजट, अन्वेषण की गति में तेजी लाने अन्वेषण में आधुनिक तकनीकों के प्रयोग आदि जैसे मुद्दों से संबंधित हैं।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुलग्नक में सभा पटल पर रखी गई है। मैं इस अनुबंध के तथ्य पढ़कर इस सभा का कीमती समय नष्ट नहीं करूंगा। मैं अनुरोध करता हूं कि इस अनुबंध के तथ्यों को इस सभा के समक्ष पढ़ा हुआ माना जाए।

अपराह्न 12.05 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

पंचायतों को उनके संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने और उनके कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए उन्हें वित्तीय रूप से सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मद सं. 16 ध्यानाकर्षण पर विचार करेगी श्री अविनाश राय खन्ना।

---

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रन्थालय में भी रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6936/2007।

...*(व्यवधान)*

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर) : महोदय, मैं पंचायती राज मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले की ओर आकर्षित करता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह इस पर एक वक्तव्य दे:

"पंचायतों द्वारा अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने और अपने कर्त्तव्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए उन्हें वित्तीय रूप से सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता"

अध्यक्ष महोदय : पंचायती राज मंत्री कहां हैं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह दुर्भाग्य की बात है।

...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, पंचायती राज मंत्री को यह सूचित किया गया था कि ध्यानाकर्षण को सभा पटल पर रखे गए पत्र के बाद लिया जाएगा ...*(व्यवधान)* परन्तु मुझे लगता है कि उन्हें यह संदेश मिला है कि सभा स्थगित हो जाएगी। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। निश्चित रूप से मैं यह बात उनके ध्यान में लाऊंगा ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.07 बजे

(इस समय श्री भंवर सिंह डांगावास और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

अपराह्न 12.08 बजे

कार्यमंत्रणा समिति के इकतालीसवें प्रतिवेदन के संबंध में प्रस्ताव

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मद सं. 17 पर विचार करेगी।

...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा 5 सितम्बर, 2007 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के इकतालीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 5 सितम्बर, 2007 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के इकतालीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.08½ बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मद सं. 18 पर विचार करेगी।

नियम 377 के अधीन आज के मामले सभा पटल पर रखे माने जाएंगे।

...*(व्यवधान)*

(एक) अरवल और बिहार-झारखंड सीमा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 98 का उन्नयन और रख-रखाव किए जाने की आवश्यकता

श्री निखिल कुमार (औरंगाबाद, बिहार) : राष्ट्रीय राजमार्ग 98 एक अत्यंत महत्वपूर्ण राजमार्ग है। इससे बिहार से झारखंड तथा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक काफी अधिक यात्रा और वाणिज्यिक ट्रैफिक जाता है। यह काफी बुरी दशा में है, इसमें बिहार विशेष रूप से अरवल और औरंगाबाद से होते हुए बिहार–झारखंड सीमा के बीच से जाने वाले पूरे क्षेत्र में खड्डे हैं। यहां से जाने वाले वाहनों को धीमी गति से जाना पड़ता है। वाहनों को गम्भीर क्षति पहुंचती है, तथा बिना उन्हें नुकसान पहुंचाये गाड़ी चलाना बहुत कठिन है। इसके कारण यहां से जाने वाले लम्बे वैकल्पिक रास्ते अपनाते हैं जो कि अनावश्यक होता यदि राजमार्ग सही तथा अच्छी स्थिति में होता। इस राजमार्ग से जाने वाले ट्रैफिक से आर्थिक कार्य भी होते हैं जो इस क्षेत्र के लोगों के लिए जीवनरक्षक हैं। इस क्षेत्र को ऐसे पूरे आर्थिक विकास की आवश्यकता है जो इस पिछड़े इलाके को दिया जा सकता है।

यह आशा की गई थी कि केन्द्र सरकार बिहार में उन्नयन के लिए चुने गए लगभग 900 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग में इसे शामिल किया जाएगा परन्तु ऐसा नहीं किया गया था। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बतेन नदी पर एक प्राचीन दोमुंहा पुल है जो कि बुरी दशा में है तथा यह जन सुरक्षा के लिए एक गम्भीर खतरा है। केन्द्र सरकार ने इसके पुनर्निर्माण को मंजूरी दी थी और एक साल पहले लगभग 4 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। परन्तु अबोध्य रूप से अभी तक कोई काम शुरू नहीं किया गया है। अनुरोध है कि केन्द्र सरकार इस लोक महत्व के महत्वपूर्ण मामले पर विचार करे और तुरंत कार्यवाही करे।

---

* सभा पटल पर रखे माने गए।

(दो) गुजरात के मेहसाना जिले के उनझा में जीरा उत्पादकों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जीवाभाई ए. पटेल (मेहसाना) : महोदय मेरे संसदीय क्षेत्र में जीरा का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है और यहां के जीरा की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। इस संसदीय क्षेत्र में ऊंझा जीरा का एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। यहां पर जो फारवर्ड मार्किट कमीशन है, वह किसानों से 25 प्रतिशत का मार्जिन ले रहा है जो अनुचित है और किसानों के साथ अन्याय है। यहां पर जीरा का उत्पादन ज्यादा होता है पर एक ही लैबोरेटरी काम कर रही है। कम से कम यहां पर दो लैबोरेटरी होनी चाहिए। इसकी शिकायत एफ एम सी को गई है परन्तु किसानों के हित में अभी तक कोई कार्यवाही, नहीं की गई है। मैं स्वयं किसानों के प्रतिनिधियों के साथ सचिव, उपभोक्ता मामले में मिल चुका हूं परन्तु कोई परिणाम नहीं निकला है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि ऊंझा में जीरा किसानों पर एनसीडीईएक्स द्वारा उत्पन्न की गई समस्याओं को तुरन्त रोका जाए और ऊंझा मेंदो लैबोरेटरी की स्थापना की जाये।

(तीन) पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वर्तमान रेलवे स्टेशन को आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : मुर्शिदाबाद जिला पश्चिम बंगाल में एक पिछड़े जिले के रूप में जाना जाता है। यद्यपि, इस क्षेत्र की आपार पर्यटन संभावना का अभी भी दोहन नहीं किया गया है। लाखों घरेलू पर्यटक प्रत्येक वर्ष जिले के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करते हैं, जिससे गरीब और बेरोजगार लोगों की जीविका भी आसान हो जाती है। रेल सेवा इतनी अधिक नहीं है कि अपेक्षित स्तर तक पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। सदियों पुराना मुर्शिदाबाद रेलवे स्टेशन नवाब के शासन के समृद्ध इतिहास की धरोहर होने के नाते एक उत्कृष्ट स्मारक के रूप में खरा नहीं उतरता। शहर को सुन्दर बनाने के उद्देश्य से, एक आदर्श रेलवे स्टेशन एक "प्रेरक" के रूप में कार्य कर सकता है। जहां तक अवसंरचनात्मक सुविधाओं का संबंध है, रेलवे की हमारे देश के इस दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्र में अपेक्षित सुविधाओं का विस्तार करने की एक सामाजिक प्रतिबद्धता है, जो कि पर्यटन सहित आर्थिक विकास की गति को बढ़ा सकती है। इसके मद्देनजर, मैं समझता हूं कि संबंधित जिले को प्राथमिकता दी जाए, चूंकि कई वर्षों से इस ऐतिहासिक शहर के लोग अपने जर्जर रेलवे स्टेशन (मुर्शिदाबाद) को एक आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में रूपांतरित किए जाने का सपना संजोते आ रहे हैं।

मैं, मुर्शिदाबाद के लोगों की ओर से सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह वर्तमान मुर्शिदाबाद रेलवे स्टेशन को एक आदर्श स्टेशन के रूप में परिवर्तित करे।

(चार) जम्मू-कश्मीर में मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : जम्मू–कश्मीर में शिक्षित/अशिक्षित व्यक्ति विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं लेकिन उन्हें न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है। राज्य में, एस.पी.ओ. और वी.डी.सी. के सदस्यों को 400 से 3100/– रु. मिल रहे हैं। अन्य विभागों में भी यही स्थिति है। कामगारों में हताशा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप न्यूनतम मजदूरी की समस्या का समाधान करें।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह कामगारों को पूरी मजदूरी देने के लिए उचित उपाय करें।

(पांच) राजस्थान के अलवर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आकाशवाणी और दूरदर्शन की प्रसारण और रिले सुविधाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. करण सिंह यादव (अलवर) : महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र अलवर के ग्रामीण अंचलों में आकाशवाणी और दूरदर्शन कार्यक्रमों का सही व गुणात्मक प्रसारण नहीं आ रहा है। जिले में ऊंची–ऊंची पर्वतीय श्रृंखलाओं के कारण अलवर के आकाशवाणी केन्द्र परिसर में स्थित रिले टॉवर से निकली तरंगें ऊंची पहाड़ियों के कारण थाना गाजी, बहरोड़, बानसूर व मुण्डावर क्षेत्र में नहीं पहुंच पाती और इस कारण इस क्षेत्र के रेडियो व ट्रांजिस्टरों पर आकाशवाणी, दूरदर्शन के कार्यक्रम नहीं सुने जा सकते।

अतः मेरी प्रार्थना है कि अलवर आकाशवाणी केन्द्र में स्थित रिले टावर को पहाड़ी पर स्थित बाला किला में स्थापित करें ताकि समस्त ग्रामीण क्षेत्र में आकाशवाणी के कार्यक्रम सुने जा सकें। इसी प्रकार बहरोड़ व थाना गाजी में दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित किये जायें ताकि राष्ट्रीय दूरदर्शन के कार्यक्रम ग्रामीण जनता को देखने को मिल सकें।

(छह) बरेली में रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना तथा रेल ऊपरि पुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : बरेली उत्तर प्रदेश का मुख्य महानगर है तथा पूर्वोत्तर रेल का मुख्य केन्द्र है। मण्डल रेल कार्यालय के साथ ही यहां पर पूर्वोत्तर रेल का डिब्बा सुधार व क्रेन निर्माण की बड़ी इकाई (कारखाना) थी। परन्तु काम कम होने के कारण यहां इकाई में मजदूरों की संख्या निरन्तर कम होती जा रही है। यहां पर रेल की काफी बड़ी

आधारभूत संरचना है तथा 20 वर्ष पूर्व कोच फैक्ट्री की स्थापना हेतु विचार भी किया गया था। परन्तु विभिन्न कारणों से संभव नहीं हो पाया। मैं चाहूंगा कि इस क्षेत्र की आवश्यकता व रेल की उपयुक्त संरचना को ध्यान में रखते हुए कोच फैक्ट्री या इसके समान उपयुक्त कारखाना प्रारम्भ करने हेतु प्रक्रिया अपनायी जाये।

इसके अतिरिक्त महानगर बरेली के निम्न स्थानों पर रेल ओवर ब्रिज की मांग निरंतर की जा रही है। मेरा आग्रह है कि इन स्थानों पर रेलवे के ओवर ब्रिज का निर्माण हेतु उपयुक्त कदम उठाते हुए आवश्यक निर्देश दिये जाये।

1. हार्टमैन कालेज़ रेल क्रासिंग (पूर्वोत्तर) बरेली महानगर।
2. इज्जतनगर क्रासिंग (पूर्वोत्तर) बरेली महानगर।
3. कटघर श्मशान भूमि (पूर्वोत्तर) बरेली महानगर।
4. नगरिया सादात (मीरगंज–बरेली) उत्तर रेलवे।
5. भिटौरा (फतेहगंज पश्चिमी) उत्तर प्रदेश।

(सात) देश में मिट्टी के तेल तथा एल.पी.जी. की आपूर्ति बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी (रीवा) : महोदय, उपभोक्ताओं को घरेलू गैस (एल.पी.जी.) एवं केरोसीन (मिट्टी का तेल) सुविधापूर्वक प्राप्त हो सके इस दृष्टि से केन्द्र की सरकारों द्वारा व्यापक प्रयास किए गये फलस्वरूप उपभोक्ता आश्वस्त थे कि उन्हें न तो लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ेगा न कई–कई सप्ताह तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। किंतु, आज जो कठिनाई उपभोक्ता उठा रहे हैं वह अत्यंत असहनीय है। केरोसीन के लिए प्रतीक्षा एवं लंबी कतारें लगी हैं। नये कनेक्शन जहां सुविधापूर्वक प्राप्त थे, वे भी बन्द हैं। वितरक भी हर प्रकार से इसका लाभ उठा रहे हैं। नये कनेक्शन आगे कब तक प्राप्त होंगे, अनिश्चित है। उपभोक्ता परेशान हैं और वितरकों के चक्कर लगा रहा है। सरकार पिछले एक वर्ष से लगातार आश्वासन पर आश्वासन दे रही है कि जल्द ही एलपीजी और केरोसीन की परेशानी दूर की जाएगी परन्तु मात्र आश्वासनों के अलावा उपभोक्ताओं को और कुछ नहीं मिल रहा है।

अतः मेरा प्राकृतिक गैस मंत्री जी से आग्रह है कि तुरंत प्रभावी कदम उठाकर एल.पी.जी. एवं केरोसीन की उपलब्धता यथापूर्व करें एवं एल.पी.जी. के नये कनेक्शन भी पूर्ववत मांग पर शीघ्र दिये जायें।

(आठ) ग्रामीण क्षेत्रों और समाज के कमजोर वर्गों हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं को पूर्ण रूप से वित्तपोषित किए जाने की आवश्यकता

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित अनेक योजनाओं एवं कार्यक्रमों में जिसमें गांव, गरीब एवं किसानों का तथा सामाजिक–आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों का हित संरक्षित एवं संवर्धित होता है। प्रदेशों के आंशिक वित्तीय अनुदान के अभाव में कार्यान्वित नहीं हो रही है। जिसके कारण योजनाओं–कार्यक्रमों का लाभ ऐसी योजनाओं के लिए पहचान किए गए लोगों तक नहीं पहुंचता है।

अतएव आग्रह है कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित ऐसी सभी महत्वपूर्ण योजनाओं को शत–प्रतिशत वित्त अनुदान देकर साकार कर सार्थकता प्रदान करें।

(नौ) राष्ट्रीय खनिज नीति के संबंध में होड़ा समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों पर कार्यवाही किए जाने से पूर्व राज्य सरकारों के दृष्टिकोण पर विचार किए जाने की आवश्यकता

श्री पुन्नूलाल मोहले (बिलासपुर) : किसी भी राज्य के वैधानिक सीमा स्थित भू–सतह और सतह नीचे के समस्त खनिजों का स्वामित्व संबंधित राज्यों का होता है, संसद में संविधान द्वारा 1957, 1960 के खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के तहत केन्द्र सरकार खनिजों को दो वर्गों में बांटा (मुख्य और लघु खनिज) है। लघु खनिज को राज्य सरकार के नियंत्रण में और मुख्य खनिज पर अपना स्वयं का अधिकार रखकर केंद्र राष्ट्रीय खनिज अधिनियम, 1993 के तहत वर्तमान में करती है।

महोदय, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, म.प्र., कर्नाटक और राजस्थान खनिज बहुल राज्य हैं जहां के मुख्यमंत्रियों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर होड़ा समिति के अनुशंसाओं के विरोध में बिंदुवार आपत्तियों से अवगत करा दिये थे, उस संबंध में 6 नवम्बर, 2006 को केन्द्रीय खान मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय खनिज सलाहकार परिषद की बैठक में भी समस्त राज्यों के मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और राज्य के अधिकारीगणों ने पुनः 'होड़ा समिति' की अनुशंसाओं की विसंगतियों पर अपनी–अपनी आपत्तियां दर्ज कराते हुए केन्द्रीय सरकार और खनिज उत्पादक राज्यों के बीच आम सहमति बनाकर ही निर्णय लिये जाने को कहा है। 'होड़ा समिति' की अनुशंसायें एक असामान्य अनुशंसा है जिसके द्वारा संघ सरकार अपने खनिज उत्पादक घटक राज्यों को गैर समझते हुए उनके वैधानिक क्षेत्राधिकार को ही नकार रहे हैं। दूर संचार माध्यमों के विकास से प्राप्त लाभ, समय सीमा से आवेदनों के निश्चित निराकरण, आरटीआई नियमों से प्राप्त समुचित प्रावधानों तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित समधान निर्णय जो अनुसूचित खनिज क्षेत्रों और उस पर प्राप्त लाभ का 20 प्रतिशत राशि उसी आदिवासी हरिजनों के पिछड़े क्षेत्र हित में खर्चना होगा, आदि नियमों का पालन अनुशंसित नहीं है। अभी तक संसद द्वारा संविधान प्रदत्त अधिकारों से देशहित राज्यहित सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हेतु प्रयास किये गये हैं।

अतः छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा 17 जुलाई, 2007 को पारित

शासकीय संकल्प और इसी प्रकार अन्य घटक राज्यों के मनोभावों को समझते हुए सभी राज्यों के साथ समन्वयपूर्वक जनहित में होड़ा समिति पर निर्णय लेना आवश्यक है। अन्यथा अनुशंसाएं व्यापक देशहित, राज्यहित में प्रासंगिक और सुदीर्घस सुअनूकूल नहीं होगा।

(दस) क्योंझरगढ़ के रास्ते भुवनेश्वर और टाटानगर के बीच एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाए जाने तथा हावड़ा-बारबिल जन शताब्दी एक्सप्रेस को क्योंझरगढ़ तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अनन्त नायक (क्योंझर) : पूर्वी भारत में क्योंझर उन कुछेक जिलों में से एक है, जहां स्वतंत्रता के साठ वर्षों के पश्चात् भी अभी तक रेल सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। दूसरी ओर, यह देश में खनिज से परिपूर्ण सबसे समृद्ध जिला है। क्योंझर से बड़ी संख्या में लोग विभिन्न कार्यों अथवा सामाजिक प्रतिबद्धता के संबंध में मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और अन्य प्रमुख शहरों को जाते हैं। लेकिन यह जिला रेल नेटवर्क से सुचारु रूप से जुड़ा हुआ नहीं है। अब, उस जिले से माल की दुलाई के लिए पारादीप और टाटानगर को जोड़ते हुए एक लाइन बिछाई जा रही है। वस्तुतः, पूर्वतटीय रेलवे का अधिकतम माल भाड़ा क्योंझर से ही अर्जित होता है।

इस प्रकार मैं मांग करता हूं कि गीतांजलि एक्सप्रेस और अन्य हावड़ा-मुंबई तथा मुंबई-हावड़ा आने-जाने वाली ट्रेनों को जोड़ते हुए क्योंझर होते हुए भुवनेश्वर और टाटानगर के बीच एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी अतिशीघ्र शुरू की जाए। इसी प्रकार, हावड़ा-बारबिल जन शताब्दि एक्सप्रेस का तुरंत ही क्योंझर तक मार्गविस्तार किया जाए।

(ग्यारह) कॉयर यार्न तथा कॉयर उत्पादों हेतु "मिल गेट प्राइस स्कीम" आरंभ किए जाने की आवश्यकता

डा. के. एस. मनोज (अलेप्पी) : सिल्क और जूट यार्न की तरह ही कॉयर यार्न भी एक पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक फाइबर है। कॉयर उद्योग देश का एक बड़ा परम्परागत उद्योग है। इस उद्योग के 6.5 लाख कामगार जिसमें 90 प्रतिशत महिलाएं हैं, जीविकोपार्जन के लिए इस उद्योग पर निर्भर हैं। "अलपुझा कॉयर" – द गोल्डन यार्न ऑफ गॉड्स आन कंट्री" विश्व में काफी प्रसिद्ध है। पूरे विश्व में कॉयर गलीचे और फ्लोर मेटिंग्स की भारी मांग है। लेकिन वहां पर कच्चे माल, अर्थात् "कॉयर फाइबर" की भारी कमी है। इस उद्योग में इस समस्या के साथ-साथ कई अन्य समस्याएं भी मौजूद हैं जिन्होंने कॉयर उद्योग के क्षेत्र में संकट पैदा कर दिया है। इस संकट से निपटने के लिए तत्काल हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक है। सरकार ने वस्त्र उद्योग में एक योजना अर्थात् "एम 171 गेट प्राइज स्कीम" शुरू की है। इस योजना के माध्यम से अर्हक हथकरघा बुनकरों को 'मिल गेट मूल्य' पर सभी प्रकार के यार्न उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि हथकरघा क्षेत्र के लिए आवश्यक कच्चे माल की नियमित आपूर्ति करने के साथ-साथ इस क्षेत्र की पूरी नियोजन क्षमता क उपयोग किया जा सके। मिल गेट प्राइज स्कीम को कॉयर क्षेत्र में भी शुरू किया जाए और इस स्कीम के क्रियान्वयन और निगरानी का दायित्व कॉयर बोर्ड को सौंपा जाए।

(बारह) उत्तर प्रदेश की कुछ पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति श्रेणी की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : महोदय, उत्तर प्रदेश की पूर्व सरकार द्वारा 23 नवम्बर, 2005 को राजभर, गोड, निषाद, केवट, बिन्द, धीमन, तुरहा, मांझी, कहार, कश्यप, गोड़िया जैसी दर्जन भर पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति सूची में शामिल करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को पेश किया गया था, मगर जब रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने उ.प्र. की वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार से इस संबंध में विस्तृत जानकारी मांगी तो जानकारी देने के बजाए वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार ने जून, 2007 को केन्द्र सरकार से उत्तर प्रदेश की पूर्व सरकार के इस प्रस्ताव को रद्द करने की सिफारिश की, जिसे वर्तमान केन्द्र सरकार ने तुरन्त मान लिया। इस तरह दर्जन भर अति-पिछड़ी जातियां आरक्षण के लाभों से वंचितकर दी गई। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि उपरोक्त अति पिछड़ी जातियों को अनु. जाति में शामिल करें।

(तेरह) उत्तर प्रदेश में शारदा नदी पर वर्तमान बैराज से बहने वाले अतिरिक्त पानी को रोकने के लिए भारत-नेपाल सीमा पर एक बांध का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान नेपाल से सटे सीमावर्ती क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं। नेपाल से बहने वाली नदियों के मार्गों में नेपाल ने फेर बदल किया है जिसके परिणामस्वरूप सीमावर्ती सभी जनपदों में पिछले कई वर्षों से अप्रत्याशित बाढ़ आ रही है, जिससे जन-धन की भारी हानि हो रही है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि नेपाल सरकार से सहयोग लेकर सीमा पर बांध बनाकर इस पानी को नियमित किया जाये।

महोदय, नेपाल से भारी मात्रा में पानी आने से शारदा नदी पर बने बैराज को भारी खतरा हो गया है। शारदा नदी में लगभग 9 लाख क्यूसिक पानी की बढ़ोत्तरी हुई है जिसके परिणामस्वरूप शारदा नदी के दोनों तटों से भूमि कटाव हो रहा है। लगभग 20 हजार एकड़ उपजाऊ भूमि का कटाव हो चुका है और लगभग 8 लाख आबादी प्रभावित हुई है।

महोदय, मेरा सरकार से अनुरोध है कि शारदा नदी के दोनों तटों

पर दीवार बनाई जाये ताकि बेहद उपजाऊ भूमि के कटाव को रोका जा सके।

(चौदह) बिहार में पटना में मसौढ़ी ब्लॉक में इंडियन ऑयल का एल.पी.जी. आउटलेट स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री गणेश प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : महोदय, बिहार प्रदेश के पटना जिले के मसौढ़ी अनुमंडल के अंतर्गत इंडियन ऑयल की रसोई गैस की एजेन्सी नहीं है। यहां उपभोक्ताओं की संख्या करीब तीन हजार से अधिक है। ये सारे उपभोक्ता जहानाबाद गैस एजेन्सी के उपभोक्ता हैं। मसौढ़ी से जहानाबाद की दूरी लगभग 16 कि.मी. है। उपभोक्ताओं को जहानाबाद से गैस लाने में काफी परेशानी होती है। गैस लाने में उपभोक्ता को प्रति सिलेण्डर गैस मूल्य के अलावा 100 रुपए अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। गैस की खरीद करने के लिए जाने और आने में एक दिन का समय बर्बाद होता है। कभी–कभी ऐसा भी होता है कि एजेन्सी द्वारा मना कर देने पर मानसिक और आर्थिक दोनों तरह की परेशानी झेलनी पड़ती है।

कुछ ऐसे भी महिला उपभोक्ता हैं, जिनके लिए इस समस्या का सामना करना काफी मुश्किल है।

अतः माननीय मंत्री, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, भारत सरकार से निवेदन है कि उपरोक्त समस्या को ध्यान में रखते हुए मसौढ़ी अनुमंडल में एक इंडियन गैस एजेंसी चालू कराने का कष्ट करें।

(पन्द्रह) असंगठित क्षेत्र में कृषक मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी कार्यक्रमों संबंधी व्यापक विधान बनाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : केन्द्र सरकार कुछ समय से देश के असंगठित क्षेत्र के कामगारों के बहुमुंखी विकास के लिए कदम उठाए जाने के संबंध में कह रही है जिसमें कृषि कामगारों को भी शामिल किया गया है जो हमारे कुल ग्रामीण कार्यबल का 90 प्रतिशत है। ग्रामीण भारत का यह वर्ग असंगठित कामगारों में सबसे निर्धन है और ये सरकार के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के अंतर्गत किसी भी प्रकार की सुविधा से वंचित है।

इन कामगारों के लिए किसी भी प्रकार का व्यापक केन्द्रीय विधान न होने के कारण देश को इन असहाय गरीबों की हालत बहुत ही दयनीय है। इसके अतिरिक्त असंगठित क्षेत्र के लिए चलाए जाने वाले विकास कार्यक्रमों की 50 प्रतिशत जिम्मेदारियों को राज्य सरकारों द्वारा वहन करने संबंधी केन्द्र सरकार का अनुरोध इस समस्या को और बढ़ा सकता है।

आमतौर पर राज्य सरकारें वित्तीय संकट का सामना कर रही हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम के अंतर्गत धन की अनुपलब्धता के कारण केवल आंशिक रोजगार का सृजन किया जा सका है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार का ध्यान कृषि कामगारों के संबंध में एक व्यापक केन्द्रीय विधान बनाने और उनके लिए लक्षित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हेतु संपूर्ण वित्तीय जिम्मेदारी को वहन करने की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

(सोलह) नेपाल के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बिहार के चम्पारन जिले के बाल्मीकि नगर में "लैंड कस्टम स्टेशन" स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री कैलाश बैठा (बगहा) : महोदय, बिहार प्रांत के पश्चिमी चम्पारण जिले के अन्तर्गत बाल्मीकि नगर में लैंड कस्टम स्टेशन बनाये जाने की आवश्यकता है। यह जानकर खुशी हुई कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन सीमा प्रबंधन विभाग को इस प्रस्ताव पर सिद्धांततः कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही, नेपाल सरकार भी त्रिवेणी–बाल्मीकि नगर के रास्ते आपसी व्यापार हेतु उत्सुक है तथा उसने व्यापार संधि के तहत आपसी व्यापार हेतु प्रस्तावित मार्गों की सूची में इसे शामिल भी कर लिया है। हमारा सरकार से आग्रह है कि निश्चित रूप से निकट भविष्य में नेपाल से होने वाली द्विपक्षीय वार्ता में इस विषय को शामिल किया जाये ताकि बाल्मिकी नगर भी रक्सौल के तहत समृद्ध एवं विकसित हो सके तथा सरकार को भी राजस्व प्राप्ति हो।

(सत्रह) सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों का विलय किए जाने की आवश्यकता

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी) : सामान्य बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण 1972 में किया गया था उस समय सरकार ने 107 भारतीय और विदेशी बीमा कंपनियों का प्रबंधग्रहण किया था। तत्पश्चात्, संसद ने चार कंपनियों – न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, ओरिएन्टल इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का सृजन किया गया था और इन कंपनियों पर नियंत्रण के लिए एक नियन्त्री कंपनी के रूप में जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन का सृजन किया गया था। राष्ट्रीय जनजांत्रिक गठबंधन सरकार ने 1999 में बीमा उद्योग को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया। आज आठ से अधिक निजी कंपनियां इनमें से अधिकतर कंपनियां विदेशी भागीदारों के साथ सामान्य बीमा क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। चार सरकारी बीमा कंपनियों को आपस में और इन निजी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। इन चारों कंपनियों द्वारा व्यापार के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करने से पूंजी और मानव दोनों संसाधनों का सही तरीके से प्रयोग नहीं हो पाता है। नए प्रतिस्पर्धी वातावरण में सरकार के लिए एक ही प्रकार के व्यापार पर ध्यान केंद्रित करने वाली चार कंपनियों को अपने पास रखने का कोई औचित्य नहीं

है। इसलिए इन चारों कंपनियों के विलय के माध्यम से भारतीय जीवन बीमा निगम जैसी एक कंपनी का सृजन किया जाना चाहिए। इस विलय से बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था का सृजन होगा, कुशल मानव संसाधन और पूंजी का सही उपयोग होगा और इससे पूरे देश में बेहतर पारदर्शिता आएगी। इससे बेहतर प्रतिस्पर्धी वातावरण का निर्माण होगा, असंतुलन की समस्या का समाधान होगा और सामाजिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री से सरकारी क्षेत्र की इन चारों बीमा कंपनियों का विलय करने की व्यवस्था करने का अनुरोध करता हूं।

अपराह्न 12.09 बजे

सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) संशोधन विधेयक, 2007 - जारी

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मद सं. 19 पर चर्चा करेगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : डा. आर सेनथिल; श्री किन्जरपु येरननायडु;

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी उत्तर दे सकते हैं।

...(व्यवधान)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : महोदय, कई माननीय सदस्य विधेयक पर बोल चुके हैं। मैं अनुरोध करती हूं कि विधेयक पारित किया जाए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि सिगरेट और तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पाद, प्रदाय और वितरण का विनियम) विधेयक, 2003 में संशोधित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब, सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

...(व्यवधान)

श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी : महोदय, डा. अंबुमणि रामदास की ओर से मैं प्रस्ताव करती हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.09½ बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

पंचायतों को उनके संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने और उनके कर्त्तव्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए उन्हें वित्तीय रूप से सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : महोदय, मैं अपनी अनुपस्थिति पर बहुत खेद प्रकट करता हूं क्योंकि मैं राज्यसभा में वक्तव्य देने में व्यस्त था। *...(व्यवधान)* मैं यहां श्री अविनाश राय खन्ना द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देने आया हूं, मेरे पास वक्तव्य तैयार है जिसे मैं आपकी अनुमति से सभा पटल पर रखना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। वक्तव्य सभा पटल पर रख दिया गया है।

...(व्यवधान)

***श्री मणि शंकर अय्यर :** संविधान के अनुच्छेद 243 छ में यह कहा गया है कि राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों को इस प्रकार की शक्तियों व प्राधिकार से सम्पन्न कर सकता है जो उन्हें स्व-शासन की संस्थाओं के तौर पर कार्य करने में सक्षम बनाने हेतु आवश्यक हो और इस प्रकार की विधि में ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रन्थालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6937/2007।

संबंधित विषयों सहित तथा आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पंचायतों को अधिकार व उत्तरदायित्व सौंपे जाने का प्रावधान हो सकता है। राज्य द्वारा पंचायतों को सौंपे गए किसी भी विषय पर प्रभावशाली ढंग से अपनी भूमिका निभाने के लिए ग्यारहवीं अनुसूची में 29 विषयों को सूचीबद्ध किया गया है और यह आवश्यक है कि पंचायत से जिस भूमिका की आशा रखी जाती है उससे प्रकार्य, निधि व कार्यकर्त्ताओं का हस्तांतरण समुचित रूप से मेल खाता हो।

तीनों स्तरों पर सौंपे गए प्रकार्यों के संबंध में पंचायतों की भूमिका को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय राज्यों के साथ मिलकर उनसे गतिविधि मानचित्र तैयार करने का आग्रह करता रहा है। प्रभावशाली वित्तीय प्रणाली को बनाए रखने के लिए अगले कदम के तौर पर यह सुनिश्चित करना है कि गतिविधि मानचित्रण वित्तीय हस्तांतरण से मेल खाता हो। पंचायती राज मंत्रालय राज्यों से पंचायत को सौंपे गए कार्य वाले प्रत्येक संबंधित विभाग के बजट में पंचायत सेक्टर विण्डो रखने की आवश्यकता के बारे में भी आग्रह कर रहा है जिससे कि त्रिस्तरीय प्रणाली में प्रत्येक पंचायत को दी गई निधि स्पष्ट रूप से दिखे।

पंचायतों तक तीनों स्रोतों, नामतः केन्द्रीय सरकार के हस्तांतरण द्वारा, राज्य की ओर से तथा स्वयं के राजस्व से निधि पहुंचता है। केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के माध्यम से दी जाने वाली केन्द्र की निधि, निधियन का सबसे बड़ा हिस्सा है और इस वजह से पंचायत के सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने की केन्द्र सरकार के पास गुंजाइश है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की पुनरीक्षा के लिए मंत्रिमंडल सचिव के निदेश पर सचिव (पंचायती राज) की सह-अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जिससे कि इन स्कीमों के कार्यान्वयन में पंचायतों को केन्द्रीयता प्राप्त हो सके।

इसके अलावा, पंचायतों द्वारा प्रभावशाली कार्य-निष्पादन उनको दिए गए प्रर्याप्त अबद्ध निधि के हस्तांतरण पर निर्भर करता है ताकि वे सौंपे गये अपने सार्वजनिक सेवा का कार्य पूरा कर सकें। पंचायतों की अबद्ध निधि के मुख्य स्रोत इस प्रकार हैं:-

(क) उनको सौंपे गए स्रोतों के आधार पर प्राप्त कर एवं गैर-कर राजस्व; और

(ख) ब्लॉक अनुदान के माध्यम से या करों में हिस्सेदारी द्वारा राज्यों एवं केन्द्र सरकार के जरिए उपलब्ध कराए गए ब्लॉक बिना शर्त वाले हस्तांतरण।

संविधान के अनुच्छेद 243 आई के तहत गठित राज्य वित्त आयोगों को पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करते हुए तथा सौंपे गए करों, चुंगी, टोलों व फीस के निर्धारण के मामलों के साथ-साथ सिफारिशें करनी होती हैं। एस.एफ.सी. के प्रतिवेदनों पर राज्य सरकारों द्वारा विचार किया जाता है तथा उस पर निर्णय लिए जाते हैं।

पंचायतों के सुदृढ़ीकरण के लिए एक आवश्यक महत्वपूर्ण कारक यह है कि उन्हें स्वयं के राजस्व को बढ़ाने के लिए सक्षम व सशक्त बनाया जाए। अपना राजस्व जुटाने की जरूरत पंचायतों के राजस्व व व्यय निर्णयों के बीच के संबंध को मजबूत बनाता है जो उनके द्वारा किए जा रहे सेवा के प्रावधान में दक्षता व उत्तरदायित्व दोनों प्रोत्साहित करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पंचायतों द्वारा प्रभावकारी राजस्व संग्रह को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि पंचायतों को और अधिक कर क्षमता देने तथा उनके राजस्व आधार को व्यापक बनाने की दृष्टि से विधि व नीति-व्यवस्था को पुनर्अभिविन्यस्त किया जाए साथ में यह भी सुनिश्चित किया जाए कि वर्तमान में उन्हें जो कराधान शक्तियां प्रदत्त हैं उनका दक्षता के साथ संचालन हो रहा है। पंचायतों द्वारा राजस्व संग्रहण में गति लाने की चुनौती से निपटने के क्रम में राज्य सरकार एवं पंचायतों के बीच में प्रभावशाली व निकट के समन्वय की आवश्यकता होगी क्योंकि पंचायतों के कराधान की शक्तियां राज्य पंचायती राज अधिनियम व उसके तहत बने नियमों द्वारा शासित होती हैं।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फिनान्स एण्ड पॉलिसी द्वारा किया गया अध्ययन यह दर्शाता है कि पंचायतों द्वारा विभिन्न राज्यों में 66 किस्म की फीस और कर प्रभार लगाकर वसूली की गई लेकिन इनमें से अधिकतर सिर्फ कागजों पर थे और इनकी वसूली नहीं की गई। यह जान पड़ता है कि संपत्ति कर को छोड़कर पंचायतों को राजस्व संचालन के सौंपे गए अधिकार में से कोई भी अधिक राजस्व अर्जित नहीं कर सका। संपत्ति कर नाम मात्र (अधिकतम 10 प्रतिशत) वसूल किया जाता है और यह भी वास्तव में संग्रहित नहीं किया जाता। जल प्रभार, जो एक मात्र महत्वपूर्ण गैर-कर राजस्व है, उसे भी पंचायतों द्वारा संग्रहित कर पाना कठिन पाया गया है। राजस्व संग्रहण के विस्तार में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- पंचायतों को सौंपी गई कर शक्तियों को पुनः अवलोकन करना;
- एक विश्वसनीय आंकड़ा व सूचना प्रणाली;
- ग्राम स्तर पर प्रशासन व करारोपण के लिए क्षमता-निर्माण; तथा
- कर वसूलियों में खासी वृद्धि के लिए कई प्रोत्साहनों व हतोत्साहनों को अपनाना।

एन.आई.पी.एफ.पी. ने पंचायतों के अपने राजस्व की वर्तमान

स्थिति का आकलन 3000 करोड़ रुपए किया है एवं करारोपण संरचना में बिना किसी सुधार के संग्रहण की दक्षता में सुधार के परिणामस्वरूप केवल 10,000 करोड़ का संग्रहण हो पाएगा। यह राशि भी पंचायतों द्वारा उनके सेवा क्षेत्रों में दिए जाने पर अर्थपूर्ण व्यय की दृष्टि से बिल्कुल अपर्याप्त है। इसके अतिरिक्त, पंचायतों द्वारा कर राजस्व को संग्रह करने में राज्यों के बीच बहुत विभिन्नता है। कुछ राज्यों में, वार्षिक संग्रहण एक करोड़ से भी कम है।

पंचायती राज मंत्रालय ने 6–7 जुलाई, 2007 को पंचायत स्तर पर स्रोतों के संग्रह एवं दक्ष वित्तीय हस्तांतरण पर एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया। सेमिनार में कई सिफारिशें उभर कर सामने आई जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण इस प्रकार है:–

- पंचायतों द्वारा करों के प्रबंध के विषय में राज्य सरकारों द्वारा जारी विधिक प्रावधानों एवं कार्यकारी आदेशों का सार–संग्रह तैयार किया जाएगा। सार–संग्रह में प्रोत्साहनात्मक कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण समाविष्ट होगा तथा पंचायत स्तर पर कराधान व बेहतर संग्रहण तंत्र के माध्यम से स्रोत संग्रहण में सुधार लाने के लिए पंचायतों/राज्यों द्वारा अपनाये गए नवाचारों तथा राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशें इसमें होंगी।

- राज्य सरकारें पंचायतों के लिए उपयुक्त कर व गैर–कर राजस्व प्राप्ति का पता लगाने के संबंध में नीति बनाए जाने को लेकर राज्य वित्त आयोगों को सहायता देंगी।

- राज्य सरकारें वैटर्न ओयर पर एक निश्चित प्रतिशत के लेवी लगाने पर विचार करेंगी जिन्हें पंचायतों को सुपुर्द किया जा सकता है। जिला व माध्यमिक पंचायतों को भी शहरी क्षेत्रों के आस–पास के क्षेत्रों में स्थानीय व्यावसायिक करों को लगाने की शक्तियां दी जानी हैं।

- पंचायतों को कर–राजस्व की शक्तियां सौंपते समय राज्य सरकारें इस बात को सुनिश्चित करेंगी कि प्रत्येक स्तर के पंचायत को कम से कम एक या दो महत्वपूर्ण कर का आधार मिले।

- कर–आधार का पूर्णतया सर्वेक्षण करने और कर–संग्रह को लागू करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं, विशेष रूप से ग्राम पंचायतों से, सुव्यवस्थित व सामयिक मूल्यांकन के लिए आग्रह किया जाए। राज्य, विद्यमान विधि व्यवस्था पर आधारित कर संग्रह में सुधार लाने और राजस्व संग्रह की व्यापक कमी से उबरने के लिए अभियान चलायेंगे।

- राज्य वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पहले से निर्धारित कराधान की वर्तमान दर का पुनर्परीक्षण करेंगे और ऊर्ध्वगामी संशोधन करेंगे। इस संबंध में, राज्य कर पर निर्धारित अधिकतम सीमाओं व वैसे समस्त शर्तों को हटाएंगे जो पंचायतों के कर वसूली के अधिकार को बाधित या सीमित करता है।

- राज्यों और नियम और विनियम के अनुसर कर–निर्धारण व कर मांग के संग्रह के लिए पंचायतों में कर–संग्रहकों के बारंबार प्रशिक्षण के माध्यम से राजस्व संग्रह करने के लिए पंचायतों की प्रशासनिक और प्रवर्तन क्षमता को सशक्त बनाने के लिए उपाय करना है।

- पंचायतों द्वारा प्रशासन तथा करों व गैर–कर राजस्वों के संग्रह पर राज्य सरकारें पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों. और अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम में सुसंरचित माड्यूल्स के समावेश को सुनिश्चित करेंगी।

- राजस्व वितरण फार्मूले पर पुनर्विचार करते हुए राज्य, पंचायतों द्वारा कर–प्रयासां को प्रोत्साहित करने पर विचार कर सकती है।

अनुवर्ती कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय सेमिनार की सिफारिशों को राज्य सरकारों को संदर्भित किया गया है।

पंचायती राज संस्थाओं के पास संसाधनों की उपलब्धता को सुधार ने के क्रम में बारहवें वित्त आयोग ने केन्द्र सरकार से सीधे पंचायतों को खासे अंतरण की सिफारिश की है। 2005–06 से 4000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की दर से पांच वर्ष की अवधि तक पंचायतों को 20,000 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की जानी है। उसी प्रकार, पंचायती राज मंत्रालय का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि 13वां वित्त आयोग अबद्ध योजनेत्तर अनुदानों के हस्तांतरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाये।

अध्यक्ष महोदय : श्री अविनाश राय खन्ना, क्या आपको कोई प्रश्न पूछना है?

...(व्यवधान)

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर) : जी, नहीं *...(व्यवधान)*

अपराह्न 12.10 बजे

प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2007

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मद सं. 20 – श्री प्रेमचंद गुप्ता।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता) : मैं प्रस्ताव* करता हूं:

"कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 में संशोधन के लिए विधेयक पर

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत

विचार किया जाएगा।"

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, क्या आप विधेयक के बारे में संक्षेप में बताना चाहेंगे?

...*(व्यवधान)*

श्री प्रेमचंद गुप्ता : सरकार ने 2002 में प्रतिस्पर्धा अधिनियम लागू किया था ताकि भारतीय बाजार को देश के अंदर तथा बाहर से प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जा सके। अधिनियम में एक आयोग के गठन का उपबंध किया गया था ताकि प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले दस्तूर चलन को रोका जा सके, बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जा सके तथा इसे बनाया रखा जा सके, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके तथा बाजारों में अन्य भागीदारों द्वारा किए जाने वाले व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सके।

तथापि, इस अधिनियम के कतिपय उपबंधों, इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा इसके अध्यक्ष एवं सदस्य के चयन के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर की गई रिट याचिका के कारण भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सी.सी.आई.) को आज की तिथि तक पूर्णतया कार्यात्मक नहीं बनाया जा सका। जनवरी, 2005 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय देते हुए रिट याचिका को समाप्त कर दिया तथा रिट याचिका की कार्यवाही के दौरान लाए गए विधिक मुद्दों के समाधान के लिए अधिनियम में यथा उपयुक्त संशोधन करने का कार्य सरकार पर छोड़ दिया था। अतः, इस घटनाक्रम तथा सरकार की नोटिस में आए नए विचारों को ध्यान में रखते हुए इन संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है ताकि देश में प्रतिस्पर्धा अधिनियम को क्रियान्वित किया जा सके।

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए 9 मार्च, 2006 को लोक सभा में प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2006 प्रस्तुत किया गया तथा इसे जांच तथा रिपोर्ट के लिए वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में 12.12.2006 को प्रस्तुत की। समिति की सिफारिशों को तथा विधिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए तथा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को व्यापक आधार पर पूरी तरह से कार्यात्मक बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2007 प्रस्तुत किया गया है। मैं अब इस सम्माननीय सभा से विधेयक पर विचार करने के लिए अनुरोध करता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि प्रतिस्पर्धा आयोग, 2002 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब यह सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 4 धारा का संशोधन

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 2, पंक्ति 21 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, –

"4. मूल अधिनियम की धारा 5 में,–

(i) खंड (क) में, "

पृष्ठ 2, पंक्ति 34 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए, –

'(ii) खंड (ख) में,–'

(क) उपखण्ड (i) में, मद (आ) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"(आ) भारत में या भारत के बारह कुल मिलाकर पांच सौ मिलियन अमेरिकी डालर मूल्य से अधिक की आस्तियां हैं, जिसके अंतर्गत भारत में कम से कम पांच सौ करोड़ रुपए हैं या पन्द्रह सौ मिलियन अमेरिकी डालर से अधिक के आवर्त हैं, जिसके अंतर्गत भारत में कम से कम पन्द्रह सौ करोड़ रुपए हैं, या";

(ख) उपखंड (ii) में, मद (आ) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात:–

"(आ) भारत में या भारत के बाहर कुल मिलाकर दो बिलियन अमेरिकी डालर मूल्य से अधिक की आस्तियां हैं, जिसके अंतर्गत भारत में कम से कम पांच सौ करोड़ रुपए हैं या छह बिलियन अमेरिकी डालर से अधिक के आवर्त हैं, जिसके अंतर्गत भारत में कम से कम पन्द्रह सौ करोड़ रुपए हैं; या"।

(iii) खंड (ग) में,–

(क) उपखण्ड (i) में, मद (आ) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"(आ) भारत में या भारत के बारह कुल मिलाकर पांच सौ मिलियन अमेरिकी डालर मूल्य से अधिक की आस्तियां हैं, जिसके अंतर्गत भारत

में कम से कम पांच सौ करोड़ रुपए हैं या पन्द्रह सौ मिलियन अमेरिकी डालर से अधिक के आवर्त हैं, जिसके अंतर्गत भारत में कम से कम पन्द्रह सौ करोड़ रुपए हैं, या";

(ख) उपखंड (ii) में, मद (आ) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थातः–

"(आ) भारत में या भारत के बाहर कुल मिलाकर दो बिलियन अमेरिकी डालर मूल्य से अधिक की आस्तियां हैं, जिसके अंतर्गत भारत में कम से कम पांच सौ करोड़ रुपए हैं या छह बिलियन अमेरिकी डालर से अधिक के आवर्त हैं, जिसके अंतर्गत भारत में कम से कम पन्द्रह सौ करोड़ रुपए हैं; या"।

(श्री प्रेमचंद गुप्ता)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 4, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक मे जोड़ दिया गया।

खंड 5 से 50 तक विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रेमचंद गुप्ता : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले लिए जाएंगे। यदि कोई माननीय सदस्य अपना भाषण प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वे ऐसा कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.14 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : एक मिनट के लिए आप सब बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : पहले मेरी बात सुन लीजिए। अगर मैं आपको बोलने के लिए एक–एक, दो–दो मिनट का समय दे दूं, क्या आप फिर हाउस को चलने देंगे?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, यदि आप मुझे अनुमति दें तो बहुत ही वरिष्ठ तथा सम्माननीय नेता प्रो. मल्होत्रा जी और श्री प्रभुनाथ सिंह जी के संदर्भ में मैं ये बातें कहूंगा।

[हिन्दी]

सर, मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करूंगा कि इस सदन को चलाने की एक परम्परा है कि माननीय स्पीकर महोदय या डिप्टी स्पीकर महोदय जब किसी गंभीर मसले पर कोई निर्णय ले लेते हैं, उस निर्णय को जब सब मान लेते हैं तो फिर उसे मना नहीं करते हैं। ...*(व्यवधान)* स्पीकर महोदय ने यह रूलिंग दी कि ...*(व्यवधान)* मैं पढ़कर सुना रहा हूं ...*(व्यवधान)* स्पीकर महोदय को यह रूलिंग थी किः

[अनुवाद]

"प्रस्ताव में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए सरकार से समझौते पर पुनः बातचीत करने को कह कर प्रस्ताव वास्तव में किए गए समझौते को अस्वीकृत करने तथा वर्तमान स्वरूप में समझौते को प्रभावी नहीं किए जाने की मांग करता है जो सभा के अधिकार क्षेत्र में नहीं है और यह स्पष्टतः वर्तमान स्वरूप में समझौते को अस्वीकृत करने के बराबर है।

[हिन्दी]

इस मामले में हाउस की कम्पीटेंस नहीं है। ...*(व्यवधान)* इसलिए कमेटी कैसे बनेगी?

[अनुवाद]

मैं अपना भाषण उद्धृत नहीं कर रहा हूं ...*(व्यवधान)*

मैं आगे उद्धृत करता हूं:

"यह वास्तव में किए जा चुके समझौते को अस्वीकृत करना होगा जो मेरे विचार से सभा के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत नहीं है।"

यह माननीय अध्यक्ष का विनिर्णय है।

[हिन्दी]

आडवाणी जी ने सर झुकाते हुए रुलिंग को स्वीकार करके कहा कि

[अनुवाद]

"मैं विनिर्णय को स्वीकार करता हूं।"

[हिन्दी]

...*(व्यवधान)* फिर आप किस बात पर जेपीसी, जेपीसी कर रहे हैं? ...*(व्यवधान)* आप हमें जो कुछ मर्जी हो, कहिए, लेकिन स्पीकर महोदय की दी हुई रुलिंग जिसे पूरा सदन मानेगा, उस पर हमला मत कीजिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रभुनाथ सिंह जी, आप एक मिनट में अपनी बात कहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, जेपीसी की मांग के सिलसिले में कल से सदन में विवाद चल रहा है और इसलिए विवाद चल रहा है कि तीन-तीन बार प्रधानमंत्री जी ने सदन में न्यूक्लिअर के संबंध में वक्तव्य दिया है और जब सदन में प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य हो गया तो सदन की प्रोपर्टी हो गई और सदन की प्रोपर्टी होने के बाद फिर कहीं प्राइवेट में बैठकर और कम्युनिस्टों के साथ गुफ्तगू करके इस देश के मामले को प्राइवेट कंपनी के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मुझे उनकी बात सुनने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं मद संख्या 21 पर विचार करूंगा – सच्चर समिति के प्रतिवेदन पर नियम 193 के अंतर्गत चर्चा। श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (बेगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, आप पहले हाउस को ऑर्डर में लाइए तभी नियम 193 के तहत चर्चा शुरू होगी ...*(व्यवधान)* आप पहले सदन को ऑर्डर में लाइए। यह डिबेट है, यह कोई बिल नहीं है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : वे सच्चर समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं ...*(व्यवधान)* वे इससे भयभीत हैं।

अपराह्न 2.04 बजे

(इस समय श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा 7 सितम्बर, 2007 को पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.04¼ बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 7 सितम्बर, 2007/16 भाद्रपद, 1929 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	श्री हरिकेवल प्रसाद	321
	श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पटील	
2	श्री संजय धोत्रे	322
	श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली	
3	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	323
4	डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	324
	श्री धर्मेन्द्र प्रधान	
5	श्री प्रहलाद जोशी	325
6	श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया	326
	श्री रायापति सांबासिवा राव	
7	श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'	327
	श्री सूरज सिंह	
8	श्री पंकज चौधरी	328
9	श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार	329
	श्री संतोष गंगवार	
10	प्रो. एम. रामदास	330
	श्री मदन लाल शर्मा	
11	श्री सुकदेव पासवान	331
	श्री राम कृपाल यादव	
12	श्री के. एस. राव	332
13	श्री जी.एम. सिद्दीश्वर	333
14	श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख	334
15	श्री सुग्रीव सिंह	335
	श्री किसनभाई वी. पटेल	
16	श्री एस. अजय कुमार	336
17	श्री चंद्रकांत खैरे	337
18	श्री जीवाभाई ए. पटेल	338
	श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव	
19	श्री रामदास आठवले	339
20	श्रीमती करूणा शुक्ला	340
	श्रीमती रूपाताई डी. पाटील	

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1	आरुन रशीद, श्री जे.एम.	3201
2	आचार्य, श्री बसुदेव	3206, 3306, 3354
3	आदित्यनाथ, योगी	3187, 3270
4	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	3229, 3230, 3231, 3300, 3347
5	अग्रवाल, डा. धीरेन्द्र	3211, 3235, 3333, 3341
6	अहीर, श्री हंसराज गं.	3151, 3201, 3244, 3314, 3364
7	अजय कुमार, श्री एस.	3278, 3337
8	अप्पादुरई, श्री एम.	3201
9	अर्गल, श्री अशोक	3165, 3259, 3321, 3368
10	आठवले, श्री रामदास	3180, 3287, 3343
11	बहुगुणा, श्री विजय	3220
12	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	3201, 3284
13	बर्मन, श्री हितेन	3161, 3290, 3359
14	बर्मन, श्री रनेन	3150, 3243, 3327
15	बसु, श्री अनिल	3191
16	भडाना, श्री अवतार सिंह	3201
17	बिश्नोई, श्री कुलदीप	3166
18	बोस, श्री सुब्रत	3164, 3372
19	बोचा, श्रीमती झांसी लक्ष्मी	3227
20	चालिहा, श्री किरिप	3224, 3298
21	चावड़ा, श्री हरिसिंह	3211, 3330, 3333
22	चिन्ता मोहन, डा.	3207, 3340
23	चौधरी, श्री अधीर	3178, 3265, 3325
24	देव, श्री बिक्रम केशरी	3189

1	2	3
25	देवरा, श्री मिलिन्द	3179, 3264, 3301
26	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	3277, 3336, 3341
27	ढींढसा, श्री सुखदेव सिंह	3183, 3202
28	धोत्रे, श्री संजय	3266, 3271, 3332
29	धूमल, प्रो. प्रेम कुमार	3234, 3310, 3357
30	दत्त, श्रीमती प्रिया	3204
31	फैन्थम, श्री फ्रांसिस	3196
32	गढ़वी, श्री पी.एस.	3201, 3208
33	गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव	3177, 3201, 3204, 3205, 3267
34	गमांग, श्री गिरिधर	3176, 3285, 3342
35	गंगवार, श्री संतोष	3148, 3267, 3328
36	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	3266, 3271, 3332
37	गेहलोत, श्री थावरचन्द	3241
38	गुढ़े, श्री अनंत	3214, 3294, 3345
39	हसन, चौ. मुनव्वर	3238, 3309, 3361
40	हुसैन, श्री अनवर	3181, 3293, 3369
41	हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज	3160, 3283
42	जगन्नाथ, डा. एम.	3221, 3279, 3297, 3355
43	जावले, श्री हरिभाऊ	3212, 3292
44	जेना, श्री मोहन	3175, 3261, 3322
45	जिन्दल, श्री नवीन	3155, 3247, 3324
46	जोगी, श्री अजीत	3213, 3331
47	जोशी, श्री कैलाश	3156, 3295
48	कलमाडी, श्री सुरेश	3237
49	खैरे, श्री चंद्रकांत	3249, 3276, 3339, 3373
50	खां, श्री सुनील	3149, 3242, 3313, 3337, 3363
51	खारवेनथन, श्री एस.के.	3169, 3190, 3254, 3319, 3367
52	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	3167, 3252, 3329
53	कृपलानी, श्री श्रीचन्द	3185
54	कृष्ण, श्री विजय	3232, 3328
55	कुसमरिया, डा. रामकृष्ण	3225
56	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	3216, 3275, 3335
57	लक्ष्मण, श्रीमती सुशीला बंगारु	3344
58	लिब्रा, सरदार सुखदेव सिंह	3202
59	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	3339
60	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	3239
61	महरिया, श्री सुभाष	3182, 3288, 3344
62	महतो, श्री नरहरि	3158, 3312, 3362, 3375
63	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	3376
64	महताब, श्री भर्तृहरि	3240
65	महतो, श्री टेकलाल	3236
66	माने, श्रीमती निवेदिता	3177, 3201, 3204, 3205, 3267
67	मसूद, श्री रशीद	3219, 3296, 3346
68	मैक्लोड, सुश्री इन्ग्रिड	3216
69	मेहता, श्री आलोक कुमार	3203, 3286, 3333
70	मैन्या, डा. टोकचोम	3188
71	मुकीम, मो.	3373
72	मुर्मू, श्री हेमलाल	3226, 3299, 3328, 3358
73	मुर्मू, श्री रूपचन्द	3168
74	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	3214, 3294, 3333, 3345, 3374
75	नायक, श्री अनन्त	3201

1	2	3
76	ओराम, श्री जुएल	3233, 3370
77	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	3153, 3260, 3326, 3333
78	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	3147, 3251, 3317, 3365
79	पाण्डा, श्री प्रबोध	3222
80	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	3240, 3373
81	परस्ते, श्री दलपत सिंह	3198, 3240, 3280
82	पासवान, श्री सुकदेव	3276
83	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	3272, 3305, 3351
84	पटेल, श्री किसनभाई वी.	3262, 3263, 3299, 3353
85	पाठक, श्री हरिन	3211, 3372, 3375
86	पाटील, श्री प्रतीक पी.	3174
87	पटले, श्री शिशुपाल एन.	3228
88	पिंगले, श्री देविदास	3223
89	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	3177, 3201, 3284
90	प्रधान, श्री धर्मेन्द्र	3240, 3373
91	प्रसाद, श्री हरिकेवल	3245, 3330
92	राई, श्री नकुल दास	3333
93	राजगोपाल, श्री एल.	3172, 3273, 3334
94	राजभर, श्री चन्द्रदेव प्रसाद	3173, 3219, 3258
95	रामदास, प्रो. एम.	3333
96	राणा, श्री काशीराम	3190, 3274, 3333
97	रानी, श्रीमती के.	3215, 3371
98	राव, श्री के.एस.	3204, 3216, 3257, 3360
99	राव, श्री रायापति सांबासिवा	3204, 3302
100	राठौड़, श्री हरिभाऊ	3199, 3303, 3337, 3356
101	रवीन्द्रन, श्री पन्नियन	3197
102	रावले, श्री मोहन	3192
103	रेड्डी, श्री जी. करुणाकर	3170, 3256, 3320
104	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	3159, 3279, 3338
105	रेड्डी, श्री एन. जनार्दन	3195, 3204
106	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	3255, 3274, 3341, 3356
107	रिजीजू, श्री कीरेन	3162, 3268
108	साई प्रताप, श्री ए.	3269
109	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	3154, 3246, 3315
110	सरोज, श्री तूफानी	3184
111	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवरात	3216
112	सेठी, श्री अर्जुन	3171, 3311
113	शर्मा, श्री मदन लाल	3333
114	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	3229, 3230, 3231, 3301, 3348
115	शिवन्ना, श्री एम.	3209, 3289, 3349
116	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	3228, 3307
117	सिद्दीश्वर, श्री जी. एम.	3253, 3318, 3366
118	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	3190, 3235, 3248
119	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	3241, 3304
120	सिंह, श्री चन्द्रभान	3193
121	सिंह, श्री गणेश	3200, 3282
122	सिंह, श्री प्रभुनाथ	3333
123	सिंह, श्री रेवती रमन	3217, 3219, 3304, 3350
124	सिंह, श्री सुग्रीव	3262, 3299, 3323, 3353
125	सिंह, श्री सूरज	3216, 3275, 3281, 3340
126	सुब्बा, श्री मणी कुमार	3152, 3206
127	सुगावनम, श्री ई.जी.	3163, 3209, 3211, 3250, 3316
128	सुमन, श्री रामजीलाल	3207, 3281, 3335
129	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	3157
130	त्रिपाठी, श्री चन्द्रमणि	3162, 3240, 3268
131	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	3210, 3291, 3352
132	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	3218
133	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	3272, 3305, 3333, 3351
134	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	3229, 3230, 3231, 3300, 3308
135	विरुपाक्षप्पा, श्री के.	3194
136	यादव, श्री राम कृपाल	3286
137	येरननायडु, श्री किन्जरपु	3186, 3269, 3331, 3341

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

रसायन और उर्वरक	332
नागर विमानन	321, 325, 328, 336, 338
संस्कृति	
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	
भारी उद्योग और लोक उद्यम	
अल्पसंख्यक मामले	
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	323, 324, 326, 327, 333
रेल	329, 330, 331, 339, 340
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	334, 337
इस्पात	335
पर्यटन	322

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

रसायन और उर्वरक	3160, 3213, 3238, 3239, 3265, 3267, 3297, 3299, 3307, 3313, 3319, 3328, 3335, 3352, 3359, 3361, 3369, 3373
नागर विमानन	3169, 3170, 3179, 3186, 3188, 3201, 3205, 3209, 3214, 3218, 3224, 3229, 3230, 3237, 3257, 3259, 3280, 3292, 3304, 3315, 3345, 3357, 3366, 3368, 3371, 3376
संस्कृति	3159, 3166, 3175, 3183, 3202, 3211, 3222, 3291, 3324, 3350, 3355, 3372, 3374, 3375
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	3150, 3158, 3161, 3164, 3243, 3256, 3263, 3278, 3290, 3356
भारी उद्योग और लोक उद्यम	3149, 3162, 3167, 3227, 3285, 3317, 3341
अल्पसंख्यक मामले	3172, 3196, 3216, 3260, 3266, 3293
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	3151, 3152, 3163, 3165, 3173, 3176, 3177, 3178, 3182, 3203, 3206, 3207, 3221, 3225, 3244, 3246, 3247, 3248, 3250, 3258, 3262, 3268, 3277, 3274, 3275, 3279, 3281, 3283, 3298, 3308, 3309, 3320, 3321, 3323, 3325, 3326, 3329, 3340, 3346, 3347, 3351, 3354
रेल	3148, 3153, 3154, 3156, 3157, 3168, 3269, 3171, 3174, 3184, 3185, 3187, 3189, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195, 3198, 3199, 3208, 3212, 3217, 3219, 3220, 3223, 3228, 3234, 3236, 3240, 3241, 3245, 3249, 3251, 3253, 3254, 3255, 3264, 3270, 3271, 3273, 3276, 3286, 3288, 3289, 3295, 3296, 3300, 3301, 3302, 3303, 3306, 3310, 3311, 3312, 3316, 3318, 3322, 3330, 3332, 3334, 3338, 3342, 3344, 3349, 3362, 3365
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	3147, 3180, 3181, 3200, 3210, 3231, 3242, 3282, 3294, 3327, 3333, 3348, 3358, 3367
इस्पात	3226, 3252, 3314, 3337, 3339, 3353, 3363, 3364, 3370
पर्यटन	3155, 3190, 3197, 3204, 3215, 3232, 3233, 3235, 3261, 3277, 3284, 3287, 3305, 3331, 3336, 3343, 3360

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी. वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-वियाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली–110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस. – 48/29/15/2007 (एन.)
232

© 2007 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (बारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली – 110006 द्वारा मुद्रित।